

विनियोग लेखे

2014-15

हरियाणा सरकार

विषय सूची

	पृष्ठ
प्रस्तावना	i
विनियोग लेखे का सारांश	ii-xiii
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	xv-xvii
1- विधान सभा	1-4
2- राज्यपाल तथा मंत्री परिषद्	5-9
3- सामान्य प्रशासन	10-17
4- राजस्व	18-35
5- आबकारी तथा कराधान	36-39
6- वित्त	40-53
7- आयोजना तथा सांख्यिकी	54-57
8- भवन तथा सड़कें	58-88
9- शिक्षा	89-110
10- तकनीकी शिक्षा	111-117
11- खेलकूद तथा युवा कल्याण	118-123
12- कला एवं संस्कृति	124-128
13- स्वास्थ्य	129-157
14- नगर विकास	158-162
15- स्थानीय शासन	163-169
16- श्रम	170-173
17- रोजगार	174-176
18- औद्योगिक प्रशिक्षण	177-183
19- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक का कल्याण	184-192
20- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	193-202
21- महिला तथा बाल विकास	203-211
22- भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	212-214
23- खाद्य एवं पूर्ति	215-220
24- सिंचाई	221-256
25- उद्योग	257-262
26- खान एवं भू-विज्ञान	263-265
27- कृषि	266-290
28- पशुपालन तथा डेरी विकास	291-307
29- मछली पालन	308-310
30- वन तथा वन्य प्राणी	311-314
31- परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	315-316
32- ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	317-328
33- सहकारिता	329-334
34- परिवहन	335-343

विषय सूची

	पृष्ठ
35- पर्यटन	344-348
36- गृह	349-357
37- निर्वाचन	358-361
38- लोक-स्वास्थ्य तथा जलपूर्ति	362-376
39- सूचना तथा प्रचार	377-380
40- ऊर्जा तथा विद्युत	381-386
41- इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी	387-389
42- न्याय प्रशासन	390-395
43- कारागार	396-398
44- मुद्रण तथा लेखन सामग्री	399-403
लोक ऋण	404-407
45- राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां	408-413
परिशिष्ट	414
अनुमानों और वसूलियों के वास्तविक आंकड़ों के अनुदानवार ब्यौरे, जिन्हें व्यय में कमी के रूप में लेखाओं में समायोजित किया गया है ।	

2014-15 के विनियोग लेखे का सारांश

हरियाणा सरकार के वर्ष 2014-15 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अधीन पारित किये गये विनियोग अधिनियमों से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत किये गये हैं।

इन लेखाओं में -

‘मूल’ शब्द का आशय मूल अनुदान या विनियोग से है।

‘पूरक’ शब्द का आशय पूरक अनुदान या विनियोग से है।

‘पुनर्वि0’ शब्द का आशय समर्थ प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों या अभ्यर्पणों से है।

प्रभारित विनियोग और **व्यय** मोटे अक्षरों में दिखाए गये हैं।

हरियाणा विधान सभा की लोक लेखा समिति ने अपने पत्र संख्या पी.ए.सी.-10-89/12245, दिनांक 19 जुलाई 1989 द्वारा निम्नलिखित मापदण्ड अनुमोदित किये हैं, जो विनियोग लेखे में टिप्पणी के लिए अपनाये गये हैं :-

बचत

क - जहाँ पर अनुदान/विनियोजन में कुल बचत है -

- (1) यदि अनुदान/विनियोजन में उसके अन्तर्गत किए गये कुल प्रावधान (मूल जमा पूरक) में 2 प्रतिशत से कम कुल बचत है तो व्यक्तिगत उपशीर्ष के अन्तर्गत कोई भी टिप्पणी अथवा टीकाएं आवश्यक नहीं है फिर भी बचत/आधिक्य के महत्वपूर्ण मामलों जहाँ उप-शीर्ष के अन्तर्गत कुल प्रावधान में बचत 10 प्रतिशत तथा ₹20 लाख से अधिक है, पर टिप्पणी देना आवश्यक है। इस उद्देश्य हेतु राजस्व एवं पूंजीगत (दत्तमत अथवा प्रभारित) अलग अनुदान/विनियोजन मान्य होंगे।
- (2) ऐसे मामलों में भी जहाँ अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल बचत 2 प्रतिशत या अधिक हो।
- (अ) उपशीर्ष के अन्तर्गत जहाँ बचत कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम हो, बचत हेतु टिप्पणी शामिल नहीं की जायेगी।
- (आ) यदि एक उपशीर्ष के अन्तर्गत कुल बचत कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक है तब विनियोग लेखा में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जायेगा -
- (i) यदि राजस्व/पूंजीगत (दत्तमत अथवा प्रभारित) अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से अधिक हो तथा उपशीर्ष के अन्तर्गत बचत ₹20 लाख से कम हो।
- (ii) यदि एक अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से कम हो तथा उपशीर्ष के अन्तर्गत बचत ₹10 लाख से कम हो।

आधिक्य

ख - जहां कहीं अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल आधिक्य है -

- (अ) यदि एक अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल आधिक्य है तो आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है। फिर भी विनियोजन लेखा में आधिक्य का स्पष्टीकरण केवल अगर एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत तथा ₹5 लाख से अधिक है देना आवश्यक है। फिर भी निम्नलिखित मामलों में जहां आधिक्य कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम हो विनियोग लेखा में स्पष्टीकरण देना होता है:-
- (आ) यदि एक अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल प्रावधान:-
- (i) ₹30 करोड़ से अधिक तथा एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹20 लाख से अधिक हो।
- (ii) ₹10 से ₹30 करोड़ के बीच में तथा एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹10 लाख से अधिक हो।
- (iii) ₹10 करोड़ से कम तथा एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹5 लाख से अधिक हो।

यद्यपि ये सीमाएँ बिना किसी पूर्वाग्रह के इन महत्वपूर्ण विषयों पर महालेखाकार द्वारा टिप्पणी करने के अधिकार क्षेत्र में होगी।

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
1	2	3	4
1 विधान सभा			
दत्तमत	74,54,08	..	61,55,49
प्रभारित	73,88	..	35,41
2 राज्यपाल तथा मंत्री परिषद्			
दत्तमत	1,29,44,50	..	1,20,83,81
प्रभारित	15,64,70	..	11,00,74
3 सामान्य प्रशासन			
दत्तमत	1,78,40,68	..	1,64,63,04
प्रभारित	8,20,20	..	7,24,64
4 राजस्व			
दत्तमत	10,14,09,22	..	9,29,33,84
5 आबकारी तथा कराधान			
दत्तमत	1,82,81,23	..	1,53,41,49
6 वित्त			
दत्तमत	48,65,32,54	..	46,54,47,84
प्रभारित	85,48,63,01	..	75,81,77,33
7 आयोजना तथा सांख्यिकी			
दत्तमत	4,09,39,98	..	75,81,81
8 भवन तथा सड़कें			
दत्तमत	11,59,11,53	22,94,95,74	10,77,57,65
प्रभारित	4,00	15,00,00	3,47
9 शिक्षा			
दत्तमत	1,01,13,72,51	27,23,00	87,44,23,45
10 तकनीकी शिक्षा			
दत्तमत	4,91,20,02	..	3,54,12,06
11 खेदकूद तथा युवा कल्याण			
दत्तमत	2,31,67,49	..	1,72,85,42
12 कला एवं संस्कृति			
दत्तमत	12,74,89	..	9,68,15

लेखे का सारांश

बचत		अधिकता (₹ वास्तविक अधिकता)		
पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
5	6	7	8	9
(₹ हजार में)				
..	12,98,59
..	38,47
..	8,60,69
..	4,63,96
..	13,77,64
..	95,56
..	84,75,38
..	29,39,74
..	2,10,84,70
..	9,66,85,68
..	3,33,58,17
18,45,34,96	81,53,88	4,49,60,78
14,38,75	53	61,25
12,72,50	13,69,49,06	14,50,50
..	1,37,07,96
..	58,82,07
..	3,06,74

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
1	2	3	4
13 स्वास्थ्य			
दत्तमत	27,49,86,73	1,15,00,00	21,73,68,66
प्रभारित	25,10	..	16,79
14 नगर विकास			
दत्तमत	1,36,07,82	8,00,00,00	1,03,43,57
15 स्थानीय शासन			
दत्तमत	21,20,98,15	..	15,36,98,50
16 श्रम			
दत्तमत	40,36,60	10	34,87,32
17 रोजगार			
दत्तमत	79,86,00	1,60,00	54,71,37
18 औद्योगिक प्रशिक्षण			
दत्तमत	2,24,41,51	98,58,78	2,00,41,62
19 अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण			
दत्तमत	3,65,09,31	3,22,00	2,69,99,56
20 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
दत्तमत	31,58,42,16	1,81,50	28,78,11
21 महिला तथा बाल विकास			
दत्तमत	8,92,90,92	2,20,59,00	6,97,82,52
22 भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण			
दत्तमत	89,62,47	..	79,24,38
23 खाद्य एवं पूर्ति			
दत्तमत	3,66,66,45	88,06,61,00	2,00,23,69
प्रभारित	50,00	..	21,75
24 सिंचाई			
दत्तमत	16,25,49,46	5,10,24,00	11,13,49,49
प्रभारित	..	50,00,00	..

लेखे का सारांश - जारी

बचत		अधिकता (₹ वास्तविक अधिकता)		
पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
5	6	7	8	9
(₹ हजार में)				
36,25,00	5,76,18,07	78,75,00
..	8,31
4,27,77,34	32,64,25	3,72,22,66
..	5,83,99,65
..	5,49,28	10
1,59,44	25,14,63	56
89,75,05	23,99,89	8,83,73
1,25,00	95,09,75	1,97,00
..	2,79,76,05	1,81,50
56,62,38	1,95,08,40	1,63,96,62
..	10,38,09
55,42,49,28	1,66,42,76	32,64,11,72
..	28,25
9,13,13,46	5,11,99,97	4,02,89,46
				(4,02,89,46,351)
52,19,38	2,19,38
				(2,19,37,661)

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि			व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	
1	2	3	4	
25 उद्योग				
दत्तमत	1,22,46,67	1,02,00	1,14,95,12	
प्रभारित	10	
26 खान एवं भू-विज्ञान				
दत्तमत	11,09,21	..	9,11,50	
27 कृषि				
दत्तमत	12,76,14,08	..	8,02,39,62	
प्रभारित	36,00	..	2,99	
28 पशुपालन तथा डेरी विकास				
दत्तमत	5,56,07,22	20,00,00	5,04,74,37	
प्रभारित	10,00	..	4,77	
29 मछली पालन				
दत्तमत	31,27,44	..	28,27,83	
30 वन तथा वन्य प्राणी				
दत्तमत	3,47,52,99	..	3,15,96,97	
प्रभारित	90,00	..	89,44	
31 परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण				
दत्तमत	6,88,00	..	6,28,60	
32 ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास				
दत्तमत	25,58,87,40	..	19,77,91,97	
प्रभारित	10,00	..	1,46	
33 सहकारिता				
दत्तमत	2,55,88,98	79,16,63	2,40,02,62	
प्रभारित	2,50	
34 परिवहन				
दत्तमत	19,08,58,40	1,97,20,00	17,91,65,53	
प्रभारित	8	
35 पर्यटन				
दत्तमत	3,23,50	31,50,03	3,18,11	

लेखे का सारांश - जारी

बचत		अधिकता (₹ वास्तविक अधिकता)		
पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
5	6	7	8	9
(₹ हजार में)				
1,01,00	7,51,55	1,00
..	10
	1,97,71
..	4,73,74,46
..	33,01
4,50,00	51,32,85	15,50,00
..	5,23
..	2,99,61
..	31,56,02
..	56
..	59,40
..	5,80,95,43
..	8,54
65,26,86	15,86,36	13,89,77
..	2,50
1,68,07,34	1,16,92,87	29,12,66
..	8
29,50,80	5,39	1,99,23

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	विनियोग		
	अनुदान या विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
1	2	3	4
36 गृह			
दत्तमत	26,78,71,75	1,39,00,00	26,53,61,25
प्रभारित	3,08,00	..	2,30,53
37 निर्वाचन			
दत्तमत	1,00,22,99	..	85,49,76
38 लोक-स्वास्थ्य तथा जल पूर्ति			
दत्तमत	14,75,69,00	11,06,70,00	13,60,19,76
39 सूचना तथा प्रचार			
दत्तमत	1,45,61,82	..	1,01,33,23
40 ऊर्जा तथा विद्युत			
दत्तमत	53,76,98,50	5,00,00,00	52,56,49,23
प्रभारित	4,72,00	..	3,54,00
41 इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी			
दत्तमत	37,53,72	1,10	23,71,04
42 न्याय प्रशासन			
दत्तमत	4,74,81,37	..	3,76,73,72
प्रभारित	90,20,14	..	91,35,77
43 कारागार			
दत्तमत	1,61,19,46	..	1,60,91,97
44 मुद्रण तथा लेखन सामग्री			
दत्तमत	37,19,61	7,90,00	33,22,84
प्रभारित	90,00	..	1,01,08

लेखे का सारांश - जारी

बचत		अधिकता (₹ वास्तविक अधिकता)		
पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
5	6	7	8	9
(₹ हजार में)				
1,20,15,71	25,10,50	18,84,29
..	1,49,47
..	14,73,23
9,59,95,68	1,15,49,24	1,46,74,32
..	44,28,59
66,94,00	1,20,49,27	4,33,06,00
..	1,18,00
1,00	13,82,68	10
..	98,07,65
..	1,15,63	..
			(1,15,63,420)	
..	27,49
..	3,96,77	7,90,00
..	11,08	..
			(11,07,935)	

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
1	2	3	4
लोक ऋण
प्रभारित	..	1,38,49,85,04	..
45 राज्य सरकार द्वारा कर्जे और पेशगियां			
दत्तमत	..	10,01,40,51	..
जोड़			
दत्तमत	4,82,78,28,36	1,59,63,75,39	4,17,08,35,88
प्रभारित	86,75,11,71	1,39,14,85,04	77,00,00,17
कुल योग	5,69,53,40,07	2,98,78,60,43	4,94,08,36,05

लेखे का सारांश - जारी

बचत		अधिकता (₹ वास्तविक अधिकता)		
पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
5	6	7	8	9
(₹ हजार में)				
82,27,41,09	..	56,22,43,95
8,42,86,57	..	1,58,53,94
1,11,85,23,37	65,69,92,48	51,81,41,48	..	4,02,89,46 (4,02,89,46,351)
82,93,99,22	9,76,38,25	56,23,05,20	1,26,71 (1,26,71,355)	2,19,38 (2,19,37,661)
1,94,79,22,59	75,46,30,73	1,08,04,46,68	1,26,71 (1,26,71,355)	4,05,08,84 (4,05,08,84,012)

विनियोग लेखे का सारांश-जारी

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2014-15 के दौरान कोई भी पेशगियां नहीं ली गई है।
निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में अधिकता के नियमन की आवश्यकता है: -

पूंजीगत भाग

24- सिंचाई

निम्नलिखित प्रभारित विनियोगों में अधिकता के नियमन की आवश्यकता है:-

राजस्व भाग

42- न्याय प्रशासन

44- मुद्रण तथा लेखन सामग्री

पूंजीगत भाग

24- सिंचाई

विनियोग लेखे का सारांश- समाप्त

क्योंकि अनुदान और विनियोग, व्यय के लिए आवश्यक सकल राशियों के लिए हैं, उनके सामने दिखाए गये व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियां सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें लेखाओं में व्यय की कटौती के रूप में समायोजित किया जाता है। (निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दिखाए जाते हैं)।

2014-15 के विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और इस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गये व्यय के बीच समाधान नीचे दर्शाया गया है: -

	प्रभारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(रुहजार में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	77,00,00,17	82,93,99,22	4,17,08,35,88	1,11,85,23,37
घटाएं- कुल वसूलियां	2,90,48,34	66,93,41,83
वित्त लेखे की विवरण संख्या 11 में दिखाया गया कुल निवल व्यय	77,00,00,17	82,93,99,22	4,14,17,87,54	44,91,81,54

ऊपर संदर्भित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग लेखे का यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों, तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।


हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय, तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबन्धित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि लेखे तात्त्विक अयथार्थ कथन से मुक्त है। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले हरियाणा सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

दिनांक:-
नई दिल्ली


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुदान संख्या 1

अनुदान संख्या 1-विधान सभा

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल				
दत्तमत				
मूल	63,66,12	74,54,08	61,55,49	(-)12,98,59
पूरक	10,87,96			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				
				11,56,32
प्रभारित				
मूल	73,88	73,88	35,41	(-)38,47
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				
				38,53

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

1. ₹12,98.59 लाख की समस्त बचत में से ₹1,42.27 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
2. ₹12,98.59 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत मार्च 2015 में ₹10,87.96 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसाकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा।
3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 1-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल			
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल			
103 विधान मण्डल सचिवालय			
98 मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव			
मूल	21,64.88	20,57.13	18,79.05
पूरक	8,37.96		
पुनर्वि०	(-)9,45.71		
			(-)1,78.08

₹1,78.08 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव के विवेकानुदान से भुगतान करने पर अधिक व्यय को पूरा करने हेतु पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान का आवर्धन हुआ, नई सरकार में मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव की नियुक्ति न करने (₹9,17.63 लाख), कम यात्राएँ किये जाने (₹22.08 लाख) तथा आचार संहिता लागू होने से (₹6 लाख) पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ अपर्याप्त सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

99 स्थापना

99 सूचना प्रौद्योगिकी

मूल	90.00	70.00	69.99
पुनर्वि०	(-)20.00		
			(-)0.01

₹20 लाख की बचत वित्त वर्ष के अंतिम दिन पर अग्रिम बिलों को पास न किए जाने कारण हुई।

4. आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल			
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल			

अनुदान संख्या 1-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
101 विधान सभा			
99 स्थापना			
मूल	7,77.00	11,54.91	11,47.59
पूरक	2,50.00		
पुनर्वि०	1,27.91		
			(-)7.32

हरियाणा विधान सभा के माननीय स्पीकर/डिप्टी स्पीकर हेतु बढे हुए विवेकानुदान पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान का आवर्धन हुआ जो फिर नई सरकार बनने पर पुनर्विनियोजन द्वारा बढाया गया।

₹7.32 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

दोषपूर्ण बजट

5. वित्त विभाग द्वारा जारी एक दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन आदेश का वर्णन नीचे दर्शाया गया है:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल			
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल			
103 विधान मण्डल सचिवालय			
99 स्थापना			
98 स्थापना व्यय			
मूल	33,34.24	30,15.72	30,58.86
पुनर्वि०	(-)3,18.52		
			+ 43.14

₹43.14 लाख के अंतिम आधिक्य के दृष्टिगत मुख्यतः विधान सभा के सदस्यों द्वारा कम यात्राएं किये जाने तथा जेलों में बन्द विधान सभा के सदस्यों द्वारा यात्रा व्ययों का दावा न करने (₹1,89.17 लाख), जेलों में बन्द विधानसभा के सदस्यों को वेतन का भुगतान न करने (₹67.18 लाख), बिजली/जल प्रभारों का कम भुगतान (₹29.78 लाख), प्रत्याशा की अपेक्षा मंहगाई भत्ते का कम भुगतान (₹13.05 लाख), मानदेय का कम भुगतान (₹9 लाख), कमेटी की कम मिटिंग करने

अनुदान संख्या 1-समाप्त

(₹7.88 लाख), वाहनों की खरीद न करने (₹5.40 लाख) तथा कार्यालय वाहनों का कम प्रयोग (₹4.57 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती हुई जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों को अवकाश यात्रा रियायत के भुगतान पर अधिक व्यय (₹13.22 लाख) से प्रतिसंतुलित हुआ विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

प्रभारित विनियोग

6. बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +	
2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल				
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल				
101 विधान सभा				
99 स्थापना				
मूल	73.88	35.35	35.41	+ 0.06
पुनर्वि०	(-)38.53			

नई सरकार में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति न करने तथा माननीय स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर द्वारा कम यात्राएँ किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती हुई।

अनुदान संख्या 2

अनुदान संख्या 2-राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)	
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2012 राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक				
2013 मंत्री परिषद				
दत्तमत				
मूल	95,49,00	1,29,44,50	1,20,83,81	(-)8,60,69
पूरक	33,95,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				7,87,45
प्रभारित				
मूल	9,32,85	15,64,70	11,00,74	(-)4,63,96
पूरक	6,31,85			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				4,59,47

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

1. ₹8,60.69 लाख की समस्त बचत में से ₹73.24 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
2. ₹8,60.69 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत मार्च 2015 में प्राप्त ₹33,95.50 लाख का पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 2-जारी

3. बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2013 मंत्रिपरिषद			
800 अन्य व्यय			
98 मंत्री कार सैक्शन को चलाने तथा वाहनों का रख-रखाव			
मूल	16,73.00	8,38.26	8,38.17
पुनर्वि०	(-)8,34.74		
			(-)0.09

₹8,34.74 लाख की बचत मुख्यतः नई कारों की कम खरीद (₹5,12.46 लाख), चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप पेट्रोल, तेल एवं स्नेहद्रव्य का कम व्यय तथा बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा कम यात्राएँ (₹2,99.87 लाख), ड्राइवर तथा अन्य अमला के पद रिक्त रहने (₹12.51 लाख) तथा कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹4.49 लाख) के कारण हुई।

108 यात्रा खर्च

मूल	1,00.00	33.08	33.07
पुनर्वि०	(-)66.92		
			(-)0.01

मंत्रियों द्वारा कम हवाई यात्राएँ किए जाने के कारण (₹66.92 लाख) की बचत हुई।

101 मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों का वेतन

मूल	1,70.00	1,22.51	1,22.31
पुनर्वि०	(-)47.49		
			(-)0.20

अनुदान संख्या 2-जारी

₹47.49 लाख की बचत मुख्यतः आयकर का कम भुगतान (₹39.50 लाख) तथा मंत्रालय का छोटा रखना (₹7.35 लाख) के कारण हुई। आयकर के कम भुगतान से बचत के कारण विश्वसनीय नहीं है।

4. आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2013 मंत्रिपरिषद			
800 अन्य व्यय			
99 मंत्रियों के आवास/कार्यालय का अनुरक्षण			
मूल	11,50.00	11,97.79	12,22.59
पुनर्वि0	47.79		
			+ 24.80

बिक्री कर, आयकर तथा श्रम सैस के साथ माननीय मुख्यमंत्री/मंत्रियों के आवास/कार्यालयों का नवीनीकरण तथा साज-सज्जा पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

₹24.80 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

दोषपूर्ण बजट

5. वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला नीचे दर्शाया गया है:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2013 मंत्रिपरिषद			

अनुदान संख्या 2-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
105 मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान			
मूल	64,23.00	99,40.05	98,42.31
पूरक	33,95.50		
पुनर्वि0	1,21.55		
			(-)97.74

₹97.74 लाख की बचत के दृष्टिगत विवेकाधीन अनुदान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन, जो आगे बढ़े हुए विवेकाधीन लघु अनुदान मुख्यमंत्री/मंत्रियों के लिए विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

प्रभारित विनियोग

- ₹4,63.96 लाख की समस्त बचत में ₹4.49 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
- ₹4,63.96 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत मार्च 2015 में प्राप्त ₹6,31.85 लाख का पूरक विनियोग अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2012 राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
102 विवेकाधीन अनुदान			
99 विवेकाधीन अनुदान			
मूल	3,00.00	4,09.27	4,09.27
पूरक	5,27.00		
पुनर्वि0	(-)4,17.73		
			..

अनुदान संख्या 2-समाप्त

विवेकाधीन अनुदान पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक विनियोग द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो आगे राज्यपाल द्वारा कम विवेकाधीन अनुदान स्वीकृत करने के कारण कम किया गया।

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
090 सचिवालय			
99 राज्यपाल का सचिवालय अमला			
98 स्थापना व्यय			
मूल	3,85.75		
पूरक	1,04.85		
पुनर्वि0	(-)25.35		
	4,65.25	4,60.84	(-)4.41

मोटर वाहनों की खरीद पर व्यय को पूरा करने के फलस्वरूप पूरक विनियोग द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो आगे मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹23.29 लाख), कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत व्यय में मितव्ययता (₹10.70 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ; जो अनुबंधित अधिकारी (₹7.35 लाख) तथा वास्तविक कीमत की अपेक्षा कम अनुमानित वाहन कीमत (₹6.30 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ।

₹4.41 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 3

अनुदान संख्या 3-सामान्य प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)	
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2051 लोक सेवा आयोग				
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं				
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं				
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं				
दत्तमत				
मूल	1,69,63,58	1,78,40,68	1,64,63,04	(-)13,77,64
पूरक	8,77,10			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				11,59,16
प्रभारित				
मूल	7,90,50	8,20,20	7,24,64	(-)95,56
पूरक	29,70			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				95,22

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

1. ₹13,77.64 लाख की समस्त बचत में से ₹2,18.48 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
2. ₹13,77.64 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 एवं मार्च 2015 में प्राप्त ₹8,77.10 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसाकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

अनुदान संख्या 3-जारी

3. बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई जो नीचे टिप्पणी 4 में वर्णित कुछ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)	
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं				
090 सचिवालय				
98 मुख्य सचिव				
98 स्थापना व्यय				
मूल	64,76.00	63,88.03	63,79.03	(-)9.00
पूरक	4,46.19			
पुनर्वि०	(-)5,34.16			

बिजली, बढ़ा हुआ महगाई भत्ता, नई कार तथा फर्नीचर की खरीद पर लम्बित बिलों पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो रिक्त पदों के न भरे जाने (₹2,63.62 लाख), व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं पर कम व्यय (₹78.58 लाख), पेट्रोल/डीजल की कीमतों में कमी तथा कर्मचारियों द्वारा कम यात्राएं करने (₹73.75 लाख), कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹69.10 लाख), अदालती फीस का कम भुगतान (₹52.17 लाख), अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत सुविधाओं को कम ग्रहण करने (₹44.07 लाख), किराये के भवन का भुगतान न करने (₹32.90 लाख), अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुग्रहपूर्वक दावों की प्राप्ति न होने (₹16.67 लाख), अनुबन्धित सेवाओं की नियुक्ति न होने (₹12.03 लाख) तथा प्रत्याशा की अपेक्षा मजदूरी के अन्तर्गत वास्तविक व्यय (₹5.78 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ, जो नए वाहनों की खरीद तथा मोटरवाहनों के लम्बित अनुरक्षण बिलों के भुगतान (₹70 लाख), बढ़े हुए महगाई भत्ते (₹37.98 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों (₹13.89 लाख) से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ।

₹9 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

96 वी.आई.पी. वायुयान का रख-रखाव

मूल	8,88.50	7,19.22	7,14.56	(-)4.66
पुनर्वि०	(-)1,69.28			

₹1,69.28 लाख की बचत मुख्यतः मशीनरी तथा उपकरण पर कम व्यय (₹1,11.06 लाख), रिक्त पदों को न भरे जाने (₹70.18 लाख), अनुबन्धित सेवाओं की नियुक्ति न करना (₹9.83 लाख), मोटर वाहन पर कम व्यय (₹5.94 लाख) तथा किराये पर लिए गए भवनों के किराए का भुगतान न होने (₹5 लाख) के कारण हुई जो अन्य व्यय पर प्रत्याशा से अधिक व्यय (₹39.91 लाख) द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

₹4.66 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 3-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
-------	------------	-----------------------------	---------

92 हरियाणा में पी.पी.पी. का सुदृढीकरण

मूल	65.00	}
पुनर्वि०	(-)65.00				

अन्य प्रभारों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण (₹30 लाख), तथा कार्यालय व्यय (₹5 लाख) तथा व्यवसायिक तथा विशेष सेवाएं प्रत्याशा की अपेक्षा कम व्यय (₹30 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

98 वित्त विभाग

मूल	7,46.88	}	6,90.02	6,89.18	(-)0.84
पुनर्वि०	(-)56.86				

₹56.86 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹36.62 लाख) तथा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत सुविधाओं को कम ग्रहण करने (₹20.17 लाख) के कारण हुई।

99 मुख्य सचिव

97 हरियाणा भवन नई दिल्ली का स्थापना व्यय

मूल	2,43.50	}	2,18.40	2,16.93	(-)1.47
पुनर्वि०	(-)25.10				

₹25.10 लाख की बचत मुख्यतः कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने के फलस्वरूप वेतन तथा महगाई भत्ता (₹14.25 लाख) तथा मीडिया सलाहकार/मुख्यमंत्री के स्टाफ कार का कार्य मुक्त होने पर पेट्रोल, तेल तथा स्नेहद्रव्य पर कम व्यय (₹8.17 लाख) के कारण हुई।

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

003 प्रशिक्षण

98 हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान

अनुदान संख्या 3-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
98 स्थापना व्यय			
मूल	8,34.00	8,84.00	6,75.50
पुनर्वि0	50.00		
			(-)2,08.50

₹2,08.50 लाख की बचत के दृष्टिगत कर्मचारियों को प्रशिक्षण कोर्स पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा आवर्धित प्रावधान अवास्तविक सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

- 115 अतिथि गृह, सरकारी
होस्टल आदि
- 96 हरियाणा भवन दिल्ली
में कैफेटीरीया चलाने
पर व्यय

मूल	2,34.25	2,02.25	2,01.60	(-)0.65
पूरक	2.00			
पुनर्वि0	(-)34.00			

₹34 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹16.05 लाख), कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹8.56 लाख), अवकाश यात्रा रियायत की कम प्राप्ति (₹3 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की प्राप्ति न होने (₹2.79 लाख) के कारण हुई।

- 99 हरियाणा निवास
सैक्टर-3 चण्डीगढ़

मूल	4,22.50	4,18.93	4,16.61	(-)2.32
पूरक	30.00			
पुनर्वि0	(-)33.57			

कार्यालय व्ययों पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो फिर मुख्यतः अन्य प्रभारों (₹28.62 लाख) तथा रिक्त पदों को न भरे जाने (₹9.73 लाख) से पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

अनुदान संख्या 3-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
97 एम.एल.ए. होस्टल में जलपान गृह			
मूल	2,39.80		
पूरक	9.15	2,21.18	2,21.18
पुनर्वि०	(-)27.77		..

₹27.77 लाख की बचत मुख्यतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹18.90 लाख) तथा रिक्त पदों को न भरे जाने (₹7.99 लाख) के कारण हुई।

- 105 विशेष जांच आयोग
98 हरियाणा राज्य में लोकायुक्त
98 स्थापना व्यय

मूल	1,67.00			
पुनर्वि०	(-)22.53	1,44.47	1,44.43	(-)0.04

₹22.53 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹29.13 लाख), कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹4.05 लाख), अवकाश यात्रा खर्चा (₹2.90 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (₹2.70 लाख) की कम प्राप्ति के कारण हुई जो बाह्य संविदा अमले की नियुक्ति पर अधिक व्यय द्वारा (₹19.13 लाख) आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

- 2051 लोक सेवा आयोग
103 कर्मचारी चयन आयोग
99 स्थापना

मूल	5,05.50			
पूरक	10.00	3,90.95	3,87.52	(-)3.43
पुनर्वि०	(-)1,24.55			

कार्यालय व्यय तथा अनुबन्धित सेवाओं पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो आगे मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹53.32 लाख), परिक्षाओं को न करवाने (₹49.60 लाख), मोटर-वाहन, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहद्रव्य कमीशन का खर्च करने के फलस्वरूप कम व्यय (₹11.38 लाख), कम्प्यूटर व्यवसायिकों की कम नियुक्ति (₹5.63 लाख) अनुबंधित सेवाएं (₹5 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹4.81 लाख) से

अनुदान संख्या 3-जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ जो वेतन बढ़ने के भुगतान के फलस्वरूप महगाई भत्ते पर अधिक व्यय (₹9.55 लाख) द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ।

₹3.43 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
090 सचिवालय			
99 सिविल सचिवालय			
मूल	3,53.80	3,12.69	3,12.69
पुनर्वि०	(-)41.11		

₹41.11 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹28.33 लाख) तथा कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत सुविधाओं को कम ग्रहण करने (₹12.38 लाख) के कारण हुई।

4. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
800 अन्य व्यय			
96 राज्य सूचना आयोग हरियाणा			
98 स्थापना व्यय			
मूल	4,03.00	5,03.16	5,00.07
पूरक	45.00		
पुनर्वि०	55.16		

राज्य सूचना आयोग में विभिन्न पदों के सृजन हेतु व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो मुख्यतः रिक्त पदों को भरे जाने (₹53.45 लाख) तथा

अनुदान संख्या 3-जारी

अनुबन्धित सेवाओं के अन्तर्गत कर्मचारी, व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहद्रव्य (₹29.48 लाख) सहित दो और सूचना आयुक्तों को लगाने से पुनर्विनियोजन द्वारा बढ़ाया गया जो वाहनों के अनुरक्षण पर कम व्यय (₹21 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹7.05 लाख) से आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
93 हरियाणा सेवा का अधिकाद आयोग			
मूल	..		
पूरक	1,02.00	1,43.05	1,42.99
पुनर्वि०	41.05		(-)0.06

कार्यालय व्ययों पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान हुआ जो आगे रिक्त पदों को भरने (₹41.05 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा बढ़ोत्तरी हुई।

प्रभारित विनियोग

- ₹95.56 लाख की समस्त बचत में से ₹0.34 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
- ₹95.56 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 में ₹29.70 लाख का पूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसाकि वास्तविक व्यय अपने मूल विनियोग तक नहीं पहुँचा।
- बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2051 लोक सेवा आयोग			
102 राज्य लोक सेवा आयोग			
99 स्थापना			
98 स्थापना व्यय			
मूल	7,90.50		
पूरक	29.70	7,24.98	7,24.64
पुनर्वि०	(-)95.22		(-)0.34

अनुदान संख्या 3-समाप्त

लम्बित चिकित्सा बिलों के भुगतान तथा विभिन्न वर्गों की परिक्षाओं को करवाने पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक विनियोग द्वारा प्रावधान का आवर्धन हुआ जो आगे रिक्त पदों के न भरे जाने (**₹96.79** लाख), लम्बित प्रकाशित बिलों का भुगतान न करने (**₹16.50** लाख), कार्यालय व्यय के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (**₹15.44** लाख), व्यवसायिक एवं विशेष सेवा दावों की कम प्राप्ति (**₹6.26** लाख) तथा अधिकारियों/कर्मचारियों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (**₹5.21** लाख) से पुनर्विनियोजन द्वारा कटौती हुई जो आयोग द्वारा परीक्षा/स्क्रीनिंग टैस्ट आयोजित करवाने (**₹25** लाख), नायब तहसीलदार, सर्जन इत्यादि से सम्बंधित विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करने (**₹17.48** लाख) तथा अनुबन्धित सेवाओं हेतु बाह्य एजेंसियों को भुगतान (**₹6.99** लाख) से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

अनुदान संख्या 4

अनुदान संख्या 4-राजस्व

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व:			
मुख्य शीर्ष			
2029 भू-राजस्व			
2030 स्टाम्प पंजीकरण			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053 जिला प्रशासन			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075 विविध सामान्य सेवाएं			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
2506 भूमि सुधार			
2705 कमान क्षेत्र विकास			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत			
मूल	8,91,38,26	10,14,09,22	9,29,33,84
पूरक	1,22,70,96		
			(-)84,75,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)			3,03,19,69

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

1. ₹84,75.38 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 तथा मार्च 2015 में प्राप्त ₹1,22,70.96 लाख का पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
2. ₹84,75.38 लाख की बचत के विरुद्ध ₹3,03,19.69 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 4-जारी

3. बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई जो नीचे टिप्पणी 4 में वार्षिक कुछ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)	
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत				
05 राज्य आपदा राहत निधि				
101 राज्य आपदा राहत निधि				
99 राज्य अंशदान				
मूल	2,34,48.00	2,11,37.19	2,16,37.19	+ 5,00.00
पूरक	1,08,00.00			
पुनर्वि०	(-)1,31,10.81			

राज्य आपदा राहत निधि के लिए तेरहवें वित्त आयोग की बकाया किश्त पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो भारत सरकार द्वारा किश्त जारी न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ, ₹500 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

98 राज्य आपदा प्रबन्धन कोष के अन्तर्गत भवन के लिए सहायतानुदान				
मूल	5,00.00	..	(-)5,00.00	

निधियों के अनुपयोजित रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

02 बाढ़ चक्रवात आदि

- 101 अनुग्रहिक राहत
97 बीजों, खादों तथा कृषि
औजारों की आपूर्ति

मूल	65,00.00	41,55.38	51,55.38	+10,00.00
पुनर्वि०	(-)23,44.62			

अनुदान संख्या 4-जारी

₹1,000 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत जिनकी फसलें बाढ़ द्वारा खराब हो गई थी उन किसानों को प्रत्याशा की अपेक्षा क्षतिपूर्ति पर वास्तविक व्यय के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती अत्याधिक सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
98 दवाईयों की आपूर्ति			
मूल	2,66.00		
पुनर्वि०	(-)2,66.00

114 कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
मूल	8,00.00		
पुनर्वि०	(-)8,00.00

उपरोक्त दोनों मामलों में वर्ष के दौरान राज्य में बाढ़ न आने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।

113 घर की मुरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
मूल	5,50.00		
पुनर्वि०	(-)5,46.94	3.06	25.77
			+22.71

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः घरों की कम क्षति होने के कारण हुई।

₹22.71 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

106 खराब सड़कों तथा पुलों की मुरम्मत तथा पुनः स्थापना			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	(-)5,00.00

अनुदान संख्या 4-जारी

क्षतिग्रस्त सड़कों तथा पुलों की मुरम्मत तथा जीर्णोद्धार के लिए निधियों की आवश्यकता न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
110 खराब जलपूर्ति, जलनिकास तथा मल जल निर्माण कार्यों की मुरम्मत तथा पुनः स्थापना			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	(-)5,00.00

क्षतिग्रस्त जलापूर्ति के लिए निधियों की आवश्यकता न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

116 खराब ट्यूबवेलों, पंपसैटों आदि की मुरम्मत के लिए किसानों को सहायता

मूल	5,00.00			
पुनर्वि०	(-)5,00.00

नलकूपों की मुरम्मत के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।

282 लोक स्वास्थ्य
99 जल निकासी आप्रेशन

मूल	5,00.00			
पुनर्वि०	(-)4,93.66	6.34	13.82	+7.48

सिंचाई विभाग द्वारा निधियों की कम आवश्यकता के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती हुई।

₹7.48 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
98 लोक स्वास्थ्य			
मूल	5,00.00	45.75	1,04.80
पुनर्वि०	(-)4,54.25		
193 स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता			
मूल	3,50.00
पुनर्वि०	(-)3,50.00		
105 पशु चिकित्सा			
मूल	3,00.00
पुनर्वि०	(-)3,00.00		
102 पीने के पानी की आपूर्ति			
मूल	1,00.00
पुनर्वि०	(-)1,00.00		
104 चारे की पूर्ति			
मूल	50.00
पुनर्वि०	(-)50.00		

₹59.05 लाख के अन्तिम आधिक्य के दृष्टिगत मुख्यतः राज्य में वर्ष 2014-15 के दौरान बाढ़ न आने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती अत्याधिक सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 4-जारी

उपरोक्त चारों मामलों में समस्त प्रावधान वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य में बाढ़ न आने के कारण अभ्यर्पित हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
111 शोकार्त परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी			
मूल 2,00.00	4.00	4.50	+0.50
पुनर्वि० (-)1,96.00			

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य में बाढ़ न आने से मानवीय जीवनों की कम हानि होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती हुई।

117 पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
मूल 1,74.00	2.20	5.21	+3.01
पुनर्वि० (-)1,71.80			

राज्य में बाढ़ न आने के कारण पशुधन के क्रय के लिए कम निधि की आवश्यकता के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती हुई।

01 सूखा

101 आनुग्रहिक राहत			
99 दवाइयों की आपूर्ति			
मूल 5,00.00
पुनर्वि० (-)5,00.00			

104 चारे की पूर्ति			
मूल 2,00.00
पुनर्वि० (-)2,00.00			

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	अधिकता +
105 पशु चिकित्सा			
मूल	2,00.00	}	..
पुनर्वि०	(-)2,00.00		
282 लोक स्वास्थ्य			
मूल	2,00.00	}	..
पुनर्वि०	(-)2,00.00		
102 पीने के पानी की पूर्ति			
मूल	1,50.00	}	..
पुनर्वि०	(-)1,50.00		

उपरोक्त पांचों मामलों में पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान वर्ष के दौरान सूखे जैसी स्थिति न होने के कारण अभ्यर्पित हुआ।

80 सामान्य
800 अन्य व्यय
98 आग से पीड़ितों को राहत

मूल	5,00.00	}	3.75	29.65	+ 25.90
पुनर्वि०	(-)4,96.25				

वर्ष के दौरान आग की कम घटनाएँ होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती हुई।

₹25.90 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
97 सिरकी/टैंटो की खरीद			
मूल	30.00		
पुनर्वि०	(-30.00)
001 निदेशन तथा प्रशासन			
98 जिला अमला			
मूल	1,06.66	67.64	66.67
पुनर्वि०	(-39.02)		(-)0.97
2506 भूमि सुधार			
103 भू-अभिलेखों का रख-रखाव			
99 राष्ट्रीय भू-अभिलेखों का आधुनिक कार्यक्रम			
98 सर्वेक्षण/पुनःसर्वेक्षण और आधुनिक अभिलेख कक्ष			
मूल	5,40.00	96.96	96.96
पूरक	7,16.96		..
पुनर्वि०	(-11,60.00)		

तहसील तथा उप-तहसील स्तर पर अभिलेख कक्ष को आधुनिक करने के लिए जनरेटर सैट, कम्प्यूटर सैट, वाई फाई कम्प्यूटर तथा एम.एफ.डी. (प्रिंटर) खरीदने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो सरकार द्वारा योजना को अंतिम रूप न देने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
99 भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण			
मूल	2,68.53
पुनर्वि०	(-)2,68.53

हरियाणा अंतरिक्ष आवेदन केन्द्र द्वारा कार्य पूर्ण करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र न देने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।

97 पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण

मूल	59.00
पुनर्वि०	(-)59.00

राज्य में तहसील स्तर पर आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।

2029 भू-राजस्व

103 भूअभिलेख

98 मुख्यालय अमला

98 स्थापना व्यय

मूल	1,53,56.50	1,49,10.00	1,48,72.41	(-)37.59
पूरक	5,00.00			
पुनर्वि०	(-)9,46.50			

नम्बरदारों को ₹500 प्रतिमाह यात्रा भत्ता के भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹593 लाख), नम्बरदारों को यात्रा भत्ता पर व्यय न करने (₹500 लाख) तथा अनुबन्धित सेवाओं की कम नियुक्ति (₹35 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुई जो अनुग्रहपूर्वक दावों (₹200 लाख) के अधिक मामलों की प्राप्ति पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

₹37.59 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
97 लघु सिंचाई सांख्यिकी का सुधार मुख्यालय अमला			
98 स्थापना व्यय			
मूल	1,41.97		
पुनर्वि०	(-)1,16.21	25.76	25.75
			(-)0.01

₹1,16.21 लाख की बचत मुख्यतः भारत सरकार द्वारा मानदेय के अन्तर्गत अनुदान जारी न करने (₹1,03.64 लाख) तथा पदों के रिक्त रहने (₹18.43 लाख) के कारण हुई जो लघु सिंचाई जनगणना तथा मुद्रण के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला पर अधिक व्यय (₹9.09 लाख) द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

99 सूचना प्रौद्योगिकी

मूल	25.00			
पुनर्वि०	(-)25.00

कम्प्यूटर न खरीदने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।

99 मुख्यालय अमला

मूल	2,42.15			
पूरक	1,30.00	3,31.77	3,31.76	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)40.38			

छात्रवृत्ति तथा वजीफे के भुगतान पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो छात्रवृत्ति तथा वजीफे पर कम भुगतान (₹20.71 लाख), अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹20.35 लाख), अनुबन्धित सेवाओं की कम नियुक्ति (₹9.18 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹8.50 लाख) पर कम व्यय के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ जो नए पटवार प्रशिक्षण स्कूल के लिए फर्नीचर खरीदने पर अधिक व्यय (₹16.86 लाख) द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
96 मुख्यालय अमला भू-अभिलेख कृषि जनगणना			
मूल	82.08		
पुनर्वि०	(-39.70)		
	42.38	42.37	(-)0.01

₹39.70 लाख की बचत मुख्यतः भारत सरकार द्वारा मानदेय के अन्तर्गत निधियाँ जारी न करने (₹30 लाख) तथा चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति (₹3.99 लाख) तथा कार्यालय व्यय के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों (₹2.06 लाख) के कारण हुई।

800 अन्य व्यय			
97 नए पटवार खानों का निर्माण			
मूल	48.00		
पुनर्वि०	(-24.53)		
	23.47	23.47	..

₹24.53 लाख की बचत उपायुक्तों से नए पटवार खानों के निर्माण के लिए माँग प्राप्त न होने के कारण हुई।

98 लघु निर्माण कार्य			
मूल	20.00		
पुनर्वि०	(-20.00)		

उपायुक्तों से नए पटवार खानों की मुरम्मत के लिए माँग प्राप्त न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
099 राजस्व बोर्ड			

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
99 राजस्व विभाग			
98 स्थापना व्यय			
मूल	25,13.00		
पूरक	30.00	21,71.94	21,59.45
पुनर्वि०	(-3,71.06)		(-)12.49

₹3,71.06 लाख की बचत मुख्यतः सुनिश्चित कैरियर प्रौन्नति के बकाया तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्त लाभ का भुगतान न करने (₹2,81.31 लाख), ऊर्जा दावों की कम प्राप्ति (₹43.03 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹18.26 लाख), पेट्रोल, तेल तथा स्नेहद्रव्य के मूल्यों में कमी (₹14.50 लाख) तथा यात्रा व्यय के लम्बित बिल न होने (₹8.39 लाख) के कारण हुई।

₹12.49 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

96 हरियाणा कर प्राधिकरण की स्थापना

मूल	1,58.40			
पूरक	6.00	1,12.11	1,12.09	(-)0.02
पुनर्वि०	(-52.29)			

₹52.29 लाख की बचत मुख्यतः सुनिश्चित कैरियर प्रौन्नति के बकाया तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्त लाभ का भुगतान न करने (₹50.27 लाख) के कारण हुई।

2030 स्टाम्प पंजीकरण

02 स्टाम्प-न्यायिकेतर

102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय

99 जाँच करने वाला अमला

मूल	4,00.00			
पुनर्वि०	1,28.75	5,28.75	1,76.60	(-)3,52.15

अनुदान संख्या 4-जारी

₹3,52.15 लाख की विशाल बचत के दृष्टिगत स्टाम्प पेपर की बिक्री पर स्टाम्प विक्रेताओं को कमीशन पर अधिक भुगतान के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
001 निदेशन तथा प्रशासन			
99 जाँच करने वाला अमला			
मूल	1,73.00	1,08.53	1,08.53
पुनर्वि०	(-)64.47		

₹64.47 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹52.86 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹7.93 लाख) के कारण हुई।

01 स्टाम्प न्यायिक

102 स्टाम्प की बिक्री पर व्यय

मूल	70.00	32.73	32.77	+ 0.04
पुनर्वि०	(-)37.27			

स्टाम्प पेपर की बिक्री पर स्टाम्प विक्रेताओं को कमीशन पर कम भुगतान के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती हुई।

3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

201 भूमि सीमा
(कृषि भूमि को छोड़कर)

99 भूमि सुधार राजस्व

मूल	4,03.07	2,38.59	2,45.96	+ 7.37
पुनर्वि०	(-)1,64.48			

अनुदान संख्या 4-जारी

₹7.37 लाख के अन्तिम आधिक्य के दृष्टिगत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹1,44.48 लाख), अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति (₹8.48 लाख), अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹5.60 लाख) विवेकहीन सिद्ध हुई; जो मण्डलीय आयुक्तों द्वारा वेतन तथा मंहगाई भत्ते के अन्तर्गत खर्च की गलत गणना के कारण हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
091 संलग्न कार्यालय			
99 राजस्व विभाग			
मूल	6,02.00	45.45	4,77.90 + 4,32.45
पुनर्वि०	(-)5,56.55		

₹4,32.45 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत पदों के रिक्त रहने (₹5,17.71 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹14.40 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत दावे (₹8 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती विवेकहीन सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2015)।

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
800 अन्य व्यय			
99 फालतू ग्रामीण निष्कांत सम्पत्तियों की बिक्री पर व्यय			
98 स्थापना व्यय			

मूल	3,15.50	2,67.50	2,67.93 + 0.43
पुनर्वि०	(-)48.00		

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹40.76 लाख) के कारण हुई।

2053 जिला प्रशासन			
094 अन्य स्थापना			

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत(-)
98 नकद अभिकरण स्थापना			
मूल	2,07.50	1,72.94	1,73.88
पुनर्वि०	(-)-34.56		

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने (₹30.14 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति (₹2.75 लाख) के कारण हुई।

2075 विविध सामान्य सेवाएं

101 पुनः गृहीत जागीरों, भूमि क्षेत्र आदि के स्थान पर पेंशन

मूल	87.72	59.10	45.80	(-)13.30
पुनर्वि०	(-)-28.62			

₹41.92 लाख की कुल बचत मुख्यतः भूमि मालिकों द्वारा अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के फलस्वरूप उच्च न्यायालयों में लम्बित न्यायिक मामले तथा मृतक भूमि धारकों के परिवर्तन (₹15.91 लाख) तथा कुछ जागीरदारों की मृत्यु (₹12.71 लाख) के कारण हुई।

4. आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01 सूखा			
101 अनुग्रहिक राहत			

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
98 बीजों, खादों और कृषि औजारों की आपूर्ति			
मूल	9,00.00	..	84,63.92 + 84,63.92
पुनर्वि०	(-)9,00.00		

₹84,63.92 लाख का बिना निधियों के प्रावधान पर किए गए व्यय के दृष्टिगत योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव को अन्तिम रूप न दिए जाने कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए है (अगस्त 2015)।

80 सामान्य

800 अन्य व्यय

99 ओलावृष्टि/कोहरे/पाले
शीत लहर से राहत

मूल	64,39.39	48,19.32	1,09,16.86	+ 60,97.54
पुनर्वि०	(-)16,20.07			

₹60,97.54 लाख के विशाल आधिक्य के दृष्टिगत ओलावृष्टि के कारण फसलों के कम नुकसान के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती विवेकहीन सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए है (अगस्त 2015)।

02 बाढ़ चक्रवात आदि

101 अनुग्रहिक राहत

99 आहार तथा वस्त्र

मूल	2,50.00	..	31,01.45	+ 31,01.45
पुनर्वि०	(-)2,50.00			

वर्ष के दौरान बाढ़ न आने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।

बिना निधियों के प्रावधान के किए गए व्यय के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 4-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत(-)
800 अन्य व्यय			
मूल	3,85.00	0.26	18,52.92 + 18,52.66
पुनर्वि०	(-)3,84.74		

₹18,52.66 लाख के अन्तिम आधिक्य के दृष्टिगत वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य में बड़ी बाढ़ न आने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती विवेकहीन सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए है (अगस्त 2015)।

122 क्षतिग्रस्त सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यो की मुरम्मत तथा पुनः स्थापना

मूल	5,00.00	..	11,80.82 + 11,80.82
पुनर्वि०	(-)5,00.00		

बिना निधियों के प्रावधान के किए गए व्यय के दृष्टिगत वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य में बाढ़ न आने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए है (अगस्त 2015)।

2506 भूमि सुधार
102 चकबन्दी
98 चकबन्दी

मूल	7,90.20	8,86.30	8,86.03	(-)0.27
पुनर्वि०	96.10			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन बढ़े हुए महगांई भत्ते (₹54.14 लाख), अमले को वार्षिक बढ़ौत्तरी (₹52.88 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की अधिक प्राप्ति (₹16.04 लाख) पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए हुआ जो कम दौरों के फलस्वरूप बचत (₹13.26 लाख) द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ।

5. राज्य आपदा राहत निधि:-

निधि का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि सूखा बाढ़, चक्रवात, आग आदि के कारण राहत देना है। यह योजना आपदा राहत निधि वर्ष 1990-91 से लागू है। राज्य आपदा राहत निधि में भारत सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में योगदान किया जाता है।

निधि में से किए गए व्यय को आरम्भ में मुख्य शीर्ष- "2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत" अनुदान संख्या 4-"राजस्व" के अन्तर्गत लेखांकित किया जाता है और इसके पश्चात वर्ष के लेखाओं को बन्द करने से पहले राज्य आपदा राहत निधि को हस्तांतरित किया जाता है।

हरियाणा सरकार के वित्त लेखे 2013-14 अनुसार पहली अप्रैल 2014 को ₹17,36,30.90 लाख का आरम्भिक शेष राज्य आपदा राहत निधि में जमा था। वर्ष 2014-15 के दौरान निधि में ₹2,16,37.19 लाख (केन्द्रीय तथा राज्य हिस्सा) जमा हुआ। इसलिए कुल जमा बढ़कर ₹19,52,68.09 लाख हो गया। वर्ष 2014-15 तथा 2013-14 में ₹1,14,24.12 लाख तथा ₹1,03,79.81 लाख की राशि राज्य सरकार की सलाह पर राहत में दी थी जिस कारण राज्य आपदा राहत निधियों में ₹17,34,64.17 लाख जमा रह गए। वर्ष के दौरान ₹2,16,37.08 लाख की राशि निवेश की गई। अर्जित ब्याज के रूप में ₹2,15,50.04 लाख सहित निधि से निवेश ₹1,94,115 लाख बढ़ गया। मार्च 2015 के अन्त में राज्य आपदा राहत निधि में बकाया ₹19,50,14.10 लाख जमा थे जबकि राज्य सरकार ने वही ₹1,94,115 लाख विभिन्न बैंकों में जमाओं के नेगोशिएबल प्रमाण पत्र के व्यय में दिखाए हैं जिसके कारण ₹8,98.98 लाख का अन्तर है।

आपदा राहत निधि योजना के पैरा 9.3 के अनुसार निधि में जमा राशि निधि में निवेश पर आमदनी सहित, जब तक भारत सरकार द्वारा कोई प्रतिकूल दिशानिर्देश जारी नहीं किए जाते, निम्न प्रकार से निवेशित की जाए:-

- (क) केन्द्रीय सरकार की तिथिवार प्रतिभूतियां
- (ख) नीलामी हुए खजाना बिल
- (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में ब्याज अर्जित जमा एवं जमाओं के प्रमाण-पत्र
- (घ) सहकारिता बैंकों में ब्याज अर्जित जमा

निधि के लेन-देन का लेखा वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 तथा 22 में शामिल है।

अनुदान संख्या 5

अनुदान संख्या 5-आबकारी तथा कराधान

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व:			
मुख्य शीर्ष			
2039 राज्य उत्पाद शुल्क			
2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
दत्तमत			
मूल	1,81,75,73	1,82,81,23	1,53,41,49
पूरक	1,05,50		
			(-)29,39,74

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015) 29,64,78

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

1. ₹29,39.74 लाख की उपलब्ध बचत में से 31 मार्च 2015 को ₹29,64.78 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

2. ₹29,39.74 लाख की बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 में प्राप्त ₹1,05.50 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय अपने मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा।

3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत (-)
2040 बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर			
001 निर्देशन तथा प्रशासन			

अनुदान संख्या 5-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
99 मुख्यालय अमला			
99 सूचना प्रौद्योगिकी			
मूल	29,75.00	5,59.50	5,59.50
पुनर्वि०	(-)24,15.50		

बचत संगणकीकरण (सूचना प्रौद्योगिकी) के अन्तर्गत माइलस्टोन आधार पर जो वर्णित नहीं, कम भुगतान किए जाने के कारण हुई।

99 मुख्यालय अमला
98 स्थापना व्यय

मूल	18,78.15	16,93.29	16,93.02	(-)0.27
पुनर्वि०	(-)1,84.86			

बचत मुख्यतः मोटर वाहनों की कम मरम्मत (₹1,73.66 लाख), कार्यालय व्ययों में मितव्ययता उपायों (₹54.63 लाख), पेट्रोल, तेल एवं स्नेहद्रव्य/डीजल की दरों में कमी (₹32.26 लाख), अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम यात्राएँ करने (₹25.75 लाख), आकड़ा प्रविष्टि परिचालक को कम भुगतान (₹9.41 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति (₹8.93 लाख) तथा कम भवन किराए (₹5 लाख) के कारण हुई जो रिक्त पदों को भरे जाने (₹1,03.85 लाख) तथा अनुबंधित अमले को लगाने (₹20.45 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुई।

98 जिला अमला

मूल	38,28.80	37,75.32	37,74.71	(-)0.61
पूरक	7.00			
पुनर्वि०	(-)60.48			

₹60.48 लाख की बचत मुख्यतः कम्प्यूटर व्यवसायिकों का कम नियमितकरण (₹54.26 लाख), पदों के रिक्त रहने (₹39.43 लाख), कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत स्वीकृति की कम प्राप्ति

अनुदान संख्या 5-जारी

(₹14.86 लाख), अनुग्रहपूर्वक अदायगी मामले तथा भवन किराए के अन्तर्गत प्रत्याशा की अपेक्षा वास्तविक व्यय (₹16.49 लाख), डीजल एवं पेट्रोल की दरों में कटौती (₹14.08 लाख) के कारण हुई जो रिक्त पदों को भरने से (₹51.29 लाख), अनुबन्धित कर्मचारियों की नियुक्ति (₹14.95 लाख), कर्मचारियों/सेवा निवृत्तों अवकाश यात्रा रियायत तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर अधिक भुगतान (₹19.07 लाख) से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2039 राज्य उत्पाद शुल्क			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
97 आबकारी व कराधान विभाग में कार्यरत पुलिस अमले का प्रावधान			
मूल	11,87.00	10,47.14	10,47.14
पुनर्वि०	(-)1,39.86		

₹1,39.86 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹1,19.46 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत सुविधाओं के अन्तर्गत प्रत्याशा की अपेक्षा कम व्यय (₹20.38 लाख) के कारण हुई।

99 मुख्यालय अमला (आबकारी ब्यूरो सहित)

मूल	2,02.05	1,16.13	1,16.13
पुनर्वि०	(-)85.92		

₹85.92 लाख की बचत मुख्यतः कार्यालय व्ययों की कम स्वीकृति (₹55.57 लाख), पदों के रिक्त रहने (₹15.83 लाख), वाहनों की खरीद न करने (₹5.29 लाख) तथा डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में कमी (₹4.67 लाख) के कारण हुई।

2045 वस्तुओं और सेवाओं पर

अन्य कर तथा शुल्क

103 सग्रहण प्रभार-बिजली शुल्क

अनुदान संख्या 5-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
99 विद्युत निरीक्षणालय			
मूल	3,54.80		
पूरक	6.50		
पुनर्वि०	(-51.19)		
	3,10.11	3,12.91	+2.80

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती पदों के रिक्त रहने (₹21.05 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹3.79 लाख), अनुबन्धित सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृति की प्राप्ति न होने (₹3.54 लाख) के कारण हुई। यद्यपि (₹19.63 लाख) महंगाई भत्ते के अन्तर्गत बचत के लिए मितव्ययता उपाय दिया गया कारण विश्वसनीय नहीं है।

अनुदान संख्या 6

अनुदान संख्या 6-वित्त

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	अधिकता + बचत (-)	
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं			
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोग			
2049	ब्याज अदायगियां			
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन			
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति हितलाभ			
2075	विविध सामान्य सेवाएं			
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत				
	मूल 45,65,51,04	48,65,32,54	46,54,47,84	(-)2,10,84,70
	पूरक 2,99,81,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				
प्रभारित				
	मूल 76,05,32,30	85,48,63,01	75,81,77,33	(-)9,66,85,68
	पूरक 9,43,30,71			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				
			1,81,15,66	

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान:

1. ₹2,10,84.70 लाख की उपलब्ध बचत में से ₹11.90 लाख अनाभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 6-जारी

2. ₹2,10,84.70 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 तथा मार्च 2015 में ₹2,99,81.50 लाख का प्राप्त पूरक अनुमान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

3. बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई जो नीचे टिप्पणी 4 में वर्णित कुछ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01 सिविल			
101 अधिवार्षिता तथा सेवानिवृत्ति लाभ			
मूल	29,25,30.00	29,90,08.15	29,90,08.15
पूरक	2,45,00.00		
पुनर्वि०	(-)1,80,21.85		
			..

वर्ष 2014-15 के दौरान अधिक सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप सेवानिवृत्तों को अधिवार्षिता तथा सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो अधिवार्षिता के कम मामलों की प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

102 पेंशन का सरांशिकृत मूल्य

मूल	4,75,37.00	3,25,92.69	3,25,92.69
पुनर्वि०	(-)1,49,44.31		
			..

₹1,49,44.31 लाख की बचत पेंशन का सरांशिकृत मूल्य के कम मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

104 उपदान

मूल	7,34,85.00	6,85,99.17	6,85,99.17
पुनर्वि०	(-)48,85.83		
			..

₹48,85.83 लाख की बचत उपदान के कम मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 6-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
117 निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना के सरकारी अंशदान			
99 हरियाणा की निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना			
98 महात्मा गाँधी स्वावलम्बन पेंशन में सरकारी अंशदान			
मूल	70.00		
पुनर्वि०	(-)53.36	16.64	..
			(-)16.64

₹53.36 लाख की बचत महात्मा गाँधी/स्वावलम्बन पेंशन योजना के कम मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

₹16.64 लाख के समस्त प्रावधान के अनुपयोजित रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2015)।

2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन			
095 लेखा तथा खजाना निदेशालय			
96 एकीकृत वित्त तथा मानव संसाधन प्रबन्धन सूचना प्रणाली			

मूल	6,00.00		
पुनर्वि०	(-)5,31.37	68.63	68.63
			..

₹5,31.37 लाख की बचत कम्प्यूटर वस्तुओं की कम खरीद (₹3,99.54 लाख) तथा कम्प्यूटर व्यवसायिकों की कम नियुक्ति (₹1,31.83 लाख) के कारण हुई।

97 13वें वित्त आयोग अनुदान के तहत कर्मचारी और पेंशन डाटा बेस का निर्माण			
--	--	--	--

मूल	3,75.00		
पुनर्वि०	(-)3,62.48	12.52	12.52
		

₹3,62.48 लाख की बचत कम व्यवसायिकों को नियुक्त करने (₹2,06.43 लाख) तथा कम्प्यूटर वस्तुओं की कम खरीद (₹1,56.05 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 6-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
99 मुख्यालय अमला			
99 सूचना प्रौद्योगिकी			
मूल	1,24.00	46.74	46.74
पुनर्वि०	(-)77.26		
₹77.26 लाख की बचत कम्प्यूटर वस्तुओं की कम खरीद (₹67.26 लाख) तथा कम्प्यूटर व्यवसायिकों की नियुक्ति न होने (₹10 लाख) के कारण हुई।			
98 स्थापना व्यय			
मूल	4,25.25	3,52.32	3,49.82
पुनर्वि०	(-)72.93		
₹72.93 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹23.82 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹14.84 लाख), अनुग्रहपूर्वक दावे (₹14.47 लाख) तथा मोटरवाहन न खरीदने (₹7.06 लाख) के कारण हुई।			
800 अन्य व्यय			
99 राज्य बजट तैयार करना तथा नियंत्रण हेतु प्रावधान			
98 स्थापना व्यय			
मूल	31.20	3.38	3.38
पुनर्वि०	(-)27.82		
₹27.82 लाख की बचत मुख्यतः योजना के अन्तर्गत कम खरीद (₹22.83 लाख) के कारण हुई।			

अनुदान संख्या 6-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं			
103 अल्प बचतों की अभिवृद्धि			
97 जिलों को पुरस्कार			
मूल	65.00	23.43	21.82
पुनर्वि०	(-)41.57		
			(-)1.61

₹41.57 लाख की बचत पुरस्कार विजेताओं से दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

98 जिला अमला			
मूल	42.92	22.37	22.16
पुनर्वि०	(-)20.55		
			(-)0.21

₹20.55 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹19.79 लाख) के कारण हुई।

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
800 अन्य व्यय			
98 हरियाणा स्टेट लाटरीज पर स्थापना व्यय			
98 स्थापना व्यय			
मूल	54.00	31.89	31.90
पुनर्वि०	(-)22.11		
			+0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹20.18 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 6-जारी

4. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +	
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ				
01 सिविल				
117 निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना के सरकारी अंशदान				
99 हरियाणा की निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना				
99 निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना को सरकारी अंशदान				
मूल	1,29,42.00	2,83,17.53	2,83,68.77	+51.24
पूरक	9,51.51			
पुनर्वि०	1,44,24.02			

योजना में अधिक अंशदान के फलस्वरूप पूरक अनुदान तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन हुआ। तथापि ₹51.24 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं जिन्हें नियमतीकरण करने की आवश्यकता है (अगस्त 2015)।

105 परिवार पेंशन

मूल	2,28,53.00	3,07,13.55	3,07,13.55	..
पूरक	45,00.00			
पुनर्वि०	33,60.55			

परिवारिक पेंशन के अधिक मामलों की प्राप्ति के कारण पूरक अनुदान तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन हुआ।

111 विधायकों को पेंशन

अनुदान संख्या 6-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
99 राज्य विधान सभा के सदस्य			
मूल	5,70.00	8,58.53	8,47.74
पुनर्वि0	2,88.53		
			(-)10.79

विधान सभा से पेंशन मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन हुआ।

₹10.79 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (अगस्त 2015)।

106 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के सम्बंध में पेंशन सम्बंधी प्रभार

मूल	13.00	69.94	69.94	..
पुनर्वि0	56.94			

उच्च न्यायालय के न्यायधीशों से अधिक पेंशन मामले प्राप्त होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

प्रभारित विनियोग

5. ₹9,66,85.68 लाख की समस्त बचत में से ₹7,85,70.02 लाख अनाभ्यर्पित रहे।

6. ₹9,66,85.68 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 तथा मार्च 2015 में ₹9,43,30.71 लाख का प्राप्त पूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय अपने मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

7. बचत कुछ शीर्षों के अन्तर्गत बचत तथा कुछ अन्यो के अन्तर्गत आधिक्य का निवल का परिणाम थी जो नीचे टिप्पणी 8 में वर्णित है:-

अनुदान संख्या 6-जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2048 ऋण घटाने या उसका परिवहन करने के लिए विनियोग			
101 निक्षेप निधि			
99 बाजारी कर्जे की अदायगी सुनिश्चित करना निक्षेप निधि तथा लेखों में हस्तांतरण (मुख्य शीर्ष 8222)			
मूल	4,04,43.00		
पुनर्वि०	2,94,95.00		
	6,99,38.00	..	(-)6,99,38.00

₹69,938 लाख के समस्त विनियोग के अनुपयोजित रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2015)।

2049 ब्याज अदायगियां			
01 आन्तरिक ऋण पर ब्याज			
200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
95 भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से कर्जे			
मूल	6,50,00.00		
पुनर्वि०	(-)3,41,64.99		
	3,08,35.01	3,08,35.01	..

₹3,41,64.99 लाख की बचत प्रबन्धन के लिए नकद उधार सीमा की कम उपलब्धता के कारण हुई।

89 वित्तीय पुर्नगठन पर ब्याज का भुगतान			
मूल	7,21,93.00		
पुनर्वि०	(-)2,40,00.00		
	4,81,93.00	4,81,93.00	..

₹24,000 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों के कारण हुई।

अनुदान संख्या 6-जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
92 एन.सी.आर.पी.बी.से प्राप्त कर्जे पर ब्याज			
मूल 2,24,25.60	1,89,26.11	1,42,34.78	(-)46,91.33
पुनर्वि0 (-)34,99.49			

₹81,90.82 लाख की कुल बचत राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्रीय योजना बोर्ड से कम कर्जे प्राप्त करने के फलस्वरूप कम ब्याज के भुगतान के कारण हुई।

96 नाबार्ड के राष्ट्रीय ग्रामीण उधार निधि से कर्जे			
मूल 1,53,42.32	1,08,43.65	1,08,43.65	..
पुनर्वि0 (-)44,98.67			

₹44,98.67 लाख की कुल बचत राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से कम कर्जे लेने के फलस्वरूप कम ब्याज के भुगतान के कारण हुई।

05 आरक्षित निधियों पर ब्याज			
101 मूल्यहास/नवीकरण/आरक्षित निधियों पर ब्याज			
98 मूल्यहास आरक्षित निधि (मोटर परिवहन)			
मूल 32,00.00	27,94.08	27,94.08	..
पुनर्वि0 (-)4,05.92			

₹4,05.92 लाख की बचत मूल्यहास आरक्षित निधि (मोटर परिवहन) के अन्तर्गत कम ब्याज के भुगतान के कारण हुई।

अनुदान संख्या 6-जारी

8. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)		
2049 ब्याज अदायगियां					
01 आन्तरिक ऋण पर ब्याज					
101 बाजार कर्जों पर ब्याज					
99 ब्याज बाजारी ऋणों पर ब्याज					
	मूल	33,44,39.66	} 38,23,87.99	36,53,10.93	(-)1,70,77.06
	पूरक	31,85.71			
	पुनर्वि०	4,47,62.62			

₹1,70,77.06 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत् अधिक बाजार उधारी के कारण अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक विनियोग तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए है (अगस्त 2015)।

123 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज					
93 लघु बचत संग्रहण पर ब्याज					
	मूल	10,01,63.07	} 10,18,11.56	11,22,60.94	+1,04,49.38
	पुनर्वि०	16,48.49			

लघु बचत संग्रहण के विरुद्ध ब्याज पर अधिक व्यय के दृष्टिगत् भारत सरकार से अधिक ऋण प्राप्ति के कारण उप-शीर्ष में पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

305 ऋण प्रबन्धन					
99 नए कर्जों इत्यादि को जारी करने पर व्यय					
	मूल	2,00.00	} 4,00.00	13,77.65	+9,77.65
	पुनर्वि०	2,00.00			

अनुदान संख्या 6-जारी

₹9,77.65 लाख के अधिक व्यय के दृष्टिगत ऋणों पर ब्याज पर अधिक भुगतान के फलस्वरूप पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन का आवर्धन अपर्याप्त हुआ।

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
91 राज्य सरकार के 8.5% कर मुक्त विशेष बांड (विद्युत बांड)।			
मूल	31,18.77		
पुनर्वि०	(-)27,74.88		
		3,43.89	38,67.63
			+35,23.74

₹35,23.74 लाख के अन्तिम आधिक्य के दृष्टिगत कम ब्याज के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग की कटौती विवेकहीन सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए है (अगस्त 2015)।

04 केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज

- 101 राज्य/संघ राज्य देय की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज
99 ब्लाक कर्ज

मूल	28,77.52		
पुनर्वि०	8,68.74		
		37,46.26	37,44.94
			(-)1.32

₹8,67.42 लाख का शुद्ध आधिक्य भारत सरकार से अधिक कर्ज लेने के फलस्वरूप अधिक ब्याज के भुगतान के कारण हुआ।

- 104 योजनेतर योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज
95 पुलिस-पुलिस बल का आधुनिकीकरण

मूल	..		
पुनर्वि०	2,23.01		
		2,23.01	2,23.01
			..

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन योजना के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान पर व्यय को पूरा करने के लिए हुआ।

9. समेकित निक्षेप निधि:-

समेकित निक्षेप निधि वित्त वर्ष 2014-15 से प्रारंभ की जा रही यह निधि बाजारी कर्जों के शोधन के लिए बनाई गई विमोचन निधि है। यह निधि वर्ष 2003-04 से संचालित की जा रही है इस निधि को अंशदान शीर्ष 2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोग-101-निक्षेप निधि को विपरित नामें देते हुए वित्तीय वर्ष 2002-03 की समाप्ति पर दर्शाये गये असमायोजित खुला बाजार ऋण के परिमित मान के 1 से 3 प्रतिशत तक किया जाना है। सरकार अपने स्व-विवेक से इस अंशदान में वृद्धि कर सकती है।

सरकार के लिए यह विकल्प भी खुला होगा कि वह किसी भी समय सामान्य संचितों अथवा अन्य संसाधनों का निवेश अपने स्व-विवेक से इस निधि में कर सकती है। इस निधि का उद्देश्य जिसमें आवधिक अंशदान के साथ-साथ विनियोग पर आय से प्राप्त आय भी शामिल है, राज्य सरकार के सामान्य राजस्व से अलग रखी जायेगी। इस निधि का प्रशासन भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग द्वारा समय-समय पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों/अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को निधि के कुल कारोबार के 1 प्रतिशत के 1/8 भाग की दर से अथवा समय-समय पर पारस्परिक रूप से निश्चित दर पर भुगतान करेंगे।

इस निधि में अंशदान तब तक जारी रहेगा जब तक आवश्यक राशि एकत्रित नहीं हो जाती। इस सम्बन्ध में एक निश्चित अवधि के पश्चात समीक्षा की जायेगी।

खुला बाजार के मोचन से सम्बन्धित प्रभार शीर्ष '6003-राज्य सरकार के आन्तरिक कर्ज-101-बाजारी कर्ज-विशेषतः कर्ज' को नामे किये जायेंगे। ऋण की परिपक्वता पर निधि से एक समान राशि शीर्ष '8680-विविध सरकारी लेखा-101-खाता शेष लेखा समायोजन' को जमा कर दी जायेगी।

1 अप्रैल 2014 को निधि के जमा प्रारम्भिक शेष ₹1,06,005 लाख तथा जमा ₹91,11.70 लाख (शून्य अंशदान तथा ₹91,11.70 लाख निवेश पर आय निधि) में संचित राशि बढ़ कर ₹11,51,16.70 लाख हो गई।

योजना के पैरा 8 के अनुसार निधि में समस्त वृद्धियों को भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों/नीलाम खजाना बिलों जो ऐसी परिपक्वताओं जैसे कि निश्चित करती है, में निवेश किया जाता है।

समस्त शेष राशि ₹11,51,16.70 लाख भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से निवेशित की गई है।

वर्ष 2014-15 के लिए ₹6,99,38 लाख के बजट प्रावधान के बावजूद (₹2,96,58 लाख वर्ष 2013-14 का बकाया तथा ₹4,02,80 लाख वर्ष 2014-15 के लिए प्रावधान जैसे ₹4,02,79.84 करोड़ के बकाया खुले बाजार कर्जों का एक प्रतिशत) जैसाकि वर्ष 2013-14 के अन्त से वर्ष के दौरान निधि में कोई भी राशि हस्तांतरित नहीं हुई।

समेकित निक्षेप निधि:-

निधि के लेन-देनों का लेखा वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 तथा 22 में शामिल है।

10. गारन्टी शोधन निधि:-

इस निधि का प्रयोजन सरकार द्वारा जारी गारन्टी से उत्पन्न सरकार की बाध्यताओं निष्टें राज्य स्तरीय उपक्रमों व अन्य निकायों द्वारा जारी किये गये बॉडों तथा अन्य कर्जों तथा लाभार्थियों द्वारा भुनाए गए तथा संस्थानों द्वारा अदा नहीं किये गये से है, जिनकी ओर से गारन्टी जारी की गई थी।

यह निधि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 में स्थापित की गई थी। इस निधि को अंशदान लेखा शीर्ष '2075-विविध सामान्य सेवाएं' को विपरीत नामें प्रविष्टि द्वारा दिया जाना है। निधि का उद्देश्य राज्य गारन्टी के विरुद्ध राज्य स्तरीय निकायों की सभी कर्जों पर देय होने वाली गारन्टी शुल्क की अधिभारित करके सुदृढ़ बनाना है। इस प्रकार संग्रहित गारन्टी शुल्क को मुख्य लेखाशीर्ष '0075-विविध सामान्य सेवाएं - 108 गारन्टी शुल्क' के अन्तर्गत जमा कराया जाना है निधि को अंशदान समय-समय पर लेखा शीर्ष '2075-विविध सामान्य सेवाएं' को नामें प्रविष्टि करके जहां राज्य सरकार द्वारा वांछित बजट प्रावधान किया जाता है तथा निधि से किये गये निवेश पर आय द्वारा किया जाता है। निधि का प्रशासकीय नियन्त्रण भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग द्वारा सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले ऐसे निर्देशों/अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को निधि के कुल कारोबार के 1 प्रतिशत का 1/8 भाग की दर से अथवा समय समय पर पारस्परिक रूप से निश्चित दर पर भुगतान करेगी।

1 अप्रैल 2014 को निधि के क्रेडिट का आरम्भिक शेष ₹87,74.90 लाख तथा क्रेडिट ₹6,65,39.65 लाख (₹65,350 लाख वर्ष 2013-14 का बकाया (₹40,506 लाख) तथा वर्ष 2014-15 के लिए प्रावधान ₹24,844 लाख तथा ₹11,89.65 लाख ब्याज) निधि में संचित राशि बढ़कर ₹7,53,14.55 लाख हो गई है।

समस्त शेष राशि ₹7,53,14.55 लाख भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से निवेशित की गई है। निवेशित (प्रतिभूति) का वास्तविक मूल्य ₹7,17,76.80 लाख है।

योजना के पैरा 8 के अनुसार निधि में समस्त वृद्धियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की ऐसी परिपक्वताओं के नीलाम किये गये खजाना बिलों जैसे कि राज्य सरकार समय समय पर बैंक के साथ परामर्श कर के निश्चित करती है, में निवेशित किया जाना।

गारन्टी शोधन निधि:-

लाभार्थियों द्वारा भुनाए जाने पर देय होने वाले दावों की देन-दारियों को पूरा करने के लिए निवेश प्रपत्र उस राशि को अर्जित करने हेतु निम्नलिखित क्रम में बेच कर समाप्त किये जाने हैं।

- (i) नीलामीकृत खजाना वित्त।
- (ii) केन्द्रीय सरकार की तिथिबद्ध प्रतिभूतियां।
- (iii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां।

निधियों के लेन-देनों का लेखा वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 व 22 में दिया गया है।

अनुदान संख्या 7

अनुदान संख्या 7-आयोजना तथा सांख्यिकी			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व:			
मुख्य शीर्ष			
2075	विविध सामान्य सेवाएं		
3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएं		
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
दत्तमत			
	मूल	4,09,03,97	} 4,09,39,98
	पूरक	36,01	
			75,81,81
			(-)3,33,58,17
	वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)		3,29,29,19

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व:

दत्तमत अनुदान

1. ₹3,33,58.17 लाख की समस्त बचत में से ₹4,28.98 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
2. ₹3,33,58.17 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 में प्राप्त ₹36.01 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत (-)
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
102	जिला योजना संगठन		
95	जिला योजना		
	मूल	2,35,00.00	} 33,06.67
	पुनर्वि0	(-)2,01,93.33	
			29,43.82
			(-)3,62.85

अनुदान संख्या 7-जारी

₹2,01,93.33 लाख की बचत अन्य प्रभारों के अन्तर्गत व्यय में मितव्ययता (₹2,01,43.39 लाख), कार्यालय व्ययों एवं व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के अन्तर्गत कम व्यय (₹49.94 लाख) के कारण हुई।

₹3,62.85 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता+ बचत (-)	
97 राज्य स्तर पर योजना संगठन का सुदृढीकरण				
98 स्थापना व्यय				
मूल	1,05.00	36.70	36.71	+0.01
पुनर्वि०	(-)68.30			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत व्यय में मितव्ययता (₹55.37 लाख), व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के अन्तर्गत अनुबंधित अमले को प्रत्याशा की अपेक्षा कम भुगतान (₹7.97 लाख) के कारण हुई।

789 अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना				
99 जिला योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों का कल्याण				
मूल	1,40,00.00	20,27.12	19,57.89	(-)69.23
पुनर्वि०	(-)1,19,72.88			

₹1,20,42.11 लाख की कुल बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

101 नीति आयोग				
99 मुख्यालय अमला				
मूल	1,56.50	1,23.57	1,23.46	(-)0.11
पुनर्वि०	(-)32.93			

अनुदान संख्या 7-जारी

₹32.93 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों का न भरे जाने (₹26.31 लाख) तथा कर्मचारियों द्वारा यात्रा रियायत सुविधाओं की कम प्राप्ति (₹6.18 लाख) के कारण हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
001 निदेशन एवं प्रशासन			
83 टी.एफ.सी. (13वें वित्त आयोग) के अन्तर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर सांख्यिकी की सुधारीकरण			
98 स्थापना व्यय			
मूल	3,48.20	18.21	18.21
पुनर्वि०	(-)3,29.99		

₹3,29.99 लाख की बचत मुख्यतः कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद (₹1,81.79 लाख), प्रशिक्षण दावों का कम भुगतान (₹71 लाख) तथा अनुसंधान एवं विकास, विविध तथा मानदेय (₹70 लाख) के अन्तर्गत व्यय के न होने के कारण हुई।

99 सूचना प्रौद्योगिकी

मूल	71.80	39.70	39.70
पुनर्वि०	(-)32.10		

बचत मुख्यतः सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत व्यय किए जाने हेतु सरकार द्वारा अनुमति न प्रदान किए जाने के कारण हुई।

92 हरियाणा में छठा आर्थिक जनगणना

मूल	4,00.00	2,95.56	2,95.56
पुनर्वि०	(-)1,04.44		

अनुदान संख्या 7- समाप्त

₹1,04.44 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹36.22 लाख), प्रत्याशा की अपेक्षा मानदेय के कम दावों की प्राप्ति (₹32.73 लाख), प्रशिक्षण एवं कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत व्यय का न होने (₹27 लाख) तथा आन्तरिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति (₹3.76 लाख) के कारण हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
98 पारिवारिक आय तथा व्यय जनगणना योजना			
मूल	45.00		
पुनर्वि०	(-)44.38		
		0.62	0.62
			..

₹44.38 लाख की बचत मुख्यतः कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत कुछ विशेष मदों की खरीद न करने (₹24.38 लाख), मानदेय पर व्यय न किए जाने (₹13.50 लाख) तथा पदों के रिक्त रहने (₹6.50 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 8

अनुदान संख्या 8-भवन तथा सड़कें

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)	
राजस्व:					
मुख्य शीर्ष					
2059	लोक निर्माण कार्य				
2216	आवास				
3054	सड़क तथा सेतु				
दत्तमत					
	मूल	11,59,11,53	11,59,11,53	10,77,57,65	(-)81,53,88
	पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				82,59,37	
प्रभारित					
	मूल	4,00	4,00	3,47	(-)53
	पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				52	
पूँजीगत:					
मुख्य शीर्ष					
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय				
4202	शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय				
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय				
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय				
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय				

अनुदान संख्या 8-जारी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)	
4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय				
5053 नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय				
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय				
दत्तमत				
मूल	20,73,62,25	22,94,95,74	18,45,34,96	(-)4,49,60,78
पूरक	2,21,33,49			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				4,50,97,58
प्रभारित				
मूल	15,00,00	15,00,00	14,38,75	(-)61,25
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				17,35

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व:

दत्तमत अनुदान

1. ₹81,53.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को ₹82,59.37 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
2. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई जो नीचे टिप्पणी 3 में वर्णित कुछ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई:-

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत(-)	
2059 लोक निर्माण कार्य				
80 सामान्य				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
96 निष्पादन				
मूल	3,82,34.50	2,90,33.91	2,90,45.34	+11.43
पुनर्वि०	(-)92,00.59			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने (₹84,62.70 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹2,29.06 लाख), अनुग्रहपूर्वक दावे (₹1,84.61 लाख), यात्रा व्यय (₹2,64.79 लाख), छुट्टी यात्रा रियायत (₹14.34 लाख) तथा व्यवसायिक सेवाओं के लिए भुगतान (₹57.60 लाख) में मितव्ययता उपायों के कारण हुई जो कार्यालय व्यय की कुछ मदों पर बढ़ी दरों (₹27.77 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

₹11.43 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

99 निदेशन

मूल	30,28.80	18,08.68	18,06.92	(-)1.76
पुनर्वि०	(-)12,20.12			

₹12,20.12 लाख की बचत मुख्यतः पदों के न भरने (₹11,74.37 लाख), चिकित्सा अवकाश यात्रा रियायत की कम प्राप्ति (₹29.55 लाख), हार्द्रोन द्वारा अमले की आपूर्ति न करने (₹13.20 लाख), यात्रा व्यय (₹12.10 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (₹8.01 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावे (₹7.60 लाख) के कारण हुई जो पेट्रोल, तेल तथा स्नेहद्रव्य पर प्रत्याशा से अधिक व्यय (₹27.78 लाख) द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

97 पर्यवेक्षण

मूल	19,03.15	14,77.99	14,80.48	+2.49
पुनर्वि०	(-)4,25.16			

अनुदान संख्या 8-जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने (₹4,04.68 लाख), यात्रा व्यय की कम प्राप्ति (₹15.51लाख) तथा प्रशिक्षण दावों (₹2 लाख), पेट्रोल, तेल तथा स्नेहद्रव्य में मितव्ययता उपाय (₹4.49 लाख) तथा कार्यालय व्यय (₹3.36 लाख) के कारण हुई जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति (₹6.37 लाख) के भुगतान पर अधिक व्यय दारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
95 वास्तुकारिय इकाई			
98 स्थापना व्यय			
मूल 10,70.68	8,00.61	7,97.02	(-)3.59
पुनर्वि० (-)2,70.07			

₹2,70.07 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹1,98.87 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कम प्राप्ति (₹12.13 लाख), कार्यालय व्यय (₹11.24 लाख), अनुग्रहपूर्वक दावे (₹8.67 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत दावे (₹7.31 लाख), अनुबंधित सेवाओं (₹9.22 लाख) तथा मोटर वाहन (₹9 लाख) के लिए सरकार से स्वीकृति न मिलने तथा कम्प्यूटराइजेशन के अन्तर्गत मितव्ययता उपाय (₹9.75 लाख) के कारण हुई।

94 भूमि अधिग्रहण अधिकारी			
मूल 4,00.42	2,44.63	2,44.59	(-)0.04
पुनर्वि० (-)1,55.79			

₹1,55.79 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने (₹1,46.88 लाख) के कारण हुई।

98 डिजाइन			
मूल 1,14.00	24.32	24.32	..
पुनर्वि० (-)89.68			

₹89.68 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने (₹89.26 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
052 मशीनरी तथा उपकरण			
96 मशीनरी			
मूल 6,25.00	6,63.70	4,65.70	(-)1,98.00
पुनर्वि0 38.70			

₹198 लाख की अंतिम बचत के दृष्टिगत विशेष मशीनरी तथा वाहनों की आवश्यक मरम्मत (₹52.50 लाख) तथा मशीनरी के कलपुर्जों के मूल्यों में वृद्धि (₹6.73 लाख) पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन, जो मशीनरी पर कम कार्य के अनुमोदन (₹20.53 लाख) बचत के कारण प्रतिसंतुलित हुआ, विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

004 योजना तथा अनुसंधान
98 अनुसंधान

मूल 50.99	16.16	16.16	..
पुनर्वि0 (-)34.83			

₹34.83 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने (₹31.51 लाख) के कारण हुई।

60 अन्य भवन

053 रख रखाव तथा मरम्मत
99 अनुरक्षण एवं मरम्मत

मूल 25,00.00	20,00.00	20,00.00	..
पुनर्वि0 (-)5,00.00			

₹500 लाख की बचत अन्य विभागों से लघु निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु कम मांग की प्राप्ति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
3054 सड़क तथा सेतु			
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
99 स्थापना प्रभार (प्रोरेटा)			
2059 लोक निर्माण से स्थानांतरित			
मूल	2,55,73.00	1,88,87.25	(-)66,85.75

₹66,85.75 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

03 राजकीय राजमार्ग				
337 सड़क निर्माण-कार्य				
मूल	50,15.00	} 28,53.52	28,53.52	..
पुनर्वि०	(-)21,61.48			

04 जिला एवं अन्य सड़कें				
337 सड़क निर्माण कार्य				
99 जिला सड़कें				
मूल	40,11.00	} 25,75.88	25,75.88	..
पुनर्वि०	(-)14,35.12			

उपरोक्त दोनों मामलों में योजना के अन्तर्गत नए निर्माण कार्यों की स्वीकृति न मिलने के कारण बचत हुई।

01 राष्ट्रीय राजमार्ग	
337 सड़क निर्माण-कार्य	

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
99 राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों का अनुरक्षण तथा रख रखाव			
मूल 7,00.00	12.59	12.59	..
पुनर्वि0 (-)6,87.41			
₹6,87.41 लाख की बचत सड़क तथा परिवहन हरियाणा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण तथा रख-रखाव के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण हुई।			
2216 आवास			
05 सामान्य पूल आवास			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
99 निदेशन तथा प्रशासन (2059 लोक निर्माण को स्थानांतरित यथानुपात स्थापना खर्च)			
मूल	7,55.00	5,72.21	(-)1,82.79
₹1,82.79 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।			
800 अन्य व्यय			
98 पट्टा प्रभार			
मूल 40.00	18.30	18.55	+0.25
पुनर्वि0 (-)21.70			
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती विभाग द्वारा कम किराए के भवनों को लेने के कारण हुई।			

अनुदान संख्या 8-जारी

3. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
3054 सड़क तथा सेतु			
04 जिला तथा अन्य सड़कें			
337 सड़क निर्माण कार्य			
98 ग्रामीण सड़कें			
मूल 4,31,46.00	4,67,58.53	4,72,20.79	+4,62.26
पुनर्वि0 36,12.53			

₹4,62.26 लाख के अंतिम आधिक्य के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत नए निर्माण कार्यों की स्वीकृति के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन अपर्याप्त सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

80 सामान्य			
797 आरक्षित निधि/जमा लेखों को/से अन्तरण			
99 सी.आर.एफ. से/को स्थानांतरण अन्त लेखा स्थानांतरण			

मूल 67,00.00	75,19.01	73,73.00	(-)1,46.01
पुनर्वि0 8,19.01			

₹1,46.01 लाख की अंतिम बचत के दृष्टिगत योजना के अन्तर्गत सड़क तथा परिवहन हरियाणा मंत्रालय द्वारा नए निर्माण कार्यों को अधिक स्वीकृति देने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
52 मशीनरी तथा उपकरण			
99 स्थापना प्रभार (यथानुपात)			
2059-लोक निर्माण कार्य			
से अंतरित			
मूल	2,74.00	3,10.87	+36.87

₹36.87 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

2059 लोक निर्माण				
80 सामान्य				
799 उचन्त				
99 उचन्त				
मूल	10,00.00	} 36,16.00	35,94.60	(-)21.40
पुनर्वि0	26,16.00			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन सामग्री के अर्न्तमण्डलीय मामले पर समझौता न होने के कारण हुआ।

₹21.40 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

053 रख-रखाव तथा मुरम्मत				
99 रख-रखाव तथा मुरम्मत				
मूल	57,00.00	} 65,72.87	65,72.47	(-)0.40
पुनर्वि0	8,72.87			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन पुराने कार्यालय भवनों की आवश्यक मुरम्मत कार्य, निर्माण सामग्री के मूल्य में वृद्धि तथा बिक्रीकर, आयकर तथा मजूदरी कर पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए हुआ।

अनुदान संख्या 8-जारी

पूँजीगत:

4. ₹4,49,60.78 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को ₹4,50,97.58 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
5. ₹4,49,60.78 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत् मार्च 2015 में ₹2,21,33.49 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
6. बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई जो नीचे टिप्पणी 7 में वर्णित अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत व्यय			
04 जिला तथा अन्य सड़कें			
789 अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना			
99 अनुसूचित जाति आबादी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण/चौड़ा करना/सुदृढीकरण तथा विशेष मुरम्मत			
मूल 2,23,85.00	} 1,88,15.18	} 1,88,15.18	} ..
पूरक 10,00.00			
पुनर्वि0 (-)45,69.82			

योजना के अन्तर्गत चालू निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से नए निर्माण कार्य की स्वीकृति देर से प्राप्त होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

- 98 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
के अन्तर्गत अनुसूचित जाति
आबादी क्षेत्र में ग्रामीण सड़कें

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत (-)
91 सोनीपत सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 17,33.00	10,41.46	10,41.46	..
पूरक 2,82.04			
पुनर्वि० (-)9,73.58			
90 झज्जर सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 15,68.00	9,42.00	9,42.00	..
पूरक 2,55.20			
पुनर्वि० (-)8,81.20			
89 करनाल सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 15,46.00	9,29.26	9,29.26	..
पूरक 2,51.46			
पुनर्वि० (-)8,68.20			
94 कैथल सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 13,82.00	8,30.38	8,30.38	..
पूरक 2,25.06			
पुनर्वि० (-)7,76.68			
99 अम्बाला सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 10,00.00	5,99.32	5,99.32	..
पूरक 1,62.80			
पुनर्वि० (-)5,63.48			

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत (-)
96 गुडगाँव सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 9,93.00	5,97.70	5,97.70	..
पूरक 1,61.70			
पुनर्वि० (-)5,57.00			
95 हिसार सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 9,35.00	5,61.96	5,61.96	..
पूरक 1,52.24			
पुनर्वि० (-)5,25.28			
97 चन्डीगढ़ सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 8,74.00	5,24.75	5,24.75	..
पूरक 1,42.34			
पुनर्वि० (-)4,91.59			
93 रिवाड़ी सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 5,28.00	3,18.41	3,18.41	..
पूरक 86.46			
पुनर्वि० (-)2,96.05			
98 भिवानी सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 2,76.00	1,65.56	1,65.56	..
पूरक 45.10			
पुनर्वि० (-)1,55.54			

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
92 रोहतक सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 1,65.00	99.39	99.39	..
पूरक 26.84			
पुनर्वि० (-)92.45			

उपरोक्त ग्यारहों मामलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों/पुलों के उन्नयनकरण के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

337 सड़क निर्माण कार्य			
98 ग्रामीण सड़के			
98 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना हेतु सड़कों के बाईपास द्वारा निर्माण/सुदृढीकरण/ चौड़ा करना			
मूल 1,00,00.00	54,82.00	54,82.00	..
पुनर्वि० (-)45,18.00			

₹4,518 लाख की बचत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड द्वारा नए निर्माण कार्य की स्वीकृति न होने के कारण हुई।

99 राज्य योजना हेतु सड़कों के बाईपास द्वारा निर्माण/सुदृढीकरण/ चौड़ा करना			
मूल 67,15.00	1,61,94.05	1,61,87.42	(-)6.63
पूरक 1,08,08.00			
पुनर्वि० (-)13,28.95			

अनुदान संख्या 8-जारी

योजना के अन्तर्गत चालू निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो खजाना अधिकारियों द्वारा ई.पी.एस. का निपटान न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
97 नाबार्ड योजना हेतु सड़कों के निर्माण/सुदृढीकरण/ चौड़ा करना तथा बाईपास बनाना			
मूल 1,20,00.00	1,02,67.14	1,02,67.14	..
पुनर्वि० (-)17,32.86			
₹17,32.86 लाख की बचत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से सड़क परियोजना हेतु स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण हुई।			
49 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़के			
91 सोनीपत सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 61,47.00	36,91.90	36,91.90	..
पूरक 9,99.96			
पुनर्वि० (-)34,55.06			
90 झज्जर सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 55,58.00	33,38.80	33,38.80	..
पूरक 9,04.80			
पुनर्वि० (-)31,24.00			

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	बचत (-)
89 करनाल सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 54,82.00	32,91.64	32,91.64	..
पूरक 8,91.54			
पुनर्वि० (-)30,81.90			
94 कैथल सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 48,98.00	29,43.62	29,43.62	..
पूरक 7,97.94			
पुनर्वि० (-)27,52.32			
99 अम्बाला सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 35,45.00	21,28.03	21,28.03	..
पूरक 5,77.20			
पुनर्वि० (-)19,94.17			
96 गुडगांव सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 35,21.00	21,15.30	21,15.30	..
पूरक 5,73.30			
पुनर्वि० (-)19,79.00			
95 हिसार सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 33,13.00	19,91.04	19,91.04	..
पूरक 5,39.76			
पुनर्वि० (-)18,61.72			

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	बचत (-)
97 चन्डीगढ़ सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 31,00.00	18,59.10	18,59.10	..
पूरक 5,04.66			
पुनर्वि० (-)17,45.56			
93 रिवाड़ी सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 18,72.00	11,30.99	11,30.99	..
पूरक 3,06.54			
पुनर्वि० (-)10,47.55			
98 भिवानी सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 9,79.00	5,88.64	5,88.64	..
पूरक 1,59.90			
पुनर्वि० (-)5,50.26			
92 रोहतक सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयनकरण			
मूल 5,85.00	3,48.75	3,48.75	..
पूरक 95.16			
पुनर्वि० (-)3,31.41			

उपरोक्त ग्यारहों मामलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों/पुलों के उन्नयनकरण के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार निधियों की कम प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
99	जिला सड़कें		
98	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना हेतु निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ा करना		
	मूल 52,00.00	41,80.00	41,80.00
	पुनर्वि० (-)10,20.00		

₹1,020 लाख की बचत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड द्वारा सड़कों के निमाण हेतु नए निर्माण कार्य की स्वीकृति न होने तथा खजाना अधिकारी पंचकुला द्वारा मार्च 2015 के माह में ई.पी.एस. का निपटान न होने के कारण हुई।

101 पुल

- 84 हरियाणा राज्य में पुलों
तथा रेलवे ओवर-ब्रिजों
का निर्माण
- 97 नाबार्ड योजना के अन्तर्गत
पुल और रेलवे उपरगामी
पुल का निर्माण

	मूल 40,00.00	29,05.76	29,05.76
	पुनर्वि० (-)10,94.24		

₹10,94.24 लाख की बचत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से पुलों के निर्माण हेतु देर से स्वीकृति प्राप्ति तथा खजाना अधिकारियों द्वारा मार्च 2015 के माह में क्षेत्रीय स्तर पर ई.पी.एस. का निपटान न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
98 राष्ट्रीय राजधाना क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत पुल और रेलवे अग्रगामी पुलों का निर्माण			
मूल 34,15.00	25,65.25	25,65.25	..
पुनर्वि० (-)8,49.75			

₹8,49.75 लाख की बचत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड द्वारा पुलों के निर्माण हेतु नए निर्माण कार्य की स्वीकृति न देने तथा खजाना अधिकारी पंचकुला द्वारा मार्च 2015 के माह में ई.पी.एस. का निपटान न होने के कारण हुई।

03 राज्य राजमार्ग

- 337 सड़क निर्माण कार्य
88 हरियाणा राज्य में
सड़कों का निर्माण
98 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना
हेतु सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण/
चौड़ा करना तथा उन्नयन

मूल 1,61,00.00	1,26,38.04	1,26,38.04	..
पुनर्वि० (-)34,61.96			

₹34,61.96 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत निधियों के देरी से प्राप्ति के कारण हुई।

- 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

- 051 निर्माण
97 आबकारी व कराधान

मूल 10,00.00	82.52	82.52	..
पुनर्वि० (-)9,17.48			

अनुदान संख्या 8-जारी

₹9,17.48 लाख की बचत आबकारी व कराधान विभाग, फरीदाबाद के भवन निर्माण हेतु निविदा का देशी से आबंटन के कारण हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
64 विधायकों के फ्लैट्स का निर्माण			
मूल 1.00	}
पूरक 5,00.00			
पुनर्वि० (-)5,01.00			

सैक्टर 3, चन्डीगढ़ में विधायकों के फ्लैट्स निर्माण पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो फ्लैटों के निर्माण हेतु वास्तुकला ड्राइंग को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

- 01 कार्यालय भवन**
051 निर्माण
70 हरियाणा राज्य सूचना आयोग के कार्यालय भवन का निर्माण

मूल 9,43.00	}	28.35	28.35	..
पुनर्वि० (-)9,14.65				

₹9,14.65 लाख की बचत हरियाणा राज्य सूचना आयोग के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू न होने के कारण हुई।

- 4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
201 श्रम
96 श्रम न्यायालय परिसर का निर्माण

मूल 11,00.00	}	2,41.45	2,41.45	..
पुनर्वि० (-)8,58.55				

₹8,58.55 लाख की बचत ग्राहक विभाग द्वारा नए निर्माण कार्य की कम स्वीकृति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
4202 शिक्षा खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
03 खेलकूद तथा युवा सेवा			
101 युवा छात्रावास			
99 भवन (युवा छात्रावास)			
मूल 10,00.00	3,92.03	3,92.03	..
पुनर्वि० (-)6,07.97			

₹6,07.97 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत खेलकूद तथा युवा मामला विभाग से कम स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई।

02 तकनीकी शिक्षा			
789 अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना			
99 बहुतकनीकियों में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों हेतु छात्रावासों का निर्माण			
मूल 10,00.00	4,50.00	4,50.00	..
पुनर्वि० (-)5,50.00			

₹550 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा विभाग से कम स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई।

104 बहुशिल्प			
97 बहुतकनीकियों में महिला छात्रावास का निर्माण			
मूल 5,00.00
पुनर्वि० (-)5,00.00			

अनुदान संख्या 8-जारी

योजना के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
99 भवन (अभियांत्रिकी महाविद्यालय)			
मूल 15,00.00	10,73.02	10,73.02	..
पुनर्वि० (-)4,26.98			

₹4,26.98 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा विभाग से कम स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई।

4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय
01 सरकारी रिहायशी भवन

106 साधारण पूल आवास
96 लोक निर्माण कार्य

मूल 5,00.00	97.37	97.37	..
पुनर्वि० (-)4,02.63			

₹4,02.63 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत कम निर्माण कार्य की स्वीकृति के कारण हुई।

4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
पर पूंजीगत परिव्यय

02 समाज कल्याण

104 वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय
व्यक्तियों का कल्याण

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
99 अनाथ तथा बुजुर्गों के कल्याण हेतु गृह			
मूल 1,00.00	}
पुनर्वि0 (-)1,00.00			

ग्राहक विभाग द्वारा नए निर्माण कार्य को स्वीकृति न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

103 महिला कल्याण

99 युवा लड़के/लड़कियों/महिलाएं
एवं निःसहाय महिलाएं तथा
विधवाओं के लिए गृह एवं
व्यवसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र

मूल 65.00	}	2.65	21.91	+19.26
पुनर्वि0 (-)62.35				

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती ग्राहक विभाग द्वारा नए निर्माण कार्य को स्वीकृति न करने के कारण हुई।

₹19.26 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

4210 चिकित्सा तथा लोक
स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
**03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण
तथा अनुसंधान**

101 आयुर्वेद

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
98 आई.एस.एम.आर. पंचकुला सरकारी संस्थान के प्रांगण में निदेशक आयुर्वेदा भवन का निर्माण			
मूल 1,70.00	75.27	75.27	..
पुनर्वि0 (-)94.73			
₹94.73 लाख की बचत वर्ष के बिलकुल अन्त में आई.एस.एम.आर. पंचकुला के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू होने के कारण हुई।			
91 राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय हस्पताल के भवन का निर्माण			
मूल 7,50.00	6,61.83	6,61.83	..
पुनर्वि0 (-)88.17			
₹88.17 लाख की बचत ग्राहक विभाग द्वारा नए निर्माण कार्य की स्वीकृति न देने के कारण हुई।			
5053 नगर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
60 अन्य वैमानिक सम्बन्धी सेवाएं			
800 अन्य व्यय			
99 हवाई अड्डों का अनुरक्षण			
मूल 3,00.00	2,52.58	2,52.58	..
पुनर्वि0 (-)47.42			

ग्राहक विभाग से नए निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए कम अनुमोदन प्राप्त होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत (-)
4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101 अन्तर्देशीय मछली-पालन			
99 कार्यालय भवन का निर्माण			
मूल 25.00	}
पुनर्वि0 (-)25.00			

योजना के अन्तर्गत तकनीकी अमले की उपलब्धता न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।

7. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	अधिकता +
5054 सड़कें तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03 राज्य राजमार्ग			
101 सेतु			
81 हरियाणा राज्य में पुलों का निर्माण			
99 राज्य योजना के तहत पुल तथा रेल ओवर ब्रिज का निर्माण			
मूल 20,00.00	}	42,76.90	..
पुनर्वि0 22,76.90			
04 जिला तथा अन्य सड़कें			
101 सेतु			
84 हरियाणा राज्य में सेतु तथा रेल ओवर ब्रिज का निर्माण			

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
99 राज्य योजना तहत पुल तथा रेल ओवर ब्रिज का निर्माण			
मूल 45,00.00	60,58.66	60,58.66	..
पुनर्वि0 15,58.66			

उपरोक्त दोनों मामलों में चालू निर्माण कार्यों के भौतिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन हुआ।

337 सड़क निर्माण कार्य			
99 जिला सड़कें			
99 राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ा करना तथा सुधारीकरण			
मूल 47,20.00	65,36.41	65,36.41	..
पूरक 7,00.00			
पुनर्वि0 11,16.41			

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800 अन्य व्यय			
94 औद्योगिक प्रशिक्षण के विकास के लिए की संरचना			
मूल 43,96.25	61,21.72	61,47.03	+25.31
मूल 5,23.49			
पुनर्वि0 12,01.98			

उपरोक्त दोनों मामलों में चालू निर्माण कार्यों के भौतिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

बाद वाले मामले में ₹25.31 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 8-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)	
789 अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना				
98 अनुसूचित जाति कक्ष हेतु प्रशिक्षण भवन				
मूल	9,00.00	11,56.83	11,42.60	(-)14.23
पुनर्वि०	2,56.83			

योजना के अन्तर्गत चालू निर्माण कार्यों के भौतिक लक्ष्य को पूरा करने लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

₹14.23 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए है (अगस्त 2015)।

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
60 अन्य भवन			
051 निर्माण			
99 लोक निर्माण कार्य			

मूल	14,99.00	23,45.31	23,54.81	+9.50
पुनर्वि०	8,46.31			

योजना के अन्तर्गत चालू निर्माण कार्यों के भौतिक लक्ष्य को पूरा करने लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

₹9.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए है (अगस्त 2015)।

98 न्याय प्रशासन			
------------------	--	--	--

मूल	37,50.00	41,85.55	41,65.21	(-)20.34
पुनर्वि०	4,35.55			

अनुदान संख्या 8-जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन चालू परियोजनाओं के भौतिक लक्ष्य को पूरा करने (₹5,73.38 लाख) के लिए हुआ जो वित्त विभाग द्वारा बजट के अनुसार कम आबंटन के फलस्वरूप व्यय के कारण बचत द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01 सरकारी रिहायशी भवन			
106 साधारण पूल आवास			
99 न्याय प्रशासन			
मूल	10,00.00	15,50.59	14,33.79
पुनर्वि०	5,50.59		
			(-)1,16.80

₹1,16.80 लाख की अंतिम बचत के दृष्टिगत चालू निर्माण कार्यों के भौतिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2015)।

4202 शिक्षा खेलकूद, कला
एवं संस्कृति पर पूंजीगत
परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

202 माध्यमिक शिक्षा

99 माध्यमिक पाठशाला
भवन

मूल	10,00.00	12,30.82	12,30.82	..
पुनर्वि०	2,30.82			

योजना के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के भौतिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

अनुदान संख्या 8-जारी

दोषपूर्ण बजट

8. वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला नीचे दर्शाया गया है:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01 सरकारी रिहायशी भवन			
106 सामान्य पूल आवास			
98 जिला प्रशासन			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि०	(-)61.82		
	9,38.18	9,88.79	+50.61

₹50.61 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत ₹61.82 लाख की राशि के अभ्यर्पण का दिया गया "माइनर वैरिएशन" विश्वसनीय नहीं है; जिसके कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

प्रभारित विनियोग

9. ₹61.25 लाख की समस्त बचत में से ₹43.90 लाख अनाभ्यर्पित रहे।

10. लोक निर्माण-कार्य विभाग, भवन तथा सड़कें शाखा-मुख्य शीर्ष-2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 3054-सड़कें तथा सेतु, 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय में निदेशन तथा प्रशासन/मशीनरी तथा उपकरण प्रभारों की समीक्षा:-

वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान निर्माण-कार्य परिव्यय पर निदेशन तथा प्रशासन/मशीनरी तथा उपकरण प्रभारों की प्रतिशतता की निम्न प्रकार से तुलना की गई है:-

अनुदान संख्या 8-जारी

वर्ष	निर्माण-कार्य परिव्यय	निदेशन तथा प्रशासन प्रभार	मशीनरी तथा उपकरण प्रभार	प्रतिशतता	
				निदेशन प्रशासन की निर्माण-कार्य परिव्यय पर	तथा मशीनरी उपकरण प्रभारों की निर्माण- कार्य परिव्यय पर
(₹लाख में)					
2012-13	20,53,37.43	4,27,74.05	15,46.82	20.83	0.75
2013-14	26,10,87.62	4,11,52.22	11,37.21	15.76	0.43
2014-15	19,39,66.24	3,65,90.15	7,94.52	18.86	0.41

11. उचन्त लेन-देन:- अनुदान के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत ₹1,92,12.94 लाख शामिल है।

शीर्ष 'उचन्त' अन्तिम लेखा शीर्ष नहीं है। इसमें अस्थाई लेन-देन शामिल किए जाते हैं, जिसके लिए लेन-देन को पूर्ण तथा अन्तिम रूप से लेखांकित किया हुआ समझने से पहले आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन, यदि अन्तिम लेखा शीर्ष में समायोजित नहीं किए गए हों, तो वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। शीर्ष 'उचन्त' के चार उपभाग हैं, अर्थात्

- (1) क्रय,
- (2) स्टॉक,
- (3) विविध लोक निर्माण-कार्य पेशगियां और,
- (4) वर्कशाप उचन्त

इन उप-भागों में से प्रत्येक के अन्तर्गत लेन-देनों का स्वरूप और लेखांकन नीचे स्पष्ट किया गया है:-

- (1) क्रय:- यह उपशीर्ष बकाया मदों के समायोजन को छोड़कर क्रियाशील नहीं है और शेषों के समस्त समायोजन तक निरन्तर अलग ही दर्शाया जाएगा। इस शीर्ष के अन्तर्गत जमा शेष भण्डारों के मूल्यों का द्योतक है जो प्राप्त तो हो गए हैं परन्तु जिनका भुगतान नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या 8-जारी

उचन्त लेन-देन:-

(2) स्टाक:- यह उपशीर्ष भण्डार सामग्रियों की अधिप्राप्ति और विनिर्माण संक्रियाओं से संबंधित सकल व्यय से प्रभारित किया जाता है। इसमें निर्माण-कार्य को जारी की गई अथवा बेची गई अथवा अन्य रूप से निपटाई गई सामग्रियों का मूल्य और उत्पादन का मूल्य जमा (क्रेडिट) किया जाता है और लेखाओं में शेष स्टाक में सामग्रियों के खाता मूल्य जमा विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभारों आदि, यदि कोई हो तो, का द्योतक है।

(3) विविध लोक निर्माण-कार्य पेशगियां:- यह उपशीर्ष अभिलिखित करता है:-

- (क) सामग्रियों का उधार विक्रय,
- (ख) जमा निर्माण-कार्यों पर अंशदान की प्राप्ति से पहले या प्राप्त अंशदान से अधिक किया गया व्यय।
- (ग) हानियां तथा कटौतियों, और
- (घ) अन्य मदें जिनका समायोजन प्रतीक्षित है।

इसलिए इस शीर्ष के अंतर्गत नामें शेष प्रायः वसूली योग्य राशि का द्योतक होगा।

(4) वर्कशाप उचन्त:- विभागीय वर्कशापों में अन्य संक्रियाओं के लिए निष्पादित कार्यों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन अनिर्णित होने पर इस उप शीर्ष को नामें (डेबिट) किए जाते हैं। इसलिए 'वर्कशाप उचन्त' के अन्तर्गत शेष लोक निर्माण-कार्य वर्कशापों में वर्ष के अन्त में चल रहे कार्यों पर व्यय का द्योतक है।

वर्ष 2014-15 के दौरान अनुदान में 'उचन्त' के अन्तर्गत आदि और अन्त शेषों सहित लेन-देनों के ब्यौरे निम्न प्रकार थे:-

उचन्त के उपशीर्ष	आदि शेष डेबिट + क्रेडिट (-)	डेबिट	क्रेडिट	अन्तः शेष डेबिट + क्रेडिट (-)
		(₹लाख में)		
क्रय	(-)21.18	(-)21.18
स्टाक	+32,54.00	39,07.61	(-)38,08.72	+33,52.89
विविध निर्माण-कार्य	+1,25,35.43	58,05.98	(-)21,30.48	+1,62,10.93
पेशगियां	1,49.91	..	(-)1,79.79	(-)3,29.70
जोड़	+1,56,18.34	97,13.59	(-)61,18.99	+1,92,12.94

12. केन्द्रीय सड़क निधि से परिदान (सबवेंशन):-

मोटर स्पिरिट पर उत्पाद तथा आयात शुल्कों के आगम से प्राप्त किया गया राजस्व भारत सरकार द्वारा गठित निधि, 'केन्द्रीय सड़क निधि' में जमा किया जाता है। इस निधि में से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय के लिए राज्यों और संघ क्षेत्रों को परिदान किए जाते हैं, परिदान के रूप में प्राप्त राशि को केन्द्रीय सरकार से अनुदान के रूप में क्रेडिट किया जाता है और उतनी ही राशि इस अनुदान (अनुदान संख्या '8-भवन तथा सड़कें') के अन्तर्गत किए गए प्रावधान के समक्ष जमा लेखा 'केन्द्रीय सड़क निधि से परिदान' को अन्तरित कर दी जाती है।

योजना पर वास्तविक व्यय प्रारम्भ में इस अनुदान के अन्तर्गत लेखांकित किया जाता है और तत्पश्चात् जमा लेखाओं को अन्तरित किया जाता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹7,373 लाख का प्रतिदान प्राप्त हुआ तथा वर्ष 2013-14 के अन्त तक ₹88,69.56 लाख का क्रेडिट शेष असमायोजित था। ₹1,62,42.56 लाख की कुल राशि के विरुद्ध वर्ष 2014-15 के दौरान जमा राशि के शेष में से ₹72,68.44 लाख राशि व्यय की गई, जिससे 31 मार्च 2015 को ₹89,74.12 लाख का जमा लेखे में जमा शेष था।

निधि के लेन-देनों का लेखा 2014-15 के वित्त लेखे की विवरण संख्या 21 में दिया गया है।

अनुदान संख्या 9

अनुदान संख्या 9-शिक्षा

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2202 सामान्य शिक्षा				
दत्तमत				
मूल	94,59,10,86	1,01,13,72,51	87,44,23,45	(-)13,69,49,06
पूरक	6,54,61,65			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				13,72,36,59

पूंजीगत:

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला एवं
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत

मूल	27,23,00	27,23,00	12,72,50	(-)14,50,50
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2015)

14,50,50

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व:

दत्तमत अनुदान

1. ₹13,69,49.06 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को ₹13,72,36.59 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 9-जारी

2. ₹13,69,49.06 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 तथा मार्च 2015 में ₹6,54,61.65 लाख का समस्त पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूँकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

3. बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2202 सामान्य शिक्षा			
01 प्रारम्भिक शिक्षा			
101 राजकीय प्राथमिक स्कूल			
95 सुविधाओं का विस्तार कक्षा छठी से आठवीं (पूर्णकालीन)			
मूल	3,19,70.00	} 3,76,25.65	} 3,76,25.65
पूरक	1,65,50.00		
पुनर्वि०	(-)1,08,94.35		
			..

मध्य शीर्षों के वेतन तथा मंहगाई भत्ते पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान का आवर्धन हुआ जो मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹59,18.73 लाख) तथा निदेशक, आपूर्ति तथा निपटान विभाग द्वारा सामान एवं आपूर्ति की खरीद (₹49,71.16 लाख) के लिए अनुबन्ध मूल्य को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

97 सुविधाओं का विस्तार कक्षाएं
पहली से पांचवी (पूर्णकालीन)

मूल	2,32,55.00	} 1,42,21.52	} 1,42,21.52
पुनर्वि०	(-)90,33.48		
			..

₹90,33.48 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹89,61.31 लाख) तथा राज्य स्तर पर स्कूल सुंदरता प्रतियोगिता के न होने तथा स्मृति चिन्ह न खरीदने (₹64.89 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
88 प्राथमिक शिक्षा की स्थापना कक्षा पहली से पाँचवी तक			
मूल	16,78,42.00		
पूरक	10,00.00	16,35,91.81	16,35,91.81
पुनर्वि०	(-52,50.19)		..

मृतक कर्मचारियों के परिवार को सहायतानुदान के भुगतान पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान का आवर्धन हुआ जो पदों के रिक्त रहने (₹42,60.47 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कम प्राप्ति (₹5,28.39 लाख), मजदूरों की नियुक्ति (₹4,51.42 लाख), सहायतानुदान (₹93.36 लाख), किराया दर तथा कर दावे (₹5.22 लाख), कार्यालय व्यय में मितव्ययता उपाय (₹25.19 लाख) तथा अमले द्वारा कम यात्राएँ (₹6.32 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ जो अवकाश यात्रा रियायत दावों (₹1,20.18 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसन्तुलित हुआ।

- 98 बाह्य शिक्षा कक्षा छठी
से आठवीं
- 99 सूचना प्रौद्योगिकी

मूल	4,00.00			
पुनर्वि०	(-4,00.00)

हरियाणा सरकार द्वारा 31.03.2014 के बाद 1269 स्कूलों में मुफ्त कम्प्यूटर शिक्षा देने के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।

- 112 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन
का राष्ट्रीय कार्यक्रम
- 99 प्राथमिक विद्यालय के बच्चों
हेतु मध्याह्न भोजन

मूल	2,49,50.00			
पूरक	59,76.00	2,28,29.03	2,28,29.02	(-)0.01
पुनर्वि०	(-80,96.97)			

अनुदान संख्या 9-जारी

रसोइयों को मानदेय का भुगतान करने पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो ऑनलाइन पूरक बजट अनुमानों के देशी से सूचना प्राप्त होने (₹80,29.09 लाख), पदों के रिक्त रहने (₹33.88 लाख) तथा अनुबन्धित कर्मचारियों की नियुक्ति न करने (₹25 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
111 सर्व शिक्षा अभियान			
98 सर्व शिक्षा अभियान			
मूल	5,50,00.00		
पूरक	1,18,90.00	5,91,09.47	5,91,09.47
पुनर्वि०	(-77,80.53)		..

योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिक निधियों की स्वीकृति के फलस्वरूप पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान का आवर्धन हुआ जो भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

789 अनुसूचित जातियों हेतु
विशेष घटक योजना

97 कक्षा पहली से आठवी तक
के सभी अनुसूचित जाति के
विद्यार्थियों को मासिक वजीफा

मूल	1,43,00.00		
पूरक	67,00.00	1,68,36.51	1,68,36.51
पुनर्वि०	(-41,63.49)		..

योजना के अन्तर्गत मासिक वजीफों के भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो लाभान्वितों की कम संख्या में उपलब्धता तथा ऑनलाइन पूरक अनुमानों के देशी से सूचना प्राप्त होने के फलस्वरूप खजाना द्वारा बिलों को पास न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
98 अनुसूचित जातियों के पहली से आठवीं के विद्यार्थियों को नकद इनाम			
मूल 85,00.00	72,59.73	72,59.73	..
पुनर्वि० (-)12,40.27			
₹12,40.27 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत कम लाभान्वितों की उपलब्धता के कारण हुई।			
99 अनुसूचित जाति के छात्रों को छठी कक्षा में मुफ्त साइकिलें उपलब्ध करवाना			
मूल 6,00.00	1,03.82	1,03.82	..
पुनर्वि० (-)4,96.18			
₹4,96.18 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा एटलस साइकिल लिमिटेड के भुगतान के बिलों को अस्वीकार करने के कारण हुई।			
109 छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन			
84 कक्षा पहली से आठवीं तक के बी.सी.ए. विद्यार्थियों को मासिक वजीफा			
मूल 63,00.00	63,85.81	63,85.81	..
पूरक 22,00.00			
पुनर्वि० (-)21,14.19			
पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक के बी.सी.ए. विद्यार्थियों को वजीफा देने पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो लाभान्वितों की कम संख्या में उपलब्धता तथा ऑनलाईन पूरक बजट अनुमानों के देरी से सूचना प्राप्त होने के फलस्वरूप खजाना द्वारा बिलों को पास न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।			

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
85 कक्षा पहली से आठवीं तक के गरीबी रेखा से नीचे के विद्यार्थियों को मासिक वजीफा			
मूल 25,00.00	11,90.94	11,90.94	..
पुनर्वि० (-)13,09.06			
89 छात्रवृत्तियाँ (मिडल)			
मूल 1,15.00	82.30	82.30	..
पुनर्वि० (-)32.70			
उपरोक्त दोनों मामलों में बचत योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वितों की कम उपलब्धता के कारण हुई।			
800 अन्य व्यय			
93 शिक्षा का अधिकार एक्ट			
मूल 1,00,00.00	82,96.25	82,96.25	..
पुनर्वि० (-)17,03.75			
₹17,03.75 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹12,02.97 लाख) तथा कुछ वस्तुओं की कम खरीद तथा योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों की कम उपलब्धता (₹4,81.84 लाख) के कारण हुई।			
053 भवनों का अनुरक्षण			
96 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का अनुरक्षण			
मूल 20,00.00	17,99.58	17,99.58	..
पुनर्वि० (-)2,00.42			

अनुदान संख्या 9-जारी

मुरम्मत कार्यों के कम होने के कारण बचत हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
001 निदेशन तथा प्रशासन			
97 प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त अमले की नियुक्ति			
99 सूचना प्रौद्योगिकी			
मूल	1,40.00	76.88	76.88
पुनर्वि०	(-)63.12		

₹63.12 लाख की बचत सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण/कुछ वस्तुओं की कम खरीद (₹52.12 लाख) तथा डाटा प्रविष्टि परिचालक की नियुक्ति न होने के फलस्वरूप व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के अन्तर्गत कम व्यय (₹11 लाख) के कारण हुई।

02 माध्यमिक शिक्षा

- 109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय
99 शिक्षण अमला अन्य स्थापना सहित
98 स्थापना व्यय

मूल	16,83,34.85	15,83,69.27	15,83,69.27	..
पुनर्वि०	(-)99,65.58			

₹99,65.58 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹83,47.25 लाख), दोहरे डेस्क की कम संख्या में प्राप्ति (₹9,16.52 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹6,52.10 लाख), सेवा निवृत्तों को अवकाश यात्रा रियायत के बदले में नकद भुगतान विश्वसनीय नहीं (₹86.82 लाख), मजदूरों की कम नियुक्ति (₹75.43 लाख), मानदेय के लिए योग्य कर्मचारियों की कम उपलब्धता (₹67.66 लाख), अमले द्वारा कम यात्राएँ (₹38.84 लाख) तथा कार्यालय व्यय के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने तथा कुछ वस्तुओं की कम खरीद (₹35.49 लाख) के कारण हुई जो अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के लिये गए कर्ज के पुनर्भुगतान (₹1,74.15 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की प्राप्ति (₹1,03.55 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
99 सूचना प्रौद्योगिकी			
मूल	12,00.00		
पुनर्वि०	(-6,00.80)		
	5,99.20	5,99.20	..

₹6,00.80 लाख की बचत हरियाणा सरकार द्वारा 31.03.2014 के बाद 1269 स्कूलों में मुफ्त कम्प्यूटर शिक्षा देने के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने कारण हुई।

86 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
(आर.एम.एस.ए.)

मूल	83,03.00		
पूरक	62,45.65		
पुनर्वि०	(-85,18.51)		
	60,30.14	60,30.14	..

भारत सरकार द्वारा अधिक निधियों की स्वीकृति के फलस्वरूप पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो भारत सरकार द्वारा कम केन्द्रीय हिस्सा जारी करने (₹80,03.07 लाख) तथा पदों के रिक्त रहने (₹4,88.44 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

81 राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क

मूल	54,60.00		
पुनर्वि०	(-41,97.46)		
	12,62.54	12,62.54	..

₹41,97.46 लाख की बचत स्कीम राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क से स्कीम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में निधियों के हस्तांतरण का कारण विश्वसनीय नहीं है प्रमाण के तौर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में प्रावधान का आवर्धन नहीं हुआ।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
85 शैक्षिक रूप से पिछड़े, खण्डों में आदर्श स्कूल खोलना			
मूल 52,40.00	22,90.78	22,90.78	..
पुनर्वि० (-)29,49.22			
बचत भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त न कम होने के कारण हुई।			
84 शैक्षिक पिछड़े, खण्डों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों हेतु लड़कियों के छात्रावास का निर्माण एवं संचालन			
मूल 17,80.00
पुनर्वि० (-)17,80.00			
भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सा जारी न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।			
89 माध्यमिक शिक्षा के लिए एजुसैट परियोजना			
मूल 3,00.00
पुनर्वि० (-)3,00.00			
एजुसैट परियोजना के अन्तर्गत माँग की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।			
82 विकलांगों हेतु माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को शामिल करना			
मूल 95.00	20.28	20.28	..
पुनर्वि० (-)74.72			

अनुदान संख्या 9-जारी

₹74.72 लाख की बचत मुख्यतः सभी सेवा निवृत्तों को अवकाश यात्रा रियायत की प्रतिपूर्ति के बदले नकद भुगतान को मंजूरी देना विश्वसनीय नहीं (₹81.40 लाख), पदों के रिक्त रहने (₹6.60 लाख) तथा अन्य व्यय के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं की खरीद (₹5 लाख) के कारण हुई जो अनुबन्धित अमले की नियुक्ति पर अधिक व्यय (₹20.28 लाख) द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
001 निदेशन तथा प्रशासन			
97 स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन			
मूल	86,17.00	2,43.87	2,43.87
पुनर्वि०	(-)83,73.13		

₹83,73.13 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सा जारी न करने के कारण हुई।

99 प्रशासकीय अमला
98 जिला शिक्षा अधिकारी स्थापना
(क्षेत्रीय अमला)

मूल	39,94.42	31,04.26	31,04.26
पुनर्वि०	(-)8,90.16		

बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹6,68.87 लाख), शिक्षक डायरी तथा मासिक पत्रिकाओं के छपाई मूल्य में कटौती (₹67.01 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹61.90 लाख), मितव्ययता उपायों को अपनाने के लिए कार्यालय व्यय में कुछ वस्तुओं की कम खरीद (₹37.11 लाख), सभी सेवा निवृत्तों को अवकाश यात्रा रियायत देने की योजना को लागू करना विश्वसनीय नहीं (₹26.37 लाख) तथा अनुबन्धित कर्मचारियों को नियमित करना (₹13.16 लाख) के कारण हुई जो कर्मचारियों से अवकाश यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति पर अधिक व्यय (₹20 लाख) द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
99 मुख्यालय स्थापना (मुख्यालय)			
मूल	27,76.27	21,97.97	21,97.98
पुनर्वि०	(-)5,78.30		

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹4,36.70 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹64.70 लाख), अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹25.18 लाख) तथा मानदेय के भुगतान हेतु योग्य कर्मचारियों के उपलब्ध न होने (₹25 लाख), अवकाश यात्रा रियायत के बदले नकद भुगतान करने की योजना को लागू करना विश्वसनीय नहीं (₹21.94 लाख) तथा नए वाहन को न खरीदने (₹11.39 लाख) के कारण हुई जो अनुबन्धित अमले की नियुक्ति पर अधिक व्यय (₹22.79 लाख) द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुई।

96 हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड की स्थापना			
मूल	5,36.23	2,35.92	2,35.92
पुनर्वि०	(-)3,00.31		

₹3,00.31 लाख की बचत योजना के बन्द होने के कारण हुई।

97 सूचना संचार प्रौद्योगिकी स्कूल			
मूल	4,00.00	1,65.55	1,65.55
पुनर्वि०	(-)2,34.45		

₹2,34.45 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर वस्तुओं की कम खरीद तथा व्यवसायिकों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

110 अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों का सहायता			
--	--	--	--

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
98 अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायतानुदान (वेतन अनुदान)			
मूल	72,00.00		
पूरक	26,00.00	71,76.20	71,76.20
पुनर्वि०	(-)26,23.80		..
98 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)			
मूल	30,00.00		
पुनर्वि०	(-)21,17.43	8,82.57	8,82.57
97 ब्लाक स्तर पर 6000 माडल स्कूलों की स्थापना तथा उत्कृष्टता के मानदण्ड स्थापित करने हेतु योजना			
मूल	10,60.00		
पुनर्वि०	(-)10,60.00

उपरोक्त दोनों मामलों में भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सा कम जारी करने के कारण बचत हुई।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
99 शैक्षिक सुधार अध्यापक प्रशिक्षण व प्रौढ़ शिक्षा हेतु सहायता			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि०	(-)10,00.00

योजना के अन्तर्गत संस्थानों से माँग प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

105 अध्यापक प्रशिक्षण			
92 जिला स्तर पर शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (डाइट्स)			
मूल	52,92.09		
पुनर्वि०	(-)11,01.73	41,90.36	41,90.37 + 0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹6,25.48 लाख), नए वाहनों की खरीद न करना (₹105 लाख), प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम आयोजन (₹1,04.13 लाख), रख-रखाव कार्य का कम निष्पादन (₹72.54 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹56.40 लाख), अनुबन्धित कर्मचारियों की कम नियुक्ति (₹32.57 लाख), दौरे कैम्पों का कम आयोजन (₹29.94 लाख), अमले को कम दौरों की स्वीकृति (₹28.40 लाख), कार्यालय व्यय के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं की कम खरीद (₹16.85 लाख) तथा मशीनरी तथा उपकरण वस्तुओं की कम खरीद (₹12.71 लाख) के कारण हुई।

91 जिला स्तर पर शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना			
मूल	6,62.96		
पुनर्वि०	(-)2,65.50	3,97.46	3,97.46 ..

अनुदान संख्या 9-जारी

₹2,65.50 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹2,04.20 लाख), प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन न करने (₹18 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹15.72 लाख), अनुग्रहपूर्वक दावों की प्राप्ति न होने (₹8 लाख), अमले को कम दौरों की स्वीकृति (₹5.08 लाख) तथा अन्य व्यय के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं की कम खरीद (₹4.28 लाख) के कारण हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
97 अध्यापकों (माध्यमिक) को सेवा के दौरान प्रशिक्षण			
मूल 2,60.00	93.11	93.11	..
पुनर्वि० (-)1,66.89			

प्रशिक्षण कैम्पों के कम आयोजन के कारण बचत हुई।

98 जूनियर बेसिक प्रशिक्षण संस्थाएं			
मूल 2,92.30	1,87.12	1,87.12	..
पुनर्वि० (-)1,05.18			

₹1,05.18 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹82.98 लाख), अवकाश यात्रा रियायत की प्रतिपूर्ति के स्थान पर नकद भुगतान को मंजूरी देने की योजना को लागू करना विश्वसनीय नहीं (₹9.86 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹9.49 लाख) के कारण हुई।

90 गुडगांव में एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा का सुदृढीकरण			
मूल 56.52	33.80	33.81	+0.01
पुनर्वि० (-)22.72			

बचत मुख्यतः प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम आयोजन (₹22.48 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
107 छात्रवृत्तियाँ			
87 कक्षा नौवीं से बारहवीं के गरीबी रेखा से नीचे के विद्यार्थियों के लिए मासिक वजीफें			
मूल	15,00.00		
पुनर्वि०	(-)6,36.29	8,63.71	8,63.71
			..
₹6,36.29 लाख की बचत मुख्यतः योजना के अन्तर्गत कम योग्य विद्यार्थियों की उपलब्धता के कारण हुई।			
83 बैंक पुस्तिका/पुस्तकालय			
मूल	3,50.00		
पुनर्वि०	(-)77.45	2,72.55	2,72.55
			..
₹77.45 लाख की बचत मुख्यतः पुस्तकालय के लिए पुस्तकों को न खरीदने के कारण हुई।			
99 छात्रवृत्तियाँ (माध्यमिक स्कूल)			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि०	(-)32.18	2,67.82	2,67.82
			..
₹32.18 लाख की बचत मुख्यतः योजना के अन्तर्गत कम योग्य विद्यार्थियों की उपलब्धता के कारण हुई।			
053 भवनों का अनुसूक्षण			
98 उच्च/माध्यमिक विद्यालय भवनों का निर्माण तथा विस्तार			
मूल	7,00.00		
पुनर्वि०	(-)72.81	6,27.19	6,27.19
			..

अनुदान संख्या 9-जारी

₹72.81 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत लघु निर्माण कार्य का निष्पादन न होने के कारण हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103 राजकीय कालेज तथा संस्थान			
97 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.)			
मूल	56,50.00	4,00.00	4,00.00
पुनर्वि०	(-)52,50.00		

₹5,250 लाख की बचत केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सा जारी न करने के कारण हुई।

99 संस्थान			
मूल	2,72,29.00	2,37,73.62	2,37,73.62
पुनर्वि०	(-)34,55.38		

₹34,55.38 लाख की बचत पदों के रिक्त रहने (₹33,63.49 लाख), अनुग्रहपूर्वक के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए माँग की कम प्राप्ति (₹59.77 लाख), अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति (₹20.49 लाख), अनुबन्धित कर्मचारियों की कम नियुक्ति (₹8.61 लाख) के कारण हुई।

96 जींद में हरियाणा शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान तथा शोध केन्द्र स्थापित करना

मूल	10,00.00
पुनर्वि०	(-)10,00.00

अनुदान संख्या 9-जारी

संस्थान का चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद में विलय के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
102 विश्वविद्यालयों को सहायता			
87 चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद की स्थापना			
मूल	..		
पूरक	50,00.00	20,00.00	20,00.00
पुनर्वि०	(-30,00.00)		..

88 चौधरी बंसी लाल खेल तथा शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय भिवानी की स्थापना

मूल	..		
पूरक	50,00.00	20,00.00	20,00.00
पुनर्वि०	(-30,00.00)		..

उपरोक्त दोनों मामलों में वेतन तथा निर्माण कार्य पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो योजना विभाग द्वारा कटौती लगाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

104 अराजकीय कालेजों तथा संस्थानों को सहायता

99 अराजकीय महाविद्यालयों को सहायतानुदान

मूल	2,90,00.00		
पुनर्वि०	(-20,52.28)	2,69,47.72	2,69,47.72

₹20,52.28 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा कटौती लगाने के कारण हुई।

001 निदेशन तथा प्रशासन

99 प्रशासन अमला

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
98 राजकीय महाविद्यालय प्रशासनिक अमला स्थापना (क्षेत्रीय अमला)			
मूल	52,12.67		
पुनर्वि०	(-)7,56.69	44,55.98	44,55.98
			..

₹7,56.69 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹8,60.04 लाख) तथा लेखन सामग्री के लिए कुछ वस्तुओं की कम खरीद (₹35.87 लाख) के कारण हुई जो अनुबंधित कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति (₹1,36.46 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक के अन्तर्गत अधिक वित्तीय सहायता (₹3.82 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

- 105 संकाय विकास कार्यक्रम
89 हरियाणा राज्य में शिक्षा शहर/एजुसेट
की स्थापना

मूल	1,00.00			
पुनर्वि०	(-)1,00.00

अन्य सूचना प्रौद्योगिकी योजना में निधियों के हस्तांतरण के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।

- 107 छात्रवृत्तियाँ
99 कला महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति

मूल	65.00			
पुनर्वि०	(-)22.26	42.74	42.74	..

₹22.26 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति तथा वजीफे के लिए अनुदान के दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
04 प्रौढ़ शिक्षा			
200 अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
97 साक्षर भारत योजना			
मूल 9,46.42	3,14.94	3,14.94	..
पुनर्वि० (-)6,31.48			

₹6,31.48 लाख की बचत विभाग से प्रस्ताव पारित न होने के कारण हुई।

98 अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
मूल 1,10.00	64.40	64.40	..
पुनर्वि० (-)45.60			

₹45.60 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹39.74 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति (₹3.61 लाख) के कारण हुई।

4. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2202 सामान्य शिक्षा			
03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103 राजकीय कालेज तथा संस्थान			
98 राजकीय महाविद्यालय			
मूल 58,92.25	72,00.36	72,00.37	+0.01
पुनर्वि० 13,08.11			

अनुदान संख्या 9-जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन रिक्त पदों के भरने (₹7,72.92 लाख), जे.ओ.सी. के लिए महाविद्यालयों से अनुबंधित सेवाओं के लिए अतिरिक्त माँग की प्राप्ति (₹5,72.79 लाख), अवकाश यात्रा खर्चा की प्राप्ति (₹53.07 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे (₹10.98 लाख) तथा अधिक मजूदरों की नियुक्ति (₹9.42 लाख) पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए हुआ जो सामग्री तथा आपूर्ति वस्तुओं की कम खरीद (₹96.10 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की प्राप्ति न होना (₹10 लाख) के कारण हुई बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
104 अराजकीय कालेजों तथा संस्थानों को सहायता			
98 अराजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में पेंशन लागू करना			
मूल	76,00.00	87,30.28	87,30.28
पुनर्वि०	11,30.28		

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन योजना के अन्तर्गत नए पेंशनर्स तथा बढ़े हुए महगाई भत्ते पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए हुआ।

789 अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना			
94 राजकीय महाविद्यालयों के सभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वजीफा			
मूल	40,00.00	44,21.02	44,21.02
पुनर्वि०	4,21.02		

योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के लिए लाभाच्चिवतों को वजीफे के भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन हुआ।

अनुदान संख्या 9-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
01 प्रारम्भिक शिक्षा			
102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
92 अराजकीय प्राथमिक सरकारी स्कूलों को सहायतानुदान देने बारे (वेतन अनुदान)			
मूल	14,20.00	18,86.76	18,86.76
पुनर्वि०	4,66.76		
			..

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अस्वीकृत पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को बकाया वेतन के भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

109 छात्रवृत्तियाँ तथा प्रोत्साहन			
88 माध्यमिक स्कूल पुस्तक बैंक			
मूल	12,00.00	16,38.05	16,38.05
पुनर्वि०	4,38.05		
			..

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन वर्ष 2012-13 के लिए छापाखाना पंचकूला के बकाया भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए हुआ।

दोषपूर्ण बजट

5. वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन का एक मामला नीचे दर्शाया जाता है:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2202 सामान्य शिक्षा			
01 प्रारम्भिक शिक्षा			
101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
98 माध्यमिक शिक्षा कक्षाएं छठी से आठवीं			

अनुदान संख्या 9-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
98 स्थापना व्यय			
मूल	21,18,73.00	19,29,56.21	19,32,43.75
पुनर्वि०	(-)1,89,16.79		

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती पदों के रिक्त रहने (₹1,91,28.70 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹2,73.30 लाख) तथा मजूदरों की कम नियुक्ति (₹1,33.75 लाख), योजना के लागू होने के कारण सेवानिवृत्तों को अवकाश यात्रा रियायत सुविधा पर कम भुगतान विश्वसनीय नहीं (₹66.68 लाख), कार्यालय व्यय में मितव्ययता उपायों (₹20.11 लाख) तथा अमले को कम दौरों की अनुमति (₹5.07 लाख) के कारण हुई जो अनुग्रहपूर्वक के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों से अतिरिक्त माँग को पूरा करने के लिए (₹7,13.82 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई तथापि ₹2,87.54 लाख अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

पूँजीगत:

6. बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01 सामान्य शिक्षा			
202 माध्यमिक शिक्षा			
98 वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालयों/हैण्डपम्पों का निर्माण (नाबार्ड)			
मूल	27,23.00	12,72.50	12,72.50
पुनर्वि०	(-)14,50.50		

₹14,50.50 लाख की बचत राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 10

अनुदान संख्या 10-तकनीकी शिक्षा

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत(-)
राजस्व:			
मुख्य शीर्ष			
2203 तकनीकी शिक्षा			
दत्तमत			
मूल	4,91,20,00	4,91,20,02	3,54,12,06
पूरक	2		
			(-)1,37,07,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)			1,30,30,48

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-
दत्तमत

1. ₹1,37,07.96 लाख की समस्त बचत में से ₹6,77.48 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
2. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत (-)
2203 तकनीकी शिक्षा			
105 बहुशिल्प (पॉलिटेक्नीक) विद्यालय			
89 राज्य में नए राजकीय बहुतकनीकियों की स्थापना			
मूल	80,00.00	7,00.00	7,00.00
पुनर्वि०	(-)73,00.00		
			..

₹7,300 लाख की बचत परियोजना को अन्तिम रूप न दिए जाने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कम सहायता अनुदान जारी करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 10-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
58 तकनीकी शिक्षा IV कार्यक्रम			
मूल	40,00.00	6,00.00	6,00.00
पुनर्वि०	(-)34,00.00		

₹3,400 लाख की बचत भारत सरकार/विश्व बैंक द्वारा निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

59 राजकीय बहुतकनीकियों का विकास
98 स्थापना व्यय

मूल	1,36,75.00	1,14,77.86	1,14,98.09	+ 20.23
पुनर्वि०	(-)21,97.14			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹21,09.25 लाख), टेकेदार/कम श्रामिकों को लगाने से मजदुरी के दावों की प्राप्ति न होने (₹81.48 लाख), अनुबन्धित अमले की कम नियुक्ति (₹49.86 लाख), सगणक व्यवसायिकों (₹29.80 लाख), मशीनरी एवं उपकरण तथा सामान एवं आपूर्ति (₹36.86 लाख) तथा पेट्रोल/डीजल की दरों में कमी (₹15.90 लाख) के कारण हुई थी जो बढ़े हुए/बकाया महगाई भत्ते (₹1,56.91 लाख), अधिक चिकित्सा आपूर्ति दावों की प्राप्ति (₹22.75 लाख) तथा अमले को सुनिश्चित प्रोन्नति योजना देने (₹22 लाख) से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुई।

₹20.23 लाख का अन्तिम आधिक्य अमले को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति के अनुदान के बदले भुगतान के कारण हुआ।

82 वर्तमान बहुतकनीकियों का
आधुनिकीकरण

मूल	7,00.00	5,10.00	5,10.00	..
पुनर्वि०	(-)1,90.00			

अनुदान संख्या 10-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत(-)
55 बहुतकनिकियों द्वारा सामुदायिक विकास			
मूल	2,00.00	66.00	66.00
पुनर्वि०	(-)1,34.00		
उपरोक्त दोनों मामलों में बचत भारत सरकार द्वारा कम अनुदान जारी किए जाने के कारण हुई।			
112 इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान			
92 राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान पंचकुला			
मूल	20,00.00	10.00	10.00
पुनर्वि०	(-)19,90.00		
₹1,990 लाख की बचत निर्माण कार्य कार्यान्वयन हेतु एंजेसी को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।			
94 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रिवाड़ी की स्थापना			
मूल	2,50.00	62.50	62.50
पुनर्वि०	(-)1,87.50		
95 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज झज्जर की स्थापना			
मूल	2,50.00	62.50	62.50
पुनर्वि०	(-)1,87.50		

उपरोक्त दोनों मामलों में बचत कक्षाएँ आरम्भ न होने के कारण हुई क्योंकि कालेज निर्माणाधीन था।

अनुदान संख्या 10-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
789 अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना			
96 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को फीस की प्रतिपूर्ति			
मूल	11,00.00	19.17	19.17
पुनर्वि०	(-)10,80.83		

बचत संस्थानों के पास पहले का जमा समायोजन करने तथा विद्यार्थियों से दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

97 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति

मूल	2,00.00	27.87	27.87
पुनर्वि०	(-)1,72.13		

₹1,72.13 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत आपूर्ति आदेशों का परिपक्व न होने के कारण हुई।

001 निदेशन एवं प्रशासन

93 तकनीकी शिक्षा निदेशालय (मुख्यालय अमला)

मूल	5,08.00	4,40.50	4,40.49	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)67.50			

₹67.50 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹23.69 लाख), कुछ वस्तुओं के खरीद आदेशों का परिपक्व न होने (₹23.04 लाख), सेवा निवृत्तों को अवकाश यात्रा रियायत सुविधा प्रदान करने (₹8.93 लाख) तथा अमले/सेवा निवृत्तों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹6.15 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 10-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
97 निदेशालय तकनीकी शिक्षा हरियाणा का सुदृढीकरण			
98 स्थापना व्यय			
मूल	2,00.00	1,71.33	1,71.33
पुनर्वि०	(-)28.67		

₹28.67 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹24.63 लाख) तथा कुछ वस्तुओं एवं मोटरवाहन के खरीद आदेशों का परिपक्व न होने (₹13.29 लाख) के कारण हुई थी जो बाह्य साधनों अमले की नियुक्ति पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

107 छात्रवृत्तियाँ			
98 मैरिट कम मीन्ज छात्रवृत्तियाँ			
मूल	1,50.00	1,24.71	1,25.01
पुनर्वि०	(-)25.29		

बचत विद्यार्थियों से छात्रवृत्तियाँ तथा वजीफों के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

3. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2203 तकनीकी शिक्षा			
102 तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता			
98 दीन बन्धु छोट्टु राम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मुख्यल (सोनीपत)			
मूल	32,50.00	47,50.00	47,50.00
पुनर्वि०	15,00.00		

अनुदान संख्या 10-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत(-)
99 गुरु जम्वेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय हिसार			
मूल	35,00.00	45,00.00	45,00.00
पुनर्वि०	10,00.00		
			..

उपरोक्त दोनों मामलों में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान चलित निर्माण के पूर्ण होने पर अमले को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति प्रदान करने तथा महगाई भत्ते तथा अन्य वस्तुओं की दरों में बढ़ोत्तरी से आवर्धित हुआ।

97 वाई.एम.सी.ए. विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद

मूल	28,00.00	31,80.00	31,80.00
पुनर्वि०	3,80.00		
			..

कालेज को विश्वविद्यालय के स्तर तक उन्नयन हेतु अतिरिक्त संसाधन सृजन करने पर (रु300 लाख) तथा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति तथा बढ़े हुए महगाई भत्ते को प्रदान करने (रु80 लाख) से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

105 बहुतकनीकी
54 एकीकृत कौशल विकास योजना (आई.एस.डी.एस.)

मूल	..	9,31.01	2,33.00	(-)6,98.01
पूरक	0.01			
पुनर्वि०	9,31.00			

भारत सरकार द्वारा नई चलित योजना पर व्यय पूरा करने के लिए टोकन पूरक अनुदान तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान हुआ।

रु6,98.01 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 10-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	अधिकता +
104 अराजकीय तकनीकी कालेज तथा संस्थानों को सहायता			
96 बी.पी.एस. महिला बहुतकनीकी खानपुरकलाँ			
मूल	2,00.00	2,20.00	2,20.00
पुनर्वि०	20.00		
			..

अमले को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति, उन्नति तथा बढे हुए महगाई भत्ता पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

अनुदान संख्या 11

अनुदान संख्या 11-खेल कूद तथा युवा कल्याण

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत(-)
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं				
दत्तमत				
मूल	1,83,27,97	2,31,67,49	1,72,85,42	(-)58,82,07
पूरक	48,39,52			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				56,26,45

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

1. ₹58,82.07 लाख की समस्त बचत में से ₹2,55.62 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
2. ₹58,82.07 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 तथा मार्च 2015 में ₹48,39.52 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत (-)
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
104 खेल-कूद			
48 पंचायती युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.)			
मूल	7,80.00	2,91.41	2,91.41
पूरक	23,60.00		
पुनर्वि०	(-)28,48.59		
			..

अनुदान संख्या 11-जारी

राज्य में 38 आन्तरिक स्टेडियमों का निर्माण पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण (₹3,040 लाख) पुनर्विनियोजन द्वारा कम किया गया तथा जो मण्डल जिला तथा राष्ट्रीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का संचालन (₹1,91.47 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
57 मूलभूत योजना			
मूल	35,00.00		
पूरक	7,75.00	35,75.53	35,75.53
पुनर्वि०	(-)6,99.47		..

भीम स्टेडियम भिवानी, हिसार तथा दरियापुर (फतेहाबाद) में सिथैटिक ट्रैक के भुगतान पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो मुख्यतः भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न किये जाने (₹475 लाख) तथा कार्यालय व्ययों तथा जिला एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से सहायता अनुदान (₹2,06.52 लाख) कम मांग की प्राप्ति से पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

56 मानव संसाधन विकास योजना			
मूल	18,00.00		
पुनर्वि०	(-)6,72.72	11,27.28	11,27.28
			..

बचत कम मौसमी क्रिया-कलापों का संचालन करने (₹6,26.20 लाख), पदों के रिक्त रहने (₹41.52 लाख) तथा कुछ मिश्रित वस्तुओं की कम खरीद (₹5 लाख) के कारण हुई।

47 खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना (आबकारी तथा कराधान)			
मूल	30,00.00		
पुनर्वि०	(-)1,11.09	28,88.91	28,88.91
			..

बचत योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 11-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
97 खेलकूद परिषद सहायतानुदान			
मूल 50.00	1.90	1.90	..
पुनर्वि० (-)48.10			
बचत संघ से कम सहायतानुदान मांग की प्राप्ति के कारण हुई।			
55 खेलों का व्यापक प्रचार			
मूल 1,00.00	68.08	68.08	..
पुनर्वि० (-)31.92			
बचत कुछ वस्तुओं की कम खरीद के कारण हुई।			
53 सूचनातंत्र योजना का आधुनिकीकरण			
मूल 1,00.00	70.34	70.34	..
पुनर्वि० (-)29.66			
बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹20.57 लाख) तथा अन्य प्रभारों के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं की कम खरीद (₹7.83 लाख) के कारण हुई।			
91 नेहरू युवा केन्द्र योजना			
मूल 1,03.80	76.19	76.19	..
पुनर्वि० (-)27.61			
बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹21.08 लाख) तथा कार्यालय व्ययों एवं कम युवा क्रिया-कलापों को संचालित करने (₹5.20 लाख) के कारण हुई।			

अनुदान संख्या 11-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
102 विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
94 क्षेत्रीय अमला			
मूल	..		
पूरक	6,00.00	1,31.34	1,31.34
पुनर्वि०	(-)4,68.66		..

बचत मुख्यतः मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में लम्बित होने से वेतन तथा महगांई भत्ते की कम बकाया भुगतान होने के कारण हुई।

93 डी.एच.ई. हरियाणा में
एन.एस.एस. सैल का खोलना

मूल	2,00.00	32.11	(-)1,67.89
-----	---------	-------	------------

₹1,67.89 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (अगस्त 2015)।

96 भारत सरकार तथा हरियाणा राज्य द्वारा 7:5 के अनुपात में एन.सी.सी. योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को सहायतानुदान

मूल	3,00.00	2,00.00	1,72.40	(-)27.60
पुनर्वि०	(-)1,00.00			

अभ्यर्पण सेशन हेतु डब्लू.डी.जी.एच.ई. के नाम से खाता खोलने से खर्च न किए जाने वाली सहायता से संस्थाओं को सहायतानुदान प्रदान करने से हुआ।

₹27.60 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (अगस्त 2015)।

98 वार्षिक कैडेट कैम्पों पर खर्च

मूल	1,25.00	88.32	88.33	+0.01
पुनर्वि०	(-)36.68			

बचत कैम्पों के कम लगाने (₹22.52 लाख), रिक्त पद रहने (₹7.75 लाख) तथा अमले द्वारा कम यात्राएं किये जाने (₹6.41 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 11-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
90 नए एन.सी.सी.ग्रुप मुख्यालय नए एन.सी.सी.बटालियन			
97 नूँह (मेवात) में लड़कियों के लिए नई बटालियन एन.सी.सी.यूनिट का खोलना			
मूल	34.98
पुनर्वि०	(-)34.98
योजना के अन्तर्गत बटालियन न खोलने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।			
98 हिसार में एन.सी.सी.की नई मिश्रित बटालियन खोलना			
मूल	..	33.90	(-)33.90
99 सिरसा में एन.सी.सी.की नई मिश्रित बटालियन खोलना			
मूल	..	33.62	(-)33.62
पहले मामले में ₹33.90 लाख तथा बाद वाले मामले में ₹33.62 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2015)।			
789 अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना			
99 अनुसूचित जातियों हेतु मूलभूत योजना			
मूल	10,00.00	11,25.05	..
पूरक	4,94.00	11,25.05	..
पुनर्वि०	(-)3,68.95

राज्य में 38 आन्तरिक स्टेडियम के निर्माण पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो क्षेत्रीय कार्यालयों से आवेदनों/माँग की कम प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम किया गया।

अनुदान संख्या 11-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
001 निदेशन तथा प्रशासन			
98 खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना			
मूल	12,26.00	9,20.64	9,20.58
पुनर्वि०	(-)3,05.36		

बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹3,02.02 लाख) के कारण हुई।

91 नई प्रशिक्षण योजना

मूल	12,01.30	10,64.17	10,70.78	+ 6.61
पुनर्वि०	(-)1,37.13			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹1,27.11 लाख), अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹8.91 लाख) तथा मितव्ययता उपायों को अपनाने तथा कुछ वस्तुओं की कम खरीद (₹4.81 लाख) के कारण हुई जो अवकाश यात्रा रियायत दावों के भुगतान (₹10.13 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

₹6.61 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2015)।

4. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
104 खेलकूद तथा गेम			
86 खेलकूद उपकरण			
मूल	2,00.00	6,78.65	6,78.65
पूरक	1,33.52		
पुनर्वि०	3,45.13		

राज्य में नए नियुक्त 238 कनिष्ठ प्रशिक्षकों हेतु खेलकूद उपकरणों की खरीद पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

अनुदान संख्या 12

अनुदान संख्या 12-कला एवं संस्कृति

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	बचत(-)
राजस्व:			
मुख्य शीर्ष			
2205 कला एवं संस्कृति			
दत्तमत			
मूल	12,74,89		
पूरक	..		
	12,74,89	9,68,15	(-)3,06,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)			2,75,01

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

1. ₹3,06.74 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹31.73 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
2. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
2205 कला तथा संस्कृति			
103 पुरातत्व विज्ञान			
93 मण्डलीय संग्रहालयों की स्थापना			
मूल	1,58.00		
पुनर्वि०	(-)1,19.35		
	38.65	38.65	..

₹1,19.35 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹49.28 लाख), अनुबन्धित अमले की कम नियुक्ति (₹32.49 लाख), मजदूरों की कम नियुक्ति (₹9.67 लाख) तथा सामाग्री एवं आपूर्ति की कम खरीद (₹10 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 12-जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
99	निदेशन प्रशासन			
	मूल	2,14.05		
	पुनर्वि०	(-)1,02.53	1,11.52	1,11.51
				(-)0.01

₹1,02.53 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹67.24 लाख), किराया, दर तथा करों के दावों की कम प्राप्ति (₹12.85 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹5.45 लाख) के कारण हुई।

94 राज्य पुरातत्व संग्रहालयों
की स्थापना

मूल	30.00	}
पुनर्वि०	(-)30.00				

पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण मुख्यतः ऑब्जेक्ट शीर्ष '51'-भूमि क्षतिपूर्ति में निधियों को हस्तांतरित करने के कारण हुआ।

97 प्रकाशन तथा प्रचार कार्यक्रम

99 सूचना प्रौद्योगिकी

मूल	20.00	}	3.89	3.89	..
पुनर्वि०	(-)16.11				

₹16.11 लाख की बचत प्रकाशन कार्यों के कम कार्यान्वित होने (₹9.91 लाख) तथा नए कम्प्यूटर तथा इसके पुर्जों की कम खरीद (₹6.20 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 12-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत(-)
95 प्राचीन पुरातात्विक कला-कृतियों की प्रतिमूर्तियों का निर्माण			
मूल 17.00	3.77	3.78	+ 0.01
पुनर्वि० (-)13.23			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः कार्यालय व्यय के अन्तर्गत कम वस्तुओं की खरीद (₹5.85 लाख) तथा पदों के रिक्त रहने (₹4.54 लाख) के कारण हुई।

- 105 सार्वजनिक पुस्तकालय
99 जिला/उपमण्डल पुस्तकालयों की स्थापना

मूल 4,00.00	3,13.90	3,13.90	..
पुनर्वि० (-)86.10			

₹86.10 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹76.64 लाख) तथा कार्यालय व्यय के अन्तर्गत कम खरीद/माँग (₹6.25 लाख) के कारण हुई जो सामग्री तथा आपूर्ति (₹10.95 लाख) तथा जिला/उपमण्डल पुस्तकालयों से अनुबन्धित सेवाओं की अधिक प्राप्ति (₹10.36 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

- 90 राजा राम मोहन राय फाउंडेशन
कलकत्ता को सहायतानुदान

मूल 30.00	..	(-)30.00
-----------	----	----------

समस्त प्रावधान के अनुपयोजित रहने के कारण सूचित नहीं किए गए है (अगस्त 2015)।

- 102 कला तथा संस्कृति की संवर्धन
99 हरियाणा में राज्य अभिलेखाकार व क्षेत्रीय संग्रहालयों की स्थापना तथा अभिलेखागार का विकास

मूल 1,97.53	1,55.57	1,53.83	(-)1.74
पुनर्वि० (-)41.96			

अनुदान संख्या 12-जारी

₹41.96 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹33.11 लाख) तथा छुट्टी यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति (₹4.44 लाख) के कारण हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
97 अभिलेखागार का प्रचार कार्यक्रम			
मूल	13.00		
पुनर्वि०	(-)10.01	2.99	2.99
			..

₹10.01 लाख की बचत मुख्यतः वाहन के न खरीदने (₹6 लाख) तथा पदों के रिक्त रहने (₹3 लाख) के कारण हुई।

3. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2205 कला एवं संस्कृति			
103 पुरातत्व विज्ञान			
98 पुरातात्विक उत्खनन एवं अन्वेषण कार्यक्रम			
मूल	50.00		
पुनर्वि०	1,17.52	1,67.52	1,67.53
			+ 0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन करनाल में भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप भूमि की क्षतिपूर्ति (₹1,32.48 लाख) पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए हुआ जो कार्यालय व्यय के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों (₹4.53 लाख), वाहनों की कम मरम्मत (₹3.79 लाख) तथा पेट्रोल, द्रव्य तथा स्नेहद्रव्य पर कम व्यय (₹3.30 लाख) पर हुई बचत के कारण आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ।

अनुदान संख्या 12-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
96 प्राचीन ऐतिहासिक, भवनों तथा इमारतों का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास			
मूल	1,25.00	1,52.46	1,52.46
पुनर्वि०	27.46		

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन बुद्ध स्तूप, कुरुक्षेत्र तथा भीमा देवी मंदिर, पिंजौर के रख-रखाव/मुरम्मत/निर्माण कार्यों (₹64.64 लाख) पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए हुआ जो अनुबंधित सेवाओं, अन्य प्रभार तथा कार्यालय व्यय के अन्तर्गत ऑब्जेक्ट शीर्ष-‘51’-भूमि क्षतिपूर्ति में निधियों के हस्तांतरण (₹21.06 लाख) तथा पदों के रिक्त रहने (₹11.78 लाख) से हुई बचत के कारण प्रतिसंतुलित हुआ।

अनुदान संख्या 13

अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2210	चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य			
2211	परिवार कल्याण			
दत्तमत				
मूल	26,99,86,71	27,49,86,73	21,73,68,66	(-)5,76,18,07
पूरक	50,00,02			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				5,79,50,18
प्रभारित				
मूल	25,10	25,10	16,79	(-)8,31
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				8,31
पूंजीगत:				
मुख्य शीर्ष				
4210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
दत्तमत अनुदान				
मूल	75,00,00	1,15,00,00	36,25,00	(-)78,75,00
पूरक	40,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

अनुदान संख्या 13-जारी

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

राजस्व

1. ₹5,76,18.07 लाख की समस्त बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को ₹5,79,50.18 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
2. ₹5,76,18.07 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 एवं मार्च 2015 में ₹50,00.02 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसा कि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा।
3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
84 एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत सहायतानुदान राज्य अंश			
मूल 3,90,00.00	3,14,83.20	3,14,83.20	..
पुनर्वि0 (-)75,16.80			

₹75,16.80 लाख की बचत सहायतानुदान हेतु स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण हुई।

91 पी.एच.सी. जारी रखना

मूल 1,63,10.00	1,37,36.98	1,37,35.73	(-)1.25
पुनर्वि0 (-)25,73.02			

₹25,73.02 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹24,80.48 लाख), अवकाश यात्रा रियायत हेतु स्वीकृति की कम प्राप्ति (₹57.53 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹38.61 लाख), बिजली बिल इत्यादि (₹19.15 लाख), कुछ वस्तुओं की सामाग्री एवं आपूर्ति के अन्तर्गत खरीद न करने (₹13.39 लाख) तथा वाहनों को सड़क पर न चलने (₹12.87 लाख) के

अनुदान संख्या 13-जारी

कारण हुई जो अवकाश यात्रा रियायत के लम्बित बिलों के निपटान (₹62.48 लाख) होने से अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
98 पी.एच.सी./सी.एच.सी. हेतु दवाईयों तथा सामग्री की खरीद			
मूल 5,00.00	} 2,52.15	} 2,70.32	} + 18.17
पुनर्वि० (-)2,47.85			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती योजना के अन्तर्गत दवाइयाँ एवं सामग्री की कम खरीद होने के कारण हुई।

₹18.17 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

110 अस्पताल एवं औषधालय

99 ग्रामीण अस्पताल
तथा औषधालय

मूल 67,05.50	} 51,81.86	} 52,39.18	} + 57.32
पुनर्वि० (-)15,23.64			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹15,09.15 लाख) तथा अनुबंधित अमले की नियुक्ति न करने (₹45 लाख) के कारण हुई जो अनुग्रहपूर्वक के अंतर्गत वित्तीय सहायता (₹13.58 लाख), अवकाश यात्रा रियायत के लम्बित बिलों के निपटान (₹12.08 लाख) तथा कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान (₹11.63 लाख) से अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ।

₹57.32 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
98 संदर्भित अस्पताल (एम.एन.पी.)			
मूल 17,00.00	12,29.57	12,29.57	..
पुनर्वि० (-)4,70.43			

₹4,70.43 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹2,48.29 लाख), वर्ष के एकदम अन्त में अन्य प्रभार बिलों का निपटान न होने (₹1,87.99 लाख), बिजली बिलों इत्यादि की कम प्राप्ति (₹20.84 लाख), सामग्री एवं आपूर्ति के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं की कम खरीद (₹8.88 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत हेतु कम स्वीकृति (₹6.29 लाख) से हुई जो क्षेत्रीय क्षेत्रों से अनुग्रहपूर्वक दावों की प्राप्ति पर अधिक व्यय (₹3.55 लाख) द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
99 सी.एच.सी.ग्रामीण संदर्भित अस्पताल का जारी करना			
मूल 54,67.00	43,34.55	43,32.61	(-)1.94
पुनर्वि० (-)11,32.45			

₹11,32.45 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹10,36.61 लाख), बिजली बिलों इत्यादि की कम प्राप्ति (₹55.53 लाख), अनुबंधित अमलों की नियुक्ति न करने (₹47.64 लाख) तथा सामग्री एवं आपूर्ति के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं की खरीद न करने (₹9.67 लाख) से हुई जो लम्बित अवकाश यात्रा रियायत दावों के निपटान (₹14.02 लाख) तथा कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर (₹8.62 लाख) से अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

789 अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना			
97 अस्पतालों में अनुसूचित जातियों के मरीजों हेतु दवाईयों की खरीद			
मूल 31,00.00	21,34.44	21,65.03	+30.59
पुनर्वि० (-)9,65.56			

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
99 जननी सुरक्षा योजना अनुसूचित जातियों हेतु			
मूल 15,90.00	7,33.76	7,33.44	(-)0.32
पुनर्वि0 (-)8,56.24			

उपरोक्त दोनों मामलों में बचत वित्तीय वर्ष के एकदम अंत में बिलों के निपटान न होने के कारण हुई।

पहले मामले में ₹30.59 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी

110 अस्पताल एवं औषधालय

49 शहरी अस्पताल एवं औषधालयों
का सुदृढीकरण

मूल 3,30,27.55	2,65,98.83	2,66,76.57	+77.74
पुनर्वि0 (-)64,28.72			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹53,69.39 लाख), अस्पताल वस्तुओं की कम खरीद (₹5,44.35 लाख), अनुग्रहपूर्वक अमलों की नियुक्ति न करने (₹2,22.67 लाख), अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों विशेषज्ञ की कम नियुक्ति (₹1,88.37 लाख), अनुग्रहपूर्वक के अंतर्गत स्वीकृति दावों की कम प्राप्ति (₹1,56.73 लाख), सामग्री एवं आपूर्ति के अन्तर्गत कुछ सामान की कम खरीद (₹46.06 लाख), आकड़ा प्रविष्टि परिचालकों के रिक्त पदों को न भरने (₹21 लाख), गृहकर को स्वीकृति की कम प्राप्ति (₹17.02 लाख) तथा बिजली बिलों इत्यादि (₹10.33 लाख) के कारण हुई जो बिजली बिलों के बढ़े हुए दरों (₹98.17 लाख) तथा लम्बित अवकाश यात्रा रियायत बिलों के निपटान (₹71.49 लाख) से अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

₹77.74 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
42 स्वास्थ्य संसाधन का विकास (टी.एफ.सी.)			
मूल	50,00.00		
पूरक	50,00.00	50,00.00	..
पुनर्वि०	(-50,00.00)		

13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वास्थ्य संसाधन के सुदृढीकरण पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो आगे पूंजीगत सम्पत्ति के सृजन हेतु स्वास्थ्य संसाधन शुरू न होने से पुनर्विनियोजन द्वारा अभ्यर्पित हुआ।

38 मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना			
मूल	53,00.00		
पुनर्वि०	(-25,62.00)	27,38.00	27,38.00

बचत योजना के अंतर्गत कम मरीजों के इलाज के कारण हुई।

86 प्राथमिक स्वास्थ्य क्लीनिकों में मौखिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं			
मूल	43,04.75		
पुनर्वि०	(-8,93.50)	34,11.25	34,10.94
			(-)0.31

₹8,93.50 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹8,22.33 लाख), क्षेत्रीय कार्यालय से अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹24.94 लाख), कर्मचारियों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति (₹21.13 लाख), छुट-पुट वस्तुओं की खरीद न करने (₹8.64 लाख) तथा सामग्री एवं आपूर्ति के अंतर्गत कुछ वस्तुओं की कम खरीद (₹6.72 लाख) के कारण हुई लम्बित अवकाश यात्रा रियायत बिलों के निपटान (₹5.32 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
46 सहायक सेवाओं का बाह्य स्रोत			
मूल	25,00.00		
पुनर्वि०	(-)7,50.41	17,49.59	17,49.59 ..

₹7,50.41 लाख की बचत अनुबंधित अमले की नियुक्ति न होने के कारण हुई।

97 टी.बी. सन्टोरिया, अन्य अस्पताल/क्लीनिक			
मूल	18,22.50		
पुनर्वि०	(-)6,28.27	11,94.23	11,94.36 + 0.13

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹5.61.90 लाख), अनुबंधित अमले की नियुक्ति न करने (₹35 लाख), क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹19.24 लाख) तथा कर्मचारियों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति (₹4.12 लाख) के कारण हुई।

40 शहरी स्वास्थ्य मिशन			
मूल	15,00.00		
पुनर्वि०	(-)4,25.39	10,74.61	10,74.61 ..

₹4,25.39 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹1,68.21 लाख), बिजली बिलों इत्यादि की कम प्राप्ति (₹76.45 लाख), अनुबंधित अमलों की नियुक्ति न होने (₹62.57 लाख), सामग्री एवं आपूर्ति के अंतर्गत कुछ वस्तुओं की कम खरीद (₹56.50 लाख), वित्तीय वर्ष के एकदम अंत में मशीनरी एवं उपकरण बिलों के निपटान न होने (₹35 लाख), क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹10 लाख) तथा कर्मचारियों/अधिकारियों से यात्रा व्यय बिलों की कम प्राप्ति (₹9.63 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
96 अस्पताल की सुधारीकरण एवं विस्तार			
मूल 15,00.00	11,16.04	11,14.84	(-)1.20
पुनर्वि0 (-)3,83.96			

₹3,83.96 लाख की बचत योजना के अंतर्गत मशीनरी एवं उपकरण के अंतर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुई।

79 अस्पतालों हेतु दवाईयों की खरीद			
मूल 26,00.00	22,70.92	22,94.51	+ 23.59
पुनर्वि0 (-)3,29.08			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती योजना के अंतर्गत मशीनरी एवं उपकरण के अंतर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुई।

₹23.59 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

43 एन.पी.सी.डी.सी.एस. तथा एन.पी.एच.सी.ई. का लागू करना			
मूल 30,00.00
पुनर्वि0 (-)30,00.00			

पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान एन.पी.सी.डी.सी.एस. तथा एन.पी.एच.सी.ई. कार्यक्रम का आरम्भ न होने के कारण अभ्यर्पित हुआ।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
44 नशामुक्ति केन्द्रों का सुदृढीकरण/खोलना			
मूल	4,50.00		
पुनर्वि०	(-)2,62.65	1,87.35	1,86.91
			(-)0.44

₹2,62.65 लाख की बचत मुख्यतः पदों को न भरे जाने (₹1,53.67 लाख), बिजली बिलों इत्यादि की कम प्राप्ति (₹29.72 लाख), सामग्री एवं आपूर्ति के अंतर्गत कुछ सामान की कम खरीद (₹25.64 लाख), वित्तीय वर्ष के एकदम अंत में मशीनरी एवं उपकरण के अंतर्गत बिलों के निपटान न होने (₹23.92 लाख), क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹9.30 लाख), अवकाश यात्रा रियायत की स्वीकृति की कम प्राप्ति (₹6.72 लाख) तथा कर्मचारियों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति (₹5.86 लाख) के कारण हुई।

73 रक्त आधान केन्द्र			
मूल	6,19.40		
पुनर्वि०	(-)2,52.19	3,67.21	3,66.67
			(-)0.54

₹2,52.19 लाख की बचत मुख्यतः पदों को न भरे जाने (₹2,42.04 लाख), तथा कर्मचारियों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का कम प्राप्ति (₹11.31 लाख) के कारण हुई जो लम्बित अवकाश यात्रा रियायत बिलों के निपटान (₹3.36 लाख) के कारण आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

68 गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों हेतु आरोग्य कोष			
मूल	1,50.00		
पुनर्वि०	(-)1,25.00	25.00	..
			(-)25.00

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
41 शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) (टी.एफ.सी.) में कमी			
मूल 12,22.00	11,08.00	11,08.00	..
पुनर्वि० (-)1,14.00			

बचत उपरोक्त दोनों मामलों में बचत मुख्यतः खजानों के बिलों का देरी से प्रस्तुत करने के फलस्वरूप सहायतानुदान का भुगतान न होने के कारण हुई।

पहले मामले में ₹25 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

48 अस्पताल में स्वतंत्र फीडर लाइन एवं जलापूर्ति प्रदान करना			
मूल 2,50.00	1,71.27	1,71.27	..
पुनर्वि० (-)78.73			

₹78.73 लाख की बचत सामग्री एवं आपूर्ति के अंतर्गत कुछ सामान की कम खरीद के कारण हुई।

69 बायो चिकित्सा बेस्ट प्रबंधन हेतु वित्तीय सहायता			
मूल 4,50.00	3,99.72	3,99.72	..
पुनर्वि० (-)50.28			

₹50.28 लाख की बचत वित्तीय वर्ष के एकदम अंत में मशीनरी एवं उपकरण के अंतर्गत बिलों के निपटान न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
47 कैंसर, मानसिक, टी.बी. तथा सांस की बीमारी हेतु राज्य संस्थान			
मूल 1,00.00	75.88	75.88	..
पुनर्वि0 (-)24.12			

₹24.12 लाख की बचत अनुबंधित अमलों की नियुक्ति न करने (₹14 लाख) तथा मुफ्त यात्रा के एवज में परिवहन विभाग को कम भुगतान करने (₹10.12 लाख) के कारण हुई।

102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना

98 जिला अमला

98 स्थापना व्यय

मूल 1,23,75.60	97,59.77	97,59.64	(-)0.13
पुनर्वि0 (-)26,15.83			

₹26,15.83 लाख की बचत दवाईयों के आपूर्ति आदेशों का परिपक्व न होने (₹15,52.83 लाख), रिक्त पदों को न भरे जाने (₹5,78.29 लाख), अनुबंधित सेवाओं के नियमितिकरण के अंतर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹1,95.96 लाख), अन्य प्रभार (₹26.41 लाख), यात्रा व्यय (₹13 लाख), कार्यालय व्यय (₹20.70 लाख), पेट्रोल, तेल एवं स्नेहद्रव्य (₹8.39 लाख) तथा मोटर वाहनों, कैम्पों के कार्यान्वित न होने (₹1,79.74 लाख), उपकरणों की आपूर्ति न होने (₹1,16.45 लाख), सरकार की नई पालिसी के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति (₹71.40 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹29.74 लाख) तथा औषधालयों तथा कार्यालय को सरकारी भवन में शिफ्ट करने (₹15.33 लाख) से हुई जो बड़े हुए महगाई भत्ते (₹1,69.59 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की संख्या में बढ़ोत्तरी (₹22.81 लाख) से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
95 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना			
मूल 28,90.00	7,34.67	7,34.67	..
पुनर्वि0 (-)21,55.33			

₹21,55.33 लाख की बचत प्रीमियम की कम दर (₹20,38.62 लाख) विश्वसनीय नहीं है। इसके इलावा (₹1,16.71 लाख) की बचत सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मितव्ययता उपायों (₹40.58 लाख), रिक्त पदों को न भरे जाने (₹30 लाख), मितव्ययता उपायों के अंतर्गत यात्रा व्ययों (₹16.28 लाख), अन्य प्रभार (₹15.92 लाख) तथा कार्यालय व्ययों (₹12.83 लाख) के कारण हुई।

001 निदेशन तथा प्रशासन

98 जिला अमला-सिविल सर्जनों हेतु अमले का जारी रखना

मूल 43,11.50	30,02.24	30,02.30	+0.06
पुनर्वि0 (-)13,09.26			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः पदों को न भरे जाने (₹12,90.63 लाख) तथा छुट-पुट सामानों की खरीद न करने (₹18.52 लाख) तथा कार्यालय व्ययों के अंतर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹18.48 लाख), क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹22.46 लाख), अनुबंधित अमलों की नियुक्ति न करने (₹14.13 लाख) तथा वाहनों की खरीद तथा रिपेयर न होने (₹4.48 लाख) से हुई जो लम्बित अवकाश यात्रा रियायत बिलों के निपटान (₹38.45 लाख) तथा कर्मचारियों को अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान (₹31.46 लाख) से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
99 मुख्यालय अमला स्वास्थ्य निदेशालय का सुधारीकरण एवं सुदृढीकरण			
मूल 15,41.20	10,30.30	10,30.30	..
पुनर्वि0 (-)5,10.90			

₹5,10.90 लाख की बचत मुख्यतः पदों को न भरने (₹4,65.15 लाख), अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹50.91 लाख), मितव्ययता उपायों को अपनाने तथा छुट-पुट सामान की खरीद न करने (₹12.14 लाख) तथा अनुबंधित अमले की नियुक्ति न करने (₹11.80 लाख) से हुई जो कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान (₹32.97 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

109 विद्यालय स्वास्थ्य योजना

99 अन्य स्वास्थ्य योजना विद्यालय
स्वास्थ्य सेवाएं

मूल 12,48.55	5,77.52	5,77.52	..
पुनर्वि0 (-)6,71.03			

₹6,71.03 लाख की बचत मुख्यतः पदों को न भरने (₹6,45.41 लाख), कर्मचारियों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति (₹17.49 लाख) तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹15.80 लाख) से हुई जो लम्बित अवकाश यात्रा रियायत बिलों के निपटान (₹10.94 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण
तथा अनुसंधान

105 एलोपैथी

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
81 नल्हाड़ में मेवात चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना			
मूल 73,00.00	43,42.70	43,42.70	..
पुनर्वि० (-)29,57.30			

₹29,57.30 लाख की बचत रिक्त पदों को न भरे जाने (₹25,53.30 लाख) तथा चिकित्सा महाविद्यालय से सहायतानुदान के जारी करने हेतु माँग की प्राप्ति न होने से (₹404 लाख) के कारण हुई।

75 पंडित बी.डी० शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक ने निर्माण कार्य			
मूल 10,00.00
पुनर्वि० (-)10,00.00			

स्वास्थ्य विज्ञान रोहतक विश्वविद्यालय द्वारा निर्माण कार्य के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिये जाने के फलस्वरूप सरकार द्वारा निधियों के जारी न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

76 चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना			
97 पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान रोहतक विश्वविद्यालय			
मूल 20,00.00	10,00.00	10,00.00	..
पुनर्वि० (-)10,00.00			

₹1,000 लाख की बचत पंडित बी.डी० शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान रोहतक विश्वविद्यालय द्वारा निधियों की आवश्यकता न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
96 बी.पी.एस.राजकीय महिला चिकित्सा महाविद्यालय खानपुर कलां सोनीपत			
मूल 8,00.00	4,82.51	4,82.51	..
पुनर्वि० (-)3,17.49			

₹3,17.49 लाख के अभ्यर्पण के विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

82 बी.पी.एस.राजकीय महिला चिकित्सा महाविद्यालय खानपुर कलां (सोनीपत) की स्थापना			
मूल 70,00.00	64,97.63	64,97.63	..
पुनर्वि० (-)5,02.37			

₹5,02.37 लाख की बचत रिक्त पदों को न भरने (₹12,68.37 लाख) से हुई जो चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर अधिक व्यय (₹766 लाख) द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

99 कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय करनाल			
मूल 3,00.00	1,62.35	1,62.35	..
पुनर्वि० (-)1,37.65			

₹1,37.65 लाख की बचत कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय करनाल द्वारा निधियों की आवश्यकता न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
98 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नल्हाड मेवात			
मूल 5,00.00	3,73.60	3,73.60	..
पुनर्वि० (-)1,26.40			

₹1,26.40 लाख के अभ्यर्पण के विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

78 कल्पना चावला चिकित्सा महाविद्यालय करनाल की स्थापना			
मूल 30,00.00	26,69.16	26,69.16	..
पुनर्वि० (-)3,30.84			

₹3,30.84 लाख कल्पना चावला चिकित्सा महाविद्यालय करनाल की स्थापना (₹478 लाख) द्वारा निधियों की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई जो वार्षिक वेतनवृद्धि, वेतन, बढ़े हुए महगांई भत्ते का बकाया (₹1,47.16 लाख) आधिक्य भुगतान द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

83 निदेशालय अनुसंधान तथा चिकित्सा शिक्षा हरियाणा के कार्यालय की स्थापना			
मूल 3,50.00	1,70.99	1,70.99	..
पुनर्वि० (-)1,79.01			

₹1,79.01 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹1,19.74 लाख), प्रत्याशा की अपेक्षा कार्यालय व्ययों के अंतर्गत कम व्यय (₹28.19 लाख), नए वाहनों की खरीद न करने (₹12.86 लाख), संगणकीकरण के अंतर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹4.80 लाख), अनुबंधित सेवाओं (₹2.83 लाख), यात्रा व्ययों (₹2.51 लाख) तथा पेट्रोल, तेल एवं स्नेहद्रव्य (₹2.32 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
101 आयुर्वेद			
88 श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय/राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी/ड्रग परीक्षण प्रयोगशाला कुस्क्षेत्र तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान पंचकुला का सुधार/जारी रखना			
मूल	4,00.00	2,45.20	2,45.20
पुनर्वि०	(-)1,54.80		
			..

₹1,54.80 लाख की बचत फार्मसी/ड्रग परीक्षण प्रयोगशाला कुस्क्षेत्र आई.एस.एम.एण्ड आर. संस्थान पंचकुला का (₹1,81.06 लाख) अनुमोदन होने के कारण हुई जो अनुबंधित अमले की नियुक्ति पर अधिक व्यय (₹26.26 लाख) द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

06 लोक स्वास्थ्य

- 101 रोगों का निवारण तथा नियंत्रण
99 मलेरिया

मूल	1,40,82.50	1,10,57.32	1,11,36.44	+79.12
पुनर्वि०	(-)30,25.18			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹28.53.61 लाख), अनुबंधित अमले की नियुक्ति न करने (₹1,52.60 लाख), मितव्ययता उपायों को अपनाने/सामग्री एवं आपूर्ति के अंतर्गत कुछ सामान की कम खरीद (₹80.10 लाख), बिजली बिलों इत्यादि की कम प्राप्ति (₹21.74 लाख), वित्तीय वर्ष के एकदम अंत में अन्य प्रभारों के निपटान न होने (₹19.51 लाख), वाहनों का सड़क पर न आने (₹10.79 लाख), कर्मचारियों/अधिकारियों से यात्रा भत्तों की कम प्राप्ति (₹10.56 लाख) तथा प्रत्याशा की अपेक्षा अनुग्रहपूर्वक पर वास्तविक व्यय (₹5.74 लाख) के कारण हुई जो लम्बित अवकाश यात्रा रियायत बिलों के निपटान (₹71.57 लाख) अनुग्रहपूर्वक दावों में वित्तीय सहायता (₹32.63 लाख) तथा कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति (₹30.08 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ।

₹79.12 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
58 अन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम			
मूल 16,57.90	13,65.82	13,65.37	(-)0.45
पुनर्वि0 (-)2,92.08			

₹2,92.08 लाख की बचत मुख्यतः पदों को न भरे जाने (₹2,90.09 लाख) तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुग्रहपूर्वक की कम प्राप्ति (₹6.01 लाख) के कारण हुई जो लम्बित अवकाश यात्रा रियायत बिलों (₹8.83 लाख) के निपटान पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

91 निदेशालय स्तर पर औपथैलिक सैल स्थापित करना			
मूल 50.00	26.37	26.37	..
पुनर्वि0 (-)23.63			

₹23.63 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹13.43 लाख) तथा कर्मचारियों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के कम प्राप्ति (₹6 लाख) के कारण हुई।

003 प्रशिक्षण

94 ए.एन.एम./जी.एन.एम.
नर्सिंग/प्रशिक्षण विद्यालय का
खोलना/सुदृढीकरण

मूल 3,00.00
पुनर्वि0 (-)3,00.00			

पुनर्विनियोजन द्वारा योजना के अन्तर्गत स्वीकृति को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
93 चिकित्सा एवं सम चिकित्सा अमला			
मूल	11,65.00		
पुनर्वि०	(-)2,98.50		
	8,66.50	8,66.48	(-)0.02

₹2,98.50 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹1,99.62 लाख), कार्यालय वस्तुओं की खरीद न करने (₹50 लाख), डाक्टरों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का कम आयोजन करने (₹36.69 लाख), कर्मचारियों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति (₹9.26 लाख) तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹8.87 लाख) के कारण हुई जो लम्बित अवकाश यात्रा रियायत बिलों के निपटान (₹9.69 लाख) से अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

104 औषध नियन्त्रण

45 खाद्य एवं नशा प्रशासन
विभाग की स्थापना

मूल	5,00.00			
पुनर्वि०	(-)2,35.02			
	2,64.98	2,64.98	..	

₹2,35.02 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹1,21.67 लाख), कम्प्यूटर तथा इसके सहायक सामान की खरीद न करने (₹52 लाख), राज्य नशा प्रयोगशाला चण्डीगढ़ हेतु उपकरणों की आपूर्ति तथा निपटान विभाग द्वारा अंतिम रूप न दिये जाने (₹24.54 लाख), कार्यालय प्रयोग हेतु अतिरिक्त फ्लोर को अन्तिम रूप न दिये जाने (₹24.32 लाख), व्यवसायिक तथा विशेष सेवाएं तथा अनुबन्धित अमले की नियुक्ति न करने (₹7.86 लाख), पेट्रोल, तेल तथा स्नेहद्रव्य के अन्तर्गत मितव्ययता उपाय (₹4.60 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹3.49 लाख) के कारण हुई जो नशे से सम्बंधित विशेष अभियान हेतु सात क्षेत्रीय जोन हेतु सात बोलेरो जीप का किराये पर लेने से अधिक व्यय (₹14 लाख) द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
98 नशा नियन्त्रण कार्यक्रम			
मूल 5,98.20	5,38.11	5,38.11	..
पुनर्वि० (-)60.09			

₹60.09 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹56.24 लाख), सामग्री एवं आपूर्ति के अंतर्गत खरीद न करने (₹6.49 लाख) तथा अनुबन्धित अमले तथा आकंड़ा प्रविष्टि परिचालकों की नियुक्ति न करने (₹6.15 लाख) से हुई जो सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के फलस्वरूप अनुग्रहपूर्वक की अधिक अदायगी (₹11.13 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

112 लोक स्वास्थ्य शिक्षा
99 पोषक तथा स्वास्थ्य शिक्षा

मूल 2,40.00	1,25.09	1,25.09	..
पुनर्वि० (-)1,14.91			

₹1,14.91 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों के रहने (₹1,01.67 लाख) तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹5 लाख) के कारण हुई।

107 जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं
99 प्रयोगशालाएं

मूल 3,98.10	3,35.80	3,35.81	+0.01
पुनर्वि० (-)62.30			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹49.25 लाख), सामग्री एवं आपूर्ति के अंतर्गत खरीद न होने (₹9.49 लाख) तथा अनुबन्धित अमला एवं आकंड़ा प्रविष्टि परिचालकों की नियुक्ति न करने (₹4.69 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
102 खाद्य मिलावट की रोकथाम			
99 लोक विश्लेषक तथा खाद्य पर्यवेक्षक			
मूल	2,49.30	2,16.62	2,16.62
पुनर्वि०	(-)32.68		

₹32.68 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹44.58 लाख) तथा जिला क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अलग से भवन किराए पर न लेने (₹4.43 लाख) से हुई जो ऑनलाईन लाइसेन्स कार्य हेतु आकंड़ा प्रविष्टि परिचालकों की नियुक्ति (₹6.71 लाख), कर्मचारी की मृत्यु पर अनुग्रहपूर्वक की अदायगी (₹4.98 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति (₹4.48 लाख) से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियां

101 आयुर्वेद			
87 आयुर्वेदिक औषधालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का जारी रखना औषधियों की खरीद तथा लघु निर्माण कार्य			
मूल	73,89.95	65,49.23	65,43.17
पुनर्वि०	(-)8,40.72		

₹8,40.72 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹8,34.88 लाख), तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा औषधियों की आपूर्ति न करने (₹84.09 लाख) के कारण हुई जो मृतक के परिवार के सदस्यों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी (₹33.51 लाख), मजदूरी हेतु जिलाधीश की दरों में संशोधन (₹26.69 लाख), सेवानिवृत्तों को अवकाश यात्रा रियायत की अदायगी (₹11.31 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति (₹7.05 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
86 आयुर्वेदा/युनानी/होम्योपैथिक औषधालय/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढीकरण तथा महिलाओं, बच्चों तथा वृद्धों के लिए विशेष औषधि			
मूल	6,40.00		
पुनर्वि०	(-)2,12.21	4,27.79	4,27.81 +0.02

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः योजना के अन्तर्गत नए औषधालयों को न खोलने के लिए अनुमोदन होने (₹2,33.32 लाख) से हुई जो कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रौन्नति की अदायगी (₹24.29 लाख) से अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

85 डी.एच.एस./एस.डी.एच./सी.एच.सी./
पी.एच.सी. में आई.पी.डी./ओ.पी.डी.
आयुष कक्ष की स्थापना व्यय

मूल	1,26.18			
पुनर्वि०	(-)1,26.18

कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत स्वीकृति की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

84 आयुष औषधालयों/अस्पतालों हेतु
आवश्यक औषधियां

मूल	1,23.75			
पुनर्वि०	(-)1,23.75

सामग्री एवं आपूर्ति के अन्तर्गत स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
90 चिकित्सा कैम्पों सहित मेले आई.एस.एम.एवं एच. द्वारा स्वास्थ्य			
मूल 42.00	11.19	11.19	..
पुनर्वि० (-)30.81			

₹30.81 लाख की बचत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औषधियों की आपूर्ति न करने (₹27.15 लाख) तथा जिला स्तर पर कैम्प/मेले न लगाने (₹3.66 लाख) के कारण हुई।

103 यूनानी			
98 यूनानी			
मूल 3,41.25	2,53.01	2,53.01	..
पुनर्वि० (-)88.24			

₹88.24 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹78.48 लाख), आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औषधियों की आपूर्ति न करने (₹4.99 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति (₹3.55 लाख) के कारण हुई।

102 होम्योपैथी			
97 होम्योपैथी औषधालय को जारी रखना			
मूल 2,90.50	2,48.84	2,48.85	+0.01
पुनर्वि० (-)41.66			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹44.52 लाख) तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औषधियों की आपूर्ति न होने (₹5.25 लाख) से हुई जो मृतक के परिवार के सदस्यों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी (₹7.43 लाख) पर आधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

80 सामान्य			
800 अन्य व्यय			

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
96 सिविल पंजीकरण पद्धति का सुदृढीकरण			
मूल 1,50.00	}
पुनर्वि० (-)1,50.00			

रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

004 स्वास्थ्य सांख्यिकी एवं मुल्यांकन			
93 स्वास्थ्य विभाग में कम्प्यूटर कक्ष की स्थापना			
मूल 3,50.00	}	2,01.63	2,01.61
पुनर्वि० (-)1,48.37			
			(-)0.02

₹1,48.37 लाख की बचत मुख्यतः अनुबन्धित अमले की कम नियुक्ति करने (₹1,40.42 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत की स्वीकृति की कम प्राप्ति (₹4 लाख) के कारण हुई।

97 स्वास्थ्य सांख्यिकी एवं मुल्यांकन			
मूल 2,56.00	}	1,66.69	1,66.67
पुनर्वि० (-)89.31			
			(-)0.02

₹89.31 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹74.42 लाख), कर्मचारियों से चिकित्सा बिलों की कम प्राप्ति (₹7.45 लाख) तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से कम अनुग्रहपूर्वक दावों (₹5 लाख) से के कारण हुई।

02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-औषधि की अन्य पद्धति			
101 आयुर्वेदा			
92 जिला आयुर्वेदा कार्यालयों का सुदृढीकरण			

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत(-)
98 स्थापना व्यय			
मूल	1,56.48	60.13	58.03
पुनर्वि०	(-)96.35		
			(-)2.10

₹96.35 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों के रहने (₹43.51 लाख), वाहनों की खरीद की स्वीकृति न प्राप्त होने (₹16.90 लाख), नई योजनाओं का अनुमोदन न होने के फलस्वरूप सामग्री एवं आपूर्ति के अन्तर्गत कम व्यय (₹16 लाख) तथा कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹9.60 लाख) के कारण हुई।

98 जिला आयुर्वेदिक कार्यालयों पर जिला अमला का जारी रखना

मूल	7,47.40	6,56.13	6,56.14
पुनर्वि०	(-)91.27		
			+0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹95.68 लाख) तथा सामग्री एवं आपूर्ति के अन्तर्गत कम खरीद (₹4.61 लाख) से हुई जो मृतक परिवार के सदस्यों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी (₹7.58 लाख) तथा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति (₹2.45 लाख) से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

99 मुख्यालय अमला आयुर्वेदा विभाग का पुनर्गठन

मूल	2,46.15	1,91.15	1,91.15
पुनर्वि०	(-)55.00		
			..

₹55 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹46.03 लाख) तथा वर्ष के दौरान अनुग्रहपूर्वक मामलों की अदायगी न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
102 होम्योपैथी			
99 होम्योपैथिक औषधालयों का खोलना/जारी रखना			
मूल 55.00	19.47	19.47	..
पुनर्वि० (-)35.53			

₹35.53 लाख की बचत मुख्यतः नए औषधालय का न खोलना (₹27.76 लाख) तथा पदों के रिक्त रहने (₹5.60 लाख) के कारण हुई।

2211 परिवार कल्याण			
103 मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य			
99 टीकाकरण कार्यक्रम			
मूल 29,47.16	7,63.19	7,63.19	..
पुनर्वि० (-)21,83.97			

₹21,83.97 लाख की बचत भारत सरकार से टीके तथा कोल्ड चेन उपकरणों की आपूर्ति प्राप्त न होने के कारण हुई।

001 निदेशन तथा प्रशासन			
98 जिला परिवार नियोजन ब्यूरो			
मूल 11,26.40	9,28.63	9,24.46	(-)4.17
पुनर्वि० (-)1,97.77			

₹1,97.77 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹1,61.41 लाख), भारत सरकार के मानदण्डों के अनुसार कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹11.26 लाख), कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत को प्राप्त न करने (₹9.58 लाख), अमले द्वारा कम यात्राएं किये जाने (₹7.07 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति (₹5.59 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
99 राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो			
मूल 4,13.00	2,66.72	2,66.71	(-)0.01
पुनर्वि0 (-)1,46.28			

₹1,46.28 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने (₹1,13.04 लाख), कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत को प्राप्त न करने (₹14.48 लाख), भारत सरकार के मानदण्डों के अनुसार कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹12.03 लाख) तथा नए अनुग्रहपूर्वक दावों की न प्राप्ति होने (₹9.37 लाख) से हुई जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की प्राप्ति (₹4.85 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

97 शिशु उत्तरजीवित सुरक्षित मातृत्व			
मूल 6,14.46	4,73.91	4,69.88	(-)4.03
पुनर्वि0 (-)1,40.55			

₹1,40.55 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने (₹99.81 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति (₹12.86 लाख), कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का प्राप्त न करने (₹8.50 लाख), कोल्ड चेन उपकरणों के अनुस्क्षण पर कम व्यय (₹6.53 लाख), वित्त वर्ष के दौरान अनुग्रहपूर्वक के नए मामलों की प्राप्ति न होने (₹5.97 लाख) तथा वाहनों के सड़क पर न चलाने से (₹4.47 लाख) के कारण हुई।

200 अन्य सेवाएं तथा आपूर्ति			
99 परम्परागत गर्भ-निरोधक			
मूल 2,56.87	2,16.24	2,16.24	..
पुनर्वि0 (-)40.63			

₹40.63 लाख की बचत भारत सरकार से कन्डोम, औरल पिल्स एवं कापर-टी इत्यादि की आपूर्ति प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13-जारी

प्रभारित विनियोग

4. बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
2210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य			
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
99 मुख्यालय अमला-स्वास्थ्य निदेशालय का सुधारीकरण तथा सुदृढीकरण			
मूल	25.00		
पुनर्वि0	(-)8.21	16.79	16.79
			..

₹8.21 लाख की बचत अदालती मामले के फैसले के फलस्वरूप कम ब्याज की अदायगी के कारण हुई।

पूँजीगत:

दत्तमत अनुदान

5. ₹7,875 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 में ₹4,000 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

6. ₹7,875 लाख की बचत के दृष्टिगत कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं हुई जो अवास्तविक सिद्ध हुई।

7. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			

अनुदान संख्या 13-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत(-)
105 ऐलोपैथी			
97 भाई फूल सिंह महिला चिकित्सा एवं महाविद्यालय खानपुर कंला (सोनीपत) का निर्माण			
99 भवन का निर्माण (एन.सी.आर.पी.बी. कर्जे)			
मूल	40,00.00	..	(-)40,00.00
98 नल्हाड़ में मेवात चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण			
99 भवन का निर्माण (एन.सी.आर.पी.बी. कर्जे)			
मूल	10,00.00	..	(-)10,00.00

उपरोक्त दोनों मामलों में समस्त प्रावधान उपयोग न करने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

98 चिकित्सा सुविधा का विकास (टी.एफ.सी.)			
मूल	25,00.00	} 65,00.00	36,25.00 (-)28,75.00
पूरक	40,00.00		

₹2,875 लाख अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 14

अनुदान संख्या 14-नगर विकास

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत(-)
राजस्व:			
मुख्य शीर्ष			
2217 शहरी विकास दत्तमत			
मूल	1,36,07,82	1,36,07,82	1,03,43,57
पूरक	..		
			(-)32,64,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)			32,49,92
पूंजीगत:			
मुख्य शीर्ष			
4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय दत्तमत			
मूल	8,00,00,00	8,00,00,00	4,27,77,34
पूरक	..		
			(-)3,72,22,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)			3,76,97,74
टिप्पणियां एवं टीकाएं:-			
राजस्व:			
दत्तमत अनुदान			

1. ₹32,64.25 लाख की समस्त बचत में से ₹14.33 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
2. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 14-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत(-)	
2217 शहरी विकास				
80 सामान्य				
800 अन्य व्यय				
87 एन.सी.आर. उपग्रह दिल्ली हेतु हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को सहायतानुदान				
मूल	89,36.00	63,31.39	63,31.39	..
पुनर्वि०	(-)26,04.61			

₹26,04.61 लाख की बचत सहायतानुदान के अन्तर्गत व्यय में मितव्ययता उपायों के कारण हुई।

001 निर्देशन तथा प्रशासन

99 शहरी एवं ग्रामीण आयोजन
(मुख्यालय अमला)

मूल	9,34.80	6,57.08	6,57.19	+0.11
पुनर्वि०	(-)2,77.72			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹1,77.72 लाख), अवकाश यात्रा रियायत दावों का कम भुगतान, वकील को कानूनी फीस, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अनुग्रहपूर्वक दावों (₹65.91 लाख), मोटर वाहनों, संगणकीकरण, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहद्रव्य, एवं फर्नीचर मामले (₹39.29 लाख) तथा अनुबंधित कर्मचारियों को नियुक्ति करना (₹36.68 लाख) तथा अदालती मामले के कारण लम्बित किराए का भुगतान (₹16.16 लाख) के कारण हुई।

94 शहरी सम्पदा स्थापना भूमि अधिग्रहण
तथा विकास योजना (जिला अमला)

मूल	5,25.77	3,87.81	3,75.52	(-)12.29
पुनर्वि०	(-)1,37.96			

अनुदान संख्या 14-जारी

₹1,37.96 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹1,14.86 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति (₹16.19 लाख) के कारण हुई।

₹12.29 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
98 शहरी सम्पदा स्थापना भूमि अधिग्रहण तथा विकास योजना (मुख्यालय अमला)			
मूल	1,20.75		
पुनर्वि०	(-)30.62		
	90.13	90.13	..

बचत मुख्यतः डी.ए., ए.डी.ए., उप-अधीक्षक तथा आशुलिपिक के पद रिक्त रहने (₹27.72 लाख) के कारण हुई।

पूंजीगत:

3. ₹3,72,22.66 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को ₹3,76,97.74 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

4. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60 अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051 निर्माण			

अनुदान संख्या 14-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
90 चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान विभाग हेतु आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज			
मूल 4,50,00.00	1,29,16.40	1,29,16.40	..
पुनर्वि० (-)3,20,83.60			

बचत मुख्य निर्माण कार्य धीमी गति से चलने तथा कल्पना चावला चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल में कार्यान्वयन एजेंसी तथा ठेकेदार के बीच झगड़े के कारण हुई।

97 लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हेतु आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज			
मूल 3,50,00.00	2,42,85.86	2,47,60.94	+4,75.08
पुनर्वि० (-)1,07,14.14			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती एजेंसी द्वारा असन्ध एवं कलायत कस्बों में चलित निर्माण कार्य के धीमी गति के तथा माननीय उच्च-न्यायालय के आदेशों के अनुसार भूमि मुआवजे का भुगतान न किये जाने के कारण हुई।

5. आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60 अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051 निर्माण			

अनुदान संख्या 14-समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	अधिकता +
92	सिंचाई विभाग हेतु आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज			
	मूल	..		
	पुनर्वि०	51,00.00	51,00.00	..

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान जिला मेवात के कोटला में सिंचाई हेतु रिजर्वर के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा 108 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने पर भुगतान करने के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 15

अनुदान संख्या 15-स्थानीय शासन

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत(-)
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2070	अन्य प्रशासनिक सेवायें			
2217	शहरी विकास			
दत्तमत				
	मूल	20,70,98,14	21,20,98,15	15,36,98,50
	पूरक	50,00,01		
				(-)5,83,99,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				4,22,06,90

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

1. ₹5,83,99.65 लाख की समस्त बचत में से ₹1,61,92.75 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
2. ₹5,83,99.65 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 में प्राप्त ₹50,00.01 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जैसाकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा।
3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत(-)	
2217 शहरी विकास				
80 सामान्य				
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता				
96 नगर निगमों को स्टैम्प ड्यूटी की बिक्री से स्थानीय निकायों को अंशदान				
	मूल	4,00,00.00	3,89,53.44	
	पुनर्वि०	(-)10,46.56		
				2,89,16.45
				(-)1,00,36.99

अनुदान संख्या 15-जारी

₹1,00,36.99 लाख की अंतिम बचत के दृष्टिगत उपायुक्तों से मुआवजे के अन्तर्गत मांग की प्राप्ति न होने के कारण ₹10,46.56 लाख की बचत अपर्याप्त सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
97	केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर नगर पालिका निगम को सहायतानुदान			
	मूल	60,32.00	44,43.54	44,43.54
	पुनर्वि०	(-)15,88.46		

₹15,88.46 लाख की बचत प्रदर्शन अनुदान की दूसरी किश्त जारी न करने तथा भारत सरकार द्वारा निधियों को 31 मार्च 2015 को अंतिम समय में जारी करने के कारण हुई।

99 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

	मूल	3,07.00
	पुनर्वि०	(-)3,07.00		

भारत सरकार द्वारा योजना को बंद किये जाने के फलस्वरूप निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा।

192 नगर पालिकाओं/परिषदों को सहायता

91 राज्य के पालिकाओं में चौपाल/सामुदायिक
केन्द्रों को उन्नयन करने हेतु योजना

	मूल	98,55.00
	पुनर्वि०	(-)98,55.00		

अनुदान संख्या 15-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
90 प्राकृतिक आपदाओं के कारण छोटे दुकानदारों की व्यवसायिक सम्पत्तियों के नुकसान पर मुआवजे की योजना			
मूल 10,00.00	2,12.00	2,12.00	..
पुनर्वि0 (-)7,88.00			

उपरोक्त दोनों मामलों में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सहायतानुदान के लिये माँग प्राप्ति न होने के कारण बचत हुई।

92 नगर-पालिकाओं/परिषदों से स्टैम्प ऊ्यूटी की बिक्री से स्थानीय निकाओं को अंशदान			
मूल 2,00,00.00	1,80,25.01	1,18,69.38	(-)61,55.63
पुनर्वि0 (-)19,74.99			

₹61,55.63 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत उपायुक्तों से माँग की प्राप्ति न होने के कारण ₹19,74.99 लाख की बचत अपर्याप्त सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

93 केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायतानुदान

मूल 68,92.00	28,30.50	28,30.50	..
पुनर्वि0 (-)40,61.50			

₹40,61.50 लाख की बचत प्रदर्शन अनुदान की दूसरी किश्त जारी न करने तथा भारत सरकार द्वारा निधियों को 31 मार्च 2015 को अंतिम समय में जारी करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 15-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	बचत(-)
94 राजीव निवास योजना			
मूल 30,99.00	} 10,99.81	10,99.81	..
पुनर्वि० (-)19,99.19			

₹19,99.19 लाख की बचत राज्य हिस्से के अंतर्गत निधियों का प्रावधान न करने तथा भारत सरकार द्वारा दो परियोजनाओं को रद्द करने के कारण हुई।

89 राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान

मूल 10,00.00	}
पुनर्वि० (-)10,00.00			

खजाने से बिलों का निपटान न होने के कारण समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा।

96 सैटेलाइट एवं चुम्बकीय कस्बों का विकास

मूल 5,18.00	}
पुनर्वि० (-)5,18.00			

विभाग द्वारा प्रस्ताव को देरी से प्रस्तुत करने के कारण समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा।

97 राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना

मूल 50.00	}
पुनर्वि० (-)50.00			

लाभान्वितों/नगर-निगमों से प्रस्ताव/माँग न प्राप्त होने के कारण समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा।

अनुदान संख्या 15-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत (-)
800 अन्य व्यय			
79 लघु तथा मध्यम कस्बे के लिए शहरी संरचना विकास योजना			
99 सामान्य योजना			
मूल	51,63.00	}	..
पुनर्वि०	(-)51,63.00		
80 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन			
99 सामान्य योजना			
मूल	50,02.00	}	..
पुनर्वि०	(-)50,02.00		
78 एकीकृत कम लागत सफाई योजना			
मूल	50.00	}	..
पुनर्वि०	(-)50.00		
उपरोक्त तीनों मामलों में भारत सरकार द्वारा योजनाओं को बन्द किये जाने के कारण समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा।			
82 केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर नगर पालिकाओं को विकास अनुदान			
मूल	25,00.00	}	..
पूरक	50,00.00		
पुनर्वि०	(-)25,00.00		
	50,00.00	50,00.00	

अनुदान संख्या 15-जारी

पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान का आवर्धन विशेष जरूरतों आग तथा संकटकालीन सेवाओं पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए हुआ जो खजाना द्वारा बिलों के निपटान/स्वीकृत न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत(-)
81	समेकित आवासीय एवं गन्दगी विकास कार्यक्रम			
99	सामान्य योजना			
	मूल	13,85.00
	पुनर्वि०	(-)13,85.00

भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं को रद्द करने तथा निधियों को जरूरी परियोजनाओं के अन्तर्गत हस्तांतरित करने के कारण समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा।

76	दुग्ध डेयरियों का स्थानान्तरण			
	मूल	50.00
	पुनर्वि०	(-)50.00

नगर निगमों से पुस्तकों की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा।

789	अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना			
96	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन			
	मूल	34,00.00
	पुनर्वि०	(-)34,00.00

भारत सरकार द्वारा योजना को बन्द किए जाने के कारण समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा।

अनुदान संख्या 15-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	बचत (-)
99 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (योजनागत)			
मूल 1,45.00	}
पुनर्वि० (-)1,45.00			

भारत सरकार द्वारा योजना को बन्द किए जाने के फलस्वरूप निधियों के जारी न होने के कारण समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा।

793 अनुसूचित जातियों की घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता			
99 राजीव आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की घटक योजना			
मूल 20,00.00	}	7,09.78	7,09.78 ..
पुनर्वि० (-)12,90.22			

बचत राज्य हिस्से के अन्तर्गत निधियों का प्रावधान न करने तथा भारत सरकार द्वारा दो परियोजनाओं को रद्द करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 16

		अनुदान संख्या 16-श्रम	वास्तविक व्यय	बचत(-)
		कुल अनुदान	(रुहजार में)	
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2230	श्रम तथा रोजगार			
2852	उद्योग			
दत्तमत				
	मूल	36,74,00	40,36,60	34,87,32
	पूरक	3,62,60		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
(मार्च 2015)				
5,46,64				
पूंजीगत:				
मुख्य शीर्ष				
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
दत्तमत				
	मूल	10	10	..
	पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
(मार्च 2015)				
10				
टिप्पणियां एवं टीकाएं:-				
दत्तमत अनुदान				

1. ₹5,49.28 लाख की समस्त बचत में से ₹2.64 लाख अनाभ्यर्पित रहे।

2. ₹5,49.28 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत मार्च 2015 में ₹3,62.60 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसाकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 16-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
2230 श्रम तथा रोजगार			
01 श्रम			
101 औद्योगिक सम्बंध			
99 औद्योगिक सम्बंध			
मूल	14,40.00		
पूरक	1,74.00	15,01.24	15,01.23
पुनर्वि०	(-)1,12,76		(-)0.01

बढ़े हुए मंहगाई भत्ता, अनुबंधित सेवाएं, अवकाश यात्रा रियायत तथा अनुग्रहपूर्वक सहायता हेतु पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो फिर मुख्यतः पूरक अनुमानों में मंहगाई भत्ते का अधिक बजट आबंटन (₹96.79 लाख), रिक्त पदों को न भरे जाने (₹4.76 लाख), तथा कार्यालय का मिनी सचिवालय में शिफ्ट होने के फलस्वरूप किराए, दरों तथा करों का कम भुगतान (₹4.60 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

98 औद्योगिक ट्रिब्यूनल/श्रम न्यायालय
फरीदाबाद, रोहतक तथा अम्बाला

मूल	5,54.30		
पूरक	63.00	5,41.52	5,41.51
पुनर्वि०	(-)75.78		(-)0.01

बढ़े हुए वेतन मंहगाई भत्ता, तथा अवकाश यात्रा रियायत पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो आगे मुख्यतः पूरक अनुमानों में अधिक बजट का आबंटन (₹52.10 लाख), कार्यालय व्ययों, मोटर वाहनों तथा पेट्रोल, तेल तथा स्नेहद्रव्य के अन्तर्गत व्यय में मितव्ययता (₹8.67 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का कम भुगतान (₹5.94 लाख) पर पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

102 कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा
95 निरीक्षण

मूल	7,32.00		
पूरक	55.00	7,29.08	7,29.10
पुनर्वि०	(-)57.92		+0.02

बढ़े हुए मंहगाई भत्ता पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो आगे मुख्यतः पूरक अनुमानों में मंहगाई भत्ते पर अधिक बजट का आबंटन (₹43.42 लाख), किराये, दर तथा करों, पेट्रोल, तेल एवं स्नेहद्रव्य, मजदूरी, मोटरवाहनों तथा

अनुदान संख्या 16-जारी

कार्यालय व्ययों के अंतर्गत व्यय में मितव्ययता (₹8.81 लाख) तथा रिक्त पदों को न भरे जाने (₹8.11 लाख) से पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ जो मासिक वित्तीय सहायता (₹4.03 लाख) के भुगतान पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
94 गम्भीर एवं जख्मी दुर्घटना नियंत्रण केन्द्र की स्थापना			
मूल	66.00		
पुनर्वि०	(-)45.39	20.61	20.61
			..

₹45.39 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹18 लाख), यंत्रों की खरीद हेतु विशिष्टीकरण को अंतिम रूप न दिये जाने (₹16.27 लाख) तथा किराए, दर तथा करों, पेट्रोल, तेल एवं स्नेहद्रव्य (₹7.16 लाख) के अंतर्गत मितव्ययता उपायों तथा अनुबन्धित सेवाओं पर कम व्यय (₹2.35 लाख) के कारण हुई।

92 गुडगाँव तथा फरीदाबाद में दो औद्योगिक
आरोग्य शास्त्र प्रयोगशाला
(आई.एच.एल.)की स्थापना

मूल	34.00		
पुनर्वि०	(-)24.36	9.64	9.64
			..

₹24.36 लाख की बचत मुख्यतः प्रत्याशा की अपेक्षा कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय (₹18.95 लाख) तथा सरकारी भवन में कार्यालय शिफ्ट होने से किराए, दरों तथा करों का कम भुगतान (₹4.40 लाख) के कारण हुई।

113 बाल/महिला श्रम की कार्य की
परिस्थितियों में सुधार

97 निसहाय तथा विस्थापित बाल
श्रमिकों के पुनर्वास हेतु

मूल	1,20.00		
पुनर्वि०	(-)53.97	66.03	66.03
			..

अनुदान संख्या 16- समाप्त

₹53.97 लाख की बचत मुख्यतः कार्यालय व्ययों, पेट्रोल तेल एवं स्नेहद्रव्य तथा मोटरवाहनों के अंतर्गत व्यय में मितव्ययता उपायों (₹28.36 लाख), जिलाधीश दरों के अनुसार अनुबंधित सेवाओं के अंतर्गत कम भुगतान (₹12.45 लाख), रिक्त पदों के न भरे जाने (₹6.27 लाख) तथा किराए, दर तथा करों प्रत्याशा की अपेक्षा वास्तविक व्यय (₹5.89 लाख) के कारण हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
800 अन्य व्यय			
99 श्रम विभाग का संगणकीकरण			
99 सूचना प्रौद्योगिकी			
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)50.00

सूचना प्रौद्योगिकी योजना का अनुमोदन न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

001 निदेशन तथा प्रशासन			
99 मुख्यालय अमला			
98 स्थापना व्यय			
मूल	2,80.00		
पूरक	68.00	2,98.36	2,98.36
पुनर्वि०	(-)49.64		..

वेतन, मंहगाई भत्ते अनुबन्धित सेवाओं तथा अनुग्रहपूर्वक अदायगी पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो आगे मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने (₹17.01 लाख), पूरक अनुमानों में अनुग्रहपूर्वक तथा मजदूरी में अधिक बजट आबंटन (₹9.08 लाख), किराए, दर तथा करों, कार्यालय व्यय तथा पेट्रोल, तेल एवं स्नेहद्रव्य के अंतर्गत व्यय में मितव्ययता (₹7.86 लाख), अनुबन्धित कर्मचारियों की कम नियुक्ति (₹5.63 लाख) तथा कम चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति (₹3.79 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

अनुदान संख्या 17

अनुदान संख्या 17-रोजगार

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)	
राजस्व:					
मुख्य शीर्ष					
2230	श्रम तथा रोजगार				
दत्तमत					
	मूल	79,86,00	79,86,00	54,71,37	(-)25,14,63
	पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				25,26,41	
4250	श्रम तथा रोजगार				
दत्तमत					
	मूल	1,60,00	1,60,00	1,59,44	(-)56
	पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				56	

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व:

1. ₹25,14.63 लाख की समस्त बचत में से 31 मार्च 2015 को ₹25,26.41 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

2. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या-17-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +	
2230 श्रम तथा रोजगार				
02 रोजगार सेवाएं				
101 रोजगार सेवाएं				
92 रोजगार कार्यालय के लिए अमला तथा शिक्षित युवकों को बेरोजगारी भत्ता देना				
मूल	73,91.00	50,28.32	50,39.78	+ 11.46
पुनर्वि०	(-)23,62.68			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः बेरोजगारी भत्ता के अन्तर्गत लाभन्वितों की संख्या में कमी (₹23,33.59 लाख), रिक्त पदों को न भरे जाने (₹1,57.60 लाख) व्यवसायिक सेवाओं की कम नियुक्ति (₹40.65 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति (₹18.84 लाख), 20% बढ़े हुए किराए का भुगतान न करने (₹9.37 लाख) तथा अमलों द्वारा कम यात्राएँ किए जाने (₹7.84 लाख) के कारण हुई जो अन्य प्रभारों के अन्तर्गत वस्तुओं की खरीद (₹1,19.84 लाख), अनुबन्धित अमले की नियुक्ति (₹50.52 लाख) तथा अधिक होने से अनुग्रहपूर्वक अदायगी के अन्तर्गत अधिक भुगतान (₹37.48 लाख) से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

86 विदेशी रोजगार ब्यूरो

मूल	20.00
पुनर्वि०	(-)20.00			

₹20 लाख की बचत मुख्यतः अनुबन्धित आधार पर रिक्त पदों को न भरने (₹11 लाख) तथा कार्यालय व्ययों एवं करों के अन्तर्गत मितव्ययता उपाय (₹7.90 लाख) के कारण हुई।

004 अनुसंधान, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

99 निदेशालय में राज्य रोजगार

विपणन सूचना तथा निष्पादन इकाई

मूल	1,70.00	1,05,41	1,05,42	+0.01
पुनर्वि०	(-)64.59			

अनुदान संख्या-17-समाप्त

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹50.24 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति (₹9 लाख) तथा कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा, रियायत सुविधा का कम ग्रहण करने (₹2.57 लाख) के कारण हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
800 अन्य व्यय			
99 रोजगार कार्यालय में व्यवसायिक मार्ग दर्शन तथा कैरियर केन्द्र-अन्य व्यय			
मूल	1,57.00		
पुनर्वि०	(-)33.04		
	} 1,23.96	1,23.97	+ 0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती रिक्त पदों को न भरे जाने (₹11.54 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति (₹10 लाख), अवकाश यात्रा रियायत सुविधा कर्मचारियों द्वारा कम ग्रहण करने (₹6.86 लाख) तथा कम दुर्घटनाएं होने के फलस्वरूप कम अनुग्रहपूर्वक अदायगी के भुगतान (₹3.48 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 18

		अनुदान संख्या 18-औद्योगिक प्रशिक्षण			
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत(-)	
राजस्व:					
मुख्य शीर्ष					
2230 श्रम तथा रोजगार					
दत्तमत					
	मूल	2,08,44,90	2,24,41,51	2,00,41,62	(-)23,99,89
	पूरक	15,96,61			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)					24,47,13
पूंजीगत:					
मुख्य शीर्ष					
4250 अन्य समाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
दत्तमत					
	मूल	58,20,00	98,58,78	89,75,05	(-)8,83,73
	पूरक	40,38,78			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)					2,79,75

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व:

1. ₹23,99.89 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को ₹24,47.13 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
2. ₹23,99.89 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत मार्च 2015 में ₹15,96.61 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसाकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक नहीं पहुँचा।

3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 18-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
2230 श्रम तथा रोजगार			
03 प्रशिक्षण			
003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण			
74 विशेष केन्द्रीय सहायता प्रणाली के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन			
मूल 5,00.00	21.28	21.27	(-)0.01
पुनर्वि0 (-)4,78.72			

₹4,78.72 लाख की बचत मुख्यतः अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा बजट कम जारी किये जाने के कारण हुई।

62 कुशल विकास मिशन

मूल 4,12.00
पुनर्वि0 (-)4,12.00			

भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

69 समितियों को सहायतानुदान

मूल 11,60.00	8,57.03	8,57.03	..
पुनर्वि0 (-)3,02.97			

₹3,02.97 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा सहायतानुदान बिलों के निपटान न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 18-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
64 आई.टी.आई. का विकास			
मूल	75,00.00		
पूरक	79.53	74,30.97	74,32.18
पुनर्वि०	(-)1,48.56		+ 1.21

बढ़े हुए वेतन पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो आगे अनुबंधित कर्मचारियों का कम नियमितकरण (₹3,24.27 लाख), रिक्त पदों के न भरे जाने (₹2,09.18 लाख), व्यवसायिक सेवाओं की कम नियुक्ति (₹45.80 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹18.07 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ जो अनुबंधित कर्मचारियों को नियमितकरण के कारण वेतन (₹3,49.38 लाख), प्रत्याशा की अपेक्षा कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत सुविधाएँ ग्रहण करने (₹58.60 लाख) तथा कच्चे माल की कीमतों से वृद्धि तथा नए आई.टी.आई. को खोलने (₹45.76 लाख) के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ।

97 कुशल शिल्पियों को
शिक्षता प्रशिक्षण

मूल	1,24.20	90.91	90.91	..
पुनर्वि०	(-)33.29			

बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹24.73 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति न होने (₹5 लाख) तथा व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के अन्तर्गत व्यवसायिकों की कम नियुक्ति (₹2.80 लाख) के कारण हुई।

96 अनुसूचित जातियों हेतु औद्योगिक
प्रशिक्षण केन्द्र अब एम.आई.टी

मूल	1,34.50	1,12.01	1,11.99	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)22.49			

₹22.49 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने (₹10.61 लाख), अनुबंधित अमले का कम नियमितकरण (₹5.43 लाख) तथा कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत सुविधाओं को कम प्राप्त करने (₹3.59 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 18-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
001 निदेशन तथा प्रशासन			
94 कुशल विकास प्रारम्भ करना			
मूल
पूरक	2,11.00
पुनर्वि०	(-)2,11.00

विभिन्न समितियों को सहायतानुदान पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान हुआ जो भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा अभ्यर्पित हुआ।

99 औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा निदेशालय
98 स्थापना व्यय

मूल	10,92.60	9,71.88	9,71.85	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)1,20.72			

₹1,20.72 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹92.23 लाख), व्यवसायिकों की कम नियुक्ति (₹13.98 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹6.75 लाख) तथा पेट्रोल/डीजल की कीमतों में कमी तथा कर्मचारियों द्वारा कम यात्राएं करने (₹6.18 लाख) के कारण हुई।

96 राज्य परियोजना कार्यान्वयन
इकाई (एस.पी.आई.यू.)
98 स्थापना व्यय

मूल	1,60.00	85.82	85.83	+0.01
पुनर्वि०	(-)74.18			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः व्यवसायिक सेवाओं की कम नियुक्ति (₹25 लाख), रिक्त पदों को न भरे जाने (₹15.17 लाख), अनुबंधित अमले के खाली पदों को न भरे जाने (₹12.55 लाख), कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत सुविधाएँ का कम प्राप्त करने (₹8.65 लाख) तथा पेट्रोल, तेल एवं स्नेहद्रव्य तथा अन्य प्रभारों (₹5.03 लाख) के अन्तर्गत व्यय में मितव्ययता के कारण हुई।

अनुदान संख्या 18-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
99 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों लिए दक्षता प्रशिक्षण			
मूल	10,50.00		
पुनर्वि0	(-)1,83.06	8,66.94	8,66.94
			..

₹1,83.06 लाख की बचत मुख्यतः अनुबंधित अमले का कम नियमितकरण (₹1,02.44 लाख), रिक्त पदों को न भरने (₹36.76 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति (₹10.44 लाख), व्यवसायिकों की कम नियुक्ति (₹9.90 लाख), कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत सुविधाओं का कम ग्रहण करने (₹8.69 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक अदायगी के अन्तर्गत कम व्यय (₹8 लाख) के कारण हुई।

दोषपूर्ण बजट:

4. वित्त विभाग द्वारा जारी एक दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन आदेश नीचे दर्शाया गया है:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2230 श्रम तथा रोजगार			
03 प्रशिक्षण			
003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण			
99 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			
मूल	78,08.90		
पूरक	94.20	75,08.24	75,53.57
पुनर्वि0	(-)3,94.86		+45.33

₹45.33 लाख के अंतिम आधिक्य के दृष्टिगत महगाई भत्ता पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान का आवर्धन हुआ जो अनुग्रहपूर्वक अदायगी (₹13.67 लाख), अवकाश यात्रा रियायत सुविधाएँ (₹7.49 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (₹5.59 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ रिक्त पदों के न भरे जाने (₹3,27.85 लाख), अनुबंधित अमले का कम नियमितकरण (₹83.61 लाख) से पुनर्विनियोजन द्वारा कटौती अत्याधिक सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 18-जारी

पूँजीगत:

दत्तमत अनुदान

5. ₹8,83.73 लाख की समस्त बचत में से ₹6,03.98 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
6. ₹8,83.73 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 में ₹40,38.78 लाख का पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
7. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई जो अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
4250 अन्य समाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
800 अन्य व्यय			
92 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आतिथ्य शिक्षा			
मूल 2,20.00	} 57.92	} 57.92	} ..
पुनर्वि० (-)1,62.08			

₹1,62.08 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा निधियों को कम जारी करने (₹1,59.34 लाख) तथा योजना के अन्तर्गत नए ट्रेड यूनिट न खोलने (₹2.74 लाख) के कारण हुई।

91 कुशल विकास मिशन

मूल 50.00	} ..	} ..	} ..
पुनर्वि० (-)50.00			

भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

अनुदान संख्या 18-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
93 मेवात क्षेत्र में प्रशिक्षण संसाधन का विकास			
मूल	25,00.00		
पूरक	40,38.78	65,03.52	59,00.56
पुनर्वि0	(-)35.26		(-)6,02.96

₹6,02.96 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत जो 13वें वित्त आयोग परियोजना को पूर्ण करने पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान का आवर्धन जो फिर लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा व्यय किये जाने से पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ था, अत्याधिक सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 19

अनुदान संख्या 19-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक का कल्याण

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व:			
मुख्य शीर्ष			
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक का कल्याण			
दत्तमत			
मूल	3,65,09,31	3,65,09,31	2,69,99,56
पूरक	..		
			(-)95,09,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)			91,60,63
पूंजीगत:			
मुख्य शीर्ष			
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
दत्तमत			
मूल	3,22,00	3,22,00	1,25,00
पूरक	..		
			(-)1,97,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)			1,97,00

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व:

दत्तमत अनुदान

1. ₹95,09.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹3,49.12 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
2. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 19-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक का कल्याण			
01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
277 शिक्षा			
99 अनुसूचित जातियों को को मैट्रिक पश्चात् वजीफे			
मूल	1,29,76.00	1,09,18.06	1,09,18.06
पुनर्वि०	(-)20,57.94		

₹20,57.94 लाख की बचत वचनबद्ध उत्तरदायित्वों की सामग्री के बाद निधियों की उपभोक्ता प्रमाणपत्र के कारण तथा भारत सरकार द्वारा निधियों के कम जारी किए जाए (₹14,98.99 लाख) तथा योजना के अन्तर्गत कम लाभान्वितों की उपलब्धता (₹5,58.95 लाख) के कारण हुई।

88 उच्च प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षा हेतु अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता

मूल	3,50.00
पुनर्वि०	(-)3,50.00		

संस्थानों को अन्तिम रूप न दिए जाने तथा लाभान्वितों की कम संख्या में उपलब्धता के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

70 बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

मूल	2,00.00
पुनर्वि०	(-)2,00.00		

भारत सरकार द्वारा निधियों के कम जारी होने के कारण ₹200 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

अनुदान संख्या 19-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
84 लड़के लड़कियों का छात्रावास			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	(-)2,00.00
793 अनुसूचित जातियों की घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता			
99 पारम्परिक योजनाएं जैसे कि दुग्धशाला, सुअर-बाड़ा तथा अन्य योजनाओं हेतु सहायतानुदान			
मूल	12,50.00
पुनर्वि०	(-)12,50.00
80 अनुसूचित जाति के 50% से अधिक एकाग्रता के साथ गाँवों में एस.पी.बी. गलियों में लाइटिंग सिस्टम			
मूल	5,00.00
पुनर्वि०	(-)5,00.00

उपरोक्त तीनों मामलों में भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

283 आवासीय			
99 अनुसूचित जातियों हेतु आवासीय योजना			
मूल	40,00.00	28,83.70	28,83.60
पुनर्वि०	(-)11,16.30		(-)0.10

₹11,16.30 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत कम संख्या में लाभान्वितों की उपलब्धता के कारण हुई।

अनुदान संख्या 19-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
98 भूमिहीन हरिजनो को निवास स्थान जगह का आबंटन हेतु भूमि का अधिग्रहण			
मूल	2,00.00	2.04	(-)1,97.96
₹1,97.96 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।			
800 अन्य व्यय			
82 इन्दिरा गाँधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना			
मूल	75,00.00		
पुनर्वि०	(-)9,28.91		
	65,71.09	65,71.09	..
89 अन्तर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	(-)75.50		
	1,24.50	1,24.50	..
उपरोक्त दोनों मामलों में बचत योजना के अन्तर्गत योग्य लाभान्वितों की कम संख्या में उपलब्धता के कारण हुई।			
85 क्रुरता के शिकार पीड़ितों को आर्थिक सहायता			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि०	(-)85.77		
	2,14.23	2,14.23	..
₹85.77 लाख की बचत क्रुरता के शिकार पीड़ितों की कम संख्या होने के कारण हुई।			

अनुदान संख्या 19-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
84 प्रचार योजना			
मूल	40.00	9.43	14.32
पुनर्वि०	(-)30.57		
			+4.89

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती योजना के अन्तर्गत निदेशक लोक सम्पर्क से कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

₹4.89 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए (अगस्त 2015)।

001 निदेशन तथा प्रशासन
98 जिला अमला

मूल	23,16.00	18,93.30	18,83.27	(-)10.03
पुनर्वि०	(-)4,22.70			

₹4,22.70 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹3,28.14 लाख), अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति (₹22.28 लाख), अनुग्रहपूर्वक अदायगी हेतु दावाकर्ता की कम संख्या (₹21.84 लाख), मजदूरी, पेट्रोल, तेल एवं स्नेहद्रव्य, व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ, अनुरक्षण पर मितव्ययता उपाय (₹20 लाख), फर्नीचर की कम खरीद (₹14.20 लाख) तथा सरकारी भवन में कार्यालय के शिफ्ट होने (₹9.72 लाख) के कारण हुई।

₹10.03 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

99 मुख्यालय अमला
98 स्थापना व्यय

मूल	5,82.20	3,66.10	3,66.10	..
पुनर्वि०	(-)2,16.10			

₹2,16.10 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹1,54.78 लाख), कार्यालय के लिए सामान की कम खरीद तथा मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹40.82 लाख) तथा कार्यालय के किराये का भुगतान न करने (₹7 लाख) तथा अनुबन्धित अमले की नियुक्ति न करने (₹5.37 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 19-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
99 सूचना प्रौद्योगिकी			
मूल 29.40	7.80	7.80	..
पुनर्वि० (-)21.60			
₹21.60 लाख की बचत कम्प्यूटर का सामान कम खरीदने के कारण हुई।			
96 अस्वच्छ कार्यों में नियुक्तों के बच्चों को दसवीं पूर्व छात्रवृत्ति अमला			
मूल 1,37.35	91.07	91.07	..
पुनर्वि० (-)46.28			
₹46.28 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹24.88 लाख), अनुग्रहपूर्वक अदायगी हेतु दावाकर्ताओं की कम संख्या (₹12.80 लाख) तथा छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु विद्यार्थियों की कम संख्या में उपलब्धता (₹3.70 लाख) के कारण हुई।			
97 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र			
मूल 1,30.10	1,05.14	1,05.14	..
पुनर्वि० (-)24.96			
₹24.96 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹10.44 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक अदायगी हेतु दावाकर्ताओं की उपलब्धता न होने के कारण (₹10 लाख) के कारण हुई।			
789 अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना			

अनुदान संख्या 19-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
94 रोजगार प्रदान करने वाले संस्थानों की स्थापना द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	(-)1,00.00
योजना के अन्तर्गत व्यय को स्वीकृति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।			
102 आर्थिक विकास			
97 जिला अमला			
मूल	1,20.00	81.27	81.27
पुनर्वि०	(-)38.73		..
₹38.73 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत वस्त्रों की खरीद न होने के कारण हुई।			
03 पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277 शिक्षा			
93 पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक पश्चात वजीफे देना			
मूल	12,36.00	5,57.21	4,11.31
पुनर्वि०	(-)6,78.79		(-)1,45.90
₹6,78.79 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की कम संख्या में उपलब्धता होने के कारण हुई।			
₹1,45.90 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 19-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
92 अन्य पिछड़े वर्गों के लड़के तथा लड़कियों हेतु छात्रावास का निर्माण			
मूल	4,80.00		
पुनर्वि०	(-)4,80.00

भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

283 आवासीय			
99 पिछड़े वर्गों एवं अल्प संख्यकों हेतु आवासीय वित्त			
मूल	1,70.00		
पुनर्वि०	(-)1,70.00

योजना के अन्तर्गत योग्य लाभान्वितों की कम संख्या में उपलब्धता होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

001 निदेशन तथा प्रशासन			
99 दूसरे पिछड़े वर्गों हेतु अमला			
मूल	2,18.00		
पुनर्वि०	(-)81.32	1,36.68	1,36.67
			(-)0.01

₹81.32 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹54.32 लाख), अनुस्क्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहद्रव्य तथा व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के सम्बंध में मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹14.93 लाख), किराये का भुगतान न करने (₹5 लाख) तथा अनुबन्धित अमले की कम नियुक्ति (₹3.35 लाख) के कारण हुई।

पूँजीगत:

3. बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत(-)
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
99 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को उन्नयन गतिविधियों हेतु 1% व 3% हिस्सा पूँजी तथा मैचिंग सहायता			
मूल	1,96.00		
पुनर्वि०	(-)1,96.00

भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

4. ग्राम पुर्ननिर्माण और हरिजन उत्थान निधि:-

वर्ष 2014-15 के दौरान इस अनुदान से शीर्ष '8229-विकास तथा कल्याण निधियां-200-अन्य विकास तथा कल्याण निधियां-ग्राम पुनर्निर्माण तथा हरिजन उत्थान के लिए निधि' को कुछ भी अन्तरित नहीं किया और जिसमें से वर्ष के दौरान हरिजनों को कर्जे देने के लिए कोई भी राशि खर्च नहीं की गई थी। वर्ष के दौरान इन कर्जों के विरुद्ध ₹1,44,379 लाख की वसूली को मुख्य शीर्ष '6225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु कर्जे को निधि को जमा कर दिया गया। मार्च 2015 के अंत में निधि में जमा ₹2,28.96 लाख का शेष था (नकद ₹10.46 लाख तथा निवेश ₹2,18.50 लाख)।

निधि के लेन-देन का लेखा ('अन्य विकास और कल्याण निधि' में शामिल) 2014-15 के वित्त लेखे की विवरण संख्या 21 एवं 22 में दिया गया है।

अनुदान संख्या 20

अनुदान संख्या 20-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत				
मूल	29,09,22,16	} 31,58,42,16	28,78,66,11	(-) 2,79,76,05
पूरक	2,49,20,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				2,79,85,44
पूंजीगत:				
मुख्य शीर्ष				
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
दत्तमत				
मूल	1,81,50	} 1,81,50	..	(-) 1,81,50
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				1,81,50

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व:

- ₹2,79,76.05 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को ₹2,79,85.44 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- ₹2,79,76.05 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 में ₹2,49,20 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
- बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 20-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	अधिकता +
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
789 अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना			
99 अनुसूचित जाति के परिवारों को बुढ़ापा भत्ता के अन्तर्गत वित्तीय सहायता			
मूल	4,64,75.00	3,60,96.63	3,60,96.63
पुनर्वि०	(-1,03,78.37)		
98 अनुसूचित जाति के परिवारों को विधवा पेंशन के अन्तर्गत वित्तीय सहायता			
मूल	1,79,50.00	1,54,81.81	1,54,81.81
पुनर्वि०	(-24,68.19)		
97 अनुसूचित जाति के परिवारों को विकलांग पेंशन के अन्तर्गत वित्तीय सहायता			
मूल	40,00.00	36,37.25	36,37.25
पुनर्वि०	(-) 3,62.75		
उपरोक्त तीनों मामलों में बचत लाभान्वितों की कम संख्या में भर्ती होने के कारण हुई।			
102 समाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
98 बुढ़ापा सम्मान भत्ता			
मूल	12,40,25.00	13,42,54.61	13,42,64.01
पूरक	1,75,00.00		
पुनर्वि०	(-)72,70.39		
			+ 9.40

अनुदान संख्या 20-जारी

बुढ़ापा सम्मान भत्ता व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो आगे कम लाभान्वितों की भर्ती के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

₹9.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
96 विधवा पेंशन			
मूल	5,55,20.00		
पूरक	45,00.00	5,72,92.97	5,72,92.97
पुनर्वि०	(-)27,27.03		..

विधवा पेंशन की दरों में बढ़ोत्तरी पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो फिर कम लाभान्वितों की भर्ती के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

90 इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सगुन योजना (सामान्य वर्गों के लिए)			
मूल	30,00.00		
पुनर्वि०	(-)26,83.38	3,16.62	3,16.62
			..

₹26,83.38 लाख की बचत कम लाभान्वितों की भर्ती के कारण हुई।

99 वृद्धों विकलांगों एवं निराश्रय महिलाओं तथा विधवा अमला जिला स्तर पर को पेंशन			
98 स्थापना व्यय			
मूल	16,02.20		
पुनर्वि०	(-)1,73.76	14,28.44	14,28.44
			..

अनुदान संख्या 20-जारी

₹1,73.76 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹1,68.41 लाख), अवकाश यात्रा रियायत की कम प्राप्ति (₹30.22 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (₹9.48 लाख) से हुई जो अनुग्रहपूर्वक अदायगी (₹17.60 लाख), अन्य प्रभार (₹10.78 लाख) तथा व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के अंतर्गत अधिक व्यवसायिकों की नियुक्ति (₹6.34 लाख) से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना			
99 परिवार लाभ योजना			
मूल	14,76.00	7,77.00	7,77.00
पुनर्वि०	(-)6,99.00		
02 समाजिक कल्याण			
800 अन्य व्यय			
70 आम आदमी बीमा योजना			
मूल	18,50.00	12,00.00	12,00.00
पुनर्वि०	(-)6,50.00		
77 अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित विद्यार्थियों को दसवीं पूर्व छात्रवृत्ति			
मूल	6,80.00	52.75	52.75
पुनर्वि०	(-)6,27.25		

उपरोक्त दोनों मामलों में बचत इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वितों की कम भर्ती के कारण हुई।

₹6,27.25 लाख की बचत योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति एवं वजीफों के अनुदान हेतु शिक्षा विभाग से डाटा की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 20-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
74 अल्पसंख्यक समुदाय विद्यार्थियों को मैरिट-कम-मीन्ज छात्रवृत्ति योजना			
मूल 2,20.00	45.00	45.00	..
पुनर्वि० (-)1,75.00			
76 अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित विद्यार्थियों हेतु दसवीं के पश्चात छात्रवृत्ति			
मूल 1,80.00	24.63	24.63	..
पुनर्वि० (-)1,55.37			
उपरोक्त दोनों मामलों में बचत आवेदन फार्मों की कम प्राप्ति के कारण हुई।			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
99 मुख्यालय हेतु अमला (एस. जे. ई)			
98 स्थापना व्यय			
मूल 7,82.50	4,13.20	4,13.20	..
पुनर्वि० (-)3,69.30			

₹3,69.30 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹2,95.28 लाख), वार्षिक कार्यपूर्ति रिपोर्टों की प्रिंटिंग हेतु भुगतान न होने (₹39.61 लाख), व्यवसायिक अमलों की कम नियुक्ति (₹6.70 लाख), पेट्रोल, तेल एवं स्नेहद्रव्य पर कम व्यय (₹6.64 लाख), वाहन की खरीद न करने (₹5.30 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹5.22 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 20-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
91 निराश्रय बाल योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के परिवारों को वित्तीय सहायता			
मूल 24,00.00	20,65.78	20,65.78	..
पुनर्वि० (-)3,34.22			
₹3,34.22 लाख की बचत योजना के अंतर्गत लाभान्वितों की कम भर्ती के कारण हुई।			
101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
73 मानसिक विकलांगों हेतु राज्य स्तर परियोजना/गृह			
मूल 3,25.00	1,86.50	1,86.50	..
पुनर्वि० (-)1,38.50			
₹1,38.50 लाख की बचत संस्थाओं से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।			
95 शिक्षित विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता			
मूल 83.86	23.82	23.82	..
पुनर्वि० (-)60.04			
₹60.04 लाख की बचत योजना के अंतर्गत लाभान्वितों की कम भर्ती के कारण हुई।			
64 हरियाणा में नशा व्यापार की रोकथाम तथा नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना			
मूल 50.00	12.26	12.26	..
पुनर्वि० (-)37.74			

अनुदान संख्या 20-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
103 महिला कल्याण			
70 कन्यादान (मास मैरिज)			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	(-)1,00.00

उपरोक्त दोनों मामलों में बचत गैर सरकारी संस्थाओं से माँग/आवेदन की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

2250 अन्य सामाजिक सेवाएं			
103 पवित्र स्थानों, मन्दिरों इत्यादि का रख रखाव			
98 सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 के अंतर्गत गुरुद्वारा चुनाव			
मूल	32.40		
पूरक	20.00	25.43	25.43
पुनर्वि०	(-)26.97		..

वकीलों को फीस के भुगतान पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो फिर भारत के उच्चतम न्यायालय में लम्बित फैसले के फलस्वरूप अदालती फीस के भुगतान न करने (₹20 लाख) तथा पदों के रिक्त रहने (₹4.94 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम किया गया।

4. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02 समाजिक कल्याण			
800 अन्य व्यय			

अनुदान संख्या 20-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	बचत(-)
73 अल्पसंख्यक केन्द्रित जिला मेवात तथा सिरसा के विकास हेतु योजना			
मूल	1,90.00	12,53.24	12,53.24
पुनर्वि०	10,63.24		
			..

योजना के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं से अधिक परियोजनाओं की प्राप्ति के फलस्वरूप सहायतानुदान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
97 शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी को छात्रवृत्ति			
मूल	2,00.00	2,34.04	2,34.03
पुनर्वि०	34.04		
			(-)0.01

योजना के अन्तर्गत बैकलाग के निपटान तथा नए लाभान्वितों को कवर करने पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

- 102 समाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन
93 'लाडली' सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
उन परिवारों हेतु जिनके केवल लड़की/लड़कियां हैं

मूल	12,35.00	27,18.10	27,18.10
पूरक	4,00.00		
पुनर्वि०	10,83.10		
			..

दिनांक 01.01.2015 से भत्तों की दरों में बढ़ोत्तरी तथा योजना के अन्तर्गत नए लाभान्वितों को शामिल करने से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

अनुदान संख्या 20-जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
94	राजीव गांधी परिवार बीमा योजना			
	मूल	36,50.00	37,21.28	37,21.28
	पुनर्वि०	71.28		

पिछले वर्ष 2013-14 के बैकलाग के निपटान तथा योजना के अन्तर्गत अदालती मामलों के भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

- 789 अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना
96 राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता

	मूल	3,50.00	4,18.65	4,18.65	..
	पुनर्वि०	68.65			

पिछले वर्ष 2013-14 के बैकलाग के निपटान तथा योजना के अन्तर्गत अदालती मामलों के भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

पूंजीगत:

5. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02 सामाजिक कल्याण			
190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			

अनुदान संख्या 20-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	बचत(-)
98 अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु हरियाणा पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के लिए पूंजी हिस्सा			
मूल	91.50		
पुनर्वि०	(-)91.50

खजानों द्वारा बिलों के पास न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

- 97 विकलांगों के कल्याण हेतु हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को हिस्सा पूंजी का अंशदान

मूल	90.00		
पुनर्वि०	(-)90.00

योजना के अन्तर्गत हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड से मांग की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

अनुदान संख्या 21

अनुदान संख्या 21-महिला तथा बाल विकास

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व :				
मुख्य शीर्ष				
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236	पोषण			
दत्तमत				
मूल	8,86,10,43	8,92,90,92	6,97,82,52	(-)1,95,08,40
पूरक	6,80,49			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				1,95,26,34
पूँजीगत:				
मुख्य शीर्ष				
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत				
मूल	1,70,48,50	2,20,59,00	56,62,38	(-)1,63,96,62
पूरक	50,10,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				1,63,96,62

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व:

दत्तमत अनुदान

1. ₹1,95,08.40 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹1,95,26.34 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 21-जारी

2. ₹1,95,08.40 लाख की बचत के दृष्टिगत मार्च 2015 में प्राप्त ₹6,80.49 लाख का पूरक अनुदान अवास्तविक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02 समाज कल्याण			
102 बाल कल्याण			
92 समेकित बाल विकास परियोजना (म.ना.वि.)			
मूल	4,72,87.35	4,01,11.33	4,01,11.48
पूरक	4,57.49		
पुनर्वि०	(-)76,33.51		

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को मानदेय का भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो आगे मुख्यतः भारत सरकार को कम अनुदान की प्राप्ति के फलस्वरूप वेतन, मंहगाई भत्ते, किराया, दर तथा करों पर कम भुगतान (₹34,05.40 लाख), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों के कुछ पद रिक्त रहने के कारण कम मानदेय (₹16,89.24 लाख), अन्य प्रभार, मशीनरी एवं उपकरण, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहद्रव्य, अनुबन्धित सेवाएं, अवकाश यात्रा खर्चा तथा भारत सरकार से निधियों का देशी से प्राप्ति के फलस्वरूप खजाना अधिकारियों द्वारा बिलों को पास न करने (₹24,24.41 लाख) तथा फर्नीचर सामान की निविदाएं को अन्तिम रूप न दिये जाने (₹151 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुई जो अनुग्रहपूर्वक दावों (₹53.11 लाख) पर आधिक्य व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ।

- 74 किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गाँधी योजना (आर.जी.एस.ई.ए.जी.)-सबला

मूल	4,00.00	1,28.87	1,28.87	..
पुनर्वि०	(-)2,71.13			

अनुदान संख्या 21-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
88 आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करना (उदीसा परियोजना)			
मूल	6,00.00	4,49.29	4,49.29
पुनर्वि०	(-)1,50.71		
उपरोक्त दोनों मामलों में बचत भारत सरकार के अनुदान की कम प्राप्ति के कारण हुई।			
76 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को भविष्य सुरक्षा बीमा योजना			
मूल	3,20.00	2,00.23	2,00.23
पुनर्वि०	(-)1,19.77		
98 निःसहाय बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान			
98 देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता हेतु निःसहाय बाल कल्याण			
मूल	75.00	25.74	25.74
पुनर्वि०	(-)49.26		
उपरोक्त दोनों मामलों में बचत योजना के अन्तर्गत मामलों का देरी से अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुई।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
90 अनुसूचित जाति के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को आर्थिक सहायता			
मूल	60,00.00	41,76.68	41,76.68
पुनर्वि०	(-)18,23.32		

अनुदान संख्या 21-जारी

बचत योजना के अन्तर्गत पदों के रिक्त रहने के कारण हुई।

	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत(-)
99	अनुसूचित जाति के परिवारों को अपनी बेटियाँ अपना धन (लाडली) के अन्तर्गत विशेष आर्थिक सहायता			
	मूल 30,00.00	} 23,00.92	23,00.92	..
	पुनर्वि० (-)6,99.08			

बचत अनुसूचित जाति के लाभान्वितों हेतु कम मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

103	महिला कल्याण			
87	स्वैच्छिक क्षेत्र का सुदृढीकरण (प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र तथा वजीफे सम्बंधी योजना)			
99	बाल कल्याण परिषद् भारतीय ग्रामीण संघ गैर सरकारी एन.जी.ओस. सरकारी सहायता प्राप्त एन.जी.ओस.सहित को विशेष उद्देश्य हेतु सहायतानुदान			
	मूल 17,00.00	} 5,76.13	5,76.13	..
	पुनर्वि० (-)11,23.87			
98	अन्य गैर सरकारी एन.जी.ओस को सहायता अनुदान			
	मूल 1,00.00	} 0.05	0.05	..
	पुनर्वि० (-)99.95			

उपरोक्त दोनों मामलों में बचत गैर सरकारी संघों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

75	बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता तथा सहयोग सेवा योजना			
	मूल 2,00.00	}
	पुनर्वि० (-)2,00.00			

अनुदान संख्या 21-जारी

योजना के अन्तर्गत आवेदनों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
74 राज्य महिला सशक्तीकरण मिशन			
मूल 1,05.00	24.42	24.42	..
पुनर्वि० (-)80.58			

बचत भारत सरकार से सहायतानुदान देरी से प्राप्ति के कारण हुई।

76 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (कक्षों की स्थापना)			
मूल 1,50.00	1,07.94	1,07.93	(-)0.01
पुनर्वि० (-)42.06			

बचत कुछ पदों के रिक्त रहने के कारण हुई।

99 निसहाय महिलाओं तथा विधवाओं के लिए गृह एवं प्रशिक्षण केन्द्र			
मूल 1,77.00	1,51.91	1,51.91	..
पुनर्वि० (-)25.09			

बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹12.39 लाख) तथा मितव्ययता उपायों को अपनाने पर कम प्रशिक्षार्थियों की उपलब्धता के कारण अन्य प्रभागों के अन्तर्गत कम व्यय (₹11.79 लाख) के कारण हुई।

91 कामकाजी महिला होस्टल का निर्माण			
मूल 20.00
पुनर्वि० (-)20.00			

अनुदान संख्या 21-जारी

योजना के अन्तर्गत मामलों की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
001 निदेशन एवं प्रशासन			
97 मुख्यालय हेतु अमला (डब्ल्यू.सी.डी.)			
98 स्थापना व्यय			
मूल 4,97.50	4,09.46	4,09.46	..
पुनर्वि० (-)88.04			
₹88.04 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹88.90 लाख) के कारण हुई।			
800 अन्य व्यय			
87 हरियाणा महिला विकास निगम			
मूल 4,40.00	3,68.00	3,68.00	..
पुनर्वि० (-)72.00			
बचत मुख्यतः खजाने द्वारा बिलों के निपटान न होने के कारण हुई।			
81 जे.जे. एक्ट को लागू करना			
95 जे.जे. एक्ट के अन्तर्गत किशोर/निरीक्षण गृह स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान			
मूल 50.00	19.17	19.17	..
पुनर्वि० (-)30.83			
बचत गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन पत्रों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।			
82 हरियाणा राज्य महिला आयोग			
98 महिला जागरूकता एवं प्रबन्धन एकादमी को वित्तीय सहायता (डब्ल्यू.ए.एम.ए.)			
मूल 40.00	20.00	20.00	..
पुनर्वि० (-)20.00			

अनुदान संख्या 21-जारी

₹20 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत(-)
2236 पोषण			
02 पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789 अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना			
98 अनुसूचित जाति हेतु पूरक पोषक कार्यक्रम			
मूल 79,00.00	} 33,01.55	33,01.55	..
पुनर्वि० (-)45,98.45			
97 विशेष लड़कियों के सशक्तीकरण हेतु राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की किशोर लड़कियों को वित्तीय सहायता (सबला)			
मूल 5,40.00	} 4,40.35	4,40.35	..
पुनर्वि० (-)99.65			
उपरोक्त दोनों मामलों में बचत भारत सरकार से अनुदान की कम प्राप्ति के कारण हुई।			
101 किशोर पोषण कार्यक्रम			
95 पूरक पोषण कार्यक्रम			
मूल 1,16,00.00	} 99,57.73	99,75.54	+17.81
पुनर्वि० (-)16,42.27			
89 किशोर लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए राजीव गांधी योजना (आर.जी.एस. ई.ए.जी.)-सबला			
मूल 12,60.00	} 9,38.54	9,38.53	(-)0.01
पुनर्वि० (-)3,21.46			

अनुदान संख्या 21-जारी

उपरोक्त दोनों मामलों में बचत भारत सरकार से अनुदान की कम प्राप्ति के कारण हुई।

पहले मामले में ₹17.81 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2015)।

	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
94	किशोर बालिकाएं योजना (नया नाम किशोरी शक्ति योजना)			
	मूल	3,50.00		
	पुनर्वि०	(-)1,57.44	1,92.56	1,92.56
				..

₹1,57.44 लाख की बचत किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

4. अधिक्य निम्न के अंतर्गत हुआ:-

	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02	समाज कल्याण			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
98	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु भविष्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता			
	मूल	80.00		
	पुनर्वि०	29.98	1,09.98	1,09.98
				..

आंगनवाड़ी केन्द्रों का प्रीमियम किश्त पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

पूँजीगत:

5. ₹1,63,96.62 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत मार्च 2015 में प्राप्त ₹50,10.50 लाख का पूरक अनुदान अवास्तविक सिद्ध हुआ जैसाकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान के 33% के लगभग समान रहा।

अनुदान संख्या 21-समाप्त

6. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	बचत(-)
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02 सामाजिक कल्याण			
102 बाल कल्याण			
99 आंगनवाडी केन्द्रों का निर्माण			
मूल 1,31,58.50	} 39,71.51	} 39,71.51	} ..
पूरक 50,10.50			
पुनर्वि० (-)1,41,97.49			

समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत आंगनवाडी केन्द्रों के निर्माण पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो फिर योजना के अन्तर्गत परियोजना का अंतिम रूप न दिये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
- 99 आंगनवाडी केन्द्रों का निर्माण

मूल 31,40.00	} 9,90.87	} 9,90.87	} ..
पुनर्वि० (-)21,49.13			

- बचत योजना के अन्तर्गत परियोजना को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण हुई।
- 190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
- 99 डब्ल्यू. डी.सी. को हिस्सा पूंजी (राज्य हिस्सा)-अन्य उपक्रम

मूल 50.00	} ..	} ..	} ..
पुनर्वि० (-)50.00			

कार्यरत पूंजी का जारी न किये जाने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

अनुदान संख्या 22

अनुदान संख्या 22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व:			
मुख्य शीर्ष			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण दत्तमत			
मूल	79,09,31	89,62,47	79,24,38
पूरक	10,53,16		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)			2,81,99

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

1. ₹10,38.09 लाख की समस्त बचत में से ₹7,56.10 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
2. ₹10,38.09 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 तथा मार्च 2015 में प्राप्त ₹10,53.16 लाख का पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत (-)
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200 अन्य कार्यक्रम			
99 राष्ट्रीय श्रमिक रिलीफ निधि			
मूल	25,60.00	19,20.00	(-)6,40.00

₹640 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 22-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
98 जिला सैनिक नाविक तथा विमानन बोर्ड पर व्यय			
98 स्थापना व्यय			
मूल 14,24.00	11,75.87	11,75.19	(-)0.68
पुनर्वि0 (-)2,48.13			

₹2,48.13 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने (₹2,59.23 लाख) के कारण हुई जो डी.सी.दरों के बढ़ने तथा अधिक दैनिक उजरत को रोजगार (₹8.56 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (₹2.90 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

77 केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के आश्रितों को वीरतापूर्वक लड़ने पर अनुग्रह पूर्वक अनुदान			
मूल	1,00.00	9.50	(-)90.50

₹90.50 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

97 भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं जिन्हें पारिवारिक पेंशन प्राप्त न हो को वित्तीय सहायता			
मूल 12,00.00	18,48.97	18,48.97	..
पूरक 7,00.00			
पुनर्वि0 (-)51.03			

प्रावधान में पूरक अनुदान द्वारा आवर्धन भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को वित्तीय सहायता के बढ़ी दरों पर अधिक व्यय को पूरा करने के कारण हुआ जो फिर लाभान्वितों की संख्या में कमी के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

अनुदान संख्या 22-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
84 नई समूह बीमा योजना में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु सरकार से अंशदान			
मूल	68.12	40.94	(-)27.18

₹27.18 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2015)।

4. आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200 अन्य कार्यक्रम			
87 वी0टी0सी0 चलाने हेतु राज्य सैनिक बोर्ड को सहायतानुदान			
मूल	3,00.00	3,36.00	..
पुनर्वि0	36.00		

बढ़े हुए मंहगाई भत्ते तथा वार्षिक वेतन बढ़ोत्तरी से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

अनुदान संख्या 23

अनुदान संख्या 23-खाद्य एवं आपूर्ति

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत(-)	
राजस्व:					
मुख्य शीर्ष					
2408	खाद्य, भण्डारण तथा भण्डारागार				
3456	सिविल पूर्ति				
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं				
दत्तमत					
	मूल	3,66,66,44	3,66,66,45	2,00,23,69	(-)1,66,42,76
	पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				1,66,42,76	
प्रभारित					
	मूल	..	50,00	21,75	(-)28,25
	पूरक	50,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				28,25	
पूंजीगत:					
मुख्य शीर्ष					
4408	खाद्य, भण्डारण तथा भण्डारागार पर पूंजीगत परिव्यय				
दत्तमत					
	मूल	88,06,61,00	88,06,61,00	55,42,49,28	(-)32,64,11,72
	पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				32,64,11,73	

अनुदान संख्या 23-जारी

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व:

दत्तमत अनुदान

1. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
2408 खाद्य, भण्डारण तथा भण्डारागार			
01 खाद्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
94 जन वितरण योजना			
99 सूचना एवं प्रौद्योगिकी			
मूल	64,62.00	1,72.52	1,72.52
पुनर्वि०	(-)62,89.48		

बचत संगणकीकरण के अन्तर्गत प्रक्रिया में उन्नति के कारण (₹62,89.48 लाख) के कारण हुई।

98 क्षेत्रीय अमला

मूल	1,10,05.00	58,62.32	58,62.32
पुनर्वि०	(-)51,42.68		

₹51,42.68 लाख की बचत मुख्यतः गेहूँ की कम उठान/अलाटमैन्ट (₹39,16.49 लाख), पदों के रिक्त रहने (₹6,01.64 लाख), कार्यालय व्यय के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों (₹4,96.24 लाख), दैनिक श्रमिकों तथा अनुबधित अमले की कम नियुक्ति (₹79.54 लाख), अनुग्रहपूर्वक अदायगी दावों की कम प्राप्ति (₹56.80 लाख), किराया, दर तथा करों में कम बढ़ोत्तरी (₹18.56 लाख) तथा वाहनों को बदलने (₹17.78 लाख) से हुई जो अधिक अवकाश यात्रा रियायत दावों के भुगतान (₹54.98 लाख) पर अधिक व्यय को पूरा करने के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

अनुदान संख्या 23-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
93 दाल रोटी योजना			
मूल	1,62,00.00	1,12,98.25	1,12,98.25
पुनर्वि०	(-)49,01.75		

₹49,01.75 लाख की बचत जनवरी 2015 से मार्च 2015 के सबसिडी बिलों को पास न करने के कारण हुई।

96 जिला फोरम			
मूल	14,27.00	12,15.46	12,15.46
पुनर्वि०	(-)2,11.54		

₹2,11.54 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा प्रैजीडेन्ट, जिला फोरम तथा अन्य श्रेणी के सदस्यों के रिक्त पद न भरे जाने (₹1,43.47 लाख), जिला उपभोक्ता फोरम, कैथल के कार्यालय भवन का कम निर्माण (₹60.68 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत की कम प्राप्ति (₹9.02 लाख) से हुई जो किराये, बिजली की दरों में वृद्धि तथा दूरभाष बिलों (₹7.27 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

97 राज्य आयोग			
मूल	2,08.00	1,72.62	1,72.62
पुनर्वि०	(-)35.38		

₹35.38 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹28.80 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की प्राप्ति न होने (₹5 लाख) के कारण हुई।

प्रभारित विनियोग

2. ₹28.25 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 में प्राप्त ₹50 लाख का पूरक विनियोग अत्याधिक सिद्ध हुआ।

3. बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 23-जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
2408 खाद्य, भण्डारण तथा भण्डारागार			
01 खाद्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
98 क्षेत्रीय अमला			
मूल	..		
पूरक	50.00	21.75	21.75
पुनर्वि०	(-)28.25		..

माननीय न्यायालयों द्वारा सेवा निवृत्ति के लाभ देरी से दिए जाने पर ब्याज का भुगतान पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक विनियोग द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो फिर प्रत्याशा की अपेक्षा अदालती मामलों में वास्तविक भुगतान करने से पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

पूँजीगत:

दत्तमत अनुदान

4. ₹32,64,11.72 लाख की समस्त बचत में से ₹32,64,11.73 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

5. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
4408 खाद्य, भण्डारण तथा भण्डारागार			
पर पूँजीगत परिव्यय			
01 खाद्य			
101 अधिप्राप्ति एवं पूर्ति			
99 खाद्य आपूर्ति योजना			
मूल	79,48,44.00		
पुनर्वि०	(-)27,11,54.80	52,36,89.20	52,36,89.20
			..

अनुदान संख्या 23-जारी

₹27,11,54.80 लाख की बचत गेहूँ, बाजरा तथा चावल की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
97 पूंजी पर ब्याज			
मूल 5,75,00.00	2,29,87.67	2,29,87.67	..
पुनर्वि० (-)3,45,12.33			

₹3,45,12.33 लाख की बचत अनुमान की अपेक्षा भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न का अधिक उठान होने के कारण तथा प्रत्याशा की अपेक्षा कम व्यय के फलस्वरूप पूंजी पर कम ब्याज के कारण हुई।

98 स्थापना लागत प्रभारित योग्य

मूल 1,83,17.00	69,89.91	69,89.91	..
पुनर्वि० (-)1,13,27.09			

₹1,13,27.09 लाख की बचत स्मार्ट कार्ड परियोजना को अंतिम रूप न दिये जाने तथा सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों हेतु अतिरिक्त गेहूँ का आबंटन तथा पदों के रिक्त रहने के कारण हुई।

02 भण्डारण तथा भण्डारागार

101 ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम

99 गोदामों का निर्माण

मूल 1,00,00.00	5,82.49	5,82.49	..
पुनर्वि० (-)94,17.51			

₹94,17.51 लाख की बचत हरियाणा वेयरहाउसिंग निगम से अन्य तीन विभागों से गोदामों के निर्माण के लिए जमीन के हस्तांतरण प्रक्रिया को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण तथा लागत का अनुमान प्राप्त न होने के कारण हुई।

6. खाद्यान्न आरक्षित निधि में से किया गया व्यय:-

खाद्यान्न आरक्षित निधि' मूल्य अस्थिरता निधि के रूप में है और मूल्यों में सामान्य कमी के कारण स्टॉक की हानि को पूरा करने के अभीष्ट है। खाद्यान्नों के उचित और वैज्ञानिक संचयन के लिए संचयन गोदामों के निर्माण के लिए निधि से सम्बन्धित इस निधि में मिला हुआ है। वर्ष 1983-84 से निधि में कोई राशि जमा नहीं की गई थी।

सरकार द्वारा स्टॉक में पड़े खाद्यान्नों को जारी करने पर 35 पैसे प्रति क्विंटल की दर से लगाये गए अधिभार की आमदनी शीर्ष '0435 अन्य कृषि कार्यक्रम-501 अन्य सेवाएं तथा सेवा फीस मूल्यों में गिरावट होने से हानि की पूर्ति करने के लिए अधिभार' के अन्तर्गत इस निधि में जमा की जाती है वर्ष के अन्त में उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत हुई प्राप्तियों के बराबर की रकम को मुख्य शीर्ष '2408-खाद्य, भण्डारण तथा भण्डारागार' अधीन शीर्ष खाद्यान्न आरक्षित निधि' को प्रतिपक्षी के नामे डालते हुए '8235- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि' के अन्तर्गत 'खाद्यान्न आरक्षित निधि' को अन्तरित कर दिया जाता है।

मार्च 2015 के अन्त तक इस निधि में जमा शेष ₹4,77.39 लाख था।

निधि के लेन-देनों का लेखा वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 21 में शामिल है।

अनुदान संख्या 24

अनुदान संख्या 24-सिंचाई

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	अधिकता + बचत (-)
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2700	मुख्य सिंचाई			
2701	मध्यम सिंचाई			
2705	कमान क्षेत्र विकास			
दत्तमत				
मूल	16,21,54,23	16,25,49,46	11,13,49,49	(-)5,11,99,97
पूरक	3,95,23			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				2,22,75,73
पूंजीगत:				
मुख्य शीर्ष				
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
दत्तमत				
मूल	5,10,24,00	5,10,24,00	9,13,13,46	+4,02,89,46
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				33,90,76

अनुदान संख्या 24-जारी

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	अधिकता +
प्रभारित				
मूल	50,00,00	50,00,00	52,19,38	+ 2,19,38
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व:

दत्तमत अनुदान

1. ₹5,11,99.97 लाख की उपलब्ध बचत में से ₹2,89,24.24 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
2. ₹5,11,99.97 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत मार्च 2015 में प्राप्त ₹3,95.23 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसकि कि वास्तविक व्यय को अपने मूल बजट प्रावधान तक भी न पहुँचा।
3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई जो नीचे टिप्पणी 4 में उल्लेखित कुछ अन्य शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत (-)
2700 मुख्य सिंचाई			
02 पश्चिमी यमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
91 कार्यकारी अभियन्ता			
मूल	3,66,94.80	3,15,87.80	(-)2,82,26.65
पुनर्वि0	(-)51,07.00		

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
89 विशेष राजस्व			
मूल 43,78.50	35,79.86	4,05.32	(-)31,74.54
पुनर्वि0 (-)7,98.64			
92 अधीक्षक अभियन्ता			
मूल 26,29.50	19,00.00	1,64.28	(-)17,35.72
पुनर्वि0 (-)7,29.50			
<p>उपरोक्त तीनों मामलों में बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, अनुग्रहपूर्वक तथा अवकाश यात्रा रियायत के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुई। इन मामलों में अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।</p>			
88 पेंशनरी प्रभार			
मूल	20.00	5.19	(-)14.81
<p>₹14.81 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।</p>			
800 अन्य व्यय			
98 ऊर्जा प्रभार			
मूल 35,00.00	25,02.70	26,09.12	+1,06.42
पुनर्वि0 (-)9,97.30			

अनुदान संख्या 24-जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती प्रत्याशा की अपेक्षा ऊर्जा बिलों के कम भुगतान के कारण हुई।

₹1,06.42 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	बचत(-)
01 बहुउद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक)			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
91 कार्यकारी अभियन्ता			
मूल	73,64.00	75,00.91	3,52.22
पुनर्वि०	1,36.91		
			(-)71,48.69

₹71,48.69 लाख की विशाल बचत के दृष्टिगत सेवा निवृत्तों के लम्बित अदायगी के निपटान हेतु पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

89 विशेष राजस्व

मूल	21,42.50	18,10.48	60.54
पुनर्वि०	(-)3,32.02		
			(-)17,49.94

₹17,49.94 लाख की विशाल बचत के दृष्टिगत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹265 लाख), कम अवकाश यात्रा रियायत दावों (₹20 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (₹17 लाख), अनुग्रहपूर्वक दावों (₹14 लाख) तथा यात्रा के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों (₹12.02 लाख) से ₹3,32.02 लाख की बचत अपर्याप्त सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत(-)
92 अधीक्षक अभियन्ता			
मूल	2,81.30		
पुनर्वि०	(-)34.50		
	2,46.80	14.90	(-)2,31.90

₹2,66.40 लाख की कुल बचत के विश्वसनीय कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

- 101 अनुरक्षण तथा मुरम्मत
98 अन्य अनुरक्षण व्यय
98 पंजाब भाग

मूल	2,50.00	1.24	(-)2,48.76
-----	---------	------	------------

₹2,48.76 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

- 24 जलक्षेत्र प्रबंधन**
101 अनुरक्षण तथा मुरम्मत
98 अन्य अनुरक्षण व्यय

मूल	53,02.00		
पुनर्वि०	(-)53,02.00		
	..	28.41	+28.41

भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

बिना निधियों के प्रावधान के व्यय करने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
93 मुख्य अभियन्ता			
मूल	35,62.50	30,21.00	6,26.05
पुनर्वि०	(-)5,41.50		
			(-)23,94.95

₹23,94.95 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत जो कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत (₹35 लाख) तथा व्यवसायिक तथा विशेष सेवाएँ (₹27 लाख) अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई, मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹454 लाख), प्रत्याशा की अपेक्षा अनुग्रहपूर्वक के अन्तर्गत कम व्यय (₹106 लाख), कम अवकाश यात्रा रियायत दावों (₹23 लाख) तथा मोटर वाहनों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों (₹17 लाख) से ₹5,41.50 लाख की बचत अपर्याप्त सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

800 अन्य व्यय
98 सुधारीकरण, उन्नयन,
परिचालन तथा अनुरक्षण

मूल	45,00.00	39,50.00	35,07.63
पुनर्वि०	(-)5,50.00		
			(-)4,42.37

₹550 लाख की बचत मुख्यतः योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन न होने के कारण हुई।

₹4,42.37 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (अगस्त 2015)।

190 निजी क्षेत्र तथा अन्य
उपक्रमों को सहायता

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
98 हरियाणा सिंचाई अनुसंधान प्रबन्धन संस्थान को सहायता			
मूल 3,25.00	}
पुनर्वि० (-)3,25.00			
पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण सहायतानुदान के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों के कारण हुआ।			
18 अवाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
91 कार्यकारी अभियंता			
मूल 47,09.00	}	43,46.00	13,86.04
पुनर्वि० (-)3,63.00			
			(-)29,59.96
92 अधीक्षक अभियन्ता			
मूल 4,66.00	}	3,26.00	64.31
पुनर्वि० (-)1,40.00			
			(-)2,61.69

उपरोक्त दोनों मामलों में बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा यात्रा तथा कार्यालय व्यय के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों के कारण हुई।

इन मामलों के अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
93 मुख्य अभियंता			
मूल	3,25.00		
पुनर्वि०	(-)16.14		
	3,08.86	82.06	(-)2,26.80

₹16.14 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹10 लाख) तथा यात्रा व्ययों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों (₹4.98 लाख) के कारण हुई।

₹2,26.80 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2015)।

05 जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना (वाणिज्यिक)

101 अनुरक्षण तथा मुरम्मत

98 अन्य अनुरक्षण व्यय

मूल	2,80.00	1,94.02	(-)85.98
-----	---------	---------	----------

04 लोहारू नहर परियोजना (वाणिज्यिक)

101 अनुरक्षण तथा मुरम्मत

98 अन्य अनुरक्षण व्यय

मूल	1,80.00	1,34.47	(-)45.53
-----	---------	---------	----------

उपरोक्त दोनों मामलों में अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

03 गुडगाँव नहर परियोजना (वाणिज्यिक)

101 अनुरक्षण तथा मुरम्मत

98 अन्य अनुरक्षण व्यय

मूल	75.00	..	(-)75.00
-----	-------	----	----------

₹75 लाख का समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
2705 कमाण्ड क्षेत्र विकास			
190 निजी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
95 नहरी क्षेत्र हेतु (50% आधार) क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी.ए.डी.)			
मूल	1,31,34.73	82,04.23	78,09.00
पूरक	3,95.23		
पुनर्वि०	(-)53,25.73		
			(-)3,95.23

कमाण्ड क्षेत्र विकास तथा जल प्रबन्धन कार्यक्रम पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो कि भारत सरकार के कम निधियों के जारी किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कटौती ₹3,95.23 लाख की बचत के दृष्टिगत अपर्याप्त सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

2701 मध्यम सिंचाई
10 सिवानी उठान सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)
800 अन्य व्यय
98 ऊर्जा प्रभार

मूल	22,00.00	15,00.00	13,78.31	(-)1,21.69
पुनर्वि०	(-)7,00.00			

₹700 लाख की बचत ऊर्जा बिलों के कम भुगतान करने के कारण हुई।

₹1,21.69 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

001 निदेशन तथा प्रशासन

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
91 कार्यकारी अभियन्ता			
मूल 1,00.60	61.50	14.90	(-)46.60
पुनर्वि0 (-)39.10			

₹39.10 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुई।

₹46.60 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

08 जूई नहर परियोजना (वाणिज्यिक)

800 अन्य व्यय

98 ऊर्जा प्रभार

मूल 14,00.00	10,50.00	10,42.36	(-)7.64
पुनर्वि0 (-)3,50.00			

₹350 लाख की बचत ऊर्जा बिलों की कम अदायगी के कारण हुई।

001 निदेशन तथा प्रशासन

91 कार्यकारी अभियन्ता

मूल 1,02.70	43.00	7.29	(-)35.71
पुनर्वि0 (-)59.70			

₹59.70 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुई।

₹35.71 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
101 अनुरक्षण तथा मुरम्मत			
98 अन्य अनुरक्षण व्यय			
मूल	2,15.00	1,33.50	(-)81.50

₹81.50 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

4. आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2700 मुख्य सिंचाई			
02 पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800 अन्य व्यय			
99 ब्याज			
मूल	..	1,29,09.81	+1,29,09.81
001 निदेशन तथा प्रशासन			
93 मुख्य अभियंता			
मूल	..	2,23.10	+2,23.10
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
97 कार्यकारी सिंचाई			
मूल	..	48,94.36	+48,94.36

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
98 पर्यवेक्षक सिंचाई			
मूल	..	4,05.76	+4,05.76
95 विशेष राजस्व प्रभार			
मूल	..	3,98.36	+3,98.36
उपरोक्त पाँचों मामलों में प्रावधान के बिना व्यय करने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)			
18 अवाणिज्यिक सिंचाई परियोजना			
101 अनुरक्षण तथा मुरम्मत			
98 अन्य अनुरक्षण व्यय			
मूल	9,00.00	12,56.91	+3,56.91
₹3,56.91 लाख के आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
89 विशेष राजस्व			
मूल	..	1,71.61	+1,71.61
05 जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
91 कार्यकारी अभियंता			
मूल	..	1,99.88	+1,99.88

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुंलाख में)	अधिकता +
89 विशेष राजस्व			
मूल	..	24.10	+24.10
04 लोहारू नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
91 कार्यकारी अभियंता			
मूल	..	1,38.53	+1,38.53
24 जल क्षेत्र प्रवन्धन			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
91 कार्यकारी अभियंता			
मूल	..	29.27	+29.27
उपरोक्त पाँचों मामलों में प्रावधान के बिना व्यय करने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।			
01 बहुउद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक)			
101 अनुरक्षण तथा मुरम्मत			
98 अन्य अनुरक्षण व्यय			
99 हरियाणा भाग			
मूल	4,00.00	5,59.83	+1,59.83

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2701 मध्यम सिंचाई			
10 सिवानी उठान सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
101 अनुरक्षण तथा मुरम्मत			
98 अन्य अनुरक्षण व्यय			
मूल	2,10.00	2,73.08	+63.08

उपरोक्त दोनों मामलों में आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

दोषपूर्ण बजट

5. वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन आदेशों के चार मामले नीचे वर्णित हैं:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2700 मध्यम सिंचाई			
04 लोहारू परियोजना (वाणिज्यिक)			
800 अन्य व्यय			
98 ऊर्जा प्रभार			
मूल	28,00.00	28,38.78	+2,38.78
पुनर्वि०	(-2,00.00)		
	26,00.00		

₹2,38.78 लाख के अन्तिम आधिक्य के दृष्टिगत ऊर्जा बिलों पर कम भुगतान के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती विवेकहीन सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

05 जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
800 अन्य व्यय

अनुदान संख्या 24-जारी

	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत(-)
98	ऊर्जा प्रभार			
	मूल	1,30,00.00	1,29,99.59	(-)5,00.41
	पुनर्वि०	5,00.00		
		1,35,00.00		

₹5,00.41 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत ऊर्जा बिलों पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा आवर्धित प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

2701	मध्यम सिंचाई			
07	नाबार्ड के अन्तर्गत पुराने/ वर्तमान चैनलों का सुधारीकरण			
800	अन्य व्यय			
99	ब्याज			
	मूल	1,32,34.30	1,32,34.30	+7,00.30
	पुनर्वि०	(-)7,00.30		
		1,25,34.00		

₹7,00.30 लाख आधिक्य के दृष्टिगत कम ब्याज की अदायगी के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती अनावश्यक सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

14	जल संसाधन समेकित परियोजना (डब्ल्यू.आर.सी.पी.)			
800	अन्य व्यय			
99	ब्याज			
	मूल	43,31.32	43,31.32	+2,17.22
	पुनर्वि०	(-)2,17.22		
		41,14.10		

अनुदान संख्या 24-जारी

₹2,17.22 लाख के अन्तिम आधिक्य के दृष्टिगत् कम ब्याज की अदायगी से पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती अनावश्यक सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

पूंजीगत:

6. व्यय अनुदान से ₹4,02,89,46,351 बढ़ गया; जिसे नियमन की आवश्यकता है।

7. ₹4,02,89.46 लाख के कुल आधिक्य के दृष्टिगत् मार्च 2015 में ₹33,90.76 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

8. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ जो नीचे टिप्पणी 9 में वर्णित कुछ अन्यो के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07 नाबार्ड के अन्तर्गत पुराने/ वर्तमान चैनलों का सुधारीकरण			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
91 कार्यकारी अभियंता			
मूल	..	1,16,44.00	+1,16,44.00
89 विशेष राजस्व			
मूल	..	17,61.92	+17,61.92
93 मुख्य अभियंता			
मूल	..	8,02.35	+8,02.35

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
92 अधीक्षक अभियंता			
मूल	..	6,58.23	+6,58.23
88 पेंशनरी प्रभार			
मूल	..	22.94	+22.94
उपरोक्त पाँचों मामलो में निधियों के प्रावधान के बिना व्यय करने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।			
800 अन्य व्यय			
98 नाबार्ड नहर का निर्माण			
मूल	80,50.00	87,50.00	1,46,55.62
पुनर्वि०	7,00.00		
			+59,05.62
₹59,05.62 लाख के विशाल आधिक्य के दृष्टिगत वित्तिय कमेटी तथा राष्ट्रीय कृषि, ग्रामीण विकास बैंक अथोरिटी द्वारा नाबार्ड के प्रस्तावित परियोजना के निपटान पर पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन अपर्याप्त सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।			
06 जल के समानुपात बटवारे हेतु नए लघु कार्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
91 कार्यकारी अभियंता			
मूल	..	36,69.66	+ 36,69.66

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
89 विशेष राजस्व			
मूल	..	5,55.28	+5,55.28
93 मुख्य अभियंता			
मूल	..	2,52.86	+2,52.86
92 अधीक्षण अभियंता			
मूल	..	2,07.44	+2,07.44

उपरोक्त चारों मामलों में निधियों के प्रावधान के बिना किए गए व्यय के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

800 अन्य व्यय

98 नए लघु नहर

का निर्माण

मूल	20,00.00	}	18,01.00	38,13.22	+20,12.22
पुनर्वि0	(-)1,99.00				

₹20,12.22 लाख के विशाल आधिक्य के दृष्टिगत नए लघु निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती विवेकहीन सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुंलाख में)	अधिकता + बचत (-)	
23 राज्य में जल निकायों का विकास				
800 अन्य व्यय				
98 अन्य अनुरक्षण कार्य				
मूल	1,00.00	8,60.00	9,09.91	+49.91
पुनर्वि०	7,60.00			
001 निदेशन तथा प्रशासन				
91 कार्यकारी अभियन्ता				
मूल	..	5,91.95	+5,91.95	
89 विशेष राजस्व				
मूल	..	89.57	+89.57	
93 मुख्य अभियंता				
मूल	..	40.79	+40.79	
92 अधीक्षण अभियंता				
मूल	..	33.46	+33.46	

₹49.91 लाख के अन्तिम आधिक्य के दृष्टिगत मेवात जिले में कोटला झील के पहले चरण को पूर्ण करने पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन अपर्याप्त सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुंलाख में)	अधिकता +
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
91 कार्यकारी अभियन्ता			
मूल	..	6,88.25	+6,88.25
89 विशेष राजस्व			
मूल	..	1,04.14	+1,04.14
93 मुख्य अभियंता			
मूल	..	47.43	+47.43
92 अधीक्षण अभियंता			
मूल	..	38.91	+38.91
उपरोक्त आठ मामलों में निधियों के प्रावधान के बिना व्यय करने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।			
052 मशीनरी एवं उपकरण			
99 संस्थापक सुदृढीकरण आंकड़ा संग्रहण इत्यादि			
मूल	25.00	49.35	+37.65
पुनर्वि०	(-)13.30		
	11.70		

अनुदान संख्या 24-जारी

₹37.65 लाख के अंतिम आधिक्य के दृष्टिगत निर्माण कार्यो का निष्पादन न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती विवेकहीन सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
19 कौशल्य बाँध			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
91 कार्यकारी अभियन्ता			
मूल	..	98.08	+98.08
4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01 बाढ़ नियंत्रण			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
97 निष्पादन			
मूल	..	72,34.90	+72,34.90
95 विशेष राजस्व			
मूल	..	7,19.20	+7,19.20
99 मुख्य अभियंता			
मूल	..	4,80.46	+4,80.46
98 अधीक्षण अभियंता			
मूल	..	3,53.03	+3,53.03

उपरोक्त पाँच मामलों में निधियों के प्रावधान के बिना व्यय करने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
201 जल निकासी तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजना			
99 बाढ़ सुरक्षा तथा आपदा राहत तैयारियाँ			
मूल	66,70.00	1,04,96.07	+38,26.07
₹38,26.07 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।			
4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
16 वर्तमान चैनलों/जल निकास की पुनः स्थापना			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
91 कार्यकारी अभियन्ता			
मूल	..	64,23.97	+64,23.97
89 विशेष राजस्व			
मूल	..	7,83.54	+7,83.54
93 मुख्य अभियंता			
मूल	..	3,95.71	+3,95.71
92 अधीक्षक अभियंता			
मूल	..	3,04.04	+3,04.04

उपरोक्त चारों मामलो में निधियों के प्रावधान के बिना व्यय करने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 24-जारी

	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
800	अन्य व्यय			
98	नहर निर्माण			
	मूल	26,00.00	55,14.16	+29,14.16
₹29,14.16 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।				
13	आधुनिकीकरण तथा नहर पद्धति की लाइनिंग			
001	निदेशन तथा प्रशासन			
91	कार्यकारी अभियन्ता			
	मूल	..	19,68.91	+19,68.91
89	विशेष राजस्व			
	मूल	..	2,40.15	+2,40.15
93	मुख्य अभियंता			
	मूल	..	1,21.28	+1,21.28
92	अधीक्षक अभियंता			
	मूल	..	93.19	+93.19
15	चैनलों की लाइनिंग			
001	निदेशन तथा प्रशासन			

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
91 कार्यकारी अभियन्ता			
मूल	..	5,18.52	+5,18.52
89 विशेष राजस्व			
मूल	..	63.24	+63.24
93 मुख्य अभियंता			
मूल	..	31.94	+31.94
92 अधीक्षक अभियंता			
मूल	..	24.54	+24.54

उपरोक्त आठों मामलों में निधियों के प्रावधान के बिना व्यय के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

800 अन्य व्यय					
97 बी.एम.एल. हॉसी					
शाखा बुटाना शाखा					
बहुउद्देशीय सम्पर्क चैनल					
मूल	1,00.00	}	94.15	6,00.00	+ 5,05.85
पुनर्वि०	(-)5.85				

₹5,05.85 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
14 दादुपुर नलबी सिंचाई परियोजना			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
91 कार्यकारी अभियन्ता			
मूल	..	3,70.89	+3,70.89
89 विशेष राजस्व			
मूल	..	45.24	+45.24
93 मुख्य अभियंता			
मूल	..	22.85	+22.85
92 अधीक्षक अभियंता			
मूल	..	17.55	+17.55

उपरोक्त चारों मामलों में निधियों के प्रावधान के बिना व्यय करने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

9. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
07 नाबार्ड के अन्तर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधारीकरण			
789 अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना			

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)	
99 राज्य में अनुसूचित जाति आबादी क्षेत्र में आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अन्तर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधारीकरण				
मूल	69,50.00	75,60.00	32,42.86	(-)43,17.14
पुनर्वि०	6,10.00			

₹43,17.14 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत वित्त कमेटी तथा नाबार्ड द्वारा नाबार्ड के प्रस्तावित परियोजना के निपटान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा आवर्धित प्रावधान अवास्तविक सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

06 जल के समानुपात बंटवारे हेतु नए माइनर

- 800 अन्य व्यय
97 भूमि की वार्षिकी

मूल	20,00.00	7,95.00	7,76.43	(-)18.57
पुनर्वि०	(-)12,05.00			

₹1,205 लाख की बचत प्रत्येक लाभान्वितों को यूनिफ आई.डी. प्रदान करने की जटिल प्रक्रिया के फलस्वरूप लाभान्वितों को निधियां आबंटित न करने के कारण हुई।

₹18.57 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

- 789 अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
99 राज्य में अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र में जल के समानुपात बटवारे हेतु नए माइनर से सुधारीकरण			
मूल	12,00.00	11,45.00	10,51.14
पुनर्वि०	(-)55.00		
			(-)93.86

₹55 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत नए माइनरों के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा न करने के कारण हुई।

₹93.86 लाख को अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

19 कौशल्य बाँध

800 अन्य व्यय

98 कौशल्य बाँध-नहरों का निर्माण

मूल	7,00.00	70.00	1,50.77
पुनर्वि०	(-)6,30.00		
			+80.77

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती बाढ़ ऋतु 2015-16 के दौरान कौशल्य बाँध की टमकन व्यवहार को जांचने हेतु प्रस्तावित निर्माण कार्य को लम्बित रखने के कारण हुई।

₹80.77 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

**25 गति वृद्धि सिंचाई लाभ
कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)**

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
800 अन्य व्यय			
98 (ए.आई.बी.पी.) नहरों का निर्माण			
मूल 34,54.00	}
पुनर्वि० (-)34,54.00			

भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

- 13 नहर पद्धति का आधुनिकीकरण एवं लाइनिंग**
- 789 अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना
- 99 राज्य में अनुसूचित जातियों बहुत आबादी में वाटर कोर्स के पुनर्वास में सुधारीकरण

मूल 30,00.00	}	29,95.00	4,30.71	(-)25,64.29
पुनर्वि० (-)5.00				

₹25,64.29 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

- 800 अन्य व्यय
- 98 पुनर्वास नहर नेटवर्क नहरों का निर्माण

मूल 40,75.00	}	45,26.00	18,47.59	(-)26,78.41
पुनर्वि० 4,51.00				

अनुदान संख्या 24-जारी

₹26,78.41 लाख की विशाल बचत के दृष्टिगत नहर पद्धति का आधुनिकीकरण तथा लाईनिंग हेतु अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा आवर्धित प्रावधान विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
15 चैनलों की लाईनिंग			
800 अन्य व्यय			
98 बी.एम.एल.की क्षमता की पुनः स्थापना			
मूल	6,00.00	..	(-)6,00.00

समस्त प्रावधान का उपयोग न करने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

16 वर्तमान चैनलो/जल निकास पद्धति का पुनर्वास			
789 अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना			
99 राज्य में अनुसूचित जाति बहुत आबादी में वाटर कोर्सों का पुनर्वास तथा निर्माण कार्यों का सुधारीकरण			
मूल	25,00.00	19,19.27	(-)5,80.73

₹5,80.73 लाख की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

14 दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना			
789 अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना			

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
99 दादुपुर नलवी राज्य में अनुसूचित जाति बहुतत आवादी में भू जल का मीठे पानी में बदलाव			
मूल	2,50.00		
पुनर्वि०	(-)1,33.00		
	1,17.00	..	(-)1,17.00

₹133 लाख की बचत नये भूमि अधिग्रहण नियम के कानून के फलस्वरूप बकाया करों के अधिग्रहण न करने से हुई।

समस्त प्रावधान का उपयोग न करने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय

01 बाढ़ नियंत्रण

789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

99 राज्य में अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा, पुनः स्थापना एवं आपदा राहत प्रावधान

मूल	33,30.00	9,78.15	(-)23,51.85
-----	----------	---------	-------------

₹23,51.85 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

दोषपूर्ण बजट

10. वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला नीचे दर्शाया गया है:-

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
14 दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना			
800 अन्य व्यय			
98 दादूपुर नलवी-नहर का निर्माण			
मूल	4,00.00		
पुनर्वि0	(-)97.00		
	3,03.00	4,29.17	+1,26.17

₹1,26.17 लाख के अन्तिम आधिक्य के दृष्टिगत नए भूमि अधिग्रहण नियम के कानून के फलस्वरूप बकाया करों को अधिग्रहण न करने से पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती विवेकहीन सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

प्रभारित विनियोग

11. व्यय विनियोजन से ₹2,19,37,661 बढ़ गया; आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है।

12. आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
80 सामान्य			
800 अन्य व्यय			
98 न्यायालय आदेश के अन्तर्गत बढ़े हुए भू-मुआवजे की अदायगी			
मूल	50,00.00	52,19.38	+2,19.38

₹2,19.38 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 24-जारी

13. लोक निर्माण-कार्य विभाग, सिंचाई शाखा-मुख्य शीर्ष 2700-मुख्य सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय में निदेशन तथा प्रशासन और मशीनरी तथा उपकरण प्रभारों की समीक्षा:-

निम्न तालिका वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान निदेशन तथा प्रशासन और मशीनरी तथा उपकरण प्रभारों के आंकड़ें तथा निर्माण कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता दर्शाती है:-

योजना	परियोजना का नाम	वर्ष	निर्माण-कार्य परिव्यय	निदेशन और प्रशासन प्रभार	मशीनरी तथा उपकरण प्रभार	प्रतिशतता	
						निर्माण कार्य परिव्यय पर निदेशन तथा प्रशासन प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपकरण प्रभार
	1	2	3	4	5	6	7
1.	लोहारू नहर परियोजना	2012-13	1,41.35	1,51.78	..	1,07.38	..
		2013-14	2,54.69	3,43.89	..	1,35.02	..
		2014-15	1,34.47	1,71.21	..	11,27.32	..
2.	जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना	2012-13	1,63.93	1,76.02	..	1,07.38	..
		2013-14	1,64.67	2,22.33	..	1,35.02	..
		2014-15	1,94.02	2,47.02	..	1,27.32	..
3.	दादुपुर नलवी	2012-13	10,40.64	7,59.26	..	72.96	..
		2013-14	3,89.28	3,64.71	..	93.68	..
		2014-15	4,29.17	4,56.53	..	1,06.37	..
4.	पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार (नाबार्ड) परियोजना	2012-13	1,79,06.44	1,50,98.93	..	84.32	..
		2013-14	1,91,30.94	1,41,02.58	..	73.72	..
		2014-15	1,78,98.48	1,48,66.50	..	83.06	..
5.	पुनः स्थापना परियोजना	2012-13	56,64.90	41,33.18	..	72.96	..
		2013-14	65,92.09	61,76.08	..	93.69	..
		2014-15	74,33.43	79,07.26	..	1,06.37	..
6.	नवीन लघु परियोजना	2012-13	74,35.58	62,69.77	..	84.32	..
		2013-14	62,14.59	45,81.15	..	73.72	..
		2014-15	56,40.78	46,58.24	..	83.06	..
7.	पश्चिम यमुना नहर आवर्धन परियोजना	2012-13	31,53.69	33,86.28	..	1,07.38	..
		2013-14	27,18.34	36,70.41	..	1,35.02	..
		2014-15	32,62.60	41,53.85	..	1,27.32	..
8.	जुई नहर परियोजना	2012-13	1,13.84	8.23	..	7.22	..
		2013-14	1,21.92	4.75	..	3.90	..
		2014-15	1,33.50	7.28	..	5.45	..
9.	सिवानी उठान सिंचाई परियोजना	2012-13	2,97.92	21.53	..	7.22	..
		2013-14	2,57.49	10.03	..	3.90	..
		2014-15	2,73.00	14.90	..	5.46	..
10.	12वां वित्त आयोग परियोजना	2012-13
		2013-14
		2014-15
11.	नगल उठान सिंचाई परियोजना	2012-13	8.79	0.63	..	7.17	..
		2013-14
		2014-15

अनुदान संख्या24-जारी

निम्न तालिका वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान निदेशन तथा प्रशासन और मशीनरी तथा उपकरण प्रभागों के आंकड़ों तथा निर्माण कार्य, परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता दर्शाती है:-

		1	2	3	4	5	6	7
12.	संस्थात्मक सुदृढीकरण	2012-13	11,07.11	9,33.53	..	84.32	..	
	जैसे कि आंकड़े	2013-14	10,51.58	7,75.18	..	73.72	..	
	एकत्रीकरण	2014-15	10,08.58	8,37.73	..	83.06	..	
13.	जल विकास सर्वेक्षण एवं जांच	2012-13	
		2013-14	
		2014-15	
14.	भाखड़ा मुख्य लाईन	2012-13	
		2013-14	
		2014-15	
15.	एन.सी.आर. परियोजना	2012-13	
		2013-14	
		2014-15	
16.	एम.ओ.आई.सी.	2012-13	
		2013-14	
		2014-15	
17.	ओट्टलेक भंडारण परियोजना	2012-13	
		2013-14	
		2014-15	
18.	एम एंड ई बांध अपार्टमेंट परियोजना	2012-13	3,98.36	3,35.90	..	84.32	..	
		2013-14	1,54.61	1,13.97	..	73.72	..	
		2014-15	49.35	40.99	..	83.06	..	
19.	मुनिक नहर परियोजन	2012-13	
		2013-14	
		2014-15	
20.	कौशल्या बांध	2012-13	51.86	43.72	..	84.30	..	
		2013-14	1,42.60	1,05.12	..	73.72	..	
		2014-15	15.77	1,25.23	..	7,94.10	..	

अनुदान संख्या-24-जारी

14. उचन्त लेन-देन:-

'बहुउद्देशीय नदी परियोजना' के कारण मुख्य शीर्ष '2700- मुख्य सिंचाई' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत कोई व्यय लेखाबद्ध नहीं किया गया।

वर्ष 2014-15 के दौरान मुख्य शीर्ष में उचन्त के अन्तर्गत लेन-देन शून्य था। फिर भी आदि और अन्त शेषों का लेन-देन निम्न प्रकार से थे:-

	आदि शेष नामें + जमा (-)	नामें	जमा	(₹लाख में) अन्तः शेष नामें + जमा (-)
उचन्त के उप-शीर्ष				
स्टाक	(-)1,37.63	(-)1,37.63
विविध पेशगियां	(-) 24.15	(-) 24.15
जोड़.	(-)1,61.78	(-)1,61.78

15 'सिंचाई' के कारण मुख्य शीर्ष '2700-मुख्य सिंचाई' के अन्तर्गत व्यय वर्ष 2014-15 में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत कोई व्यय लेखाबद्ध नहीं किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में 'उंचत' के अन्तर्गत लेन-देन शून्य था। फिर भी आदि और शेषों का लेन-देन निम्न प्रकार से थे:-

	आदि शेष	नामें	जमा	(₹लाख में) अन्तः शेष
उचन्त के उप-शीर्ष				
स्टाक	(-)82.73	(-)82.73
विविध पेशगियां	(-)2,65.40	(-)2,65.40
जोड़	(-)3,48.13	(-)3,48.13

16. 'सिंचाई' के कारण मुख्य शीर्ष '2701-मध्यम सिंचाई' के अन्तर्गत व्यय वर्ष 2014-15 में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत कोई भी राशि शामिल नहीं हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान इस मुख्य शीर्ष उंचत के अन्तर्गत लेन-देन शून्य था। फिर भी आदि और शेषों का लेन-देन निम्न प्रकार से थे:-

	आदि शेष	नामें	जमा	(₹लाख में) अन्तः शेष
उचन्त के उप-शीर्ष				
स्टाक	(-)77.02	(-)77.02
विविध पेशगियां	44.30	44.30
जोड़.	(-)32.72	(-)32.72

अनुदान संख्या-24-जारी

17. भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के कारण मुख्य शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय वर्ष 2014-15 के दौरान शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत ₹98.18 लाख व्यय लेखाबद्ध किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में उचन्त के अन्तर्गत आदि और शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टाक	2,47.61	22.95	25.06	2,45.50
खरीद	217.12	3.44	8.77	2,11.79
विविध पेशगियां	1,30.04	35.85	25.36	1,40.53
कार्यशाला उचन्त	(-)7.53	35.94	35.94	(-)7.53
जोड़	5,87.24	98.18	95.13	5,90.29

18. सिंचाई के कारण मुख्य शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत लेखाबद्ध ₹3,42.01 लाख शामिल है। वर्ष 2014-15 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में 'उचन्त' के अन्तर्गत लेन-देनों आदि और अन्तः शेष सहित निम्न प्रकार से थे:-

(₹लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टाक	5,97.00	2,80.62	3,04.38	5,73.24
विविध पेशगियां	(-)80,06.53	61.39	60.75	(-)80,05.79
जोड़	(-)74,09.53	3,42.01	3,65.13	(-)74,32.55

19. 'भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड' के कारण मुख्य शीर्ष '4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत लेखाबद्ध ₹3.10 लाख शामिल है। वर्ष 2014-15 के दौरान आदि और अन्तः शेषों सहित लेन-देन निम्न प्रकार से थे:-

(₹लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टाक	(-)10,94.77	(-)10,94.77
विविध पेशगियां	(-)5,65.90	3.10	2.82	(-)5,65.62
जोड़	(-)16,60.67	3.10	2.82	(-)16,60.39

अनुदान संख्या-24-समाप्त

20. मुख्य शीर्ष '4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत कोई व्यय लेखाबद्ध नहीं किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में उचन्त के अन्तर्गत आदि और अन्त शेष निम्न प्रकार से थे।

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	(₹लाख में)
				अन्तः शेष
स्टाक	25,91.54	25,91.54
विविध पेशगियां	1,04,83.90	1,04,83.90
जोड़	1,30,75.44	1,30,75.44

21. मुख्य शीर्ष '4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत कोई व्यय लेखाबद्ध नहीं किया गया। इस मुख्य शीर्ष में 'उचन्त' शीर्ष के अन्तर्गत 2014-15 के दौरान आदि और अन्त शेष निम्न प्रकार से थे:-

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	(₹लाख में)
				अन्तः शेष
स्टाक	(-)1,80.70	(-)1,80.70
विविध पेशगियां	(-)27.54	(-)27.54
जोड़	(-)2,08.24	(-)2,08.24

अनुदान संख्या 25

अनुदान संख्या 25-उद्योग

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)	
राजस्व:					
मुख्य शीर्ष					
2057	पूर्ति तथा निपटान				
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग				
2852	उद्योग				
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं				
दत्तमत					
	मूल	91,04,14	1,22,46,67	1,14,95,12	(-)7,51,55
	पूरक	31,42,53			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)					
7,51,35					
प्रभारित					
	मूल	10	10	..	(-)10
	पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)					
10					
पूंजीगत:					
मुख्य शीर्ष					
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय				
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय				
दत्तमत					
	मूल	1,02,00	1,02,00	1,01,00	(-)1,00
	पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					
शून्य					

अनुदान संख्या 25-जारी

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व:

दत्तमत अनुदान

1. ₹7,51.55 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 में ₹31,42.53 लाख का पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
2. बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई जो नीचे टिप्पणी 3 में वर्णित कुछ अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2851 ग्राम तथा लघु उद्योग			
102 लघु उद्योग			
71 एम.एस.एम.ई.क्लस्टर विकास			
मूल	6,00.00
पुनर्वि०	(-)6,00.00
परियोजनाओं की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।			
74 हथकरघा, हस्तशिल्प का विकास तथा निर्यात			
मूल	55.50	17.35	17.35
पुनर्वि०	(-)38.15

बचत योजना के अन्तर्गत कम दावों की प्राप्ति के कारण बचत हुई।

अनुदान संख्या 25-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत (-)
103 हथकरघा उद्योग			
93 हथकरघा एजेंसियों द्वारा हथकरघा कपड़े की बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से एकमुश्त छूट की प्रतिपूर्ति			
मूल	2,49.00
पुनर्वि०	(-)2,49.00
योजना के अन्तर्गत फ्रैश प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।			
91 स्वास्थ्य बीमा योजना			
मूल	48.00	7.75	7.74
पुनर्वि०	(-)40.25		(-) 0.01
₹40.25 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।			
105 खादी एवं ग्रामीण उद्योग			
96 हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड को सहायतानुदान			
मूल	1,00.00	22.50	22.50
पुनर्वि०	(-)77.50		..
मिट्टी कला बोर्ड के लम्बित दावों की प्राप्ति न होने के कारण बचत हुई।			

अनुदान संख्या 25 जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता+
2057 पूर्ति तथा निपटान			
101 क्रय			
99 क्रय संगठन			
मूल	3,34.33	2,23.95	2,23.95
पुनर्वि०	(-)1,10.38		

₹1,10.38 लाख की बचत रिक्त पदों को न भरे जाने (₹52.69 लाख), संगणकीकरण (सूचना प्रौद्योगिकी) के अन्तर्गत एन्टीवायरस के साथ प्रशिक्षण हेतु लैपटाप/डेस्कटाप विविध वस्तुओं का रख-रखाव न होने से (₹24.95 लाख), परियोजना प्रबन्धक, वित्त अधिकारी, लेखा अधिकारी तथा संविदा सेवाओं के अन्तर्गत दो कार्य संसाधन (₹12.64 लाख), अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से रिक्त पदों को न भरे जाने (₹5.61 लाख) तथा कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹5 लाख) के कारण हुई।

2852 उद्योग

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

89 योजनागत स्कीमो के

अन्तर्गत उद्योग

विभाग की स्थापना

98 स्थापना व्यय

मूल	1,25.00	1,00.58	1,00.73	+ 0.15
पुनर्वि०	(-)24.42			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹52.59 लाख), मासिक वित्तीय सहायता के अनुग्रहपूर्वक दावों का कम निपटान (₹7 लाख), पेट्रोल, तेल एवं स्नेहद्रव्य तथा कार्यालय व्ययों के अन्तर्गत मितव्ययता (₹6.05 लाख) के कारण हुई जो अधिक अनुबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति पर अधिक व्यय (₹41.27 लाख) से आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

अनुदान संख्या 25 जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
08 उपभोक्ता उद्योग			
789 अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना			
99 अनुसूचित जाति के लाभचिह्नों हेतु खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन			
मूल	50.00	30.00	30.00
पुनर्वि०	(-)20.00		

बचत योजना के अन्तर्गत कम परियोजनाओं की प्राप्ति के कारण हुई।

3. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2852 उद्योग			
08 उपयोक्ता उद्योग			
600 अन्य			
98 खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन			
मूल	4,00.00	15,70.00	15,69.99
पूरक	8,00.00		
पुनर्वि०	3,70.00		

वचनबद्ध दायित्वों पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो फिर खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन के लम्बित दावों के निपटान पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा आवर्धित हुआ (₹3,77.50 लाख) जो परियोजनाओं को कम प्राप्ति के कारण बचत (₹7.50 लाख) से प्रतिसंतुलित हुआ।

2851 ग्रामीण एवं लघु उद्योग

105 खादी एवं ग्रामीण उद्योग

अनुदान संख्या 25-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	अधिकता+
99 खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड को सहायतानुदान			
मूल	12,80.00	13,68.00	13,68.00
पुनर्वि०	88.00		

खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड के लम्बित दावों के निपटान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

4. औद्योगिक कर्जा निधि:- इस निधि को वर्ष 1960-61 में संयुक्त पंजाब राज्य द्वारा स्थापित किया गया था और निजी क्षेत्रों में उद्योगों का वित्त पोषण करने के लिए लोक लेखे में आवर्ती (रिवाल्विंग) निधि के रूप में जारी रखा जा रहा है।

राशि का, जिससे वर्ष के दौरान निधि को आवर्धित किया जाना अपेक्षित है, अनुदान में मुख्य शीर्ष-‘2851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग’ के अधीन शीर्ष ‘औद्योगिक कर्जा निधि को अन्तरण’ के अंतर्गत प्रावधान किया जाता है। वर्ष के दौरान ऐसा कोई प्रावधान नहीं था तथा वर्ष 2014-15 के दौरान मुख्य शीर्ष ‘2851 ग्रामोद्योग और लघु उद्योग’ के अधीन कोई लेन-देन नहीं हुआ था।

‘उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम 1935’ के अन्तर्गत दिए गये कर्जे पहले मुख्य शीर्ष ‘6851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्जे’ के अधीनस्थ ‘102-लघु उद्योग-उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत कर्जे’ के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया जाता है।

मार्च 2015 के अंत में निधि में ₹7,45.85 लाख का शेष था।

निधि का लेखा मुख्य शीर्ष ‘8229-विकास तथा कल्याण निधि-106-औद्योगिक विकास निधि’ वित्त लेखे 2014-15 की विवरण संख्या 21 एवं 22 में शामिल है।

अनुदान संख्या 26

अनुदान संख्या 26-खान एवं भू-विज्ञान

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत(-)
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
	दत्तमत			
	मूल	10,31,00	11,09,21	9,11,50
	पूरक	78,21		
	वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)			1,18,70

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

1. ₹1,97.71 लाख की समस्त बचत में से ₹79.01 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
2. ₹1,97.71 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत मार्च 2015 में प्राप्त ₹78.21 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा।
3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत(-)
2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
02 खानों का विनियमन तथा विकास			
001 निदेशन एवं प्रशासन			

अनुदान संख्या 26-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
94 खानों एवं खनिजों का विकास			
98 स्थापना व्यय			
मूल	1,20.00	19.74	19.74
पुनर्वि०	(-)1,00.26		

₹1,00.26 लाख की बचत मुख्यतः संगणकीकरण, मशीनरी एवं उपकरण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों (₹61.66 लाख) तथा कौंसिल से कानूनी फीस के दावों की कम प्राप्ति, व्यवसायिक तथा विशेष सेवाएं मोटर वाहन, लघु निर्माण कार्य, यात्रा व्ययों तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹38 लाख) के कारण हुई।

99 क्षेत्रीय अमला-खानों एवं
खनिजों का विकास

98 स्थापना व्यय

मूल	5,92.05	6,39.43	5,76.62	(-)62.81
पूरक	62.04			
पुनर्वि०	(-)14.66			

₹62.81 लाख की अंतिम बचत के दृष्टिगत बढ़े हुए वेतन तथा मंहगाई भत्ते पर व्यय को पूरा करने के फलस्वरूप पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो फिर मुख्यतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति, कम अवकाश यात्रा रियायत, वकील को कानूनी फीस तथा अनुग्रहपूर्वक दावों (₹39.44 लाख), मोटरवाहनों तथा मशीनरी एवं उपकरणों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों (₹11.26 लाख) के कारण बचत हुई जो हड़ताल अवधि का वेतन तथा मंहगाई भत्ता का ऐरियर (₹43.55 लाख) तथा पेट्रोल, तेल एवं स्नेहद्रव्य दावों की अधिक प्राप्ति (₹2.97 लाख) से प्रत्याशा से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ, अपर्याप्त सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 26-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
98 राज्य में खनिज अन्वेषण और खनिजों में रियायत के लिए खानों तथा खनिजों का विकास			
मूल	3,15.95	3,31.34	3,15.14
पूरक	16.17		
पुनर्वि०	(-)0.78		
			(-)16.20

₹16.20 लाख की अंतिम बचत के दृष्टिगत बढे हुए वेतन पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान में आवर्धन अवास्तविक सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए है (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 27

अनुदान संख्या 27-कृषि

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व:			
मुख्य शीर्ष			
2401 फसल कृषि कर्म			
2402 मृदा तथा जल संरक्षण			
2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
2435 अन्य कृषि कार्यक्रम			
2702 लघु सिंचाई			
दत्तमत			
मूल	12,54,54,25	12,76,14,08	8,02,39,62
पूरक	21,59,83		
			(-)4,73,74,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)			4,55,65,49
प्रभारित			
मूल	36,00	36,00	2,99
पूरक	..		
			(-)33,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)			33,01

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

1. ₹4,73,74.46 लाख की समस्त बचत में से ₹18,08.97 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
2. ₹4,73,74.46 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 एवं मार्च 2015 में ₹21,59.83 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय अपने मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा।
3. बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई जो टिप्पणी 4 में वर्णित कुछ शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई:-

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2401 फसल कृषि कर्म			
119 बागवानी तथा वनस्पति हेतु योजना			
69 राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु योजना			
मूल	1,52,50.00		
पुनर्वि०	(-)72,65.68	79,84.32	79,84.32 ..

₹72,65.68 लाख की बचत मुख्यतः सहायतानुदान के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹71,28.28 लाख), अनुबन्धित सेवाएं (₹49.36 लाख) तथा पदों के रिक्त रहने (₹80.71 लाख) के कारण हुई।

72 माइक्रो सिचाई योजना

मूल	75,29.00		
पुनर्वि०	(-)46,74.96	28,54.04	28,54.04 ..

₹46,74.96 लाख की बचत मुख्यतः सहायतानुदान के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹45,57.92 लाख), अनुबन्धित सेवाएं (₹56.53 लाख) तथा व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं (₹52.97 लाख) के कारण हुई।

97 हरियाणा में विभिन्न बागवानी क्रियाकलापों हेतु योजना

मूल	18,80.10		
पुनर्वि०	(-)2,39.18	16,40.92	16,41.07 + 0.15

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹2,23.47 लाख), सामग्री एवं आपूर्ति के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों (₹6.77 लाख) तथा अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु कुछ ही कार्यक्रम करने से कम यात्राएं करने (₹6.59 लाख) से हुई जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं अनुग्रहपूर्वक ज्यादा दावों की प्राप्ति (₹11.49 लाख) से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
58	बागवानी क्षेत्र में उन्नत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय तकनीक के उन्नयन हेतु योजना		
मूल	7,00.00	5,50.19	5,51.10
पुनर्वि०	(-)1,49.81		
			+ 0.91

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः सामग्री एवं आपूर्ति के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों के अपनाने (₹1,47.34 लाख), मजदूरी (₹16.14 लाख), अनुबंधित सेवाएं (₹15.39 लाख), मशीनरी एवं उपकरण (₹7.16 लाख) तथा ऊर्जा प्रभारों की कम प्राप्ति (₹6.32 लाख) से हुई जो अन्य प्रभारों में लम्बित बिलों की भुगतान दर पर अधिक व्यय (₹56.23 लाख) द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

65	हरियाणा राज्य में समेकित बागवानी विकास हेतु योजना		
मूल	7,50.00	6,25.39	6,25.40
पुनर्वि०	(-)1,24.61		
			+ 0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः सबसिडी दावों की कम प्राप्ति (₹93.94 लाख), फार्म के विकास के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹14.44 लाख), मजदूरी (₹4.21 लाख), मशीनरी एवं उपकरण (₹3.39 लाख) तथा मोटर वाहनों (₹2.92 लाख) के कारण हुई।

55	औषधिद्वारा पौधों का मिशन योजना		
मूल	1,90.00	87.50	87.50
पुनर्वि०	(-)1,02.50		
			..

बचत सहायतानुदान के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
92 कृषि मानवीय संसाधन विकास हेतु योजना			
98 अन्य व्यय			
मूल	2,00.00	1,15.72	1,15.72
पुनर्वि०	(-)84.28		

₹84.28 लाख की बचत प्रकाशन (₹19.59 लाख), अनुबंधित सेवाएं (₹19.54 लाख), लघु निर्माण कार्यों को अंतिम रूप में दिये जाने (₹12.80 लाख), सामग्री एवं आपूर्ति (₹5 लाख), अन्य प्रभार (₹4.51 लाख) तथा मजदूरी (₹3.35 लाख) के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुई।

63 हरियाणा में बागवानी फसल बीमा योजना हिस्सा आधार 50:50			
मूल	50.00	1.48	1.48
पुनर्वि०	(-)48.52		

₹48.52 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत सबसिडी के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

70 हरियाणा में प्रदर्शन कम खाद्य प्रोसेसिंग तकनीक हेतु योजना			
मूल	69.00	27.78	27.80
पुनर्वि०	(-)41.22		

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹23.07 लाख) तथा पदों के रिक्त रहने (₹8.27 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
98 बागवानी निदेशक की स्थापना हेतु योजना			
98 स्थापना व्यय			
मूल	2,94.00		
पुनर्वि०	(-)37.94	2,56.06	2,56.06 ..

₹37.94 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹28.13 लाख), अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम यात्राएं करने (₹3.65 लाख), अवकाश यात्रा रियायत की कम प्राप्ति (₹3.04 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कम प्राप्ति (₹2.97 लाख) के कारण हुई।

60 बागवानी में सूचना एवं तकनीक हेतु योजना

मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	(-)28.18	71.82	71.81 (-)0.01

₹28.18 लाख की बचत मुख्यतः अनुबंधित सेवाओं (₹16.40 लाख) तथा व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं (₹8 लाख) के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुई।

94 हरियाणा में बागवानी निदेशालय की स्थापना

मूल	1,60.00		
पुनर्वि०	(-)27.12	1,32.88	1,33.10 +0.22

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹21.99 लाख), सामग्री एवं आपूर्ति में मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹4.63 लाख), लघु निर्माण कार्यों को अन्तिम रूप न दिये जाने (₹3.38 लाख) के कारण हुई जो लम्बित यात्रा व्यय बिलों (₹3.88 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
66 हरियाणा राज्य में बायो तकनीक केन्द्र हेतु योजना			
मूल 80.00	58.96	58.95	(-)0.01
पुनर्वि० (-)21.04			

₹21.04 लाख की बचत मुख्यतः मशीनरी एवं उपकरणों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹12 लाख), लघु निर्माण कार्यों को अन्तिम रूप न दिये जाने (₹5.83 लाख) तथा पेट्रोल, तेल तथा स्नेहद्रव्य (₹3.37 लाख) के कारण हुई।

108 वाणिज्यिक फसले			
91 कपास का अधिककरण उत्पादन-मिनी मिशन-II के अन्तर्गत कपास पर सघन एवं तकनीक मिशन			
99 सामान्य योजना			
मूल 44,15.00
पुनर्वि० (-)44,15.00			

योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

98 हरियाणा में उच्च पैदावार विभिन्न सुधार कार्यक्रम			
मूल 22,80.20	17,30.64	16,94.89	(-)35.75
पुनर्वि० (-)5,49.56			

₹5,49.56 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹4,87.93 लाख), अवकाश यात्रा रियायत की कम प्राप्ति (₹44.68 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावों (₹3.98 लाख) तथा किराये

अनुदान संख्या 27-जारी

की दर, तथा करों को अन्तिम रूप न दिये जाने (₹10.42 लाख) के कारण हुई जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति (₹3.57 लाख) से आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

₹35.75 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
83 फसल विविधता के उन्नयन हेतु योजना			
मूल	8,00.00		
पुनर्वि०	(-)3,70.00	4,30.00	4,30.00 ..

₹370 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों से सबसिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

81 गन्ने पर तकनीक मिशन हेतु योजना			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	(-)3,04.17	1,95.83	1,95.83 ..

₹3,04.17 लाख की बचत मुख्यतः लाभान्वितों से सबसिडी के लिए कम माँग की प्राप्ति (₹3,00.13 लाख) तथा कार्यालय व्ययों के अंतर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹3.54 लाख) के कारण हुई।

94 हरियाणा में गन्ना विकास			
मूल	10,36.80		
पुनर्वि०	(-)2,60.66	7,76.14	7,76.13 (-)0.01

₹2,60.66 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹2,29.53 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति (₹14.62 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों (₹7.58 लाख) की कम प्राप्ति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
86 तिलहन बीज, तिलहन दालें तथा मक्का (आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.) की सघन योजना			
99 सामान्य योजना			
मूल 4,40.00	} 2,27.78	} 2,27.78	} ..
पुनर्वि० (-)2,12.22			
₹2,12.22 लाख की बचत मुख्यतः भारत सरकार द्वारा निधियों का कम जारी करने (₹1,75.22 लाख) तथा पदों के रिक्त रहने (₹28 लाख) के कारण हुई।			
80 हरियाणा राज्य में कपास उत्पादन के उन्नयन हेतु योजना			
मूल 4,50.00	} 2,54.11	} 2,54.10	} (-)0.01
पुनर्वि० (-)1,95.89			
₹1,95.89 लाख की बचत मुख्यतः लाभान्वितों से सबसिडी के लिए मांग की कम प्राप्ति (₹1,74.72 लाख) तथा रिक्त पदों को न भरे जाने (₹12 लाख) के कारण हुई।			
111 कृषि आर्थिक एवं सांख्यिकी			
91 मौसम आधारित फसल बीमा हेतु योजना			
मूल 40,00.00	} ..	} ..	} ..
पुनर्वि० (-)40,00.00			

सबसिडी के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने से पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
90 संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि०	(-)10,00.00

पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण सबसिडी, खरीद प्रशिक्षण एवं कार्यालय व्ययों में मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹900 लाख) तथा बाह्य स्रोत अनुबन्धित अमला की कम नियुक्ति (₹100 लाख) के कारण हुआ।

92 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

99 सामान्य योजना

मूल	2,50.00		
पुनर्वि०	(-)2,50.00

पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण योजना को लागू न किये जाने के फलस्वरूप किसानों को सबसिडी न दिये जाने के कारण हुआ।

99 सांख्यिकी कक्ष

मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	(-)75.76	1,24.74	1,24.73
			(-)0.01

₹75.76 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹64.09 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक की कम प्राप्ति (₹5 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों (₹3.10 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
97 हरियाणा में मौलिक फसलों के उत्पादन के क्षेत्र के अनुमान में सामयिक रिपोर्टिंग			
मूल 50.00	19.56	19.56	..
पुनर्वि० (-)30.44			
₹30.44 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹20.72 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹3.50 लाख) के कारण हुई।			
789 अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना			
88 अनुसूचित जाति के किसानों हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना			
मूल 31,00.00
पुनर्वि० (-)31,00.00			
93 कपास उत्पादन में वृद्धि-अनुसूचित जाति किसानों हेतु मिनी मिशन-II के अन्तर्गत कपास पर सघन एवं तकनीकी			
मूल 11,05.00
पुनर्वि० (-)11,05.00			

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
91 अनुसूचित जाति किसानों हेतु गुणवत्ता बीजों के उत्पादन तथा वितरण हेतु ससंधानों की सुविधा का विकास एवं सुदृढीकरण हेतु योजना			
मूल	25.00		
पुनर्वि०	(-)25.00

उपरोक्त तीनों मामलों में भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

87 सूक्ष्म सिंचाई अनुसूचित जातियों किसानों हेतु आश्रित कृषि पर राष्ट्रीय मिशन हेतु योजना			
मूल	7,20.00		
पुनर्वि०	(-)7,20.00

योजना के अन्तर्गत सबसिडी की कम प्राप्ति होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

97 अनुसूचित जातियों हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु योजना			
मूल	3,35.00		
पुनर्वि०	(-)3,35.00

पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान जिलों से सबसिडी के अन्तर्गत परियोजनाओं की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पित हुआ।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	बचत (-)
89 किसानों के समुह एवं एस.सी. किसानों को यन्त्रों/मशीनरी पर सबसिडी हेतु योजना			
मूल 5,00.00	} 2,85.94	2,85.94	..
पुनर्वि० (-)2,14.06			
बचत योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों से दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।			
95 कृषि श्रामिकों सहित एस.सी.किसानों हेतु मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन हेतु योजना			
मूल 4,50.00	} 2,60.46	2,60.46	..
पुनर्वि० (-)1,89.54			
बचत योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों से सबसिडी की कम प्राप्ति तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रबंध न करने के कारण हुई।			
90 अनुसूचित जातियों हेतु विस्तार सुधारने के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम को सहायता			
मूल 1,40.00	} 6.71	6.71	..
पुनर्वि० (-)1,33.29			
94 हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों हेतु तिलहन दालें, आयलपाम, मक्का (आई.सी.ओ.पी.ओ.एम.) की केन्द्रीय प्रायोजित समेकित योजना			
मूल 85.00	} 21.01	21.01	..
पुनर्वि० (-)63.99			
उपरोक्त दानों मामलों में बचत भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी न किये जाने के कारण हुई।			

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
99 अनुसूचित जातियों के किसानों हेतु खाद्यान्न का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भंडारण हेतु योजना			
मूल 4,00.00	2,80.00	2,80.00	..
पुनर्वि० (-)1,20.00			

बचत योजना के अंतर्गत लाभान्वितों से सबसिडी की कम प्राप्ति के कारण हुई।

109 विस्तार एवं किसानों का प्रशिक्षण			
80 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु योजना			
मूल 1,96,65.00	1,71,97.52	1,71,97.52	..
पुनर्वि० (-)24,67.48			

बचत भारत सरकार द्वारा निधियों के देशी से जारी किये जाने (₹24,83.48 लाख) के कारण हुई, जो बाह्य अनुबन्धित अमले की नियुक्ति पर अधिक व्यय (₹16 लाख) द्वारा प्रतिसन्तुलित हुई।

78 कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन			
मूल
पूरक 21,59.80			
पुनर्वि० (-)21,59.80			

नई केन्द्रीय प्रायोजित शेयरिंग योजना होने से किसानों को सबसिडी प्रदान करने, मशीनरी एवं उपकरण तथा प्रशिक्षण पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान बनाया गया। योजना के अंतर्गत अधिसूचना को अन्तिम रूप न दिये जाने से पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
99 कृषि प्रदर्शनी तथा व्यवस्था			
मूल 67,56.70	57,15.68	56,79.92	(-)35.76
पुनर्वि0 (-)10,41.02			

₹10,41.02 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹10,57.14 लाख), किराया, दर तथा करों को अन्तिम रूप न दिये जाने (₹11 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक की कम प्राप्ति (₹8.94 लाख) से हुई जो अधिक चिकित्सा दावों पर अधिक व्यय द्वारा (₹39.30 लाख) आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

₹35.76 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

93 कृषि विस्तार संसाधन के सुदृढीकरण हेतु योजना

मूल 8,50.00	1,79.10	1,79.10	..
पुनर्वि0 (-)6,70.90			

बचत मुख्यतः भवन निर्माण कार्यों को अन्तिम रूप न दिये जाने (₹300 लाख), अनुसंधान के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹1,66.48 लाख), मोटरवाहन (₹100 लाख) तथा फर्नीचर (₹25 लाख), अन्य प्रभार बिलों के अन्तर्गत कम भुगतान करने (₹44.47 लाख), कार्यालय व्यय (₹41.50 लाख) तथा पेट्रोल/डीजल की दरों में कमी (₹25.54 लाख) के कारण हुई जो अधिक बाह्य स्रोत से अनुबन्धित अमले की नियुक्ति (₹32.09 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

85 विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सैक्टर योजना हेतु योजना

ल 6,20.00	92.38	92.38	..
पुनर्वि0 (-)5,27.62			

अनुदान संख्या 27-जारी

बचत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबन्धन न करने (₹6,02.65 लाख) के कारण हुई जो बाह्य स्रोत से अनुबन्धित अमले की नियुक्ति (₹69.52 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
81 निरन्तर कृषि सामाजिक महत्व को बढ़ावा देने हेतु योजना			
मूल 13,00.00	8,00.00	8,00.00	..
पुनर्वि० (-)5,00.00			

बचत योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों से सबसिडी की कम प्राप्ति के कारण हुई।

79 हरियाणा किसान आयोग का संविधान हेतु योजना			
मूल 3,00.00	1,83.27	1,83.27	..
पुनर्वि० (-)1,16.73			

बचत मुख्यतः बाह्य स्रोत से अनुबन्धित अमले की कम नियुक्ति (₹39.30 लाख), रिक्त पदों को न भरने (₹21.02 लाख), बाह्य स्रोत व्यवसायिक अमले की कम नियुक्ति (₹16.21 लाख), कार्यालय व्यय पर कम व्यय (₹13.35 लाख), कम प्रकाशन बिल (₹8.46 लाख), फर्नीचर के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹5 लाख) तथा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम यात्राएं करने (₹4.61 लाख) के कारण हुई।

84 जैव कृषि पर राष्ट्रीय परियोजना हेतु योजना (100% सी.एस.एस.)			
मूल 50.00
पुनर्वि० (-)50.00			

अनुदान संख्या 27-जारी

भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
97 किसानों को कृषि विस्तार प्रशिक्षण सेवाओं हेतु योजना			
मूल	1,48.00		
पुनर्वि०	(-)25.78		
	1,22.22	1,22.24	+0.02

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹15.62 लाख), पेट्रोल, तेल तथा स्नेहद्रव्य की दरों में कमी (₹2.88 लाख), अनुग्रहपूर्वक के अन्तर्गत दावों की कम प्राप्ति (₹2 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति (₹1.89 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों (₹1.37 लाख) के कारण हुई।

105 खाद तथा उर्वरक			
98 रसायनिक उर्वरकों की खरीद एवं वितरण कृषि विभाग के साथ अमले का जारी रखना			
मूल	15,44.70		
पुनर्वि०	(-)4,25.98		
	11,18.72	11,18.71	(-)0.01

₹4,25.98 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹3,83.07 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹16.78 लाख), भवन निर्माण कार्य का अन्तिम रूप न दिए जाने (₹15.47 लाख), उर्वक तथा क्षेत्रीय उपकरणों की कम खरीद (₹5.36 लाख) तथा अन्य उपायों की अन्तर्गत मितव्ययता उपाय (₹4.66 लाख) के कारण हुई जो अधिक अवकाश यात्रा रियायत दावों की अधिक प्राप्ति (₹7.06 लाख) से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

85 मिट्टी में सुक्ष्म पौष्टिकता की की कमी की प्रबन्ध हेतु योजना			
--	--	--	--

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
99 सामान्य योजना			
मूल 4,00.00	8.92	8.92	..
पुनर्वि० (-)3,91.08			
योजना के अंतर्गत बचत लाभान्वितों से सबसिडी की कम प्राप्ति के कारण हुई।			
94 बायो गैस सयंत्रों की स्थापना			
मूल 2,50.00
पुनर्वि० (-)2,50.00			
भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।			
84 वर्ष 2010-11 के दौरान भूमि स्वास्थ्य एवं उर्वरकरता के प्रबन्धन पर राष्ट्रीय परियोजना हेतु योजना			
मूल 2,00.00	37.38	37.38	..
पुनर्वि० (-)1,62.62			
बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹1,26.73 लाख), क्षेत्रीय उपकरण/मशीनरी की खरीद न करने (₹10 लाख), सामग्री एवं आपूर्ति के अंतर्गत मितव्ययता उपाय (₹9.88 लाख) तथा बाह्य स्रोत अनुबंधित अमले की कम नियुक्ति (₹8.71 लाख) के कारण हुई।			
96 कृषि सामग्री पर गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु योजना			
मूल 3,00.00	1,71.71	1,71.69	(-)0.02
पुनर्वि० (-)1,28.29			

अनुदान संख्या 27-जारी

₹1,28.29 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹85.99 लाख), खाद एवं क्षेत्रीय उपकरणों की कम खरीद (₹19.40 लाख), सामग्री तथा आपूर्ति के अन्तर्गत मितव्ययता उपाय (₹4.62 लाख), अनुग्रहपूर्वक दावों का न प्राप्त होना (₹3.50 लाख), अवकाश यात्रा रियायत के दावों की कम प्राप्ति (₹3.36 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे (₹3.21 लाख) के कारण हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
95 कृषि सामग्री पर गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु योजना			
99 सामान्य योजनना			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	(-)94.32	5.68	5.68 ..

योजना के अन्तर्गत नई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का भवन न बनने (₹60 लाख) तथा सामग्री एवं आपूर्ति के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹34.32 लाख) के कारण हुई।

107 वनस्पति रक्षण			
99 पौधा सुरक्षा परिचालन			
मूल	17,34.60		
पुनर्वि०	(-)4,24.16	13,10.44	13,10.44 ..

बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹4,08.37 लाख), अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹10.52 लाख), सामग्री एवं आपूर्ति के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹8.96 लाख) तथा किराया, दर तथा करों को अन्तिम रूप न दिये जाने (₹5.86 लाख) के कारण हुई।

93 सामान्य वर्ग के किसानों द्वारा खाद्यान्न के सुरक्षित तथा वैज्ञानिक भण्डारण			
99 सामान्य योजना			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि०	(-)90.00	2,10.00	2,10.00 ..

बचत योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों से मांग की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
94 समेकित कीटनाशक प्रबन्धन के अन्तर्गत सिरसा में बायोलोजिकल नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना तथा सुदृढीकरण हेतु योजना			
99 सामान्य योजना			
मूल	50.00	6.73	6.73
पुनर्वि०	(-)43.27		
बचत योजना के अन्तर्गत यंत्रों की खरीद की लिस्ट को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण हुई।			
113 कृषि अभियांत्रिकी			
83 केन्द्रीय क्षेत्र योजना "पोस्ट हारवेस्ट तकनीकी एवं प्रबन्धन"			
मूल	3,00.00
पुनर्वि०	(-)3,00.00		
नई प्रास्तवित योजना "कृषि मशीनरी पर उप-मिशन" में निधियों को भेजने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।			
99 कृषि सम्बन्धी अभियांत्रिकी			
मूल	13,25.45	11,34.81	11,34.81
पुनर्वि०	(-)1,90.64		

बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹1,66.83 लाख), अनुग्रहपूर्वक दावों (₹5.79 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (₹4.36 लाख) की कम प्राप्ति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
96 कृषि अभियांत्रिकी सेवाओं हेतु योजना			
मूल 3,00.00	1,32.10	1,32.11	+0.01
पुनर्वि० (-)1,67.90			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः लाभान्वितों से सबसिडी दावों की कम प्राप्ति (₹82.58 लाख), दैनिक मजदूरों की कम नियुक्ति (₹56.10 लाख), कृषि उपकरणों की कम खरीद (₹13.35 लाख), रिक्त पदों को न भरने (₹4.11 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति (₹4 लाख) के कारण हुई।

103 बीज			
96 गुणवत्ता बीजों का उत्पादन एवं विपणन हेतु विकास एवं ससंधान सुविधाओं की सुदृढ़ता हेतु योजना			

मूल 50.00
पुनर्वि० (-)50.00			

भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न किए जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01 फसल कृषि-कर्म			
277 शिक्षा			
99 हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान			

मूल 1,24,97.00	96,18.22	78,72.90	(-)17,45.32
पुनर्वि० (-)28,78.78			

अनुदान संख्या 27-जारी

₹17,45.32 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत सहायतानुदान के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों से ₹28,78.78 लाख की बचत अपर्याप्त सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
99 सामान्य योजना			
मूल	1,85,40.00		
पुनर्वि०	(-)37,06.58		
	1,48,33.42	1,48,33.42	..

बचत सहायतानुदान में मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुई।

2402 मृदा तथा जल संरक्षण				
102 मृदा संरक्षण				
99 हरियाणा में कृषि भूमि पर भू-संरक्षण तथा जल संरक्षण हेतु योजना				
मूल	22,93.00			
पुनर्वि०	(-)3,33.34			
	19,59.66	19,71.26	+11.60	

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹3,70.03 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹20.59 लाख) के कारण हुई जो कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश यात्रा रियायत के एवज में एक महीने का वेतन देने (₹29.71 लाख), लघु निर्माण कार्यों को पूरा होने (₹20.99 लाख) तथा अनुबन्धित अमले को अधिक भुगतान (₹7.78 लाख) से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

₹11.60 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

86 राज्य में जलीय क्षेत्रों में सुधार के लिए वृद्धि परियोजना हेतु योजना				
---	--	--	--	--

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
99 सामान्य योजना			
मूल 4,10.00	1,27.95	1,27.39	(-)0.56
पुनर्वि0 (-)2,82.05			

₹2,82.05 लाख की बचत मुख्यतः भारत सरकार द्वारा लघु निर्माण कार्यों के अन्तर्गत निधियों को जारी न करने (₹220 लाख), पदों के रिक्त रहने (₹48.74 लाख) तथा अनुबन्धित सेवाओं के अन्तर्गत मितव्ययता उपाय (₹9.02 लाख) अपनाने के कारण हुई।

80 जल बचाव तकनीक अपनाने पर सहायता प्रदान करने हेतु योजना			
मूल 10,00.00	8,32.38	8,32.37	(-)0.01
पुनर्वि0 (-)1,67.62			

₹1,67.62 लाख की बचत मुख्यतः लाभान्वितों से सबसिडी दावों की कम प्राप्ति (₹1,22.50 लाख), लघु निर्माण कार्यों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹32.26 लाख), अनुस्क्षण (₹6.26 लाख) तथा अनुबन्धित सेवाओं (₹4.34 लाख) के कारण हुई।

2702 लघु सिंचाई			
02 भू-जल			
005 जांच पड़ताल			
99 राज्य में भू-जल के विकास तथा नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं को लागू करने हेतु योजना			
मूल 9,96.75	7,64.69	7,64.02	(-)0.67
पुनर्वि0 (-)2,32.06			

₹2,32.06 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने (₹1,88.51 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति (₹23.41 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों (₹2.28 लाख),

अनुदान संख्या 27-जारी

यात्रा व्ययों के अन्तर्गत मांग की कम प्राप्ति (₹6.30 लाख) तथा सरकारी भवनों में कार्यालयों को शिफ्ट करने से किराए, दर तथा करों के अन्तर्गत कम व्यय (₹4.66 लाख) के कारण हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2435 अन्य कृषि कार्यक्रम			
01 विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण			
101 विपणन सुविधाएं			
99 कृषि उत्पाद का वर्गीकरण तथा विकास			
98 स्थापना व्यय			
मूल	1,89.00	1,47.43	1,47.43
पुनर्वि०	(-)41.57		
			..

बचत मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने (₹36.08 लाख) के कारण हुई।

4. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2401 फसल कृषि-कर्म			
109 विस्तार तथा किसान प्रशिक्षण			
77 खाद्य सुरक्षा मिशन			
मूल	..	22,80.29	..
पूरक	0.01		
पुनर्वि०	22,80.28		

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
789 अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना			
85 अनुसूचित जातियों हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			
मूल ..	3,80.98	3,80.98	..
पूरक 0.01			
पुनर्वि० 3,80.97			

एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना के होने से उपरोक्त दोनों मामलों में पूरक अनुदान द्वारा टोकन प्रावधान हुआ तथा भारत सरकार द्वारा अधिक निधियों को जारी करने के कारण योजना के अन्तर्गत व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान हुआ।

119 बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
59 बागवानी के सुदृढीकरण हेतु योजना			
मूल 1.00	1,52.14	1,52.15	+ 0.01
पुनर्वि० 1,51.14			

वेतन के अन्तर्गत वार्षिक वेतनवृद्धि तथा ग्रेड पे के भुगतान (₹74.70 लाख), बढ़ा हुआ महगाई भत्ता (₹66.35 लाख) तथा यात्रा व्ययों के लम्बित बिलों के निपटान (₹9.77 लाख) पर अधिक व्यय कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

113 कृषि अभियान्त्रिकी			
88 प्रशिक्षण परिक्षण तथा प्रदर्शनी के द्वारा कृषि मशीनीकरण की उन्नयन तथा सुदृढता			
मूल 1,10.00	1,44.84	1,44.84	..
पुनर्वि० 34.84			

अनुदान संख्या 27-समाप्त

लाभान्वितों से सबसिडी दावों पर अधिक व्यय (₹43.84 लाख) को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो भारत सरकार द्वारा मशीनरी तथा उपकरण के अन्तर्गत कम निधियाँ जारी करने के कारण बचत द्वारा (₹9 लाख) से प्रतिसंतुलित हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2402 मृदा तथा जल संरक्षण			
101 मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण			
97 राज्य में समेकित वाटरशैड विकास तथा प्रबन्धक परियोजना हेतु योजना			
मूल	5,00.00	6,05.82	6,05.82 ..
पुनर्वि०	1,05.82		

भूमि संरक्षण हेतु कार्यों के कार्यान्वयन पर अधिक व्यय (₹1,26.93 लाख) को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ तथा पदों के रिक्त रहने (₹22.56 लाख) से बचत के कारण आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ।

अनुदान संख्या 28

अनुदान संख्या 28-पशुपालन तथा डेरी विकास

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2403 पशु-पालन				
2404 डेरी विकास				
दत्तमत				
मूल	5,56,07,20	5,56,07,22	5,04,74,37	(-)51,32,85
पूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				51,44,97
प्रभारित				
मूल	10,00	10,00	4,77	(-)5,23
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				5,23
पूंजीगत:				
मुख्य शीर्ष				
4403 पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय				
दत्तमत				
मूल	20,00,00	20,00,00	4,50,00	(-)15,50,00
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				15,50,00

अनुदान संख्या 28-जारी

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

1. ₹51,32.85 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत 31 मार्च 2015 को ₹51,44.97 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

2. बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई जो नीचे टिप्पणी 3 में वर्णित कुछ शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2403 पशु पालन			
101 पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु स्वास्थ्य			
62 पशु चिकित्सा संस्थाओं का खोलना/उन्नयन एवं सुदृढीकरण			
मूल	55,00.00	44,32.09	44,32.08
पुनर्वि०	(-)10,67.91		

₹10,67.91 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹10,60.63 लाख), लघु निर्माण कार्यों के अन्तर्गत बिलों के न निपटान होने (₹62.83 लाख), अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹29.25 लाख) तथा बाह्य स्रोतों के अनुबंधित अमले की कम नियुक्ति (₹16.16 लाख) के कारण हुई जो सेवा निवृत्तों से अवकाश यात्रा रियायत दावों की अधिक प्राप्ति (₹99.95 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

93 पशु चिकित्सा औषधालयों/स्टाक मैन केन्द्रों का अस्पताल एवं प्रजनन केन्द्र में बदलना

मूल	69,72.75	66,78.58	66,61.13
पुनर्वि०	(-)2,94.17		

₹2,94.17 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹2,79.94 लाख), कम चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति (₹30.06 लाख) तथा कम अवकाश यात्रा रियायत दावों (₹9.14 लाख) के

अनुदान संख्या 28-जारी

कारण हुई। जो अधिक अनुग्रहपूर्वक दावों की प्राप्ति से अधिक व्यय (₹26.35 लाख) द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

17.45 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
98 जिला पशु पालन कार्यालय का जारी रखने तथा नए जिला कार्यालयों के सृजन हेतु योजना			
मूल 12,75.90	9,99.20	9,91.98	(-)7.22
पुनर्वि0 (-)2,76.70			

₹2,76.70 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹2,61.65 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत मामलों की कम प्राप्ति (₹10.19 लाख) के कारण हुई।

₹7.22 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

76 बीमारियों की रोकथाम हेतु राज्य को सहायता के लिए योजना			
मूल 4,00.00	1,17.45	1,18.43	+0.98
पुनर्वि0 (-)2,82.55			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती भारत सरकार द्वारा निधियों का कम जारी करने के कारण हुई।

96 पशु चिकित्सा एवं औषधालय			
मूल 41,24.50	38,89.54	38,72.49	(-)17.05
पुनर्वि0 (-)2,34.96			

अनुदान संख्या 28-जारी

₹2,34.96 लाख की बचत पदों के रिक्त रहने (₹2,42.15 लाख) तथा कर्मचारियों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹12.31 लाख) के कारण हुई जो ज्यादा अनुग्रहपूर्वक दावों का भुगतान (₹22.64 लाख) से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

₹17.05 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
63 पशुधन स्वास्थ्य तथा बीमारियों की रोकथाम (100 प्रतिशत सी.एस.एस.)			
मूल	2,40.00	1,83.10	1,56.32
पुनर्वि०	(-)56.90		
			(-)26.78

₹56.90 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा निधियों के कम जारी करने के कारण हुई।

₹26.78 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

87 हरियाणा पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान के विस्तार हेतु योजना

मूल	3,75.90	3,28.74	3,20.30
पुनर्वि०	(-)47.16		
			(-)8.44

₹47.16 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹31.92 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹10 लाख), अवकाश यात्रा रियायत (₹3.85 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (₹3.32 लाख) के कारण हुई।

₹8.44 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
99 पर्यवेक्षण-जिला पशुपालन कार्यालय			
मूल	2,95.70	2,74.66	2,64.64
पुनर्वि०	(-)21.04		
			(-)10.02

₹21.04 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹14.02 लाख), अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति (₹5.19 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹3.47 लाख) के कारण हुई।

₹10.02 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

- 102 पशु एवं भैंस विकास
79 पशु एवं भैंस प्रजनन हेतु राष्ट्रीय परियोजना

मूल	9,00.00
पुनर्वि०	(-)9,00.00			

भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

- 95 अम्बाला, भिवानी, जीन्द, पेहवा
तथा सिरसा में समेकित
पशु विकास विकास परियोजनाओं हेतु योजना

मूल	40,20.50	38,53.41	36,63.98	(-)1,89.43
पुनर्वि०	(-)1,67.09			

₹1,89.43 लाख की अंतिम बचत के दृष्टिगत अनुग्रहपूर्वक के अधिक दावों (₹17.11 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (₹11.33 लाख) से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित होने पर मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹1,79.27 लाख), अवकाश यात्रा रियायत की कम प्राप्ति (₹8.24 लाख) तथा किराये, दरों तथा करों को अंतिम रूप न दिये जाने (₹6.61 लाख) के कारण ₹1,67.09 लाख की बचत अपर्याप्त सिद्ध हुई, जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
81 हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना			
मूल 12,00.00	9,00.00	9,00.00	..
पुनर्वि० (-)3,00.00			
₹300 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों से दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।			
76 पशुधन गणना हेतु राज्यों को सहायता हेतु योजना			
मूल 2,00.00	14.63	14.63	..
पुनर्वि० (-)1,85.37			
₹1,85.37 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा निधियों के कम जारी करने के कारण हुई।			
94 दिल्ली दुग्ध योजना हेतु सघन पशुधन पशु विकास परियोजना करनाल एवं गुडगांव (फ़ोजन सीमन बैंक, गुडगांव सहित)			
मूल 15,92.10	14,83.04	14,43.50	(-)39.54
पुनर्वि० (-)1,09.06			

₹1,09.06 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹1,14.42 लाख) के कारण हुई जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (₹5.40 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावों (₹4.33 लाख) की अधिक प्राप्ति पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

₹39.54 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
68 राज्य पशुधन मिशन की स्थापना हेतु योजना			
मूल 1,00.00	}
पुनर्वि० (-)1,00.00			
पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान पशुधन मिशन की स्थापना न होने के कारण अभ्यर्पित हुआ।			
96 हिसार में राज्य पशुधन प्रजनन/परियोजना की स्थापना			
मूल 8,21.95	}	7,62.59	7,50.89
पुनर्वि० (-)59.36			
₹59.36 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹56.47 लाख) तथा कर्मचारियों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹11.66 लाख) के कारण हुई जो अधिक अनुग्रहपूर्वक दावों के भुगतान (₹13.72 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई। ₹11.70 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।			
93 वर्तमान राज्य पशु विकास परियोजना एवं आई.सी.डी.पी. नारनौल की स्थापना के विस्तार हेतु योजना			
मूल 16,21.90	}	15,54.23	15,54.85
पुनर्वि० (-)67.67			
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती पदों के रिक्त रहने (₹54.47 लाख), कर्मचारियों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹10.09 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत (₹2.67 लाख) के कारण हुई।			

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
98	सरकारी पशुधन फार्म हिसार की पुर्नसंगठना		
	मूल 4,00.00	3,62.04	3,40.76
	पुनर्वि0 (-)37.96		
<p>₹37.96 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹21.93 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹7.71 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों (₹4.53 लाख) की कम प्राप्ति के कारण हुई।</p> <p>₹21.28 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।</p>			
789	अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना		
91	राष्ट्रीय पशुधन तथा भैस प्रजनन परियोजना		
	मूल 2,25.00
	पुनर्वि0 (-)2,25.00		
<p>भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।</p>			
94	अनुसूचित जातियों हेतु पशुधन यूनिटों की स्थापना द्वारा अनुसूचित जातियों को रोजगार अवसरों हेतु योजना		
	मूल 3,00.00	2,45.66	2,13.53
	पुनर्वि0 (-)54.34		

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
90 राज्यों को पशु आहार तथा चारा विकास हेतु सहायता			
मूल	75.00	33.30	33.30
पुनर्वि0	(-)41.70		

उपरोक्त दोनों मामलों में बचत योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लाभान्वितों से दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

पहले मामले में ₹32.13 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

92 पशुधन स्वास्थ्य तथा बीमारियों की रोकथाम

मूल	60.00
पुनर्वि0	(-)60.00		

भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न किये जाने कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

800 अन्य व्यय

98 पशुपालन को डी.डी.पी./डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत सृजित ससंधानों का हस्तांतरण हेतु योजना

मूल	8,75.13	8,52.42	7,61.18	(-)91.24
पुनर्वि0	(-)22.71			

₹22.71 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹17.29 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹4.23 लाख) के कारण हुई।

₹91.24 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)	
103 कुक्कुट विकास				
98 क्षेत्रीय अमला				
मूल	2,04.30	2,14.31	1,24.64	(-)89.67
पुनर्वि०	10.01			

₹89.67 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

- 107 चारा तथा फीड विकास
93 पशु आहार तथा चारा विकास/सैल्यूलोसिस
वेस्ट का पौष्टिकरण
(100 प्रतिशत सी.एस.एस.)

मूल	3,00.00	2,40.35	2,40.35	..
पुनर्वि०	(-)59.65			

₹59.65 लाख की बचत अन्य प्रभारों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुई।

- 97 चारा बीज उत्पादन इकाइयों तथा
लघु चारा किट्स की आपूर्ति की
स्थापना तथा विस्तार हेतु योजना

मूल	1,14.85	86.64	86.66	+0.02
पुनर्वि०	(-)28.21			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः अन्य प्रभारों के अंतर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹19.34 लाख), पदों के रिक्त रहने (₹5.68 लाख) तथा कर्मचारियों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹2.94 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
98 पशुधन का पुनर्संगठन, हिसार			
मूल 1,18.60	93.76	93.79	+ 0.03
पुनर्वि0 (-)24.84			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹15.50 लाख), किराये, दरों तथा करों को अंतिम रूप न दिये जाने (₹2.93 लाख), अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹2.29 लाख), अन्य प्रभारों के अंतर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹1.59 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों (₹1.39 लाख) के कारण हुई।

99 हिसार पशुधन फार्म (स्थाई रूप से) के अंतर्गत पशुचारा का विकास			
मूल 3,59.20	3,36.99	3,36.90	(-)0.09
पुनर्वि0 (-)22.21			

₹22.21 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹7.66 लाख), अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹7.03 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (₹2.15 लाख) तथा पेट्रोल, तेल एवं स्नेहद्रव्य में मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹2.51 लाख) के कारण हुई।

001 निदेशन तथा प्रशासन			
95 डी.डी.एस.डी.ओ. के कार्यालय का सुदृढीकरण तथा नए जिलों का सृजन			
98 स्थापना व्यय			

मूल 1,50.00	1,07.15	1,07.15	..
पुनर्वि0 (-)42.85			

₹42.85 लाख की बचत मुख्यतः पदों को न भरने (₹35.48 लाख) तथा बाह्य स्रोतों में व्यवसायिक अमले की कम नियुक्ति (₹4.10 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
104 भेड़ तथा ऊन विकास			
97 हिसार घाटी समुदाय के वर्तमान भेड़ प्रजनन प्रयोगात्मक विस्तार हेतु योजना			
मूल	1,49.60	1,10.71	1,10.72
पुनर्वि०	(-)38.89		
88 एकीकृत भेड़ तथा ऊन विकास कार्यक्रम हेतु योजना			
मूल	30.00
पुनर्वि०	(-)30.00		
105 सुअर पालन विकास			
98 सुअर प्रजनन फार्म, अम्बाला खण्ड विकास सहित			
मूल	49.11	50.36	13.27
पुनर्वि०	1.25		

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹20.96 लाख) तथा पदों के रिक्त रहने (₹15.87 लाख) के कारण हुई।

भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

₹37.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +	
113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी				
96 दुध, अण्डे, ऊन तथा मीट/पशु चारा के उत्पादन का नमूना सर्वेक्षण अनुमान हेतु योजना तथा घास एसैसमेंट विकास परियोजना (50:50)				
मूल	1,80.00	1,03.41	1,52.20	+48.79
पुनर्वि0	(-)76.59			

₹48.79 लाख के आधिक्य के दृष्टिगत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹39.59 लाख), यात्रा व्ययों के अंतर्गत मितव्ययता उपायों (₹18.31 लाख), संगणकीकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निधियों का कम जारी करने (₹9 लाख) तथा प्रशिक्षण (₹5 लाख) से पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती विवेकहीन सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

- 2404 डेरी विकास
102 डेरी विकास परियोजनाएं
- 98 डेयरी विकास के तहत ग्रामीण क्षेत्रों
के शिक्षित नवयुवकों/युवतियों को
विशेष रोजगार

मूल	66.95	44.97	45.00	+0.03
पुनर्वि0	(-)21.98			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती पदों के रिक्त रहने (₹14.71 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावों को कम जारी करने (₹3 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 28-जारी

3. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2403 पशु पालन			
101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
67 लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान हिसार विश्वविद्यालय को स्थापित करने हेतु योजना			
मूल	75,00.00	79,20.00	79,20.00
पुनर्वि०	4,20.00		

बचत योजना के अन्तर्गत विकास निर्माण कार्यों पर जो सहायतानुदान के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹50 लाख) द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई, अधिक व्यय (₹470 लाख) को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

102 पशुधन तथा भैंस विकास			
73 सघन मुराह विकास हेतु योजना			
मूल	3,00.00	3,86.26	3,86.26
पुनर्वि०	86.26		

अन्य प्रभारों के लम्बित बिलों के निपटान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

70 हाईटैक डेयरी इकाई की स्थापना हेतु योजना			
मूल	4,00.00	4,85.05	4,85.05
पुनर्वि०	85.05		

योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों से सबसिडी दावों की प्राप्ति पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
99	हिसार पशुधन फार्म		
मूल	4,83.60	5,97.82	5,51.18
पुनर्वि०	1,14.22		
			(-)46.64

₹46.64 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत बढ़े हुए महगाई भत्ते, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा सेवा निवृत्तों के अवकाश नकदीकरण दावों के निपटान (₹1,20.10 लाख) पर व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन अत्याधिक सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

67 राष्ट्रीय पशुधन मिशन को लागू करने हेतु योजना

मूल	..	32.99	32.99	..
पूरक	0.01			
पुनर्वि०	32.98			

अन्य प्रभारों के अन्तर्गत लम्बित बिलों के निपटान हेतु अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान हुआ।

दोषपूर्ण बजट

4. वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन आदेशों के दो मामले नीचे दर्शाए गए हैं:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2403 पशु-पालन			
101 पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			

अनुदान संख्या 28-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
94 नए पशु चिकित्सा औषधालयों का खोलना			
मूल 31,46.60	26,98.62	32,49.45	+5,50.83
पुनर्वि0 (-)4,47.98			

₹5,50.83 लाख के अन्तिम आधिक्य के दृष्टिगत पदों के रिक्त रहने (₹4,16.35 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति (₹34.57 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती विवेकहीन सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

95 पशु अस्पताल एवं औषधालयों को जारी रखना			
मूल 70,53.80	66,69.80	68,45.82	+1,76.02
पुनर्वि0 (-)3,84.00			

₹1,76.02 लाख के अन्तिम आधिक्य के दृष्टिगत पदों के रिक्त रहने (₹4,11.99 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (₹13.28 लाख) तथा कर्मचारियों से कम अवकाश यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति (₹7 लाख) से पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती जो अनुग्रहपूर्वक दावों की अदायगी पर अधिक व्यय (₹47.15 लाख) द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई, विवेकहीन सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

पूँजीगत:

5. बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
4403 पशु पालन पर पूँजीगत परिव्यय			
101 पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य			

अनुदान संख्या 28-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
99 पशु चिकित्सा संसाधन निर्माण/आर. आई.डी.एफ-VIII के अन्तर्गत राज्य में पुनः निर्माण			
मूल	20,00.00		
पुनर्वि०	(-)15,50.00		
		4,50.00	4,50.00 ..

₹1,550 लाख की बचत मुख्य निर्माण कार्यो तथा मशीनरी एवं उपकरणों के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 29

अनुदान संख्या 29-मत्स्य पालन

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व:			
मुख्य शीर्ष			
2405 मछली-पालन			
2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
दत्तमत			
मूल	31,14,75	31,27,44	28,27,83
पूरक	12,69		
			(-)2,99,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)			
			3,11,37

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

1. ₹2,99.61 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 में ₹3,11.37 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
2. ₹2,99.61 लाख की बचत के दृष्टिगत मार्च 2015 में प्राप्त समस्त पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसाकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत (-)
2405 मछली-पालन			
101 अन्तर्देशीय मछली पालन			
92 सघन मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम हेतु योजना			
मूल	9,64.00	8,53.14	8,52.86
पुनर्वि0	(-)1,10.86		
			(-)0.28

अनुदान संख्या 29-जारी

₹1,10.86 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹1,16.03 लाख), निर्माण कार्य हेतु तकनीकी अमले की उपलब्धता न होने (₹13.55 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अनुग्रहपूर्वक अदायगी दावों (₹3.66 लाख) की कम प्राप्ति के कारण हुई जो अवकाश यात्रा, रियायत, यात्रा व्ययों तथा कार्यालय व्यय बिलों के दावों (₹12.22 लाख) तथा मोटर वाहन बिलों एवं नई जीप की खरीद (₹4.91 लाख) के भुगतान पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
96 मत्स्य फार्म विकास एजेंसी गुडगांव की स्थापना हेतु योजना			
मूल	3,26.30	2,96.87	2,96.88
पुनर्वि०	(-)29.43		
			+0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹28.93 लाख) के कारण हुई।

77 राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना हेतु योजना			
मूल	20.00	5.00	5.00
पुनर्वि०	(-)15.00		
			..

₹15 लाख की बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

94 झीलों तथा नदियों में मछली पालन			
मूल	81.00	65.97	65.54
पुनर्वि०	(-)15.03		
			(-)0.43

₹15.03 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹12.74 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 29-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)	
109 विस्तार तथा प्रशिक्षण				
99 कृषि मानवीय संसाधन विकास हेतु योजना				
98 स्थापना व्यय				
मूल	1,61.30	1,32.88	1,32.87	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)28.42			

₹28.42 लाख की बचत मुख्यतः पदों की रिक्त रहने (₹28.12 लाख) के कारण हुई।

001 निदेशन तथा प्रशासन				
98 जिला अमला				
मूल	3,96.00	3,65.74	3,76.76	+11.02
पूरक	4.89			
पुनर्वि०	(-)35.15			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹32.14 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹3.18 लाख) के कारण हुई।

₹11.02 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

99 मुख्यालय अमला				
मूल	91.50	70.51	70.49	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)20.99			

₹20.99 लाख की बचत मुख्यतः मितव्ययता उपायों (₹9.86 लाख) तथा पदों के रिक्त रहने (₹9.31 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 30

अनुदान संख्या 30-वन तथा वन्य प्राणी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व:			
मुख्य शीर्ष			
2402 मृदा तथा जल संरक्षण			
2406 वानिक तथा वन्य प्राणी			
दत्तमत			
मूल 3,15,40,80	} 3,47,52,99	3,15,96,97	(-)31,56,02
पूरक 32,12,19			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			33,97,01
(मार्च 2015)			
प्रभारित			
मूल 90,00	} 90,00	89,44	(-)56
पूरक ..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			55
(मार्च 2015)			

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

1. ₹31,56.02 लाख की समस्त बचत में से 31 मार्च 2015 को ₹33,97.01 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 30-जारी

2. ₹31,56.02 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 तथा मार्च 2015 में ₹32,12.19 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

3. बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01 वानिकी			
102 सामाजिक एवं फार्म वानिकी			
64 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित मिशन इंडिया)			
मूल 20,00.00	}
पुनर्वि० (-)20,00.00			
भारत सरकार से स्वीकृति की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।			
71 हर्बल नेचर पार्क			
मूल 5,00.00	}	3,99.94	3,99.94
पुनर्वि० (-)1,00.06			
68 अरावली पर्वतो में संस्थाओं का पुनोत्थान			
मूल 6,00.00	}	5,00.00	5,00.00
पुनर्वि० (-)1,00.00			

उपरोक्त दोनों मामलों में बचत लघु निर्माण कार्य तथा अनुरक्षण के अन्तर्गत कम व्यय करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 30-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
88 बेकार एवं कृषि भूमि पर पौधा रोपण योजना			
मूल 18,00.00	19,59.28	19,59.28	..
पूरक 2,50.00			
पुनर्वि० (-)90.72			
<p>वेतन तथा महंगाई भत्ता के भुगतान हेतु रिक्त पदों को भरने पर व्यय को पूरा करने के फलस्वरूप पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो आगे मुख्यतः मजदूरी (₹1,35.69 लाख), वेतन (₹40.92 लाख), मोटरवाहनों (₹38 लाख) तथा अनुबंधित सेवाओं (₹5.67 लाख) के अन्तर्गत कम व्यय के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम किया गया जो फिर महंगाई भत्ता (₹93.36 लाख) तथा यात्रा व्यय बिलों के निपटान (₹19.22 लाख) तथा कार्यालय व्ययों (₹17 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ।</p>			
98 औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रयोगों हेतु वाणिकी मसाले का पौधारोपण			
मूल 2,32.30	1,98.59	1,98.59	..
पुनर्वि० (-)33.71			
<p>₹33.71 लाख की बचत मुख्यतः प्रत्याशा की अपेक्षा वेतन तथा महंगाई भत्ता के अन्तर्गत कम व्यय (₹32.75 लाख) के कारण हुई।</p>			
63 प्राकृतिक ससांधन एवं परिस्थितिकी प्रणालियों के लिए संरक्षण			
मूल 25.00
पुनर्वि० (-)25.00			
789 अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना			

अनुदान संख्या 30-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
96 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित मिशन इंडिया)			
मूल 5,00.00	}
पुनर्वि० (-)5,00.00			

उपरोक्त दोनों मामलों में भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन

110 वन्य जीवन परिरक्षण			
91 वन्य प्राणी-विहारो का सुदृढीकरण विस्तार तथा सुधारीकरण			
मूल 3,60.00	}	1,70.21	1,70.21
पुनर्वि० (-)1,89.79			

₹1,89.79 लाख की बचत मुख्यतः भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्से की प्राप्ति न होने (₹1,61.13 लाख) तथा वेतन तथा महगाई भत्ता एवं पदों के रिक्त रहने के अन्तर्गत प्रत्याशा की अपेक्षा कम व्यय (₹24.88 लाख) के कारण हुई।

99 मुख्यालय अमला			
मूल 7,64.43	}	6,51.13	6,51.13
पुनर्वि० (-)1,13.30			

₹1,13.30 लाख की बचत मुख्यतः वेतन तथा महगाई भत्ता तथा पदों के रिक्त रहने के अन्तर्गत प्रत्याशा की अपेक्षा कम व्यय (₹90.49 लाख), फीडींग एवं कैश डोलस के अन्तर्गत कम व्यय (₹6.71 लाख), अवकाश यात्रा रियायत (₹5.44 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक अदायगी (₹4.97 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या-31-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	बचत (-)
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
3435 परिस्थित विज्ञान तथा पर्यावरण				
दत्तमत				
मूल	6,88,00	6,88,00	6,28,60	(-)59,40
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				59,40

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

1. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)	
3435 परिस्थित विज्ञान तथा पर्यावरण				
03 पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भव				
800 अन्य व्यय				
97 विशेष पर्यावरण अदालतों की स्थापना				
98 स्थापना व्यय				
मूल	1,48.53	1,28.14	1,28.14	..
पुनर्वि०	(-)20.39			

₹20.39 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹11.65 लाख) तथा कार्यालय व्ययों संगणकीकरण तथा मजदूरी (₹5.18 लाख) के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों के कारण हुई।

अनुदान संख्या 31-समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
84	वातावरण परिवर्तन			
	मूल	24.00		
	पुनर्वि०	(-18.40)	5.60	5.60
				..

₹18.40 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹10.85 लाख) तथा संगणकीकरण कार्यालय व्ययों, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहद्रव्य तथा यात्रा व्ययों (₹5.46 लाख) के अन्तर्गत मितव्ययता उपाय अपनाने के कारण हुई।

- 001 निदेशन तथा प्रशासन
 99 संदर्भित प्रयोगशालाओं सहित
 निदेशन एवं प्रशासन
 98 स्थापना व्यय

	मूल	1,27.47		
	पुनर्वि०	(-14.84)	1,12.63	1,12.63
				..

₹14.84 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹9.87 लाख) तथा चिकित्सा दावों (₹2.48 लाख) की कम प्राप्ति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 32

अनुदान संख्या 32-ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)	
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505	ग्राम रोजगार			
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2553	संसद सदस्यों को स्थानीय क्षेत्र विकास योजना			
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
दत्तमत				
मूल	25,03,00,62	25,58,87,40	19,77,91,97	(-)5,80,95,43
पूरक	55,86,78			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)			5,20,46,04	
प्रभारित				
मूल	10,00	10,00	1,46	(-)8,54
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)			8,54	

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

1. ₹5,80,95.43 लाख की उपलब्ध बचत में से ₹60,49.39 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
2. ₹5,80,95.43 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 में प्राप्त ₹55,86.78 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा।

अनुदान संख्या 32-जारी

3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई नीचे टिप्पणी 4 में वर्णित जो अन्य शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
102 सामुदायिक विकास			
93 पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान एन.बी.ए. के अन्तर्गत ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम			
99 सामान्य योजना			
मूल 1,47,00.00	}
पुनर्वि० (-)1,47,00.00			

भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

84 निर्मल ग्राम पुरस्कार			
मूल 5,00.00	}	36.00	36.00
पुनर्वि० (-)4,64.00			
			..

₹464 लाख की बचत भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति के कारण हुई।

89 गलियों को सीमेंट कंक्रीट से पक्का करने हेतु योजना			
मूल 11,50.00	}	6,97.17	6,97.17
पुनर्वि० (-)4,52.83			
			..

₹4,52.83 लाख की बचत योजना के अंतर्गत विकास कार्यों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 32-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
198 ग्राम पंचायतों को सहायता			
98 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्राम पंचायतों को सहायतानुदान			
मूल	2,42,52.00	2,13,04.68	2,13,04.68
पूरक	39,25.44		
पुनर्वि०	(-)68,72.76		
197 पंचायत समितियाँ/मध्यवर्ती स्तर के पंचायत को सहायता			
98 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्राम समितियों को सहायतानुदान			
मूल	48,50.40	42,60.94	42,60.94
पूरक	7,85.09		
पुनर्वि०	(-)13,74.55		
196 जिला परिषद/जिला स्तर पर पंचायत को सहायता			
98 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जिला परिषद को सहायतानुदान			
मूल	32,33.60	28,40.62	28,40.62
पूरक	5,23.40		
पुनर्वि०	(-)9,16.38		

उपरोक्त तीनों मामलों में अधिक सहायतानुदान प्राप्त करने से पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो आगे 13वें/14वें वित्त आयोग के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कम निधियों के जारी किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

अनुदान संख्या 32-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
98 अनुसूचित जाति हेतु पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम/निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता हेतु योजना			
मूल	52,00.00		
पुनर्वि०	(-)52,00.00
भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न किये जाने कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।			
003 प्रशिक्षण			
98 सामुदायिक विकास			
97 विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र नीलोखेड़ी का सुदृढीकरण			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	(-)1,00.00
98 हरियाणा संस्थान ग्रामीण विकास नीलोखेड़ी की स्थापना			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	(-)1,00.00

उपरोक्त दोनों मामलों में भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

अनुदान संख्या 32-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
99 पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास का राजीव गांधी राज्य संस्थान			
मूल 1,98.00	1,56.86	1,56.86	..
पूरक 10.00			
पुनर्वि० (-)51.14			

₹51.14 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹39.89 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति (₹7.47 लाख) के कारण हुई।

001 निदेशन एवं प्रशासन
98 सामुदायिक विकास
98 स्थापना व्यय (मुख्यालय अमला)

मूल 4,58.00	4,02.13	4,02.13	..
पूरक 35.00			
पुनर्वि० (-)90.87			

₹90.87 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹79.18 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति (₹5.27 लाख) के दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

99 पंचायत विभाग
98 स्थापना व्यय (मुख्यालय अमला)

मूल 4,68.00	4,20.48	4,20.48	..
पुनर्वि० (-)47.52			

₹47.52 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹33.63 लाख) तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति (₹10.19 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 32-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
101 पंचायती राज			
93 विकास निर्माण कार्यो हेतु समतुल्य सहायतानुदान (सरकारी अंश)			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	(-)90.73	1,09.27	1,09.27
			..
95 विकास निर्माण कार्यो हेतु समतुल्य सहायतानुदान (लोक अंश)			
मूल	1,50.00		
पुनर्वि०	(-)72.61	77.39	77.39
			..

उपरोक्त दोनों मामलों में बचत इन योजनाओं के अन्तर्गत लोगों द्वारा कम लोक अंश जमा करवाने के कारण हुई।

2505 ग्राम रोजगार			
02 ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम			
101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना			
99 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनेरगा)			
99 सामान्य योजना			
मूल	3,07,72.00		
पुनर्वि०	(-)1,23,85.17	1,83,86.83	1,83,86.83
			..

₹1,23,85.17 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा निधियों के कम जारी किए जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 32-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
99 अनुसूचित जाति हेतु राष्ट्रीय गामीण रोजगार गारन्टी योजना			
मूल 76,93.00	}
पुनर्वि० (-)76,93.00			

₹7,693 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी न किए जाने के कारण अभ्यर्पित हुआ।

01 राष्ट्रीय कार्यक्रम			
702 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना			
88 राष्ट्रीय सम विकास योजना/ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि			
99 सामान्य योजना			
मूल 24,00.00	}	20,49.30	20,49.30
पुनर्वि० (-)3,50.70			
			..

₹3,50.70 लाख की बचत भारत सरकार से कम निधियों के जारी किए जाने के कारण हुई।

2553 संसद सदस्यों का स्थानीय क्षेत्र विकास योजना			
101 जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सहायता			
99 सामान्य योजना			
मूल	61,00.00	..	(-)61,00.00

₹6,100 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 32-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2501 ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम			
06 स्व-रोजगार कार्यक्रम			
101 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना			
99 एस.जी.एस.वाई.सहित समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
99 सामान्य योजना			
मूल 28,30.00	3,00.28	3,00.28	..
पुनर्वि0 (-)25,29.72			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
99 अनुसूचित जाति हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना हेतु योजना			
मूल 12,70.00	5,33.84	5,33.84	..
पुनर्वि0 (-)7,36.16			
उपरोक्त दोनों मामलों में बचत भारत सरकार द्वारा कम निधियों के जारी किए जाने कारण हुई।			
800 अन्य व्यय			
97 डी.डब्ल्यू सी.आर.ए.योजना			
मूल 2,00.00	1,51.29	1,51.33	+0.04
पुनर्वि0 (-)48.71			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹38.63 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति (₹7.04 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 32-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
200 अन्य विविध क्षतिपूर्तियाँ तथा समानुदेशन			
97 रम एवं जिन सहित देशी शराब पर चुंगी की जगह स्थानीय निकायों का आबकारी ड्यूटी लगाना			
मूल 37,40.00	} 16,98.12	16,98.12	..
पुनर्वि० (-)20,41.88			
95 देशी शराब की बिक्री पर करो की जगह पंचायत समितियों का आबकारी ड्यूटी लगाना			
मूल 52,80.00	} 39,60.57	39,60.57	..
पुनर्वि० (-)13,19.43			
96 भारत निर्मित विदेशी शराब पर चुंगी की जगह स्थानीय निकायों का आबकारी ड्यूटी लगाना			
मूल 72,60.00	} 63,27.68	63,27.68	..
पुनर्वि० (-)9,32.32			
94 भारत निर्मित विदेशी शराब की बिक्री पर कर की जगह समितियों का आबकारी ड्यूटी लगाना			
मूल 30,40.00	} 24,22.52	24,22.52	..
पुनर्वि० (-)6,17.48			

उपरोक्त चारों मामलों में बचत खजाने द्वारा क्षतिपूर्ति बिलों के निपटान न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 32-जारी

4. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
102 सामुदायिक विकास			
90 हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता योजना			
मूल 7,00.00	32,25.00	32,25.00	..
पुनर्वि० 25,25.00			
97 पंचायत/जिला परिषद भवन एवं राज्य पंचायत सहित नए खण्ड कार्यालय भवन का निर्माण			
मूल 1,00.00	4,18.31	4,18.31	..
पुनर्वि० 3,18.31			
96 ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम			
99 सामान्य योजना			
मूल 70.00	1,93.72	1,93.72	..
पुनर्वि० 1,23.72			
उपरोक्त तीनों मामलों में पुनर्विनियोजन द्वारा इन योजनाओं के तहत विकास परियोजनाओं को लागू/बढ़ावा देने के फलस्वरूप प्रावधान आवर्धित हुआ।			
101 पंचायती राज			
81 राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आर.जी.पी.एस.ए.)			
मूल 5,00.00	25,04.40	25,04.40	..
पुनर्वि० 20,04.40			

अनुदान संख्या 32-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2505 ग्रामीण रोजगार			
01 राष्ट्रीय कार्यक्रम			
702 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना			
93 इन्दिरा आवास योजना (एन.आर.) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्वतंत्र बन्धुआ मजदूरों हेतु आवासों का निर्माण/उन्नयन			
99 सामान्य योजना			
मूल 42,60.00	59,48.20	59,48.20	..
पुनर्वि० 16,88.20			
2501 ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम			
05 बंजर भूमि विकास			
101 राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम			
99 एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना			
मूल 20,00.00	29,97.00	29,97.00	..
पुनर्वि० 9,97.00			
06 स्वरोजगार कार्यक्रम			
800 अन्य व्यय			
97 डी.आर.डी.ए.प्रशासन			
मूल 5,50.00	13,72.79	13,72.79	..
पुनर्वि० 8,22.79			

उपरोक्त चारों मामलों में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान भारत सरकार से अधिक निधियों के जारी होने के कारण आवर्धित हुआ।

अनुदान संख्या 32-समाप्त

दोषपूर्ण बजट

5. वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला नीचे दर्शाया जा रहा है:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
96 अनुसूचित जाति हेतु रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए योजना			
मूल	1,00,00.00		
पुनर्वि०	(-)5,76.56		
	94,23.44	94,70.65	+47.21

₹47.21 लाख के अन्तिम आधिक्य के दृष्टिगत सहायतानुदान के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती अत्याधिक सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 33

अनुदान संख्या 33-सहकारिता

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत(-)
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2425	सहकारिता			
दत्तमत				
मूल	2,46,58,98	2,55,88,98	2,40,02,62	(-)15,86,36
पूरक	9,30,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				
				15,93,02
प्रभारित				
मूल	2,50	2,50	..	(-)2,50
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				
				2,50
पूंजीगत:				
मुख्य शीर्ष				
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
दत्तमत				
मूल	42,79,00	79,16,63	65,26,86	(-)13,89,77
पूरक	36,37,63			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				
				13,89,77

अनुदान संख्या 33-जारी

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व:

दत्तमत अनुदान

1. ₹15,86.36 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को ₹15,93.02 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
2. ₹15,86.36 लाख की बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 में प्राप्त पूरक अनुमान अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसाकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
2425 सहकारिता			
107 क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
89 सहकारिता बैंक द्वारा अल्प अवधि फसली कर्जे पर ब्याज दर में छूट			
मूल	32,16.00	15,16.00	15,16.00
पुनर्वि०	(-)17,00.00		
₹1,700 लाख की बचत हरियाणा राज्य सहकारिता कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।			
81 दुग्ध यूनियन हेतु गुणवत्ता प्रयोगशाला सुदृढीकरण कार्यक्रम			
मूल	1,20.00	30.00	30.00
पुनर्वि०	(-)90.00		
94 महिला सहकारिताओं को सहायता			
मूल	1,00.00	25.00	25.00
पुनर्वि०	(-)75.00		

उपरोक्त दोनों मामलों में बचत डेयरी संघ से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 33-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
001 निदेशन तथा प्रशासन			
97 मुख्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियों की विभिन्न शाखाओं हेतु योजना			
99 सूचना प्रौद्योगिकी			
मूल 6,00.00	17.46	17.46	..
पुनर्वि० (-)5,82.54			
₹5,82.54 लाख की बचत विभिन्न साफ्टवेयरों को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण हुई।			
99 रजिस्ट्रार सहकारी समितियों हरियाणा में मुख्यालय अमला की स्थापना हेतु योजना			
मूल 4,55.00	3,57.85	3,58.74	+0.89
पुनर्वि० (-)97.15			
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती पदों के रिक्त रहने (₹46.22 लाख), व्यवसायिक सेवा अमलों की नियुक्ति (₹20 लाख), वाहनों की खरीद न करने (₹11.66 लाख) तथा प्रशिक्षण तथा चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति (₹7.74 लाख) के कारण हुई।			
789 अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना			
99 प्राथमिक उधार व औद्योगिक सहकारिताओं के अनुसूचित जातियों के सदस्यों को दिये गये कर्ज पर ब्याज उपदान			
मूल 3,63.00	50.00	50.00	..
पुनर्वि० (-)3,13.00			
₹313 लाख की बचत सहकारिता संस्थानों से दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।			
101 सहकारिता की लेखा परीक्षा			

अनुदान संख्या 33-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
98 रजिस्ट्रार सहकारी समितियां में कार्यालय क्षेत्रीय स्तर पर सहकारिता लेखा परीक्षा, सुदृढीकरण हेतु योजना			
मूल	17,06.00	14,22.70	14,22.69
पुनर्वि0	(-)2,83.30		
			(-)0.01

₹2,83.30 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹2,75.21 लाख) तथा अनुबंधित अमले की नियुक्ति न करने (₹5 लाख) के कारण हुई।

4. आधिक्य निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2425 सहकारिता			
107 क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
76 हरियाणा में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना			
मूल	1.00	25,00.00	..
पूरक	9,00.00		
पुनर्वि0	15,99.00		

हरियाणा में डेयरी संघों को सहायता के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुमान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो फिर डेयरी संघों से दावों की अधिक प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा बढ़ाया गया।

पूँजीगत:

5. ₹13,89.77 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत मार्च 2015 में ₹36,37.63 लाख का पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

6. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 33-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
108 अन्य सहकारी समितियों में निवेश			
94 एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना			
मूल	10,19.00	9,79.66	9,79.66
पूरक	12,15.13		
पुनर्वि०	(-)12,54.47		
			..

जिला अम्बाला, पंचकुला, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा तथा भिवानी में 100% केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा आयोजित समेकित विकास परियोजना हेतु हिस्सा पूंजी पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुमान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो फिर बिलों के निपटान न होने से पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

88 विपणन सहकारिताओं की हिस्सा पूंजी को
सरकारी योगदान

मूल	1,00.00	65.00	65.00	..
पुनर्वि०	(-)35.00			

₹35 लाख की बचत योजना के अंतर्गत दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

107 क्रेडिट सहकारिताओं के निवेश को सहायता
96 प्राथमिक सहकारिता एवं कृषि
ग्रामीण विकास को हिस्सा पूंजी
का सरकारी योगदान

मूल	2,50.00
पुनर्वि०	(-)2,50.00			

प्राथमिक सहकारिता एवं कृषि ग्रामीण विकास बैंकों (डी.पी.सी.ए.आर.डी.बी.एस.) से दावों की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा।

अनुदान संख्या 33-समाप्त

7. आधिक्य निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	अधिकता+
4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
107 क्रेडिट सहकारिताओं में निवेश			
99 केन्द्रीय सहकारिता बैंकों को हिस्सा पूंजी			
मूल	10,50.00	} 36,50.00	36,50.00 ..
पूरक	24,22.50		
पुनर्वि०	1,77.50		

31 मार्च 2015 को 10 जिला सहकारिता बैंकों हेतु 7% सी.आर.ए.आर. ग्रहण करने के लिए जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट हुआ हिस्सा पूंजी पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुमान तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

अनुदान संख्या 34

अनुदान संख्या 34-परिवहन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)	
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2041 वाहन कर				
3053 नागर विमानन्				
3055 सड़क परिवहन				
दत्तमत				
मूल	18,78,38,40	19,08,58,40	17,91,65,53	(-)1,16,92,87
पूरक	30,2000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				1,12,25,32
प्रभारित				
मूल	8	8	..	(-)8
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2014)				8
पूंजीगत:				
मुख्य शीर्ष				
5053 नागर विमानन् पर पूंजीगत परिव्यय				
5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय				

अनुदान संख्या 34-जारी

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	बचत (-)
दत्तमत				
मूल	1,96,20,00	1,97,20,00	1,68,07,34	(-)29,12,66
पूरक	1,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				29,12,65

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व:

दत्तमत अनुदान

- ₹1,16,92.87 लाख की समस्त बचत मे से ₹4,67.55 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
- ₹1,16,92.87 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 में ₹3,020 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसकि वास्तविक अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई जो नीचे टिप्पणी 4 में वर्णित अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
3055 सड़क परिवहन			
201 हरियाणा राज्य परिवहन			
98 'बी' परिचालन			
मूल	13,99,13.50	13,64,57.09	13,60,12.05
पूरक	30,00.00		
पुनर्वि0	(-)64,56.41		
(-)4,45.04			

₹4,45.04 लाख की अंतिम बचत के दृष्टिगत अस्थाई ड्राइवरों और कन्डक्टरों को नियमित वेतनमानों के भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुमान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो फिर मुख्यतः बीमा की दरों में कमी, मोटर दुर्घटना दावों ट्रिब्यूनल मामले (₹2,99.75 लाख), कुछ अमले का नियमितीकरण न होने (₹2,62.13 लाख), मजदूरी के अन्तर्गत कम व्यय (₹2,16.14 लाख), खजाने द्वारा यात्रा व्यय बिलों का निपटान न करने (₹80.54 लाख) से

अनुदान संख्या 34-जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ जो ओवर टाईम का भुगतान तथा ड्राइवरों और कन्डक्टरों के दैनिक मजदूरी अमले को नियमितीकरण (₹31,74.91 लाख), बढ़े हुए बेड़े पर टोकन टैक्स, बढ़ा हुआ टोल टैक्स तथा अन्य करों (₹5,73.46 लाख), अवकाश यात्रा रियायत दावों की अधिक प्राप्ति (₹1,56.17 लाख) से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ, अपर्याप्त सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
97 'सी' मुरम्मत एवं अनुरक्षण			
मूल	2,64,26.00	2,40,15.92	2,39,91.31
पुनर्वि०	(-)24,10.08		
			(-)24.61

₹24,10.08 लाख की बचत मुख्यतः कुछ वर्कशाप अमले को तकनीकी स्केल/सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति तथा पदों के रिक्त रहने (₹40,56.67 लाख), दैनिक उजरत अमले का नियमितीकरण (₹48.74 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कम प्राप्ति (₹44.06 लाख) तथा कर्मचारियों द्वारा कम यात्रा व्यय दावों के कारण (₹21.11 लाख) भुगतान न करने पर हुई जो बस बेड़े, टायर, ट्यूब तथा अतिरिक्त पुर्जे के दरें बढ़ने के फलस्वरूप अनुरक्षण पर व्यय (₹16,89.05 लाख), अवकाश यात्रा रियायत दावों की अधिक प्राप्ति (₹64.17 लाख) से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

99 'ए' प्रबन्धन

मूल	91,13.00	73,54.82	73,54.83
पुनर्वि०	(-)17,58.18		
			+0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः क्षेत्रीय कार्यालयों में पदों के रिक्त रहने (₹16,15.02 लाख), कर्मचारियों द्वारा कम चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को करने (₹45.49 लाख), डिपो पर अनुबन्धित सेवाओं के पद रिक्त रहने (₹30.48 लाख), कर्मचारियों द्वारा कम यात्रा व्यय दावों के कारण (₹27.04 लाख), प्रत्याशा की अपेक्षा अनुग्रहपूर्वक पर कम व्यय (₹16.73 लाख), खजानों द्वारा यूनिफार्मों के बिलों का निपटान न होने (₹15.12 लाख) तथा दैनिक उजरत अमले की कम नियुक्ति (₹14.67 लाख) से हुई जो प्रत्याशा की अपेक्षा यात्रा रियायत पर अधिक व्यय (₹5.45 लाख) द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

अनुदान संख्या 34-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
800 अन्य व्यय			
97 सी- मुरम्मत एवं अनुरक्षण			
मूल 15,44.00	12,16.96	12,16.96	..
पुनर्वि० (-)3,27.04			

बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹1,91.68 लाख), खजाने द्वारा अनुरक्षण बिलों (₹1,16.67 लाख) तथा कार्यालय व्यय के बिलों (₹15.63 लाख) का निपटान न होने के कारण हुई।

99 'ए' प्रबन्धन

मूल 3,11.50	2,01.31	2,01.31	..
पुनर्वि० (-)1,10.19			

बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹94.64 लाख), अनुबंधित अमले की नियुक्ति न करने (₹5.89 लाख) तथा खजानों द्वारा कार्यालय व्ययों के बिलों का निपटान न करने (₹5.51 लाख) के कारण हुई।

001 निदेशन तथा प्रशासन

99 केन्द्रीय कार्यालय

98 स्थापना व्यय

मूल 12,12.00	9,25.28	9,25.27	(-)0.01
पुनर्वि० (-)2,86.72			

₹2,86.72 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹1,94.80 लाख), कार्यालय व्यय के बिलों का भुगतान हेतु प्रस्तुत न करने (₹59.44 लाख), अवकाश यात्रा रियायत (₹8.60 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (₹6.55 लाख) की कम प्राप्ति, मृतक कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सहायता के रूप में अनुग्रहपूर्वक पर वास्तविक व्यय (₹6.93 लाख) तथा पेट्रोल, तेल एवं स्नेहद्रव्य की दरों में कमी (₹5.28 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 34-जारी

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	अधिकता + बचत (-)
99 सूचना प्रौद्योगिकी				
मूल	2,00.00	91.50	91.50	..
पुनर्वि०	(-)1,08.50			

बचत संगणकीकरण के अन्तर्गत आदेशों को परिपक्व न होने के कारण हुई।

2041 वाहन कर				
102 मोटर वाहनों का निरीक्षण				
99 निरीक्षण अमला				
मूल	18,44.00	15,94.27	16,00.03	+5.76
पुनर्वि०	(-)2,49.73			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कुछ कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति (₹2,11.05 लाख), अनुग्रहपूर्वक दावों की कम प्राप्ति (₹21.05 लाख) तथा अनुबंधित सेवा अमला की नियमितीकरण (₹6.88 लाख) के कारण हुई जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अधिक प्राप्ति (₹6.19 लाख) से अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

98 सड़क सुरक्षा जागरूकता तथा रगुलेटरी विंग का संगणकीकरण				
मूल	2,00.00	76.12	72.46	(-)3.66
पुनर्वि०	(-)1,23.88			

₹1,23.88 लाख की बचत सड़क सुरक्षा जागरूकता पर कम सेमिनार करने तथा कम्प्यूटर वस्तुओं की कम खरीद के कारण हुई।

4. आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

अनुदान संख्या 34-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
3055 सड़क परिवहन			
201 हरियाणा परिवहन			
96 एफ-अन्य व्यय			
मूल	69,20.00	75,25.00	75,25.00
पुनर्वि०	6,05.00		

बस बेड़े/पूँजी में वृद्धि होने के कारण ब्याज तथा मूल्य का घटाव पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

पूँजीगत:

5. ₹29,12.66 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत मार्च 2015 में प्राप्त ₹100 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
6. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय			
02 बेड़े का अधिग्रहण			
77 हरियाणा परिवहन डिपो			
मूल	1,50,00.00	1,36,69.89	1,36,69.89
पुनर्वि०	(-)13,30.11		

₹13,30.11 लाख की बचत खजानों द्वारा बिलों के निपटान न किये जाने तथा आपूर्ति आदेशों का परिवहन न होने के कारण हुई।

- 050 भूमि तथा भवन
- 77 भूमि का क्रम तथा रेगुलेटरी विंग हेतु भवन का निर्माण

मूल	11,29.00	3,30.00	3,29.98	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)7,99.00			

अनुदान संख्या 34-जारी

₹799 लाख की बचत भूमि प्रयोगकर्ता को बदलने में बदलाव (सी.एल.यू.), रोहतक में सड़क परिवहन प्राधिकरण कार्यालय भवन हेतु प्रक्रिया के कारण हुई।

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
78	हरियाणा परिवहन डिपो			
	मूल	30,00.00		
	पूरक	1,00.00	27,56.10	27,56.10
	पुनर्वि०	(-)3,43.90		..

करनाल के बस अड्डे तथा वर्कशाप के निर्माण सहित चलित परियोजनाओं के पूर्ण होने पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो फिर खजानों द्वारा बिलों के निपटान न किये जाने के कारण नए बस अड्डे के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण कर भुगतान न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

103 कार्यशाला सुविधाएं

76 हरियाणा परिवहन डिपो

	मूल	2,00.00		
	पुनर्वि०	(-)1,95.43	4.57	4.57
				..

बचत मशीनरी तथा उपकरण के अन्तर्गत खजाने द्वारा बिलों के निपटान न करने के तथा आपूर्ति आदेशों का परिपक्व न होने के कारण हुई।

5053 नागर विमानन पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य वैमानिक सेवाएं

052 मशीनरी तथा उपकरण

99 अतिरिक्त कलपुर्जे, वायुयान तथा अन्य उपकरणों की खरीद

	मूल	2,45.00		
	पुनर्वि०	(-)2,21.14	23.86	23.86
				..

बचत मुख्यतः सरकार द्वारा मशीनरी एवं उपकरण की खरीद को समय अनुमोदन का निपटान न करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 34-जारी

7. अनुदान के अन्तर्गत व्यय में अंशदित किए ₹3,975 लाख और आरक्षित निधि में से लिए गए ₹2,950 लाख शामिल हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:-

क्रआरक्षित निधि तथा प्रयोजन	01.04.2014 के दौरान आदि शेष	वर्ष 2014-2015 के दौरान अंशदान	वर्ष 2014-2015 के दौरान निधि के अन्तर्गत ब्याज का संचय	वर्ष 2014-2015 के दौरान निधि में जमा की गई कुल राशि	वर्ष 2014-2015 के दौरान व्यय	31 मार्च 2015 को शेष
1	2	3	4	5	6	7
(₹लाख में)						
(1) '8115' मूल्य ह्यस/आरक्षित/निधि नवीनीकरण '103' मूल्य ह्यस/आरक्षित/निधि (मोटर वाहन) बसों, मशीनरी, फर्नीचर आदि के नवीनीकरण और प्रतिस्थापना की लागत को पूरा करने के लिए	2,53,47.42	39,75.00	27,94.08	67,69.08	29,50.00	2,91,66.50
(2) '8115' सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि '101' सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि सरकार व्यवसायिक विभाग सेवारत गाड़ियों को दुर्घटनाओं के कारण तीसरी पार्टी के दावों और भारी मुरम्मत की लागत को पूरा करने के लिए	2,01.51	25.00	22.17	47.17	25.00	2,23.68

मुल्यह्यस आरक्षित निधि (मोटर परिवहन) में अंशदान प्रत्येक वर्ष स्थायी परिसम्पत्ति के अंकित मूल्य पर निर्दिष्ट दरों से किए जाते हैं। निधि में संचित राशि पर ब्याज को भी इस निधि में जमा तथा मोटर परिवहन (दुर्घटना) -आरक्षित निधि में जमा कर दिया जाता है।

निधियों में से वास्तविक व्यय को पहले इस अनुदान के नामें डाला जाता है। बाद में वर्ष के लेखे बन्द करने से पहले व्यय निधियों को अन्तरित कर दिया जाता है।

निधियों के लेन-देन का लेखा वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे की विवरण संख्या 21 में दिया गया है।

अनुदान संख्या 35

अनुदान संख्या 35-पर्यटन

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत(-)
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
3452 पर्यटन दत्तमत				
मूल	3,19,60	3,23,50	3,18,11	(-)5,39
पूरक	3,90			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				5,40
पूंजीगत				
मुख्य शीर्ष				
5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय दत्तमत				
मूल	31,50,00	31,50,03	29,50,80	(-)1,99,23
पूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				1,99,20

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

पूंजीगत

दत्तमत

1. ₹1,99.23 लाख के समस्त बचत के दृष्टिगत मार्च 2015 में ₹0.03 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

2. बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 35-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
01 पर्यटक संसाधन			
101 पर्यटक केन्द्र			
98 गतव्य के रूप में हिसार पर्यटन ससांघन विकास हेतु			
मूल 4,77.39	1,04.50	1,04.50	..
पुनर्वि० (-)3,72.89			
₹3,72.89 लाख की बचत भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।			
96 गतव्य के रूप में पंचकुला पर्यटक ससांघन विकास हेतु			
मूल 1,00.00
पुनर्वि० (-)1,00.00			
योजना के लागू न किये जाने के कारण समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा।			
80 सामान्य			
800 अन्य व्यय			
94 जिला/उप-मण्डलों तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों/स्थानों पर पर्यटक सुविधाओं का विकास			
मूल 9,00.00	6,54.89	6,54.89	..
पुनर्वि० (-)2,45.11			
96 हरियाणा के मुख्य सड़कों पर पर्यटक सुविधाओं का विकास			
मूल 7,00.00	6,19.31	6,19.31	..
पुनर्वि० (-)80.69			
उपरोक्त दोनों मामलों में बचत विकास कार्यों को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण हुई।			

अनुदान संख्या 35-जारी

3. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत(-)	
5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय				
01 पर्यटक संसाधन				
101 पर्यटक केन्द्र				
99 मेजर सर्किट के रूप में पानीपत कुरुक्षेत्र-पिंजौर के लिए पर्यटक संसाधन विकास हेतु				
मूल	4,22.61	5,39.92	5,39.92	..
पुनर्वि०	1,17.31			

पानीपत, कुरुक्षेत्र तथा पिंजौर में पर्यटक सर्किट तथा सुरजकुंड अन्तर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला-2014 को लगाने के लिए अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

91 राज्य में पर्यटक स्थल पर मल्टीमीडिया/लेजर शो के विकास के लिए योजना

मूल	..	75.01	75.00	(-)0.01
पूरक	0.01			
पुनर्वि०	75.00			

नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना होने से रोहतक में पर्यटक स्थलों पर नए भवन निर्माण तथा मल्टीमीडिया/लेजर शो के विकास पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए टोकन पूरक अनुदान तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान हुआ।

90 राज्य में पर्यावरण पर्यटक के विकास हेतु योजना

मूल	..	58.04	58.03	(-)0.01
पूरक	0.01			
पुनर्वि०	58.03			

अनुदान संख्या 35-जारी

नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना होने से राज्य में नए भवनों के निर्माण तथा पर्यावरण पर्यटन के विकास पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए टोकन पूरक अनुदान तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान हुआ।

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	बचत(-)
89	राज्य में पर्यटन संसाधन परियोजना हेतु राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन सहायता			
	मूल	..		
	पूरक	0.01	27.44	27.43
	पुनर्वि०	27.43		(-)0.01

नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना होने से राज्य में पर्यटन संसाधन परियोजना हेतु राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन सहायता के लिए भवनों का निर्माण पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए टोकन अनुदान तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान हुआ।

- 80 सामान्य**
800 अन्य व्यय
95 नए पर्यटक परिसरों के वातानुकूलन
 तथा साज सज्जा

मूल	70.00	}	1,50.00	1,50.00	..
पुनर्वि०	80.00				

पर्यटन परिसरों के वातानुकूलन तथा साजो सज्जा पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

- 98** सूरजकुंड में पर्यटक सुविधाएं

मूल	1,65.00	}	2,40.01	2,40.01	..
पुनर्वि०	75.01				

अनुदान संख्या 35- समाप्त

होटल राजहंस सुरजकुंड में मेन विद्युत आंबटन पैनल के प्रावधान हेतु अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	अधिकता +
93	प्रशिक्षण संस्थान का अधुनिकीकरण/उन्नयन			
	मूल	1,30.00	2,00.00	2,00.00
	पुनर्वि०	70.00		

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन होटल प्रबन्धन संस्थान रोहतक के छात्रावास भोजनालय को रसोई उपकरणों की खरीद तथा होटल प्रबन्धन संस्थान यमुनानगर में अमला मकानों, प्राचार्य आवास, पार्किंग इत्यादि का निर्माण पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए हुआ।

99 बडखल झील पर होली डे
तथा मनोरंजन स्थल

	मूल	60.00	1,06.99	1,06.99
	पुनर्वि०	46.99		

बडखल झील पर पर्यटन परिसर के उन्नयन पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

91 पर्यटन क्रियाकलापों में विस्तार तथा
ऐतिहासिक स्मारकों का प्रकाशीकरण

	मूल	1,00.00	1,41.10	1,41.10
	पुनर्वि०	41.10		

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन कुस्क्षेत्र में बुद्ध स्तूप का नवीनीकरण तथा प्रकाशीकरण तथा संसाधन प्रभार पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए हुआ।

अनुदान संख्या 36

		अनुदान संख्या 36-गृह			
		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)	
राजस्व:					
मुख्य शीर्ष					
2051	लोक सेवा आयोग				
2055	पुलिस				
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
दत्तमत					
	मूल	25,98,67,58	26,78,71,75	26,53,61,25	(-)25,10,50
	पूरक	80,04,17			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)					25,74,17
प्रभारित					
	मूल	2,80,00	3,80,00	2,30,53	(-)1,49,47
	पूरक	1,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)					55,08
पूंजीगत:					
मुख्य शीर्ष					
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय				
दत्तमत					
	मूल	1,24,00,00	1,39,00,00	1,20,15,71	(-)18,84,29
	पूरक	15,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)					18,84,29

अनुदान संख्या 36-जारी

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व:

दत्तमत अनुदान

1. ₹25,10.50 लाख की उपलब्ध बचत में से 31 मार्च 2015 को ₹25,74.17 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
2. ₹25,10.50 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 तथा मार्च 2015 में प्राप्त ₹80,04.17 लाख का पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई जो टिप्पणी 4 में वर्णित कुछ अन्य शीर्षों में अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
2055 पुलिस			
114 बेतार और कम्प्यूटर			
99 वायरलैस तथा कम्प्यूटर			
98 स्थापना व्यय			
मूल	91,94.55		
पुनर्वि०	(-)9,00.87		
	82,93.68	82,93.66	(-)0.02

₹9,00.87 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹9,89.57 लाख), तथा वर्दी सम्बंधी वस्तुओं की कम खरीद (₹2.14 लाख) के कारण हुई जो प्रत्याशा से अधिक अनुग्रहपूर्वक अदायगी (₹60.77 लाख) तथा चिकित्सा बिलों की अधिक प्राप्ति (₹28 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

- 104 विशेष पुलिस
- 98 भारतीय रिजर्व बटालियन

मूल	1,32,14.45		
पूरक	25.00		
पुनर्वि०	(-)8,13.34		
	1,24,26.11	1,24,26.43	+0.32

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹8,59.41 लाख) तथा पुलिस कर्मचारियों को कम इनाम का वितरण (₹7.45 लाख) के कारण हुई जो मुख्यतः

अनुदान संख्या 36-जारी

यात्रा व्यय (₹19.99 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति (₹7.90 लाख) तथा स्रोत अमले को मजदूरी का भुगतान (₹4.11 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
111 रेलवे पुलिस			
99 रेलवे एवं कमांडो बल			
मूल	91,48.90		
पूरक	25.00	84,76.33	84,76.32
पुनर्वि0	(-)6,97.57		(-)0.01

मजदूरी तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹6,37.06 लाख), भवनों का कम मुरम्मत कार्य (₹39.42 लाख), वाहनों की कम मुरम्मत (₹9.38 लाख), पुलिस कर्मचारियों को कम इनाम का वितरण (₹6.75 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावों के अंतर्गत प्रत्याशा से अधिक वास्तविक व्यय (₹5.39 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान कम हुआ।

001 निदेशन तथा प्रशासन

99 केन्द्रीय पुलिस कार्यालय
एवं रेंज

मूल	21,48.09			
पूरक	40.00	18,90.05	18,93.45	+3.40
पुनर्वि0	(-)2,98.04			

पेट्रोल, तेल तथा स्नेहद्रव्यों पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹3,47.50 लाख) तथा पुलिस कर्मचारियों को इनामों का कम आबंटन (₹7.94 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ जो बिजली तथा टेलीफोन बिल (₹35.50 लाख), बाहरी स्रोत अमले को भुगतान (₹10.63 लाख) तथा पेट्रोल, तेल तथा स्नेहद्रव्यों के मूल्य में वृद्धि (₹6.27 लाख) पर अधिक व्यय के कारण आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ।

अनुदान संख्या 36-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
98 अपराध सम्बन्धी कानून			
मूल 29,25.76	27,40.32	27,40.21	(-)0.11
पुनर्वि० (-)1,85.44			

₹1,85.44 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹2,07.53 लाख) के कारण हुई जो अनुबंधित अमले की नियुक्ति (₹11.87 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक पर प्रत्याशा से अधिक वास्तविक व्यय (₹8.08 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

97 राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण

मूल 58.41	33.13	33.11	(-)0.02
पुनर्वि० (-)25.28			

₹25.28 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹20.58 लाख) तथा अनुबंधित अमले की नियुक्ति के लिए स्वीकृति न होने (₹2.19 लाख) के कारण हुई।

116 न्यायालयिक विज्ञान

99 फोरेन्सिक विज्ञान
प्रयोगशाला अमला

मूल 10,53.17	9,16.96	9,16.96	..
पुनर्वि० (-)1,36.21			

₹1,36.21 लाख की बचत मुख्यतः पदों को न भरने (₹1,66.08 लाख) तथा कम यात्रा भत्ते दावे (₹6.48 लाख) के कारण हुई जो अनुबंधित अमले की नियुक्ति (₹36.25 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावे (₹2.19 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

अनुदान संख्या 36-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
003 शिक्षा तथा प्रशिक्षण			
99 रंगरूटों का उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र			
मूल	20,84.27		
पुनर्वि0	(-)1,24.32		
	19,59.95	19,44.20	(-)15.75

₹1,24.32 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹89.50 लाख), पुलिस कर्मचारियों को इनामों का कम आबंटन (₹10 लाख), अनुबंधित सेवाओं की स्वीकृति प्राप्त न होने (₹35.69 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावों (₹8.57 लाख) के कारण हुई जो बिजली तथा दूरभाष बिलों (₹44.98 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई। तथापि महगाई भत्ता (₹30.28 लाख) के अंतर्गत दिया गया कारण "पुलिस कर्मचारियों को कम इनाम के कारण" विश्वसनीय नहीं है।

₹15.75 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

2051 लोक सेवा आयोग
103 कर्मचारी चयन आयोग
98 राज्य स्तर पर पुलिस भर्ती बोर्ड की स्थापना

मूल	5,04,00			
पूरक	7,14.00			
पुनर्वि0	(-)1,22.67			
	10,95.33	10,95.32	(-)0.01	

कार्यालय व्यय तथा अनुबंधित सेवाओं के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो पुनर्विनियोजन द्वारा मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने (₹71.80 लाख), कार्यालय व्यय के अंतर्गत मितव्ययता अपनाने (₹27.81 लाख), सरकार से नया वाहन खरीदने के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने (₹26.16 लाख) तथा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम यात्रा करने (₹8.16 लाख) के कारण कम हुआ तथा अनुबंधित सेवाओं (₹14.83 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ।

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं
106 सिविल सुरक्षा

अनुदान संख्या 36-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
98 नागरिक सुरक्षा का नवीनीकरण			
मूल	..		
पूरक	41.90
पुनर्वि0	(-)41.90		

अन्य प्रभारों पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान हुआ जो अन्य प्रभार के अंतर्गत कम भुगतान के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा अभ्यर्पित हुआ।

4. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2055 पुलिस			
101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
99 सी.आई.डी. एवं एस.सी.आर.बी.			
मूल	94,39.31		
पूरक	10.00	1,08,92.78	1,08,92.79
पुनर्वि0	14,43.47		+0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन रिक्त पदों को भरने (₹14,07.13 लाख), अनुबन्धित अमले की नियुक्ति (₹21.59 लाख), कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए (₹15 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावों (₹6.50 लाख) पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए हुआ जो वर्दी की कम खरीद (₹6.90 लाख) तथा छुट्टी यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति (₹3.62 लाख) के कारण हुई बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ।

114	बेतार और कम्प्यूटर
99	बेतार तथा कम्प्यूटर

अनुदान संख्या 36-जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
99 सूचना प्रौद्योगिकी				
मूल	50.00	1,09.22	1,09.22	..
पुनर्वि०	59.22			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत भारत संचार नगर लिमिटेड को भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए हुआ।

003 शिक्षा और प्रशिक्षण
97 भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र सुनरिया (रोहतक)

मूल	3,29.47	3,65.42	3,65.41	(-)0.01
पुनर्वि०	35.95			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन रिक्त पदों को भरने (₹55.30 लाख) पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए हुआ जो कार्यालय व्यय के अंतर्गत मितव्ययता (₹13.74 लाख) से हुई बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ।

दोषपूर्ण बजट

5. वित्त विभाग द्वारा जारी एक दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन आदेश नीचे दर्शाया गया है:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2055 पुलिस				
109 जिला पुलिस				
99 जिला पुलिस बल				
मूल	18,09,36.48	18,54,26.21	18,55,02.07	+ 75.86
पूरक	51,48.27			
पुनर्वि०	(-)6,58.54			

₹75.86 लाख के अन्तिम आधिक्य के दृष्टिगत वेतन, मजदूरी महगाई भत्ता, मोटरवाहन, अन्य प्रभार तथा छुट्टी यात्रा रियायत पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो रिक्त पदों के न भरने (₹9,27.89 लाख), निधियों को यात्रा व्यय में हस्तांतरित करने (₹8,66.12 लाख), छुट्टी यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति (₹2,01.16 लाख) के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ तथा बिजली एवं दूरभाष बिल (₹4,18.98 लाख), प्रत्याशा की अपेक्षा अनुग्रहपूर्वक दावे (₹3,78.38 लाख), पेट्रोल, तेल तथा स्नेहद्रव्य में बढ़ोत्तरी (₹2,99.90 लाख) वेतन से सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान (₹1,78.30 लाख), वर्दी वस्तुओं की खरीद (₹99.51 लाख) तथा चिकित्सा दावों की अधिक प्राप्ति (₹49.23 लाख) के भुगतान पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ, विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

प्रभारित विनियोग

6. ₹1,49.47 लाख की समस्त बचत में से ₹94.39 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
7. ₹1,49.47 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 में प्राप्त ₹100 लाख का पूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
8. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2055 पुलिस			
109 जिला पुलिस			
99 जिला पुलिस बल			
मूल	2,80.00		
पूरक	1,00.00		
पुनर्वि0	(-)55.08		
	3,24.92	2,30.53	(-)94.39

अनुदान संख्या 36-समाप्त

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल के प्रभार पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक विनियोग द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो मोटर दुर्घटना द्वारा ट्रिब्यूनल दावों तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्वीकृति की कम प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

₹94.39 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2015)।

पूंजीगत:

दत्तमत अनुदान

9. ₹18,84.29 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 में प्राप्त ₹1,500 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा।

10. बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
207 राज्य पुलिस			
97 पुलिस स्टेशन			
मूल	94,00.00		
पूरक	15,00.00		
पुनर्वि0	(-)18,72.59		
	90,27.41	90,27.41	..

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुलिस विभाग पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो मुरम्मत तथा निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

अनुदान संख्या 37

अनुदान संख्या 37-निर्वाचन

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2015 निर्वाचन				
दत्तमत				
मूल	1,00,22,99	1,00,22,99	85,49,76	(-)14,73,23
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				14,74,66

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

1. ₹14,73.23 लाख की कुल उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को ₹14,74.66 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

2. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	अधिकता +
2015 निर्वाचन			
105 संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार	25,99.50	26,01.09	+1.59
99 आम चुनाव			
मूल	30,48.00		
पुनर्वि०	(-)4,48.50		

अनुदान संख्या 37-जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः कार्यालय व्ययों, लोक सभा आम चुनाव-2014 से सम्बंधित मानदेय के कम बिलों की प्राप्ति (₹4,02.60 लाख) तथा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम यात्राओं के फलस्वरूप यात्रा व्यय, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहद्रव्यों पर कम व्यय (₹68.90 लाख) के कारण हुई जो लोक सभा आम चुनाव-2014 के लिए व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए अनुबंधित कम्प्यूटर अमले के बिलों के निपटान हेतु अधिक व्यय (₹23 लाख) द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
98 उप चुनाव			
मूल	1,80.00
पुनर्वि०	(-)1,80.00

लोक सभा के उप-चुनाव न करवाए जाने के कारण समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा।

106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार			
99 आम चुनाव			
मूल	33,60.00	31,18.79	31,18.78
पुनर्वि०	(-)2,41.21		(-)0.01

₹2,41.21 लाख की बचत मुख्यतः विधान सभा चुनाव के लिए मानदेय पर कम भुगतान (₹1,58.80 लाख), कार्यालय व्ययों पर कम व्यय (₹93.50 लाख) तथा विधान सभा चुनाव-2014 के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम यात्राओं (₹28.70 लाख) के कारण हुई जो व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए अनुबंधित कम्प्यूटर अमले के बिलों के निपटान हेतु (₹42 लाख) अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

98 उप चुनाव			
मूल	1,30.00
पुनर्वि०	(-)1,30.00

अनुदान संख्या 37-जारी

वर्ष के दौरान हरियाणा विधान सभा के उप-चुनाव न करवाए जाने के कारण समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
103 निर्वाचक नामावली तैयार करना तथा मुद्रण			
99 मतदाता सूचियाँ तैयार करना			
मूल	8,90.00	7,31.90	7,31.86
पुनर्वि०	(-)1,58.10		
			(-)0.04

₹1,58.10 लाख की बचत मुख्यतः मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के कम बिलों की प्राप्ति (₹57.20 लाख), बी.एल.ओ. अधिकारियों को कम मानदेय भुगतान प्राप्ति (₹46.60 लाख), मजदूरी से सम्बंधित बाहरी संसाधनों से कर्मचारियों के कम दावों की प्राप्ति (₹32.80 लाख) तथा व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के अन्तर्गत कम्प्यूटर अमले (₹12.70 लाख) से कम बिलों की प्राप्ति के कारण हुई।

102 निर्वाचन अधिकारी			
98 जिला अमला			
मूल	9,23.89	8,26.16	8,26.11
पुनर्वि०	(-)97.73		
			(-)0.05

₹97.73 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹95.22 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति (₹13.50 लाख), कार्यालय व्ययों पर कम व्यय (₹10 लाख), अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम यात्राओं के करने (₹9.60 लाख), किराया दर तथा करों पर कम व्यय (₹5 लाख) के कारण हुई जो बड़े हुए मंहगाई भत्ते पर अधिक व्यय (₹39.30 लाख) के कारण आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

अनुदान संख्या 37-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
99 मुख्यालय अमला			
मूल 2,98.00	2,31.77	2,31.73	(-)0.04
पुनर्वि0 (-)66.23			
108 मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना			
मूल 2,55.00	1,66.76	1,66.75	(-)0.01
पुनर्वि0 (-)88.24			
101 निर्वाचन आयोग			
98 पंचायत चुनाव कराने हेतु क्षेत्रीय अमला			
मूल 72.60	35.25	35.24	(-)0.01
पुनर्वि0 (-)37.35			

₹66.23 लाख की बचत मुख्यतः आकस्मिक बिलों की कम प्राप्ति (₹30.85 लाख) तथा रिक्त पदों के न भरने (₹26.81 लाख) के कारण हुई।

₹88.24 लाख की बचत मुख्यतः हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम (हारट्रान) से फोटो पहचान पत्र के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

₹37.35 लाख की बचत मुख्यतः पंचायत तथा नगर समितियों के उप-चुनावों तथा उनमें से कुछ निर्विरोध चुने जाने से हुए कम व्यय (₹36.65 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 38

अनुदान संख्या 38-लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व:			
मुख्य शीर्ष 2215 जलपूर्ति तथा सफाई			
दत्तमत			
मूल	14,27,29,00	14,75,69,00	13,60,19,76
पूरक	48,40,00		
			(-)1,15,49,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)			83,41,88
पूंजीगत:			
मुख्य शीर्ष 4215 जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
दत्तमत			
मूल	10,00,20,00	11,06,70,00	9,59,95,68
पूरक	1,06,50,00		
			(-)1,46,74,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)			1,53,53,60

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व:

दत्तमत अनुदान

1. ₹1,15,49.24 लाख की उपलब्ध बचत में से ₹32,07.36 लाख अनाभ्यर्पित रहे।

2. ₹1,15,49.24 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत मार्च 2015 में प्राप्त ₹4,840 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जैसाकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

अनुदान संख्या 38-जारी

3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)	
2215 जलपूर्ति तथा सफाई				
01 जलपूर्ति				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
96 कार्यकारी अभियन्ता एवं उनके स्थापना नियमित/स्थाई मैकेनिकल अमला				
मूल	4,94,93.00	4,59,53.47	4,59,38.54	(-)14.93
पूरक	4,20.00			
पुनर्वि०	(-)39,59.53			
97 कार्यकारी अभियन्ता एवं उनकी स्थापना				
मूल	1,04,34.60	78,38.84	78,38.84	..
पूरक	70.00			
पुनर्वि०	(-)26,65.76			
99 मुख्यालय अमला मुख्य अभियन्ता एवं उसकी स्थापना				
98 स्थापना व्यय				
मूल	16,37.75	11,83.80	11,83.80	..
पूरक	2.00			
पुनर्वि०	(-)4,55.95			

₹39,74.46 लाख की कुल बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹37,91.51 लाख), अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम यात्राएं करने (₹85.87 लाख) तथा कार्यालय व्ययों में मितव्ययता उपायों (₹61.42 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 38-जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
98	अधीक्षक अभियन्ता तथा उसकी स्थापना			
	मूल	15,14.65		
	पूरक	2.00	10,80.24	10,80.24
	पुनर्वि०	(-)4,36.41		..
92	यमुना एक्शन योजना के लिए अमला			
	मूल	11,99.00		
	पूरक	2.00	10,43.43	10,43.43
	पुनर्वि०	(-)1,57.57		..
799	उचन्त			
99	उचन्त			
	मूल	4,00.00		
	पुनर्वि०	(-)2,00.29	1,99.71	(-)26,33.69
				(-)28,33.40
102	ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
95	आवर्धित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
	मूल	18,00.00		
	पुनर्वि०	(-)3,84.97	14,15.03	14,15.03
				..

उपरोक्त चारों मामलों में बचत मुख्यतः पद रिक्त रहने, मितव्ययता उपायों तथा अनुग्रहपूर्वक अदायगी के अन्तर्गत कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

₹2,00.29 लाख की बचत मुख्यतः नलकूपों को लगाने हेतु विभिन्न क्रिया-कलापों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

₹28,33.40 लाख की अन्तिम बचत के कारण विश्वसनीय नहीं थे।

₹3,84.97 लाख की बचत भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 38-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
101 शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
99 शहरी बरसाती पानी निष्कासन कार्यो का संचालन व रख रखाव			
मूल	4,75.00		
पुनर्वि०	(-)1,74.17	3,00.83	3,00.83 ..

₹1,74.17 लाख की बचत बरसाती पानी निकासी हेतु कम मुरम्मत होने के कारण हुई।

789 अनूसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना			
98 ग्रामीण क्षेत्रों में इन्दिरा गांधी पेय जल आपूर्ति के अन्तर्गत अनुरक्षण			
मूल	15,00.00		
पुनर्वि०	(-)1,48.90	13,51.10	13,43.98 (-)7.12

₹1,56.02 लाख की कुल बचत वर्ष के दौरान संस्थापन के अनुरक्षण पर कम व्यय के कारण हुई।

003 प्रशिक्षण			
99 सूचना शिक्षा संचार क्रिया-कलाप			
मूल	1,80.00		
पुनर्वि०	(-)91.68	88.32	88.32 ..

₹91.68 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत कम क्रिया-कलापों करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 38-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
800 अन्य व्यय			
91 यन्त्र एवं उपकरण			
मूल 40.00	}
पुनर्वि० (-)40.00			

यंत्र एवं उपकरणों के अनुरक्षण हेतु कम मुरम्मत होने से पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

52 मशीनरी एवं उपकरण

मूल 30.00	}	4.24	4.24	..
पुनर्वि० (-)25.76				

₹25.76 लाख की बचत मशीनरी एवं उपकरणों हेतु कम मुरम्मत होने के कारण हुई।

4. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता+
2215 जलपूर्ति तथा सफाई			
01 जलपूर्ति			
101 शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
99 शहरी जलपूर्ति तथा मलनिकास का अनुरक्षण			
97 नहरी जल प्रभार			
मूल 2,60.00	}	2,98.66	..
पुनर्वि० 38.66			

अनुदान संख्या 38-जारी

शहरी क्षेत्रों को कच्ची जलापूर्ति करने पर सिंचाई विभाग को कच्चा जल प्रभारों के भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

दोषपूर्ण बजट

5. वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन का एक मामला नीचे दर्शाया गया है:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2215 जलपूर्ति तथा सफाई			
01 जलपूर्ति			
101 शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
99 शहरी जलापूर्ति तथा मलनिकासी का अनुक्षण			
98 अनुक्षण प्रभार			
मूल	67,50.00	} 83,04.94	79,45.92 (-)3,59.02
पूरक	10,00.00		
पुनर्वि0	5,54.94		

₹3,59.02 लाख की बचत के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति तथा मलनिकासी को लगाने हेतु संचालन एवं अनुक्षण तथा बढ़ी हुई मजदूरी पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन विवेकहीन सिद्ध हुआ, जोकि संस्थापन के लिए अनुक्षण पर कम व्यय के कारण हुई।

पूँजीगत:

6. ₹1,46,74.32 लाख की बचत में से 31 मार्च 2015 को ₹1,53,53.60 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

7. ₹1,46,74.32 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 तथा मार्च 2015 में प्राप्त ₹1,06,50 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

अनुदान संख्या 38-जारी

8. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
4215 जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01 जलपूर्ति			
101 शहरी जलपूर्ति			
99 शहरी जलपूर्ति			
97 टी.एफ.सी. (शिवालिक एवं दक्षिणी हरियाणा)			
मूल	37,60.00	35,48.40	35,48.40
पूरक	59,12.00		
पुनर्वि०	(-)61,23.60		
			..

शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों के भुगतान पर योजना के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो आगे देरी से स्वीकृति प्राप्त होने पर पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

98 मेवात (टी.एफ.सी.)

मूल	7,20.00	2,69.80	2,69.80	..
पुनर्वि०	(-)4,50.20			

₹4,50.20 लाख की बचत वित्तीय वर्ष के अन्त में परियोजना के अनुमोदित होने के कारण हुई।

789 अनूसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना
94 टी.एफ.सी. (शिवालिक एवं दक्षिणी हरियाणा)
के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों हेतु विशेष
घटक योजना

मूल	15,00.00	9,17.32	9,17.83	+0.51
पूरक	15,00.00			
पुनर्वि०	(-)20,82.68			

अनुदान संख्या 38-जारी

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हेतु 13वें वित्त आयोग (शिवालिक एवं दक्षिणी हरियाणा) सिफारिशों के अनुसार विशेष घटक उप-योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों के भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो कि आगे परियोजना की मंजूरी में देशी के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
97 नाबार्ड के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना			
मूल 24,60.00	15,39.19	15,39.19	..
पुनर्वि० (-)9,20.81			

₹9,20.81 लाख की बचत वन, भवन एवं सड़के, भारतीय राष्ट्रीय मुख्य सड़क अभियंता तथा रेलवे विभागों से परियोजना की देशी से निपटान के कारण हुई।

98 ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की बहुतायत आबादी में जल आपूर्ति

मूल 25,00.00	18,05.81	18,05.81	..
पुनर्वि० (-)6,94.19			

99 शहरी क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों की बहुतायत आबादी में जल आपूर्ति

मूल 5,00.00	2,22.36	2,22.36	..
पुनर्वि० (-)2,77.64			

उपरोक्त दोनों मामलों में बचत वर्ष के दौरान कम लाभान्वितों के कवर होने से हुई क्योंकि लाभान्वितों में ज्यादातर पिछले वर्ष कवर किये जा चुके थे।

अनुदान संख्या 38-जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	बचत(-)
96	ग्रामीण जल आपूर्ति के आवर्धन के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना			
	मूल	20,00.00		
	पुनर्वि०	(-)4,09.73	15,90.27	15,90.27
				..
	₹4,09.73 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के देरी से स्वीकृति होने के कारण हुई।			
91	एन.आर.सी.पी.के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना			
	मूल	2,20.00		
	पुनर्वि०	(-)2,20.00
				..
	भारत सरकार से कम अनुदानों की प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।			
95	टी.एफ.सी. मेवात के के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना			
	मूल	5,00.00		
	पूरक	1,70.00	5,20.37	5,20.37
	पुनर्वि०	(-)1,49.63		..
	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हेतु 13वें वित्त आयोग (शिवालिक एवं दक्षिणी हरियाणा) की सिफारिशों के अनुसार विशेष घटक उप-योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों के भुगतान पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो योजना के अन्तर्गत परियोजना का देरी से स्वीकृति होने से पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।			

अनुदान संख्या 38-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
102	ग्रामीण जल आपूर्ति		
93	ग्रामीण जल आपूर्ति		
95	टी.एफ.सी (शिवालिक एवं दक्षिणी हरियाणा)		
	मूल 22,40.00	12,03.68	12,03.68
	पुनर्वि० (-)10,36.32		

₹10,36.32 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत परियोजना की स्वीकृति देरी होने के कारण हुई।

92	स्वतंत्र फीडर		
	मूल 1,00.00	46.00	46.00
	पुनर्वि० (-)54.00		

₹54 लाख की बचत विद्युत उपयोगिता विभाग से अनुमानों की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण हुई।

98	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति		
93	एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. (जल गुणवत्ता निगरानी)		
	मूल 3,60.00	97.33	97.33
	पूरक 1,30.00		
	पुनर्वि० (-)3,92.67		

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हेतु एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. (जल गुणवत्ता निगरानी) के भुगतान पर व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो आगे भारत सरकार से अनुदान की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

अनुदान संख्या 38-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
97 एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.स्थिरता (केन्द्रीय)			
मूल	12,00.00		
पुनर्वि०	(-)4,52.59		
	7,47.41	8,21.72	+ 74.31

भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदानों की स्वीकृति की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती हुई।

₹74.31 लाख का अन्तिम आधिक्य कार्य स्थल पर कार्य को बीच में न रोकने के कारण हुआ।

94 एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.
(सहायक गतिविधियाँ)

मूल	6,00.00		
पूरक	1,26.58		
पुनर्वि०	(-)1,64.37		
	5,62.21	5,62.21	..

जन स्वास्थ्य विभाग हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (सहायक गतिविधियाँ) पर भुगतान से व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो आगे भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

92 एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. (जल गुणवत्ता
प्रभावित क्षेत्रों रसायनिक संदूषण)

मूल	89.00		
पुनर्वि०	(-)40.98		
	48.02	48.02	..

₹40.98 लाख की बचत भारत सरकार से अनुदान की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 38-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
800 अन्य व्यय			
99 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का सस्थांगत सुदृढीकरण			
मूल 5,00.00	3,91.34	3,91.34	..
पुनर्वि० (-)1,08.66			

₹1,08.66 लाख की बचत परियोजनाओं का देरी से अनुमोदन होने के कारण हुई।

98 पी.एच.ई. विभाग द्वारा अधिगृहत भूमि का वार्षिक भुगतान

मूल 3,20.00	2,24.59	2,24.59	..
पुनर्वि० (-)95.41			

₹95.41 लाख की बचत वार्षिक भुगतान प्राप्ति हेतु कुछ भूमि स्वमितों द्वारा अनिच्छुक दर्शाने के कारण तथा बैंक खातों की सूचना प्रस्तुत न करने के कारण हुई।

02 मल जल तथा सफाई

101 शहरी सफाई सेवाएं

90 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

मूल 97,80.00	41,06.25	41,06.25	..
पुनर्वि० (-)56,73.75			

₹56,73.75 लाख की बचत भारत सरकार से कम अनुदान की प्राप्ति के कारण हुई।

95 मल निकास उपचार

मूल 2,00.00	1,73.64	1,73.64	..
पुनर्वि० (-)26.36			

₹26.36 लाख की बचत छः शहरों में भूमि प्रतिपूर्ति हेतु कम माँग की प्राप्ति के कारण

हुई।

अनुदान संख्या 38-जारी

9. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	अधिकता +	
4215 जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय				
01 जलपूर्ति				
102 ग्रामीण जलपूर्ति				
98 त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति				
99 एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.-अधिकृत केन्द्रीय				
मूल	60,50.00	77,39.57	77,42.37	+2.80
पुनर्वि०	16,89.57			

चलित परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान की प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

93 ग्रामीण जल आपूर्ति				
98 आवर्धित जल आपूर्ति				
मूल	80,00.00	1,11,73.69	1,11,73.69	..
पूरक	18,88.00			
पुनर्वि०	12,85.69			

निर्माण कार्यो का भुगतान आवर्धित जल आपूर्ति हेतु किया गया व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

789 अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना				
94 एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना				
मूल	19,00.00	24,32.92	24,32.92	..
पुनर्वि०	5,32.92			

अनुदान संख्या 38-जारी

चलित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान से प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
799 उचन्त			
99 स्टाक			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	3,33.18		
	8,33.18	8,33.18	..

रिजर्व स्टाक हेतु खरीद के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

02 मल निकास तथा सफाई

101 शहरी सफाई सेवाएं

94 मल निकास तथा सफाई

मूल	1,50,00.00		
पुनर्वि०	6,64.94		
	1,56,64.94	1,57,91.08	+1,26.14

₹7,91.08 लाख का कुल आधिक्य योजना के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार तथा भूमि स्थिति के अनुसार मलनिकास सुविधाएं देने तथा उपयुक्तता पर उपचार प्लांटस के निर्माण के कारण हुआ।

दोषपूर्ण बजट

10. वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन आदेशों के दो मामले नीचे दर्शाये गये हैं:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
4215 जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01 जलपूर्ति			

अनुदान संख्या 38-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
102	ग्रामीण जल आपूर्ति		
93	ग्रामीण जल आपूर्ति		
93	नाबार्ड		
	मूल	98,40.00	} 90,23.16
	पुनर्वि०	(-)8,16.84	
			92,99.39
			+2,76.23

₹2,76.23 लाख के अंतिम आधिक्य के दृष्टिगत भवन एवं सड़कें, भारत के राष्ट्रीय हाइवे अथॉरिटी तथा रेलवे विभाग से परियोजना का देरी से निपटान होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती विवेकहीन सिद्ध हुई, जो कार्य स्थल पर कार्य को बीच में न रोकने के कारण हुआ।

96 थार विकास कार्यक्रम

	मूल	99,00.00	} 1,00,39.00	1,02,30.69	+1,91.69
	पूरक	2,43.42			
	पुनर्वि०	(-)1,04.42			

₹1,91.69 लाख के अंतिम आधिक्य के दृष्टिगत थार विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू निर्माण कार्यों को आगे ले जाने से बढ़े हुए व्यय के भुगतान पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो फिर भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदानों की स्वीकृति की प्राप्ति न होने से पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती विवेकहीन सिद्ध हुई, जोकि कार्य स्थल पर कार्य को बीच में न रोकने के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 39

अनुदान संख्या 39-सूचना तथा प्रचार

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत(-)
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2220 सूचना तथा प्रचार				
दत्तमत				
मूल	1,45,61,82	1,45,61,82	1,01,33,23	(-)44,28,59
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				44,24,61

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

1. ₹44,28.59 लाख की समस्त बचत में से ₹3.98 लाख अनाभ्यर्पित रहें।
2. बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत(-)	
2220 सूचना तथा प्रचार				
60 अन्य				
103 प्रैस सूचना सेवाएं				
98 सूचना केन्द्र				
मूल	72,62.00	33,84.28	33,84.27	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)38,77.72			

₹38,77.72 लाख की बचत मुख्यतः इलैक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया द्वारा सरकारी क्रिया-कलापों हेतु विज्ञापन (₹33,48.36 लाख), इनामों का कम आबंटन (₹200 लाख), मल्टी आर्ट परिसर कुरुक्षेत्र को कम सहायतानुदान (₹170 लाख), रिक्त पदों को न भरे जाने (₹31.74 लाख), व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं पर कम व्यय (₹31.64 लाख), मशीनरी एवं उपकरण की कम खरीद (₹27.13 लाख), वाहनों की कम मुरम्मत (₹16.31 लाख), व्यवसायिकों की नियुक्ति

अनुदान संख्या 39-जारी

द्वारा कम कमीशनड आर्टिकल (₹14.87 लाख), दैनिक श्रमिकों को कम उजरत का भुगतान (₹13.31 लाख), फैक्स, दूरभाष, मोबाईल प्रभार, मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों के किरायें (₹13.09 लाख), तथा प्रिंट मीडिया हेतु उपहारों की कम खरीद (₹9.24 लाख) के कारण हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
800 अन्य व्यय			
97 सांस्कृतिक क्रिया कलापों का उन्नयन			
मूल	9,90.00	8,19.64	8,19.64
पुनर्वि०	(-)1,70.36		

₹1,70.36 लाख की बचत मुख्यतः भजन पार्टियों से सरकारी क्रिया-कलापों के कम सांस्कृतिक कार्यक्रम करने (₹89.56 लाख), अनुबन्धित सेवाओं को भरे न जाने (₹30.90 लाख), वाहनों की कम अनुक्षण (₹18.26 लाख), स्टोर वस्तुओं की कम खरीद (₹12 लाख), मीडिया व्यक्तियों हेतु उपहारों की कम खरीद (₹10 लाख) तथा पदों के रिक्त रहने (₹3.52 लाख) के कारण हुई।

003 जनसंचार में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण			
99 अनुसंधान तथा रैफरैन्स अनुभाग			
मूल	1,70.00	1,08.79	1,08.78
पुनर्वि०	(-)61.21		

₹61.21 लाख की बचत मुख्यतः प्रत्याशा की अपेक्षा कम उजरत के भुगतान (₹40.30 लाख) तथा रिक्त पदों को न भरे जाने (₹17.54 लाख) के कारण हुई।

01 फिल्में			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
99 मुख्यालय अमला			
मूल	17,96.46	11,28.92	11,28.93
पुनर्वि०	(-)6,67.54		

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती रिक्त पदों को न भरे जाने (₹6,77.83 लाख), वाहनों की कम मुरम्मत (₹32.82 लाख) तथा अमले द्वारा कम यात्राएँ करने (₹6.06 लाख) से

अनुदान संख्या 39-जारी

हुई जो प्रत्याशा की अपेक्षा अनुग्रहपूर्वक दावों (₹29.91 लाख), अमले को अवकाश यात्रा रियायत सुविधाएं (₹14.70 लाख) तथा अधिक आन्तरिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों (₹9.96 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

3. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)	
2220 सूचना तथा प्रचार				
60 अन्य				
101 विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार				
97 प्रदर्शनी				
मूल	2,70.00	4,43.18	4,43.17	(-)0.01
पुनर्वि०	1,73.18			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन सरकार का प्रभार तथा सरकारी क्रिया-कलापों पर अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने (₹2,87.43 लाख) से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए हुआ जो पदों के रिक्त रहने (₹44.40 लाख), दैनिक श्रमिकों को कम भुगतान (₹36.60 लाख) तथा वाहनों की कम मुरम्मत (₹29.25 लाख) से बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ।

106 क्षेत्रीय प्रचार
99 क्षेत्रीय प्रचार योजना

मूल	27,65.36	29,22.96	29,18.99	(-)3.97
पुनर्वि०	1,57.60			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन रिक्त पदों को भरने (₹97.69 लाख), अवकाश अमलों को यात्रा रियायत सुविधाएँ (₹37.89 लाख), आन्तरिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति (₹18.94 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावों (₹16.52 लाख) पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो पेट्रोल/डीजल की कीमतों में कमी (₹5.44 लाख), किराए पर कम व्यय (₹3.29 लाख), स्टोर वस्तुओं की कम खरीद (₹1.27 लाख) तथा वाहनों का कम अनुरक्षण (₹1.11 लाख) से बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ।

अनुदान संख्या 39-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
01 फिल्में			
105 फिल्मों का उत्पादन			
99 फिल्मों का उत्पादन			
98 स्थापना व्यय			
मूल	72.00	1,03.53	1,03.53
पुनर्वि०	31.53		
			..

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन रिक्त पदों को भरे जाने (₹44.43 लाख) अधिक व्यय द्वारा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो मशीनरी के कम अनुरक्षण तथा स्टोर की वस्तुओं की कम अनुरक्षण (₹11.29 लाख) के कारण बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ।

अनुदान संख्या 40

अनुदान संख्या 40-उर्जा तथा विद्युत

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2801 बिजली				
2810 नवीन और नवीकरणीय उर्जा				
3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान				
दत्तमत				
मूल	45,33,76,50	53,76,98,50	52,56,49,23	(-)1,20,49,27
पूरक	8,43,22,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				
1,20,42,69				
प्रभारित				
मूल	4,72,00	4,72,00	3,54,00	(-)1,18,00
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				
1,18,00				
पूंजीगत:				
मुख्य शीर्ष				
4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
दत्तमत				
मूल	5,00,00,00	5,00,00,00	66,94,00	(-)4,33,06,00
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				
4,33,06,00				

अनुदान संख्या 40-जारी

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व:

दत्तमत अनुदान

1. ₹1,20,49.27 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 में प्राप्त ₹8,43,22 लाख का पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

2. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2801 बिजली			
05 संचरण तथा वितरण			
800 अन्य व्यय			
99 हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु सहायता			
	मूल 44,95,28.00	} 52,34,63.00	52,34,63.00
	पूरक 8,43,22.00		
	पुनर्वि0 (-)1,03,87.00		
			..

ग्रामीण विद्युतीकरण सबसिडी तथा वर्ष 2014-15 के दौरान ईंधन अधिभार के समायोजन के बकाया एरियर पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो फिर योजना के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम किया गया।

3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

60 अन्य

 001 निदेशन तथा प्रशासन

 99 विज्ञान एवं तकनीकी कार्यक्रम

	मूल 13,56.25	} 3,02.22	3,02.34	+0.12
	पुनर्वि0 (-)10,54.03			

मुख्यतः सम्बंधित तिमाही से उपयोग प्रमाण पत्र की प्राप्ति न होने के कारण (₹1,050 लाख) पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती हुई।

अनुदान संख्या 40-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
95 हरसक (हिसार) को सहायता अनुदान			
मूल	3,50.00	2,06.90	2,06.90
पुनर्वि०	(-)1,43.10		
₹1,43.10 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।			
87 ग्रामीण उर्जा परियोजना			
99 राज्य हिस्सा			
मूल	5,25.75	4,33.33	4,32.63
पुनर्वि०	(-)92.42		
₹92.42 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने (₹79.87 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कम प्राप्ति तथा कर्मचारियों से अवकाश यात्रा रियायत (₹7.16 लाख) तथा वाहन चलाने में संक्षेपता (₹2.78 लाख) के कारण हुई।			
2810 नवीन और नवीकरणीय उर्जा			
02 सौर			
101 सौर ताप उर्जा कार्यक्रम			
99 गैर पारम्परिक उर्जा स्रोत का उन्नयन			
99 सामान्य योजना			
मूल	5,15.00	1,74.50	1,68.51
पुनर्वि०	(-)3,40.50		
₹3,40.50 लाख की बचत आचार संहिता लागू होने के कारण सबसिडी का जारी न किए जाने (₹3,20.50 लाख) तथा खजाना से निधियों को निकालने हेतु प्रक्रिया बदलने (₹20 लाख) के कारण हुई।			

अनुदान संख्या 40-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
99 गैर पारम्परिक उर्जा स्रोत का उन्नयन			
मूल	2,93.00	2,58.00	2,58.00
पुनर्वि०	(-)35.00		

₹35 लाख की बचत आचार संहिता लागू होने से इनाम का आबंटन न होने के कारण (₹25 लाख) तथा खजाना से निधियों के निकलवाने की प्रक्रिया में तबदीली (₹10 लाख) के कारण हुई।

- 789 अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना
99 अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों हेतु
लैड आधारित सौर लालटेन शिक्षादीप योजना

मूल	1,00.00	60.00	60.00	..
पुनर्वि०	(-)40.00			

₹40 लाख की बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2015)।

3. आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2810 नवीन और नवीकरणीय उर्जा 02 सौर			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
99 गैर पारम्परिक उर्जा स्रोत का प्रशासनिक ढांचा			
मूल	1,04.50	1,63.38	1,63.38
पुनर्वि०	58.88		

विभाग की मांग के विरुद्ध वित्त विभाग द्वारा कम बजट आबंटन से वेतन तथा मंहगाई भत्ता पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन हुआ।

प्रभारित विनियोग

4. बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2801 बिजली			
80 सामान्य			
800 अन्य व्यय			
99 हरियाणा विद्युत नियमन आयोग की स्थापना			
मूल	4,72.00	3,54.00	3,54.00
पुनर्वि०	(-)1,18.00		
			..

योजना के अन्तर्गत बजट आबंटित व्यय न करने के कारण (₹118 लाख) की बचत हुई। फिर भी आयोग के संविधान के अनुसार बैंक में खोले गए लेखा में जमा प्राप्तियों से हरियाणा विद्युत नियमन आयोग द्वारा व्यय किया गया।

पूंजीगत:

दत्तमत:

5. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
05 संचरण तथा वितरण			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
99 एच. बी.पी.एन.एल. को हिस्सा पूंजी			
मूल	2,00,00.00	36,94.00	36,94.00
पुनर्वि०	(-)1,63,06.00		
98 एच.पी.जी.सी.एल. को हिस्सा पूंजी			
मूल	73,25.00	10,00.00	10,00.00
पुनर्वि०	(-)63,25.00		
			..

अनुदान संख्या 40-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	बचत (-)
97 यू.एम.बी.वी.एन.एल.का हिस्सा पूंजी			
मूल 28,50.00	} 2,00.00	2,00.00	..
पुनर्वि० (-)26,50.00			
96 डी. एच.बी.वी.एन.एल.का हिस्सा पूंजी			
मूल 28,25.00	} 2,00.00	2,00.00	..
पुनर्वि० (-)26,25.00			
789 अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना			
98 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को राज्यों में अनुसूचित जाति वर्ग को गुणवत्ता तथा निरन्तर बिजली आपूर्ति करना			
मूल 85,00.00	} 8,00.00	8,00.00	..
पुनर्वि० (-)77,00.00			
99 उत्तरी विद्युत प्रसारण निगम को राज्यों में अनुसूचित जाति वर्ग को गुणवत्ता तथा निरन्तर बिजली आपूर्ति करना			
मूल 85,00.00	} 8,00.00	8,00.00	..
पुनर्वि० (-)77,00.00			

उपरोक्त छः मामलों में बचत योजना के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 41

अनुदान संख्या 41-इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2852 उद्योग				
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी दत्तमत				
मूल	26,66,85	37,53,72	23,71,04	(-)13,82,68
पूरक	10,86,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				2,95,81
पूंजीगत:				
मुख्य शीर्ष				
4859 दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय दत्तमत				
मूल	1,10	1,10	1,00	(-)10
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि मार्च 2015				10
टिप्पणियां एवं टीकाएं:-				
राजस्व:				

अनुदान संख्या 41-जारी

दत्तमत अनुदान

1. ₹13,82.68 लाख की समस्त बचत में से ₹10,86.87 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
2. ₹13,82.68 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत मार्च 2015 में प्राप्त ₹10,86.87 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
2852 उद्योग			
07 दूर संचार तथा इलैक्ट्रॉनिक उद्योग			
202 इलैक्ट्रॉनिक			
89 राष्ट्रीय ई-शासन कार्य योजना			
	मूल	5,96.00	
	पूरक	10,86.87	
	पुनर्वि०	3,66.82	
	}	20,49.69	9,62.82
			(-)10,86.87

₹10,86.87 लाख की अंतिम बचत के दृष्टिगत राष्ट्रीय ई-शासन कार्य प्रणाली पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा आवर्धित हुआ जो भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा बढ़ाया गया, अवास्तविक सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

- 95 इलैक्ट्रॉनिक विभाग का संगठन एवं प्रशासन
- 98 स्थापना व्यय

मूल	51.95	}	31.90	31.90	..
पुनर्वि०	(-)20.05				

₹20.05 लाख की बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने (₹14.89 लाख) तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति न होने (₹2 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 41-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत (-)
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
206 विशिष्ट पहचान योजना			
99 भारत के पहचान प्राधिकरण के अन्तर्गत राज्य के नागरिकों हेतु पहचान योजना			
मूल	6,42.00		
पुनर्वि०	(-6,42.00)

भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

अनुदान संख्या 42

अनुदान संख्या 42 - न्याय प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	अधिकता + बचत (-)	
राजस्व:					
मुख्य शीर्ष					
2014 न्याय प्रशासन					
दत्तमत					
	मूल	3,51,54,03	4,74,81,37	3,76,73,72	(-)98,07,65
	पूरक	1,23,27,34			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)					96,97,85
प्रभारित					
	मूल	74,95,07	90,20,14	91,35,77	+1,15,63
	पूरक	15,25,07			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)					3,59

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व:

दत्तमत अनुदान

1. ₹98,07.65 लाख की समस्त बचत में से ₹1,09.80 लाख अनाभ्यर्पित रहे।
2. ₹98,07.65 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 तथा मार्च 2015 में प्राप्त ₹1,23,27.34 लाख का पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 42-जारी

3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
2014 न्याय प्रशासन			
105 सिविल और सेशनस सत्र न्यायालय			
94 केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत न्याय देने में सुधारीकरण			
97 सुबह/सायंकालीन न्यायालय			
मूल	12,32.20		
पूरक	46,52.45	90.83	90.83
पुनर्वि०	(-)57,93.82		..

तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से पिछले वर्षों में प्राप्त खर्च न की गई राशि/निधि पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो ऑब्जेक्ट शीर्ष-वेतन के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

98 न्यायालय प्रबन्धक

मूल	1,95.60			
पूरक	5,73.11	1,58.33	1,58.34	+0.01
पुनर्वि०	(-)6,10.38			

तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से पिछले वर्षों में प्राप्त खर्च न की गई राशि/निधि पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो ऑब्जेक्ट शीर्ष-वेतन तथा महगाई भत्ता के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

93 ग्राम-न्यायालय स्थापित तथा संचालित करना

मूल	14,00.00			
पुनर्वि०	(-)14,00.00

भारत सरकार द्वारा अनुदान प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण हुआ।

अनुदान संख्या 42-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
97 अधीनस्थ न्यायाधीश			
मूल	1,02,30.00	1,20,27.52	1,19,91.13
पूरक	22,75.00		
पुनर्वि०	(-)4,77.48		
			(-)36.39

₹36.39 लाख की अन्तिम बचत के दृष्टिगत नए पदों के सृजन होने, मंहगाई भत्ता, किराया दर तथा कर मजदूरी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, छुट्टी यात्रा रियायत तथा अनुग्रहपूर्वक पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान का आवर्धन हुआ जो पुनर्विनियोजन द्वारा मुख्यतः वेतन (₹3,74.26 लाख) तथा महागाई भत्ता (₹2,98.18 लाख) के अन्तर्गत निधियों के पुनर्विनियोजन, कर्मचारियों द्वारा कम यात्राएँ करना (₹25.92 लाख) से कम हुआ जो किराया, दर तथा करों, कार्यालय व्यय तथा छुट्टी यात्रा रियायत (₹1,52.06 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ, विवेकहीन सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

98 आदेशवाहक स्थापना जिला तथा सत्र न्यायाधीश न्यायालय

मूल	1,42.50	1,42.37	1,42.35	(-)0.02
पूरक	20.00			
पुनर्वि०	(-)20.13			

वेतन तथा महागाई भत्ते पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान का आवर्धन हुआ जो पुनर्विनियोजन द्वारा मुख्यतः कुछ न्यायालयों के वापिस लेने के कारण वेतन तथा महागाई भत्ते का भुगतान न करने (₹14.63 लाख), छुट्टी यात्रा रियायत (₹3.08 लाख) तथा कम चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (₹2 लाख) के अन्तर्गत कम व्यय के कारण कम हुआ।

114 विधि सलाहकार एवं परामर्शदाता (काउंसिल)

96 हरियाणा राज्य विधि सेवा अधिकरण (805)

कारावास नियम 1996

96 ए.डी.आर. केन्द्र

मूल	7,11.00	6,23.28	6,23.28	..
पूरक	14,71.97			
पुनर्वि०	(-)15,59.69			

अनुदान संख्या 42-जारी

तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से पिछले वर्षों में प्राप्त खर्च न की गई राशि/निधि पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो ऑब्जेक्ट शीर्ष-अन्य प्रभार (₹13,93.02 लाख) तथा प्रशिक्षण (₹1,66.67 लाख) के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
97 लोक अदालत तथा न्यायिक सहायता			
मूल	1,47.80	3,14.49	3,14.49
पूरक	2,65.94		
पुनर्वि०	(-)99.25		
			..

तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से पिछले वर्षों में प्राप्त खर्च न की गई राशि/निधि पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो मानदेय के अन्तर्गत लम्बित विभागीय जांच अंतिम न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

99 एडवोकेट जनरल
98 स्थापना व्यय

मूल	24,65.35	22,55.31	22,52.57	(-)2.74
पुनर्वि०	(-)2,10.04			

₹2,10.04 लाख की बचत मुख्यतः कानून अधिकारी के नियम व शर्तों को अंतिम रूप न देने (₹2,65.48 लाख) के फलस्वरूप वेतन पर व्यय के कारण हुई जो बढ़ा हुआ महगाई भत्ता (₹58.88 लाख) तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक अधिकारी की परीक्षा करवाने (₹10.10 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

95 मैडिएशन और कौंसिलिएशन कार्यक्रम

मूल	30.00	32.00	32.00	..
पूरक	30.00			
पुनर्वि०	(-)28.00			

पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान का आवर्धन हरियाणा राज्य विधि सेवा अधिकरण के अमले के वेतन पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए हुआ जो राज्य सरकार द्वारा दी गई निधियों को उपयोजित न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम हुआ।

अनुदान संख्या 42-जारी

दोषपूर्ण बजट

4. वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला नीचे वर्णित है:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
2014 न्याय प्रशासन			
105 सिविल और सेशन न्यायालय			
99 जिला एवं सेशन न्यायाधीश			
मूल	1,03,25.35	1,28,60.44	1,27,90.70
पूरक	19,89.06		
पुनर्वि0	5,46.03		
			(-)69.74

₹69.74 लाख की अंतिम बचत के दृष्टिगत राज्य में एयर कंडीशनर की खरीद (₹5,83.20 लाख), महगाई भत्ता (₹1,78.69 लाख) तथा मजदूरी (₹15.95 लाख) के अन्तर्गत प्रत्याशा से अधिक व्यय के फलस्वरूप निधियों का पुनर्विनियोजन, प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को मुफ्त कार्यालय आवास के लिए भुगतान (₹88 लाख), छुट्टी यात्रा रियायत तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे (₹34.34 लाख) पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुमान तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ जो कम सहायतानुदान जारी करने (₹2,53.50 लाख), वेतन पर प्रत्याशा से कम व्यय के फलस्वरूप निधियों का पुनर्विनियोजन (₹59.87 लाख), कार खरीदने के लिए स्वीकृति प्राप्त न होना (₹29.22 लाख) के कारण हुई बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ, अत्याधिक सिद्ध हुआ; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

प्रभारित विनियोग

- 5 व्यय कुल विनियोग से **₹1,15,63.420** बढ़ गया है; जिसे नियमित करने की आवश्यकता है।
6. **₹1,15.63** लाख के समस्त आधिक्य के दृष्टिगत 31 मार्च 2015 को **₹3.59** लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
7. बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
2014 न्याय प्रशासन			
102 उच्च न्यायालय			

अनुदान संख्या 42-समाप्त

शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)	
99	न्यायाधीश				
	मूल	5,98.62	7,23.84	5,61.40	(-)1,62.44
	पुनर्वि०	1,25.22			

₹1,62.44 लाख की बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 43

अनुदान संख्या 43-कारागार

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2056 जेल				
दत्तमत				
मूल	1,48,06,00	1,61,19,46	1,60,91,97	(-)27,49
पूरक	13,13,46			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				51,34

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

1. ₹27.49 लाख की समस्त बचत के विरुद्ध ₹51.34 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
2. ₹27.49 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 एवं मार्च 2015 को ₹13,13.46 लाख का प्राप्त पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत (-)
2056 जेले			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
99 मुख्यालय अमला-जेले			
मूल	4,33.70	3,06.75	..
पुनर्वि०	(-)1,26.95		

अनुदान संख्या 43-जारी

₹1,26.95 लाख की बचत अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के स्थानान्तरण से पदों के रिक्त रहने (₹57.90 लाख), संगणकीकरण (सूचना प्रौद्योगिकी) के अन्तर्गत जैमर की स्थापना न किये जाने (₹47.19 लाख), मोटरवाहन में मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹11.56 लाख), अवकाश यात्रा रियायत तथा यात्रा व्यय दावों (₹6.51 लाख) की कम प्राप्ति, पेट्रोल की दरों में कमी (₹5 लाख) तथा संविदा अमले का न लेने (₹4.36 लाख) के कारण हुई जो अमले के बकाया चिकित्सा प्रतिपूति बिलों के भुगतान पर अधिक व्यय (₹4.94 लाख) द्वारा प्रतिसन्तुलित हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
102 जेल उत्पाद			
99 केन्द्रीय जेलें			
मूल	1,39.35	88.13	88.13
पुनर्वि०	(-)51.22		

₹51.22 लाख की बचत मुख्यतः सुनिश्चित कैरियर प्रौन्नति मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

98 जिला जेलें			
मूल	1,15.50	82.95	82.95
पुनर्वि०	(-)32.55		

₹32.55 लाख की बचत मुख्यतः सुनिश्चित कैरियर प्रौन्नति मामलों को अंतिम रूप न दिये जाने (₹22.78 लाख) तथा सामान एवं आपूर्ति, अन्य प्रभारों तथा दूरभाष एवं बिजली प्रयोगों (₹4.54 लाख) के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों के कारण हुई।

अनुदान संख्या 43-समाप्त

4. आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता (+)
2056 जेलें			
101 जेलें			
99 बाल संस्थान तथा किशोर कारागार सहित केन्द्रीय जिला जेलें			
मूल	1,38,78.95		
पूरक	13,13.46		
पुनर्वि0	1,59.88		
	1,53,52.29	1,53,76.14	+23.85

₹23.85 लाख के अंतिम आधिक्य के दृष्टिगत वेतन, महगाई भत्ता तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान में आवर्धन जो फिर दूध, सब्जियां, ब्रेड एवं अन्य भोज्य वस्तुओं तथा अमले के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लम्बित बिलों (₹1,60.72 लाख) के निपटान, सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति योजना जो 1000 वार्डन/मुख्य वार्डन से ज्यादा थे (₹1,32.76 लाख) पर व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा हुआ, जो विद्युत विभाग से कम बिजली के बिल की प्राप्ति (₹58.55 लाख), कच्चे माल की उपलब्धता न होने के फलस्वरूप कारखाने में कम कैंदियों की नियुक्ति (₹35.93 लाख), नगर निगमों से किराए, दर तथा करों के दावों की प्राप्ति न होने (₹20 लाख), अनुबंधित सेवाएं के अन्तर्गत डाक्टरों के त्यागपत्र (₹8.75 लाख), अनुग्रहपूर्वक दावों (₹7.40 लाख) तथा संगणकीकरण के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने (₹2 लाख) से बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ अपर्याप्त सिद्ध हुआ; जिस के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 44

अनुदान संख्या 44-मुद्रण तथा लेखन सामग्री

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
राजस्व:				
मुख्य शीर्ष				
2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
2202	सामान्य शिक्षा			
दत्तमत				
	मूल	35,69,61	37,19,61	33,22,84
	पूरक	1,50,00		
				(-)3,96,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				
				3,97,51
प्रभारित				
	मूल	65,00	90,00	1,01,08
	पूरक	25,00		
				+11,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				शून्य
पूंजीगत:				
दत्तमत				
मुख्य शीर्ष				
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय			
	मूल	7,90,00	7,90,00	..
	पूरक	..		
				(-)7,90,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				
				7,90,00

अनुदान संख्या 44-जारी

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व:

दत्तमत अनुदान

1. ₹3,96.77 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को ₹3,97.51 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
2. ₹3,96.77 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत नवम्बर 2014 में प्राप्त ₹150 लाख का पूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ चूंकि वास्तविक व्यय अपने मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
3. बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता + बचत (-)
2202 सामान्य शिक्षा			
01 प्रारम्भिक शिक्षा			
108 पाठ्य पुस्तकें			
98 पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं प्रकाशन			
मूल	15,20.00	12,19.92	(-)0.08
पुनर्वि०	(-)3,00.00		
	12,20.00		

₹300 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने (₹1,94.31 लाख), कागज एवं मुद्रण की कम खरीद (₹71.51 लाख), अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति (₹13.66 लाख), क्षेत्रीय कार्यालयों को राजकीय भवन में स्थानांतरित करने के कारण किराया, दर तथा करों का कम भुगतान (₹8.31 लाख), मशीनों की कम मुरम्मत (₹8.30 लाख) तथा कार्यालय व्यय तथा मितव्ययता उपायों के अंतर्गत कुछ वस्तुओं की कम खरीद (₹4.64 लाख) के कारण हुई जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर अधिक व्यय (₹9.90 लाख) द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

- 2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण
- 103 सरकारी मुद्रणालय
- 99 स्थापना तथा मुद्रण प्रभार

मूल	9,31.25	8,79.97	8,81.00	+1.03
पुनर्वि०	(-)51.28			

अनुदान संख्या 44-जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा सुनिश्चित प्रोन्नति योजना मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने (₹43.89 लाख), मशीनों की कम मुरम्मत (₹8.02 लाख), ठेकेदार द्वारा अनुबंधित सेवाओं के ठीक दावे प्रस्तुत न करना (₹5 लाख), प्रत्याशा की बजाय वास्तविक मूल्यहास प्रभार (₹4.93 लाख), अवकाश यात्रा रियायत मामलों की कम प्राप्ति (₹3.62 लाख) तथा मुद्रण सामग्री की कम खरीद (₹3.16 लाख) के कारण हुई जो दीर्घ स्थायी बीमारियों के चिकित्सा बिलों पर अधिक व्यय (₹8 लाख) बढ़े हुए मंहगाई भत्ते (₹6.61 लाख) तथा अनुग्रहपूर्वक दावों की अधिक प्राप्ति (₹5.99 लाख) पर अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
001 निदेशन तथा प्रशासन			
99 नियंत्रक लेखन सामग्री			
मुद्रण तथा उसका अमला			
मूल 1,50.68	1,29.41	1,29.33	(-)0.08
पुनर्वि0 (-)21.27			

₹21.27 लाख की बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा सुनिश्चित प्रोन्नति योजना मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने (₹18.36 लाख) के कारण हुई।

प्रभारित विनियोग

- व्यय विनियोजन से ₹11,07,935 बढ़ गया; आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है।
- ₹11.08 लाख के कुल आधिक्य के दृष्टिगत मार्च 2015 में ₹25 लाख का पूरक विनियोग विवेकहीन सिद्ध हुआ।

पूँजीगत:

- बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
4058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय			
103 सरकारी मुद्रणालय			

अनुदान संख्या 44-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
98 मुद्रण एवं लेखन सामग्री			
मूल 7,90.00	}
पुनर्वि० (-)7,90.00			

उच्च शक्ति खरीद समिति द्वारा मशीनरी की दरों को अंतिम रूप न देने के कारण समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा।

7. मूल्यहास आरक्षित निधि में से किया गया व्यय-सरकारी मुद्रणालय:-

वर्ष के दौरान आरक्षित निधि में अंशदान अनुदान के अन्तर्गत व्यय ₹12.57 लाख शामिल है।
31 मार्च 2015 को इस निधि के क्रेडिट में बकाया नीचे दर्शाया गया है:-

आरक्षित निधि तथा प्रयोजन जिसके लिए बनाई गई	आदि शेष 01.04.2014	2014-15 के दौरान अंशदान	वर्ष 2014-15 के दौरान निधि के अन्तर्गत संचय राशि पर ब्याज	निधि में जमा (क्रेडिट) की कुल राशि	2014-15 के दौरान व्यय	31 मार्च 2015 को शेष
1	2	3	4	5	6	7
(₹लाख में)						
8115-104 (1)-मूल्यहास आरक्षित निधि (सरकारी मुद्रणालय) में मशीनरी और फर्नीचर के नवीनीकरण और प्रतिस्थापना की लागत को पूरा करने के लिए	6,53.04	12.57	41.78	54.35	..	7,07.39

अनुदान संख्या 44-समाप्त

मूल्यहास आरक्षित निधि में से किया गया व्यय-सरकारी मुद्रणालय:-

मूल्यहास आरक्षित निधि (सरकारी मुद्रणालयों) को अंशदान प्रत्येक वर्ष स्थायी परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य पर निश्चित दरों के हिसाब से किए जाते हैं । संचित राशियों पर ब्याज भी निधि में जमा (क्रेडिट) किया जाता है।

निधि के लेन-देनों का लेखा वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे की विवरण संख्या 21 में दिया गया है।

लोक ऋण

लोक ऋण (सभी प्रभारित)		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत(-)
पूँजीगत:				
मुख्य शीर्ष				
6003	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
प्रभारित				
मूल	1,38,49,85,04	1,38,49,85,04	82,27,41,09	(-)56,22,43,95
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)				56,22,93,06

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

1. ₹56,22,43.95 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत 31 मार्च 2015 को ₹56,22,93.06 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
2. बचत कुछ शीर्षों के अन्तर्गत बचत तथा कुछ अन्यो के अन्तर्गत आधिक्य का निवल परिणाम थी। बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	बचत(-)
6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
107 भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से कर्जे			
मूल	93,76,00.00	58,71,45.14	58,71,45.14
पुनर्वि०	(-)35,04,54.86		

लोक ऋण-जारी

₹35,04,54.86 लाख की बचत भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम खाद्यान उठाने के दृष्टिगत, भारतीय स्टेट बैंक को नकद उधार सीमा से कम पुनः भुगतान के कारण बचत हुई।

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
110 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम			
99 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम			
मूल	20,00,00.00		
पुनर्वि०	(-)20,00,00.00

पुनर्विनियोजन द्वारा समस्त प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेंशियों के न लेने के कारण अभ्यर्पित हुआ।

109 अन्य संस्थानों से कर्जे			
96 एन.सी.आर.पी.बी. से कर्जे (पी.एच. बी.एन्ड आर)			
मूल	3,66,06.48	3,16,31.42	77,38.13
पुनर्वि०	(-)49,75.06		

₹2,88,68.35 लाख की कुल बचत राष्ट्रीय पूंजीगत क्षेत्रीय योजना बोर्ड से कम कर्जों की प्राप्ति के फलस्वरूप कर्जों की कम वापसी के कारण हुई।

108 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज			
मूल	20,53.28	18,11.06	18,11.06
पुनर्वि०	(-)2,42.22		

₹2,42.22 लाख की बचत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्जों की कम प्राप्ति के फलस्वरूप कर्जों की कम वापसी के कारण हुई।

लोक ऋण-जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज			
105 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य योजनागत ऋण समेकित			
99 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य योजनागत ऋण समेकित			
मूल	1,93,33.05		
पुनर्वि०	(-)96,66.52		
	96,66.53	96,66.53	..

₹96,66.52 लाख की बचत भारत सरकार से कर्जों की कम प्राप्ति के फलस्वरूप कर्जों की कम वापसी के कारण हुई।

3. आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
109 अन्य संस्थाओं से कर्ज			
97 सड़कों के उत्थान हेतु एन.सी.आर.पी.बी. से कर्ज (भवन तथा सड़कें)			
मूल	..	2,28,74.38	+ 2,28,74.38
94 एन.सी.आर.पी.बी. (टी.ई.) से कर्ज			
मूल	3,20.33	9,52.42	+6,32.09
92 एन.सी.आर.पी.बी. (स्वास्थ्य) से कर्ज			
मूल	23,74.08	27,60.89	+3,86.81
उपरोक्त तीनों मामलों में आधिक्य प्रत्याशा की अपेक्षा कर्जों की अधिक वापसी के कारण हुआ।			

लोक ऋण-समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	अधिकता +
105 कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से कर्ज			
99 नाबार्ड से कर्ज			
मूल	2,38,50.00	2,52,45.80	2,52,45.80
पुनर्वि०	13,95.80		
			..

कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से अधिक कर्जों की प्राप्ति के फलस्वरूप अधिक कर्जों की वापसी के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान आवर्धित हुआ।

6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम 02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज			
101 एकमुश्त कर्ज			
मूल	39,61.34	54,77.20	55,25.85
पुनर्वि०	15,15.86		
			+ 48.65

₹15,64.51 लाख का कुल आधिक्य भारत सरकार से अधिक कर्जों की प्राप्ति के फलस्वरूप अधिक कर्जों की वापसी के कारण हुआ।

01 योजनेत्तर कर्ज			
203 पुलिस			
99 पुलिस बल का आधुनिकीकरण			
मूल	..	1,50.08	1,50.08
पुनर्वि०	1,50.08		
			..

योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान का आबंटन न होने के फलस्वरूप कर्जों की वापसी पर व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान हुआ।

अनुदान संख्या 45

अनुदान संख्या 45-राज्य सरकार द्वारा कर्ज और पेशगियां

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुहजार में)	बचत (-)
पूँजीगत:			
मुख्य शीर्ष			
6202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज			
6217 शहरी विकास के लिए कर्ज			
6401 फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज			
6425 सहकारिता के लिए कर्ज			
6515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज			
6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
6851 ग्राम उद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज			
6860 उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज			
7465 सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिए कर्ज			
7610 सरकारी कर्मचारियों को कर्ज			
दत्तमत			
मूल	10,01,40,50		
पूरक	1		
	10,01,40,51	8,42,86,57	(-)1,58,53,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2015)			1,58,91,71

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

दत्तमत अनुदान

पूँजीगत:

1. ₹1,58,53.94 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को ₹1,58,91.71 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
2. बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 45-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
6801 विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्जे			
205 प्रेषण तथा वितरण			
98 हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को कर्जे			
मूल 3,50,02.00	1,18,11.23	1,18,11.23	..
पुनर्वि० (-)2,31,90.77			
₹2,31,90.77 लाख की बचत योजना के अन्तर्गत मितव्ययता उपायों को अपनाने के कारण हुई।			
7610 सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को कर्जे			
800 अन्य पेशगियां			
99 खाद्यान्न की खरीद हेतु पेशगियां			
मूल 80,00.00	45,35.00	45,35.00	..
पुनर्वि० (-)34,65.00			
97 विवाह समारोह हेतु पेशगियाँ			
मूल 46,00.00	31,17.10	31,17.10	..
पुनर्वि० (-)14,82.90			
98 त्यौहार अग्रिम			
मूल 8,00.00	5,56.00	5,56.00	..
पुनर्वि० (-)2,44.00			

अनुदान संख्या 45-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
202 मोटर वाहनों के क्रय के लिए पेशगियाँ			
99 मंत्रियों तथा राज्य विधायकों के इलावा			
मोटर वाहनों के क्रय के लिए पेशगियाँ			
99 विवेकाधीन कोटे के अलावा पेशगियाँ			
मूल 45,00.00	27,92.00	27,92.00	..
पुनर्वि० (-)17,08.00			
98 विवेकाधीन कोटा के अन्तर्गत पेशगियाँ			
मूल 15,00.00	5,64.40	5,64.40	..
पुनर्वि० (-)9,35.60			
उपरोक्त पाचों मामलों में बचत सरकारी कर्मचारियों से कम माँग प्राप्ति के कारण हुई।			
98 मंत्रियों, उपमंत्रियों, राज्य मंत्रियों, अधिकारियों तथा राज्य विधायकों को मोटर वाहन खरीदने हेतु पेशगियाँ			
मूल 5,00.00	2,59.61	2,59.61	..
पुनर्वि० (-)2,40.39			
₹2,40.39 लाख की बचत मंत्रियों/विधान मण्डल के सदस्यों से कम माँग प्राप्ति के कारण हुई।			
97 अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के कर्मचारियों को मोटर वाहनों की खरीद हेतु पेशगियाँ			
मूल 1,10.00	13.00	13.00	..
पुनर्वि० (-)97.00			

अनुदान संख्या 45-जारी

₹97 लाख की बचत अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों से कम मांग प्राप्ति के कारण हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत (-)
204 कम्प्यूटरों का क्रय करने के लिए अग्रिम			
99 कम्प्यूटर खरीद हेतु पेशगी			
मूल 15,00.00	4,18.88	4,18.88	..
पुनर्वि० (-)10,81.12			

₹10,81.12 लाख की बचत सरकारी कर्मचारियों से कम मांग प्राप्ति के कारण हुई।

201 गृह निर्माण पेशगियाँ			
98 गृह निर्माण अग्रिम हेतु मंत्रियों, उपमंत्रियों, राज्य मंत्रियों अधिष्ठाता अधिकारियों तथा राज्य विधायकों को अग्रिम			
मूल 8,00.00	1,25.00	1,25.00	..
पुनर्वि० (-)6,75.00			

₹675 लाख की बचत मंत्रियों/विधान सभा के सदस्यों से माँग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

97 अखिल भारतीय सेवाओं के सरकारी अधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम हेतु अग्रिम			
मूल 1,10.00	9.00	9.00	..
पुनर्वि० (-)1,01.00			

₹101 लाख की बचत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से कम मांग प्राप्ति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 45-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	बचत(-)
6425 सहकारिता हेतु कर्जे			
108 अन्य सहकारिताओं को कर्जे			
99 एकीकृत सहकारिता विकास कार्यक्रम			
मूल 28,23.00	14,11.36	14,11.36	..
पुनर्वि० (-)14,11.64			

₹14,11.64 लाख की बचत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा पंचकूला, अम्बाला, हिसार, फतेहाबाद तथा सिरसा के परियोजनाओं हेतु कम राशि स्वीकृत करने के कारण हुई।

6515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु कर्जे			
02 सामुदायिक विकास			
99 राजस्व उपार्जित योजनाओं हेतु ग्रामीण पंचायतों को कर्जे			
मूल 1,00.00	69.41	69.41	..
पुनर्वि० (-)30.59			

₹30.59 लाख की बचत उपायुक्तों से पूर्ण मामलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

3. आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	अधिकता +
6425 सहकारिता हेतु कर्जे			
108 अन्य समितियों को कर्जे			
86 हरियाणा राज्य सहकारिता कृषि एवं ग्रामीण विकास किसान बैंक को राज्य सरकार से कर्जे हेतु योजना			
मूल ..	2,03,87.00	2,03,87.00	..
पूरक 0.01			
पुनर्वि० 2,03,86.99			

अनुदान संख्या 45-समाप्त

टोकन पूरक अनुदान द्वारा प्रावधान हुआ तथा राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक को देय कर्जों की वापसी हरियाणा राज्य सहकारिता कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर अधिक व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा आवर्धित हुआ।

दोषपूर्ण बजट

4. वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला नीचे दर्शाया गया है:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	अधिकता +
7610 सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को कर्जे			
201 गृह निर्माण पेशगियां			
99 अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के अलावा सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण पेशगियां			
99 विवेकाधीन कोटे के अलावा पेशगियां			
मूल	1,47,90.00	1,32,79.79	1,33,17.56
पुनर्वि०	(-)15,10.21		
			+37.77

₹37.77 लाख के अंतिम आधिक्य के दृष्टिगत सरकारी कर्मचारियों से कम मांग के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कटौती विवेकहीन सिद्ध हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2015)।

परिशिष्ट

(पृष्ठ xiii पर सन्दर्भित)

अनुमानों और वसूलियों के वास्तविक आंकड़ों के अनुदानवार ब्यौरे, जिन्हें व्यय में कमी के रूप में लेखाओं में समायोजित किया गया है।

अनुमानों की संख्या और नाम	बजट अनुमान		वास्तविक आंकड़े		बजट की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिकता + बचत(-)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3	4	5	6	7
			(₹हजार में)			
4-राजस्व	1,80,86,00	..	2,18,03,93	..	+37,17,93	..
8-भवन तथा सड़कें	15,00,00	..	1,33,96	..	(-)13,66,04	..
23-खाद्य एवं आपूर्ति	1,83,17,00	87,37,33,00	69,89,91	66,63,91,83	(-)1,13,27,09	(-)20,73,41,17
27-कृषि	12,50,00	(-)12,50,00	..
34-परिवहन	20,00	32,20,00	25,00	29,50,00	+5,00	(-)2,70,00
38-लोक स्वास्थ्य तथा जल पूर्ति	19,50,00	..	95,54	..	(-)18,54,46	..
जोड़	4,11,23,00	87,69,53,00	2,90,48,34	66,93,41,83	(-)1,20,74,66	(-)20,76,11,17